Read To Lead

Three/Four Year Undergraduate Programme for
University of Rajasthan, Jaipur Syllabus as Per (NEP-2020)

Indian Banking and Financial System

भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली

इकाई–1

INDIAN BANKING SYSTEM
भारतीय बैंकिंग प्रणाली

1.1. INDIAN BANKING SYSTEM

1.1.1. Meaning and Definition of Bank

The word 'bank' has derived from German language, which has the literal meaning 'to collect'. Initially the basic function of a bank was to collect money from public in the form of deposits. But later on, the banks were also involved in other functions such as the lending of the money, overdraft facility, credit card, discounting of bills, etc.

Section 5(1) (b) of the Banking Regulation Act, 1949 defines banking as, "The accepting for the purpose of lending or investment, of deposits from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawal by cheque, draft, order or otherwise".

According to R.S. Meyers, "Banks are institutions whose debts are referred to as 'bank deposits' and they are commonly accepted in final settlement of other people's debts".

According to Justice Homes, "The real business of a banker is to obtain deposits of money which he may use for his own profit by lending it out again".

The term Banking Company has been explained in **sub-section (c)** of the above Section as under:
"Banking company means any company which transacts the business of banking [in India]".

1.1.2. Features of Bank

Banks are characterised by the following features:

1) Acceptance of deposits and borrowing /raising of money;
2) Lending of money either against appropriate tangible securities or without any security;
3) Dealing in various types of financial instruments like bills of exchange, hundies, promissory notes, coupons, drafts, bills of lading, railway receipts, warrants, debentures, certificates, scrips, etc. by way of drawing, accepting, discounting, buying, selling, and collecting them on behalf of their customers. Such instruments may be 'negotiable or non-negotiable' and 'transferable or non-transferable';
4) Issuing of letters of credit (L/C), traveller's cheques, drafts, circular notes, etc. on behalf of their customers;
5) Buying and selling of foreign exchange and different forex currencies;
6) Buying and selling of various commodities like metals, agricultural produce, etc.

1.1. भारतीय बैंकिंग प्रणाली

1.1.1. बैंक का अर्थ एवं परिभाषा

बैंक शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'एकत्र करना' है। प्रारम्भ में एक बैंक का मूल कार्य जमा राशि के रूप में व्यक्तियों से धनराशि एकत्रित करना था। परन्तु बाद में बैंक अन्य कार्यों जैसे ऋण देना अधिविकर्ष सुविधा, क्रेडिट कार्ड, बिल की कटौती आदि में भी शामिल हो गया।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(1)(b) के अनुसार, "बैंकिंग से आशय ऋण देने अथवा निवेश के उद्देश्य से व्यक्तियों से जमा प्राप्त करना है जिसे माँग पर या अन्यथा चुकाना तथा चेक ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्यथा द्वारा निकासी शामिल है।"

आर.एस. मेयर्स के अनुसार, "बैंक वे संस्थान हैं जिनके ऋणों को बैंक जमा के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है तथा सामान्यतः अन्य व्यक्तियों के ऋणों के अंतिम भुगतान में स्वीकार किए जाते हैं।"

जस्टिस होम्स के अनुसार, "एक बैंक का वास्तविक व्यवसाय मुद्रा को जमा के रूप में प्राप्त करना है जिसे वह अपने लाभ हेतु उपयोग करके इसे पुनः ऋण के रूप प्रदान कर सकता है।"

बैंकिंग कम्पनी को उपरोक्त धारा की **उपधारा (c)** में निम्नानुसार समझाया गया है–
"बैंकिंग कम्पनी का अर्थ ऐसी कम्पनी से है, जो बैंकिंग (भारत में) का व्यावसायिक संव्यवहार करती है।"

1.1.2. बैंक की विशेषताएँ

बैंकों की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं–

1) जमाएँ स्वीकार करना एवं ऋण प्रदान करने का अधिकार;
2) उचित मूर्त प्रतिभूति या प्रतिभूति के बिना मुद्रा उधार देना;
3) विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों जैसे विनिमय विपत्र, हुण्डी, प्रतिज्ञा पत्र, कूपन, रेलवे रसीदें, वारंट, ऋण पत्र, प्रमाणपत्र, बीजक आदि को आहरण के माध्यम से स्वीकृत करना तथा ग्राहकों की ओर से क्रय एवं विक्रय करना। इस प्रकार के उपकरण, परक्राम्य या गैर पराक्रम्य तथा हस्तांतरणीय या गैर हस्तांतरणीय हो सकते हैं;
4) अपने ग्राहकों की ओर से साख पत्र, यात्री चेक, अधिविकर्ष, परिपत्र नोट, आदि निर्गमित करना;
5) विदेशी मुद्रा एवं विभिन्न विदेशी मुद्रा का क्रय एवं विक्रय करना;
6) विभिन्न वस्तुओं, जैसे– धातु कृषि उत्पाद आदि का क्रय एवं विक्रय करना।

1.1.3. Types of Banks

Banks can be classified into the following types:

1) **Commercial Bank:** A commercial bank is a financial institution which works on profit and deals in accepting deposit and loan services, provided to corporations and large/middle sized enterprise. It provides financial services to general public, businesses and companies in order to ensure economic stability and sustainable growth of the country. The main **objectives of commercial banks** are as follows:
   i) To provide the greater portfolio of services to its clients comprising of the individuals and the businessmen, and
   ii) To accumulate payments from the clients in form of fees, charges and interest on the offered product and services. Such payments are the source of income of the bank to generate maximum profit in respect of the shareholders of the bank.

2) **Co-operative Bank:** Co-operative banks are the banking institution which takes deposits and lend money in most parts of the world. It helps in formulating a better credit system in the rural sector, especially for agriculture. The main **objectives of co-operative banks** are as follows:
   i) To provide credit to the general public at the reasonable interest rates so, that the supremacy of private money lenders can be reduced in a significant manner, and
   ii) To provide credit to the farmers at the lower interest rates for boosting up the agriculture sector and to encourage the other allied activities.

3) **Small Bank:** Small banks are the banks which perform only the basic functions of banking like, accepting deposits and granting loans on small scale.

   Its purpose is to provide banking services to the unserved section of the society and provide credit to small business units, small farmers etc. The main **objectives of small finance banks** are as follows:
   i) To offer the services of bank, particularly to the underserved and unwarranted sections of the society,
   ii) To fortify the financial inclusion, and
   iii) To encourage the various entities of an economy such as the small business units, small and marginal farmers, micro and small industries, and the entities of unorganised sector.

4) **Central Bank:** A central bank is a monetary institution which is responsible for controlling the production, circulation and supply of the money in the market. Central bank also acts as **"lender of last resort"** to the banking sector at the time of financial crises. It has been set-up in about all the countries of the world. **"The Reserve Bank of India"** is the central bank of our country. It acts as banker's bank, controller of credit and money supply, and also it enjoys the exclusive right of issuing currency of the country except one rupee coin. The government of our country controls the central bank.

1.1.3. बैंकों के प्रकार

बैंकों को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है–

1) **वाणिज्यिक बैंक**–वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है एवं जनता के जमाओं को स्वीकार करती है तथा बड़े/मध्यम आकार के उद्योगों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करती हैं। यह देश की आर्थिक स्थिरता तथा सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यक्तियों, व्यापारियों तथा कम्पनियों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं। **वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित है–
   i) व्यक्तियों एवं व्यवसायियों से युक्त अपने ग्राहकों को अधिकतम निवेश सूची प्रदान करना; तथा
   ii) ग्राहकों को प्रस्तावित उत्पाद एवं सेवाओं पर शुल्क, प्रभार तथा ब्याज के रूप में भुगतान प्राप्त करना। इस प्रकार के भुगतान बैंक के अंशधारकों के सम्बन्ध में अधिकतम लाभ सृजित करने के लिए बैंक की आय का स्रोत है।

2) **सहकारी बैंक**–सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं जो विश्व के अधिकांश भागों से जमाएँ स्वीकार करती हैं तथा मुद्रा ऋण के रूप में प्रदान करती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि के लिए बेहतर साख प्रणाली तैयार करने में सहायता करती है। **सहकारी बैंक के मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित हैं–
   i) सामान्य जनता को उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना ताकि निजी ऋणदाताओं के वर्चस्व को कम किया जा सके, तथा
   ii) कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना।

3) **लघु बैंक**–लघु बैंक वे बैंक होते हैं जो केवल बैंकिंग के मूल कार्य करते हैं जैसे, जमाओं को स्वीकार करना और लघुस्तर पर ऋण प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अनारक्षित वर्ग को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना तथा लघु व्यापारिक इकाइयों, लघु किसानों आदि को ऋण प्रदान करना है। **लघु वित्तीय बैंक के मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित हैं–
   i) विशेष रूप से समाज के अनारक्षित तथा अनाधिकृत वर्गों को बैंक की सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए,
   ii) वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने के लिए, और
   iii) अर्थव्यवस्था की विभिन्न संस्थाओं जैसे कि लघु व्यावसायिक इकाइयों, लघु तथा सीमान्त किसानों, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्रों की संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

4) **केन्द्रीय बैंक**–केन्द्रीय बैंक एक मौद्रिक संस्थान है जो बाजार में मुद्रा के उत्पादन, प्रवाह तथा पूर्ति को नियन्त्रित करने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय बैंक वित्तीय संकट के समय बैंकिंग क्षेत्र के लिए **"अन्तिम ऋणदाता"** के रूप में कार्य करता है। इसे विश्व के लगभग सभी देशों में स्थापित किया गया है। **"भारतीय रिजर्व बैंक"** हमारे देश का केन्द्रीय बैंक है। यह बैंकों का बैंक, साख और मुद्रा की पूर्ति के नियन्त्रक के रूप में कार्य करता है तथा इसे एक रूपये के सिक्के को छोड़कर देश की मुद्रा निर्गमित करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। हमारे देश की सरकार केन्द्रीय बैंक को नियन्त्रित करती है।

The main **objectives of central bank** are as follows:

i) To work for the economic growth of a nation in tune with the potential holds by the economy for developing further,

ii) To increase the level of employment in an economy,

iii) To make the prices constant by stabilising the purchasing power of money, and

iv) To make the interest rates constant for a longer duration.

5) **Development Bank:** A development bank is a financial institution whose prime motive is to provide finance for the basic needs of the society. It is an institute which acts as the amalgamation of the activities of the finance corporation and a development corporation. As a financial corporation, these banks provide financial support to the medium-sized businesses by providing loans, underwritings and investment. These banks function as casual agents in enhancing sustainable development, by presuming advancement role by undertaking feasibility studies, giving technical, financial and managerial support for the execution of the project. In India, **Industrial Development Bank of India (IDBI),** is the prime development bank. The main **objectives of development bank** are as follow:

i) To encourage the activities of economic development such as the investment activity and the entrepreneurial activity, particularly in those countries that are at the developing stage, and

ii) To promote the start-ups and the small entrepreneurs for avoiding the regional imbalances in an economy.

6) **Indigenous Bank:** These are the banks which are controlled by the private lenders (i.e. seths, sahukars, mahajans, sardars, etc.), in order to fulfil the need of the money of the small business units and the farmers, before Independence. These private lenders try to exploit people of the rural areas by giving them money on a higher rate of interest and by mortgaging their jewelry, land or their precious items. These banks are still in existence, even after the establishment of financial corporations and banks in India.

The main **objectives of indigenous bank** are as follows:

i) To provide the finance and remittance facilities to the traders and small industrialist with the help of advancing loans,

ii) To provide the finance and remittance facilities by facilitating to write, buy and sell the Hundis,

iii) To provide the finance and remittance facilities by facilitating to write or draw the finance and trade bills,

iv) To provide sufficient finance to encourage internal (domestic) as well as the external (foreign) trade.

7) **Exchange Bank:** Exchange banks are the banks which aim at promoting foreign trade amongst various countries. They promote foreign trade by providing the facility to the businessmen of exchanging their money into any other currency. Their main function is to do

केन्द्रीय बैंक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

i) अर्थव्यवस्था द्वारा भावी धारणाओं के साथ राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए कार्य करना,

ii) अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार के स्तर में वृद्धि करना,

iii) मुद्रा की क्रय शक्ति को स्थिर करते हुए मुद्रा को स्थिर करना, तथा

iv) दीर्घ अवधि के लिए ब्याज दर को स्थिर करना,

5) **विकास बैंक**–विकास बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज की बुनियादी आवश्यकताओं हेतु वित्त उपलब्ध कराना है। यह एक ऐसी संस्था है जो वित्त निगम तथा एक विकास निगम की गतिविधियों के संयोजन के रूप में कार्य करती है। वित्तीय निगम के रूप में ये बैंक मध्यम आकार के व्यवसायों को ऋण, अभिगोपन तथा निवेश प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ये बैंक स्थायी विकास को बढ़ाने के लिए आकस्मिक एजेन्ट के रूप में कार्य करते हैं, जैसे व्यवहार्यता अध्ययन करते हुए प्रगति की भूमिका का अनुमान लगाकर परियोजना के निष्पादन के लिए प्रौद्योगिकी, वित्तीय तथा प्रबन्धकीय सहायता प्रदान करना हैं। भारत में **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक** प्रमुख विकास बैंक है। **विकास बैंक के मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित हैं–

i) आर्थिक विकास की गतिविधियों जैसे कि निवेश गतिविधियों तथा उद्यमशीलता गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से उन देशों में जो विकासशील अवस्था में है, तथा

ii) अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असन्तुलन से बचने के लिए स्टार्ट–अप तथा लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।

6) **देशी (स्वदेशी) बैंक**–ये ऐसे बैंक है जो स्वतन्त्रता से पूर्व निजी ऋणदाताओं (अर्थात् सेठ, साहूकार, महाजन, सरदार इत्यादि) द्वारा नियन्त्रित किए जाते थे ताकि लघु व्यावसायिक इकाइयों तथा किसानों की धन की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। ये निजी ऋणदाता ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को उच्च ब्याज दर पर ऋण देकर तथा उनके गहनों, भूमि या मूल्यवान वस्तुओं को गिरवी रखकर उनका शोषण करने का प्रयास करते थे। भारत में वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों की स्थापना के पश्चात् भी ये बैंक अभी भी अस्तित्व में है।

देशी बैंकों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

i) व्यापारियों तथा लघु उद्योगपतियों को ऋण की सहायता से वित्त तथा प्रेषण सुविधाएँ प्रदान करना,

ii) हुण्डी को लिखने, क्रय एवं विक्रय की सुविधा प्रदान करते हुए वित्त तथा प्रेषण सुविधाएँ प्रदान करना,

iii) वित्त एवं व्यापारिक बिलों को लिखने एवं आहरित करने की सुविधा प्रदान करके वित्त तथा प्रेषण सुविधाएँ प्रदान करना,

iv) आन्तरिक (घरेलू) तथा वाह्य (विदेशी) व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त वित्त प्रदान करना।

7) **विनिमय बैंक**–विनिमय बैंक वे बैंक होते हैं जिनका उद्देश्य विभिन्न देशों के मध्य विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना है। ये व्यवसायियों को मुद्रा के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करके विदेशी व्यापार को बढ़ावा देते हैं।

1.1.4. Functions of Banks

Banks perform a key role in the overall growth and development of a country's financial system, which are as follows:

1) **Intermediation:** Intermediation may be defined as the process of mobilizing funds from the savers (who are having surplus thereof) of the economy and diverting the same to the entrepreneurs (who are in the need thereof). Financial intermediation is a key factor in the economic development of any country. Financial intermediaries like banks, NBFCs, and other entities are the companies incorporated under the Indian Companies Act, which are engaged in the business of accepting deposits (borrowings) from savers for lending to the business entities in the need of funds for their day to day operations or expansion of business or venturing into new fields of business.

2) **Payment System:** Banks operating in the system play an important role in providing a payment framework of the financial system of any country. Now-a-days, most of the transactions pertaining to transfer of funds take place in cashless mode, i.e. modes other than cash. Such cashless transactions may be effected through cheques, credit / debit cards, National Electronic Funds Transfers (NEFT), Real Time Gross Settlements (RTGS), Immediate Payments Systems (IMPS), prepaid cards, etc. all the above mentioned methods are used for transfer of funds. The financial intermediaries, especially the banks and technology play a crucial role.

3) **Financial Services:** Financial services include all those services, which act as an intermediary between an investor on one hand and a borrower on the other. For an investor, they offer an opportunity to invest in a safe and profitable manner, and for a borrower they act as a reliable source of raising funds in a secure and hassle-free environment.

1.1.5. Role of Banks in Economic Development

Banks perform a vital role in the economic growth of a country; their contribution in this regard may be summarised as following:

1) **Removing the Deficiency of Capital Formation:** A sufficient level of capital formation is the pre-condition for the economic growth of a country. Banks are capable of removing any deficit in capital formation in a country, especially in a developing economy. An efficient banking system acts as a conduit for channelising small savings of common people towards productive businesses. Deposit mobilisation by banks is supported by the attractive rates of interest, which is made available to the prospective depositors. Small household savings, which otherwise would have remained idle, are thus converted into active capital. The amount collected from common people in the form of deposits are used by bank

1.1.4. बैंकों के कार्य

बैंक किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली के समग्र विकास तथा संवृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो निम्न प्रकार से है–

1) **मध्यस्थता**–वित्तीय मध्यस्थता को अर्थव्यवस्था के बचतकर्ताओं (जिसके पास अतिरिक्त कोष है) से धनराशि एकत्रित करने तथा इसे उद्यमियों (जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है) को देने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वित्तीय मध्यस्थता किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण कारक होता है। वित्तीय मध्यस्थता, जैसे–बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ एवं अन्य संस्थाएँ भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित की गई कम्पनियाँ है, जो अपने दिन प्रतिदिन के लिए मुद्रा की आवश्यकता में व्यावसायिक संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के लिए ग्राहकों से बचत को स्वीकार करने तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर उधार देने के रूप में संलग्न होती है। व्यवसाय का संचालन या विस्तार व्यवसाय के नए क्षेत्रों में उद्यम करना है।

2) **भुगतान प्रणाली**–किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली का भुगतान संरचना प्रदान करने में बैंक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में, निधियों के हस्तांतरण से सम्बन्धित अधिकतर लेन–देन नकदी रहित अर्थात् नकद के अतिरिक्त अन्य माध्यम से किए जाते है। इस नकदी रहित लेनदेन को चेक, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर, तत्काल सकल भुगतान, तत्काल भुगतान प्रणाली तथा प्रीपेड कार्ड आदि के माध्यम से किया जाता है। उपर्युक्त सभी विधियों का प्रयोग निधियों के स्थानान्तरण हेतु किया जाता है। वित्तीय मध्यस्थ विशेष रूप से बैंक तथा प्रौद्योगिकी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

3) **वित्तीय सेवाएँ**–वित्तीय सेवाओं में उन सभी सेवाओं को शामिल किया जाता है जो एक तरफ एक निवेशक के मध्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है तथा दूसरी ओर उधारकर्ता के मध्य सेवाओं को शामिल किया जाता है जो एक निवेशक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। एक निवेशक के लिए सुरक्षित एवं लाभदायक विधि से निवेश करने का अवसर प्रदान करते है, तथा उधारकर्ता के लिए सुरक्षित एवं परेशानी मुक्त वातावरण में मुद्रा एकत्रित करने के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करते है।

1.1.5. आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका

बैंक किसी देश की आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस संबंध में उनके योगदान को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है–

1) **पूँजी निर्माण की कमी को दूर करना**–पूँजी निर्माण का पर्याप्त स्तर किसी देश के आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। बैंक किसी देश में, विशिष्ट रूप से विकासशील अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण में किसी भी कमी को दूर करने में सक्षम होता है। एक कुशल बैंकिंग प्रणाली सामान्य लोगों की कम बचत को उत्पादक व्यवसायों की ओर ले जाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। बैंकों द्वारा जमा संग्रहण को आकर्षक ब्याज दरों द्वारा समर्थित किया जाता है, जो संभावित जमाकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। लघु घरेलू बचतें, जो अन्यथा निष्क्रिय रह जातीं, इस प्रकार सक्रिय पूँजी में परिवर्तित हो जाती हैं। सामान्य व्यक्तियों से जमा के रूप में संचित की गई राशि का उपयोग बैंक द्वारा उद्यमियों को उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण देने के लिए किया जाता है, जो परिवर्तनस्वरूप देश

to lend for productive purposes to entrepreneurs, which in turn facilitate capital formation and economic development of the country. Banks also play an important role in ensuring the available financial resources of the society are put to optimum use.

2) **Helps in Generating Employment Opportunity:** Banks empower entrepreneurs to grow and expand their business by fulfilling their credit requirements, which in turn results in generation of employment. The number of employment generated through banks goes into lakhs and crores. Similarly, banks facilitate revenue generation for the Government by collecting taxes and dividends. In addition to the above contributions, viz. employment and revenue generation, banks also ensure that credits are made available to various industries continuously, and the overall economy of a country grows and remains healthy.

3) **Financial Assistance to Industries:** All the financial needs of various industries, whether short-term, medium-term, or long-term, are catered by commercial banks. With a view to encouraging Micro and Small Enterprises (MSEs), the Government and RBI had introduced a scheme, viz. Credit Guarantee Fund Scheme (CGFS), which provides guarantee for financial assistance to MSEs upto ₹10 lakh without any collateral. In addition to the above, Government of India established another agency, viz. Micro Units Development & Refinance Agency (MUDRA) in March 2015 for refinancing Micro Finance Institutions (MFIs), who provide credit facilities to MSEs undertaking the business of manufacturing, trading, and services activities upto ₹10 lakh.

4) **Promote Saving Habits of the People:** Another major contribution made by commercial banks relates to inculcating and promoting the saving habits among the masses. This is done by launching different deposit schemes with higher rates of interest, and other attractive features, which create interest in the minds of people to go for domestic savings and open deposit accounts with banks. Some of the popular deposit categories, which meet the requirement of common people and business entities are saving accounts, fixed accounts, recurring accounts, current accounts, etc.

5) **Financial Assistance to Consumer Activities:** People with limited financial resources and lower income levels, especially those living in under-developed or developing countries, find it difficult to buy a house, or consumer durables, e.g. televisions, refrigerators, washing machines, furniture, etc. at same time. Banks offer them advance money (repayable in easy instalments) to buy such household items, thereby improving the standard of living of poor people.

6) **Helps in Implementing Monetary Policy:** Transmission of the monetary policy framed by a country's central bank is possible only with the cooperation of commercial banks. The successful implementation of Reserve Bank of India monetary

के पूँजी निर्माण तथा आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करता है। समाज के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2) **रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सहायता करना**—बैंक उद्यमियों को उनकी साख आवश्यकताओं को पूरा करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने तथा विस्तारित करने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार का सृजन होता है। बैंकों के माध्यम से सृजित रोजगार की संख्या लाखों–करोड़ों में जाती है। इसी प्रकार, बैंक कर तथा लाभांश एकत्र करके सरकार के लिए राजस्व सृजन की सुविधा प्रदान करते हैं। उपरोक्त योगदान के अतिरिक्त, रोजगार एवं राजस्व सृजन, बैंक यह भी सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न उद्योगों को निरन्तर साख उपलब्ध कराया जाता है, तथा किसी देश की समग्र अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है और वह सुरक्षित रहती है।

3) **उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता**—विभिन्न उद्योगों की सभी वित्तीय आवश्यकताएँ, चाहे वह अल्पकालिक, मध्यम अवधि या दीर्घकालिक अवधि हो, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूर्ण की जाती हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सरकार तथा आरबीआई ने एक योजना प्रारम्भ की थी, अर्थात् साख प्रत्याभूति निधि योजना (CGFS), जो बिना किसी संपार्श्विक के MSEs को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता की प्रत्याभूति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने एक अन्य एजेंसी की स्थापना की, अर्थात् सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFIs) के पुनर्वित्त के लिए मार्च 2015 में सूक्ष्म इकाईयों का विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा), जो ₹10 लाख तक के विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा गतिविधियों के व्यवसाय करने वाले MSEs को ऋण सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

4) **लोगों की बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना**—वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया गया एक अन्य प्रमुख योगदान जनता के मध्य बचत की आदतों को विकसित करने तथा प्रोत्साहित करने से संबंधित है। यह उच्च ब्याज दरों तथा अन्य आकर्षक विशेषताओं के साथ विभिन्न जमा योजनाओं को प्रारम्भ करके किया जाता है, जो व्यक्तियों के मन में घरेलू बचत तथा बैंकों के साथ जमा खाते खोलने के लिए अभिरुचि उत्पन्न करते हैं। कुछ लोकप्रिय जमा श्रेणियाँ, जो सामान्य लोगों एवं व्यावसायिक संस्थाओं की आवश्यकता को पूर्ण करती हैं, वे बचत खाते, सावधि खाते, आवर्ती खाते, चालू खाते आदि है।

5) **उपभोक्ता गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता**—सीमित वित्तीय संसाधनों तथा निम्न आय स्तर वाले व्यक्तियों, को विशिष्ट रूप से अल्प विकसित या विकासशील देशों में रहने वाले लोगों के लिए एक ही समय में घर, या उपभोक्ता स्थायी वस्तुएं, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, फर्नीचर आदि को क्रय करना जटिल हो जाता है। बैंक उन्हें ऐसे घरेलू वस्तुएं क्रय करने के लिए अग्रिम मुद्रा (आसान किश्तों में चुकाने योग्य) की पेशकश करते हैं, जिससे गरीब व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होता है।

6) **मौद्रिक नीति को लागू करने में सहायक**—किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा तैयार की गई मौद्रिक नीति का प्रसारण वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से ही संभव होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का सफल

policy is dependent, to a great extent, upon the commercial banks. In short, commercial banks of a developing country have much to offer for the economic development by:

i) Extending credit to various sectors of the economy, e.g. Agriculture, trade, industry, export, import, etc.,

ii) Facilitating capital formation, and

iii) Implementing the monetary policy of the Central bank.

7) **Financial Facilities for Trade:** Commercial banks provide credit facilities to entrepreneurs for conducting internal as well as external trades. Credit facilities are extended to retailers and wholesalers in the form of overdrafts, cash credits, purchase/discount of bills of exchange, etc., which facilitate business development. Commercial banks also provide logistic support for movement of goods from one location to another.

Credit requirements of the business organisations engaged in the business of exports and/or imports are also fulfilled by commercial banks. All the foreign exchange problems, pertaining to exports and imports business, are sorted out by commercial banks and the specialised banks. One such bank, viz. Export Import Bank (Exim Bank) has entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of Andhra Pradesh for the advancement of export in the state.

8) **Foreign Currency Loans:** Banks also provide foreign currency loans to industries engaged in forex business for establishing new projects, as well as for the expansion, diversification, renovation, and modernisation of existing businesses. Foreign currency denominated loans are provided to importers for importing machineries/equipment and latest technology.

9) **Promotion of New Entrepreneurs:** Development banks have played a significant role in supporting growth of a separate class of industrialists and a culture of industrialisation. Entrepreneurs with technical knowhow and innovative ideas but without financial strength, are provided necessary financial support through innovative schemes like 'Special Capital" and "Seed Capital". Development banks have initiated and participated in various innovative entrepreneurship development programmes for economic development. In developing and underdeveloped countries, entrepreneurs face the scarcity of finance in converting their innovative ideas into realities. Due to the uncertainty and risk associated with the new venture, normally the lenders hesitate in extending financial support to them. However, with the financial support of development banks, such entrepreneurs are able to go ahead with their innovative plans, and contribute in the GDP of the country by stepping up production by implementing new methods of production.

कार्यान्वयन काफी सीमा तक वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भर होता है। संक्षेप में, किसी विकासशील देश के वाणिज्यिक बैंकों के पास आर्थिक विकास के लिए बहुत कुछ होता है–

i) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, निर्यात, आयात, आदि के लिए ऋण प्रदान करना।

ii) पूँजी निर्माण को सुविधाजनक बनाना, तथा

iii) केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करना।

7) **व्यापार के लिए वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करना**–वाणिज्यिक बैंक उद्यमियों को आंतरिक तथा बाह्य व्यापार करने के लिए ऋण सुविधाएँ प्रदान करते हैं। खुदरा विक्रेताओं एवं थोक विक्रेताओं को अधिविकर्ष, नकद साख, विनिमय विपत्र की क्रय/छूट आदि के रूप में साख सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, जो व्यवसाय के विकास को सुविधा प्रदान करती हैं। वाणिज्यिक बैंक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रसद सहायता भी प्रदान करते हैं।

निर्यात और/या आयात के व्यवसाय में लगे व्यापारिक संगठनों की ऋण आवश्यकताओं को भी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूरा किया जाता है। निर्यात तथा आयात व्यवसाय से संबंधित सभी विदेशी मुद्रा समस्याओं का समाधान वाणिज्यिक बैंकों एवं विशिष्ट बैंकों द्वारा किया जाता है। ऐसा ही एक बैंक, जैसे– निर्यात आयात बैंक (Exim Bank) ने राज्य में निर्यात की उन्नति के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है।

8) **विदेशी मुद्रा ऋण**–बैंक नई परियोजनाओं की स्थापना के साथ–साथ उपस्थित व्यवसायों के विस्तार, विविधीकरण, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए विदेशी मुद्रा व्यवसाय में लगे उद्योगों को विदेशी मुद्रा ऋण भी प्रदान करते हैं। आयातकों को मशीनरी/उपकरणों एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी के आयात के लिए विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के ऋण प्रदान किए जाते हैं।

9) **नए उद्यमियों को बढ़ावा देना**–विकसित बैंकों ने उद्योगपतियों के एक अलग वर्ग के विकास एवं औद्योगीकरण की संस्कृति का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकनीकी सूचना तथा नवीन विचारों वाले परन्तु वित्तीय शक्ति के बिना उद्यमियों को 'विशेष पूँजी' तथा 'मूल पूँजी' जैसी नवीन योजनाओं के माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विकासशील बैंकों ने आर्थिक विकास के लिए विभिन्न नवोन्मेषी उद्यमिता विकास योजनाओं को प्रारम्भ किया है तथा उनमें भाग लिया है। विकासशील एवं अविकसित देशों में, उद्यमियों को अपने नवीन विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए वित्त की कमी का सामना करना पड़ता है। नए उद्यम से जुड़ी अनिश्चितता एवं जोखिम के कारण, सामान्यतः ऋणदाता उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने में संकोच करते हैं। हालाँकि, विकासशील बैंकों के वित्तीय समर्थन से, ऐसे उद्यमी अपनी नवीन योजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं, तथा उत्पादन की नयी पद्धतियों को लागू करके उत्पादन में वृद्धि करके देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं।

1.1.7. Importance of Bank/Banking

Banks play an important role in an economy. Their role can be set out under the following heads:

1) **Mobilization of Savings:** Economic development depends on the available savings and investment in the economy. By mobilization of deposits, banks collect savings from the public which in turn are lent for investment when they serve credit to various sectors of an economy.

2) **Facilitate Commerce and Trade:** Finance is important for trade and commerce and banks which provide funds for facilitating these types of activities in the economy.

3) **Balanced Regional Development:** In tune with the policy of the government to have more balanced development of an economy, the banks do promote lending and investment in those regions or parts of the country which are less developed and thus banks promote social objectives.

4) **Provision of Finance to Backward Communities and Neglected Segments of Society:** This is another important contribution of commercial and co-operative banks in India. They provide loans at concessional rates to scheduled castes/scheduled tribes and weaker sections of the society, as per the guidelines of the government.

1.1.7. बैंक / बैंकिंग का महत्व

एक बैंक अर्थव्यवस्था में बैंक एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी भूमिका निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है–

1) **बचतों का संग्रहण**–आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में उपलब्ध बचत तथा निवेश पर निर्भर करता है। जमाराशियों के संग्रहण से बैंक जनता से बचत एकत्र करते हैं जो वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए साख प्रदान करते है।

2) **वाणिज्य एवं व्यापार में सुगम बनाना**–वित्त व्यापार एवं वाणिज्य के लिए महत्त्वपूर्ण होता है तथा बैंक अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की गतिविधियों की सुविधा के लिए कोष प्रदान करता है।

3) **सन्तुलित क्षेत्रीय विकास**–अर्थव्यवस्था के अधिक सन्तुलित विकास के लिए सरकार की नीति के अनुसार बैंक देश के उन क्षेत्रों या कुछ भागों में ऋण एवं निवेश को बढ़ावा देते हैं जो अल्प विकसित होते हैं तथा इस प्रकार बैंक सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं।

4) **समाज के पिछड़े समुदायों तथा उपेक्षित वर्गों के लिए वित्त का प्रावधान**–यह भारत में वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों का एक अन्य महत्त्वपूर्ण योगदान है। ये सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करते है।

1.3. BANKING PRODUCTS AND SERVICES

There are mainly two prime activities performed by the bank that is the **sourcing or borrowing of the funds** (deposits and capital from the market) and **providing or lending these funds** (in the form of loans and investments). These are mainly the conventional and primary activities to be performed by each bank.

1.3. बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएँ

बैंक द्वारा मुख्य रूप से दो प्रमुख गतिविधियाँ की जाती हैं जो कि निधियों के स्त्रोत या उधार (बाजार से जमा तथा पूँजी) और इन निधियों को प्रदान करना या उधार देना (ऋण तथा निवेश के रूप में) है। ये मुख्य रूप से प्रत्येक बैंक द्वारा की जाने वाली पारंपरिक तथा प्राथमिक गतिविधियाँ हैं।

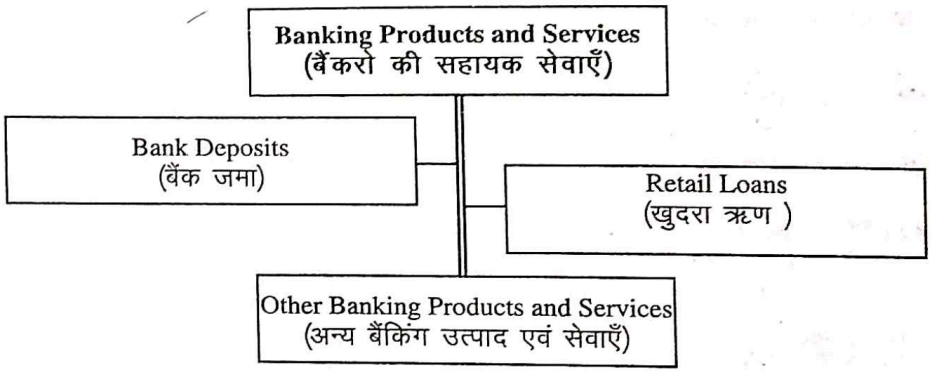

1.4. BANK DEPOSITS

1.4.1. Meaning of Bank Deposits

In banking terminology, the bank deposit can be referred to the sum of money either in form of cash or cheque that remains with the bank for the purpose of earning the interest. The foremost function of the bank is to accept the deposit from the public in order to lend money. In other words, from the perspective of legal and financial accounting, the deposits is used to explain the liability held with the bank towards its depositor rather than the funds held with the bank that may be either in form of cash or cheque and these funds are treated as the asset of the bank. These deposits are used in financial statement by the banking industry.

1.4.2. Types of Deposits in Bank

The primary service provided by banking sector, is to open a bank account. The Indian banking sector provides different types of accounts, which are as follows:

1.4. बैंक जमा

1.4.1. बैंक जमा का अर्थ

बैंकिंग शब्दावली में, बैंक जमा राशि को या तो नकद या चेक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से बैंक के पास रहता है। बैंक का प्रमुख कार्य जनता से धन उधार लेने के लिए जमा राशि को स्वीकार करना है। दूसरे शब्दों में, कानूनी एवं वित्तीय लेखांकन के दृष्टिकोण से, जमाराशियों का उपयोग बैंक के पास जमाकर्ता के प्रति बैंक के पास रखी गई दायित्व की व्याख्या करने के लिए किया जाता है, न कि बैंक के पास रखी गई धनराशि के रूप में किया जाता है जो या तो नकद या चेक के रूप में हो सकती है और इन निधियों को बैंक की संपत्ति के रूप में माना जाता है। इन जमाओं का प्रयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा वित्तीय विवरण में किया जाता है।

1.4.2. बैंक में जमा के प्रकार

बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिक सेवा, बैंक खाता खोलना है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र विभिन्न प्रकार के खाते उपलब्ध कराता है, जो इस प्रकार हैं–

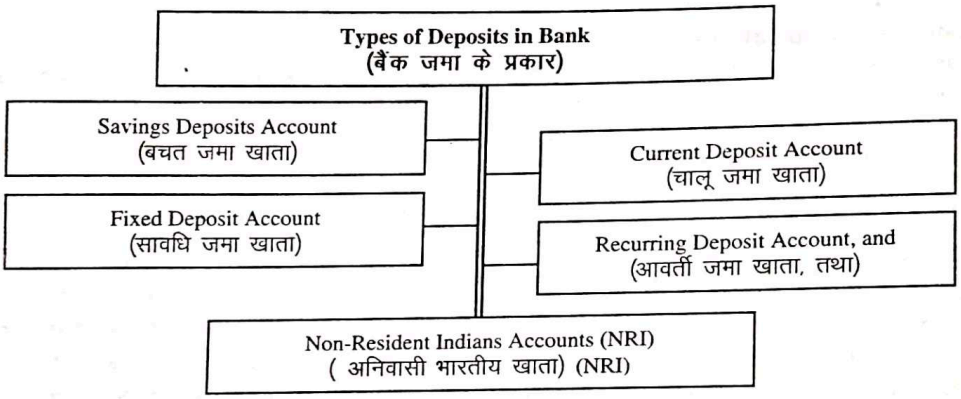

1.4.3. Savings Deposits Account

The bank provide the facility to the common public to save the money for future course of action like uncertainties, long term fixed goals of customer, and earn interest on it.

1.4.3.1. Features of Saving Deposit Account

The main features of the saving deposit account are as follows:

1) **Promotion of Saving:** The saving deposit account encourages saving habit of common persons and gives them interest as a reward.
2) **No Restriction based Deposit:** A customer can do infinite number of deposits with the bank in the form of money.
3) **Restrictions in Withdrawals:** A customer should follow some rules and regulations to withdraw their money from the saving bank account.

1.4.3.2. Advantages of Saving Deposit Account

Followings are the advantages of the saving deposit account:

1) The depositors get motivated towards the savings.
2) The depositors can earn interest on their deposits.

1.4.3. बचत जमा खाता

बैंक सामान्य जनता को भविष्य की कार्रवाई के लिए धन बचाने की सुविधा प्रदान करता है जैसे अनिश्चितता, ग्राहक के दीर्घकालिक निश्चित लक्ष्य, तथा उस पर ब्याज अर्जित करना।

1.4.3.1. बचत जमा खाते की विशेषताएँ

बचत जमा खाते की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं–

1) **बचत को प्रोत्साहन–** बचत जमा खाता सामान्य व्यक्तियों की बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है और उन्हें पुरस्कार के रूप में ब्याज देता है।
2) **कोई प्रतिबंध आधारित जमा राशि नहीं–** एक ग्राहक पैसे के रूप में बैंक में असीमित संख्या में जमा कर सकता है।
3) **निकासी में प्रतिबंध–** एक ग्राहक को बचत बैंक खाते से अपना पैसा निकालने के लिए कुछ नियमों तथा विनियमों का पालन करना चाहिए।

1.4.3.2. बचत जमा खाते के लाभ

बचत जमा खाते के निम्नलिखित लाभ हैं–

1) जमाकर्ताओं को बचत के लिए प्रेरित किया जाता है।
2) जमाकर्ता अपनी जमा राशि पर ब्याज अर्जित कर सकते हैं।

3) The depositors can use cheque for payment.

4) The depositors can avail the services offered by bank.

1.4.4. Current Deposit Account

The current deposit account is opened by businessmen and others who requires daily transaction and who can withdraw money at the time of requirement. It is the responsibility of the bank to keep the cash available at all times. The current deposit account holder does not get any interest in return. The customers have to pay some incidental charges, on the service offered by the banks.

1.4.4.1. Features of Current Deposit Account

Following are the main features of the current deposit account:

1) **Smoothness in Business Transaction:** The depositors can withdraw money at any time of requirement, so the business transaction done smoothly.

2) **No Restrictions on Deposits and Withdrawals:** The depositors can do numbers of deposits and withdrawals with the bank.

3) **Payment of Interest:** Earlier, banks do not give interest on current account but presently, some of the banks give interest on current account.

3) जमाकर्ता भुगतान के लिए चेक का उपयोग कर सकते हैं।

4) जमाकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता हैं।

1.4.4. चालू जमा खाता

चालू जमा खाता व्यवसायियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा खोला जाता है जिन्हें दैनिक लेनदेन की आवश्यकता होती है तथा जो आवश्यकता के समय राशि आहरित कर सकते हैं। प्रत्येक समय नकदी उपलब्ध रखना बैंक का उत्तरदायित्व होता है। चालू जमा खाताधारक को इसके बदले में कोई ब्याज नहीं प्राप्त होता है। ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा पर कुछ आकस्मिक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

1.4.4.1. चालू जमा खाते की विशेषताएँ

चालू जमा खाते की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1) **व्यापार लेनदेन में सुगमता**– जमाकर्ता आवश्यकता के किसी भी समय धन आहरित कर सकते हैं, जिससे व्यापार लेनदेन सुचारू रूप से हो सके।

2) **जमा एवं निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं**– जमाकर्ता बैंक में कई बार धन जमा कर सकते हैं तथा आहरित कर सकते हैं।

3) **ब्याज का भुगतान**– पहले बैंक चालू खाते पर ब्याज प्रदान करते थे परन्तु वर्तमान में कुछ बैंक चालू खाते पर ब्याज देते हैं।

Difference between Current Account and Saving Account
(चालू खाते एवं बचत खाते के मध्य अंतर)

Basis of Difference (अंतर का आधार)	Current Account (चालू खाता)	Savings Account (बचत खाता)
1) **Meaning (अर्थ)**	The depositors can do transaction on a daily basis. Only businessmen and others, who require daily transaction, can operate the current account. (जमाकर्ता दैनिक आधार पर लेनदेन कर सकते हैं। केवल व्यवसायी और अन्य व्यक्ति, जिन्हें दैनिक लेनदेन की आवश्यकता होती है, वे ही चालू खाते का प्रयोग करते हैं।)	The common persons can save a part of their income and it is to be open by normal individuals. (सामान्य व्यक्ति अपनी आय का एक भाग बचा सकता है और इसलिए इसे सामान्य व्यक्तियों द्वारा खोला जाना चाहिए।)
2) **Motive (उद्देश्य)**	The depositors can do transaction on a daily basis, is the basic motive to open a current account. (चालू खाता खोलने का मूल उद्देश्य यही होता है कि जमाकर्ता दैनिक आधार पर लेनदेन कर सके।)	The individual can do savings on a regular basis, is the basic motive to open a saving bank account. (बचत बैंक खाता खोलने का मूल उद्देश्य यही होता है कि इसमें व्यक्ति नियमित रूप से बचत कर सके है।)
3) **Benefits (लाभ)**	The depositors can easily access their account, through internet. They do not need to go to the bank or ATM (Automatic Teller Machine). (जमाकर्ता इंटरनेट के माध्यम से अपने खाते तक आसानी से पहुँच सकते हैं। उन्हें बैंक या एटीएम (ऑटोमेटिक टेलर मशीन) जाने की आवश्यकता नहीं होती है।)	Common people can take the help of ATM or banks to access their account. (सामान्य व्यक्ति अपने खाते तक पहुँचने के लिए एटीएम या बैंकों की सहायता ले सकते हैं।)
4) **Interest (ब्याज)**	The depositors get very low rate of interest in comparison of saving bank account. (बचत बैंक खाते की तुलना में जमाकर्ताओं को बहुत कम ब्याज दर प्राप्त होती है।)	The individual get high rate of interest in comparison of current account. (चालू खाते की तुलना में व्यक्ति को उच्च ब्याज दर प्राप्त होती है।)
5) **Access to Money (धन तक पहुँच)**	The depositors easily get their money through cheques. (जमाकर्ताओं को चेक के माध्यम से आसानी से अपना धन प्राप्त हो जाता है।)	The common person can get the money not only through cheque but other sources like debit card, etc. (सामान्य व्यक्ति को न केवल चेक बल्कि अन्य स्रोतों जैसे डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से भी धन प्राप्त हो सकता है।)

1.5. RETAIL LOANS

1.5.1. Meaning of Retail Loans

A certified financial institution, a commercial bank, or a credit union provides **retail loans** to a person to purchase property, vehicles, or other assets like essential electronics, etc. Retail loans are given to those who have a decent credit score. Such score and repayment history play an important role in availing of retail loans as banks and financial organisations are more concerned about the timely repayment of loans. The interest charge on such a loan is payable monthly or annually as per the pre-determined terms and conditions of the financial institution.

1.5.2. Types of Retail Loans

The types of retail loans are as follows:

1) **Housing Loans:** A person may apply for a housing loan to pay for the house he/she wishes to purchase. For many people, taking out a home loan is a lifetime decision because it usually requires making payment of instalment over an extended period of time. The main function of a housing loan is to give borrowers the money they need to buy a property. Housing creation and consumption are made possible by housing loans.

2) **Personal Loans:** A personal loan is classified as an unsecured loan since the borrower does not provide any security or collateral to ensure repayment. Therefore, high rate of interest is charged on them. A home equity loan is a cheaper interest rate option for borrowers who own a home.

1.5. खुदरा ऋण

1.5.1. खुदरा ऋण का अर्थ

एक प्रमाणित वित्तीय संस्थान, एक वाणिज्यिक बैंक, या एक साख संघ किसी व्यक्ति को संपत्ति, वाहन, या आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी अन्य संपत्तियाँ आदि क्रय करने के लिए **खुदरा ऋण** प्रदान करता है। खुदरा ऋण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है। इस प्रकार का स्कोर एवं पुनर्भुगतान इतिहास खुदरा ऋण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि बैंक तथा वित्तीय संगठन ऋण के समय पर पुनर्भुगतान के बारे में अधिक चिंतित रहते हैं। ऐसे ऋण पर ब्याज शुल्क वित्तीय संस्थान के पूर्व–निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार मासिक या वार्षिक रूप से देय होता है।

1.5.2. खुदरा ऋण के प्रकार

खुदरा ऋण के प्रकार निम्नलिखित हैं–

1) **आवास ऋण**–कोई व्यक्ति जिस घर को क्रय करना चाहता है उसके भुगतान के लिए आवास ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। कई लोगों के लिए, आवास ऋण लेना जीवन भर का निर्णय होता है क्योंकि इसके लिए सामान्य तौर पर लंबी अवधि में किश्त का भुगतान करना पड़ता है। आवास ऋण का मुख्य कार्य उधारकर्ताओं को संपत्ति क्रय करने के लिए आवश्यक धन देना है। आवास ऋण द्वारा आवास निर्माण एवं उपभोग संभव होता है।

2) **व्यक्तिगत ऋण**–व्यक्तिगत ऋण को असुरक्षित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उधारकर्ता पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षा या संपार्श्विक प्रदान नहीं करता है। इसलिए इन पर ऊंची ब्याज दर ली जाती है। आवास समता ऋण उन उधारकर्ताओं के लिए एक सस्ता ब्याज दर विकल्प है जिनके पास घर है।

Nevertheless, in order to use this option, the borrowers must pledge their house or other real estate as collateral. Usually, a loan of some kind (personal or otherwise) is taken out to cover a large one-time purchase cost or expense. All of the money is provided to the borrower at once, and a fixed amount is agreed to be paid every month until the repayment of debt. Interest and principal (the amount borrowed) are both included in the monthly payment.

फिर भी, इस विकल्प का उपयोग करने के लिए, उधारकर्ताओं को अपने घर या अन्य अचल संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखना होगा। सामान्यतः, किसी प्रकार का ऋण (व्यक्तिगत या अन्यथा) एक बड़ी एकमुश्त क्रय लागत या व्यय को शामिल करने के लिए लिया जाता है। उधारकर्ता को सारी धनराशि एक ही बार में प्रदान किया जाता है, तथा ऋण चुकाने तक प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि का भुगतान करने पर सहमति होती है। मासिक भुगतान में ब्याज तथा मूलधन (उधार ली गई राशि) दोनों शामिल होता हैं।

3) **Education Loans:** An education loan is a type of loan taken to pay for an education, typically at a trade school or college. It can also be used to pay for prep or private schools. There are numerous varieties of education loans like parent loans, student loans, and private loans. Additionally, such loans can either be guaranteed or not. Parent and student loans are most likely to be guaranteed by the government. Though many agencies work for the government. Unguaranteed or unsubsidized loans are typically only available from private lenders and are typically only accessible to those who have substantial equity or a strong credit score.

3) **शिक्षा ऋण**–शिक्षा ऋण एक प्रकार का ऋण है जो सामान्य रूप से किसी व्यापारिक स्कूल या कॉलेज में शिक्षा के भुगतान के लिए लिया जाता है। इसका उपयोग तैयारी या निजी स्कूलों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। शिक्षा ऋण कई प्रकार के होते हैं जैसे अभिभावक ऋण, छात्र ऋण तथा निजी ऋण। इसके अतिरिक्त, ऐसे ऋणों पर या तो गारंटी दी जा सकती है या नहीं। माता–पिता तथा छात्र ऋण की गारंटी सरकार द्वारा दिए जाने की सबसे अधिक संभावना है। वैसे तो विभिन्न एजेंसियाँ सरकार के लिए काम करती हैं।बिना गारंटी वाले या बिना सब्सिडी वाले ऋण सामान्यतः केवल निजी उधारदाताओं से उपलब्ध होते हैं तथा सामान्य रूप से केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं जिनके पास पर्याप्त समता या उच्च क्रेडिट स्कोर होता है।

4) **Gold Loans:** The origins of gold loans date back to the 1980s. To acquire a gold loan, one must deposit gold with the lender as a financial or non-financial asset. The deposited gold remains in the books of the lender. Sometimes there is no monetary collateral available for gold loans, while in other cases there is non-monetary collateral.

4) **स्वर्ण ऋण**–स्वर्ण ऋण की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। स्वर्ण ऋण प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को ऋणदाता के पास वित्तीय या गैर–वित्तीय संपत्ति के रूप में सोना जमा करना होता है। जमा किया गया सोना ऋणदाता के बही–खातों में रहता है। कभी–कभी स्वर्ण ऋण के लिए कोई मौद्रिक संपार्श्विक उपलब्ध नहीं होता है, जबकि अन्य मामलों में गैर–मौद्रिक संपार्श्विक होता है।

5) **Senior Citizen Loans:** When someone needs a loan right away, a personal loan can be useful. Normally, banks do not provide loans to senior citizens because they lack evidence to show their regular income. But now, banks have begun to lend money to elderly and retirees who can furnish security in the form of real estate or other assets. This loan can be utilized for a number of purposes, including paying for medical bills, grandchildren's weddings, or to pay for the old age home facility.

5) **वरिष्ठ नागरिक ऋण**–जब किसी व्यक्ति को तुरंत ऋण की आवश्यकता होती है, तो व्यक्तिगत ऋण उपयोगी हो सकता है। सामान्यतः, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ऋण नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास अपनी नियमित आय दिखाने के लिए साक्ष्य नहीं होते हैं। परन्तु अब, बैंकों ने बुजुर्गों तथा सेवानिवृत्त व्यक्तियों को भी राशि उधार देना शुरू कर दिया है जो अचल संपत्ति या अन्य संपत्तियों के रूप में सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस ऋण का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें चिकित्सा बिलों का भुगतान, पोते–पोतियों की शादी या वृद्धाश्रम सुविधा के लिए भुगतान करना शामिल है।

6) **Property and Mortgage Loans:** A mortgage loan is provided against mortgaged property, which can be either real estate commercial or personal. In respect of such loans, properties are mortgaged as security for paying off the loan amount.

6) **संपत्ति एवं बंधक ऋण**–बंधक संपत्ति के विरुद्ध एक बंधक ऋण प्रदान किया जाता है, जो या तो अचल संपत्ति वाणिज्यिक या व्यक्तिगत हो सकता है। ऐसे ऋणों के संबंध में, संपत्तियों को ऋण राशि का भुगतान करने के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है।

7) **Agricultural Loan:** Loans granted to farmers to help them meet their day-to-day or general agricultural needs are known as **agricultural loans**. These loans are available for both short and long period of time. They can be used to acquire agricultural equipment or raise working capital for crop cultivation.

7) **कृषि ऋण**–किसानों को उनकी दैनिक या सामान्य कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए दिए गए ऋण को **कृषि ऋण** के रूप में जाना जाता है। ये ऋण लघु एवं दीर्घ दोनों अवधि के लिए उपलब्ध हैं। उनका उपयोग कृषि उपकरण प्राप्त करने या फसल की खेती के लिए कार्यशील पूँजी एकत्रित करने के लिए किया जा सकता है।

8) **Consumer Loans:** One particular kind of personal loan that can be used to finance the purchase of consumer **durable goods like electronics, appliances, and other household items is the consumer durable**

8) **उपभोक्ता ऋण**–एक विशेष प्रकार का व्यक्तिगत ऋण जिसका उपयोग उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, **उपकरण तथा अन्य घरेलू वस्तुओं के क्रय के वित्तपोषण के लिए**

loan. Such loan of up to ₹15 lakh can normally be acquired, with payback terms varying from a few days to 36 months. These could be offered at 0% interest rate subject to the terms and conditions specified by the lender.

9) **Vehicle Loan:** A loan that enables an individual to purchase two and four-wheelers for personal use is known as a Vehicle loan. Normally, the bank provides such a loan either through direct payment to the vehicle dealer or by providing the facility of EMIs (Equated Monthly Installments) over a specific time period at a specific rate of interest. When the individual repays the full loan, the registration of vehicle gets transferred from the lender to the individual. The individual can apply for a vehicle loan to purchase a commercial vehicle (buses, trucks, tractors, tippers, cabs, etc.) or to purchase a vehicle for the personnel of his business.

10) **Credit Card Loans:** A credit card is a type of retail loan that has a monthly credit limit what the cardholder can utilise for payments or purchases. Nonetheless, many banks provide the facility of credit card loans in an emergency. This implies that a person can borrow money against the allotted credit limit. The loan amount is credited to this account and the borrower can use it for any purpose if the bank approves the loan application.

Depending on the terms and conditions of the loan, banks impose a variable interest rate on credit card loan repayment. Over a certain period of time, which can be anywhere from a few months to a few years, a person can repay the loan balance in Equated Monthly Installments (EMIs). The principal amount plus the bank's interest are combined to form the EMI amount.

1.5.3. Advantages of Retail Loans

The advantages of retail loans are as follows:

1) **Accessibility:** Retail loans can be obtained from various financial institutions like NBFCs, Banks, and Credit Unions. The procedure of applying for such loans is normally straightforward and convenient with all lenders that offer online applications. Because of flexible accessibility, it is easier for borrowers to access the funds they need.

2) **Use of Funds:** These loans are versatile in nature as borrowers are utilising such loans for many reasons like funding education, covering medical expenses, and even purchasing a car or house. Because of these uses, the borrowers can meet their many financial objectives.

3) **Quick Disbursement:** These loans are prepared for quick distribution of funds, particularly personal loans. After approving the loans, the funds are frequently transferred to the account of the borrower within a day. **This allows the borrowers to meet their immediate financial requirements.**

किया जा सकता है, उपभोक्ता टिकाऊ ऋण है। ₹15 लाख तक का ऐसा ऋण सामान्यतः प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें भुगतान की शर्तें कुछ दिनों से लेकर 36 महीने तक अलग-अलग हो सकती हैं। इन्हें ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन 0% ब्याज दर पर पेश किया जा सकता है।

9) **वाहन ऋण**–वह ऋण जो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपयोग के लिए दो और चार पहिया वाहन क्रय करने में सक्षम बनाता है, वाहन ऋण के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः, बैंक वाहन विक्रेता को सीधे भुगतान के माध्यम से या एक विशिष्ट ब्याज दर पर एक विशिष्ट समय अवधि में EMIs (समान मासिक किश्त) की सुविधा प्रदान करके ऐसा ऋण प्रदान करता है। जब व्यक्ति पूरा ऋण चुका देता है, तो वाहन का पंजीयन ऋणदाता से व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाता है। व्यक्ति वाणिज्यिक वाहन (बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टिपर, कैब आदि) क्रय करने के लिए या अपने व्यवसाय के कर्मियों के लिए वाहन क्रय करने के लिए वाहन ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।

10) **क्रेडिट कार्ड ऋण**–क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का खुदरा ऋण है जिसकी एक मासिक क्रेडिट सीमा होती है जिसका उपयोग कार्डधारक भुगतान या क्रेता के लिए कर सकता है। वास्तव में, कई बैंक आपातकालीन स्थिति में क्रेडिट कार्ड ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति आवंटित क्रेडिट सीमा के विरुद्ध धन उधार ले सकता है। ऋण राशि इस खाते में जमा की जाती है तथा यदि बैंक ऋण आवेदन को मंजूरी दे देता है तो उधारकर्ता इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकता है।

ऋण के नियमों एवं शर्तों के आधार पर, बैंक क्रेडिट कार्ड ऋण पुनर्भुगतान पर परिवर्तनीय ब्याज दर लगाते हैं। एक निश्चित अवधि में, जो कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक कहीं भी हो सकती है, एक व्यक्ति समान मासिक किश्तों (EMIs) में ऋण शेष चुका सकता है। मूल राशि तथा बैंक के ब्याज को मिलाकर EMI राशि तैयार की जाती है।

1.5.3. खुदरा ऋण के लाभ

खुदरा ऋण के लाभ निम्नलिखित लाभ हैं–

1) **पहुंच**–खुदरा ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे NBFCs, बैंकों तथा क्रेडिट यूनियनों से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ऋणों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सामान्यतः उन सभी ऋणदाताओं के लिए सीधी तथा सुविधाजनक होती है जो ऑनलाइन आवेदन प्रदान करते हैं। लचीली पहुँच के कारण, उधारकर्ताओं के लिए अपनी आवश्यक धनराशि तक पहुंच आसान हो जाती है।

2) **निधियों का उपयोग**–ये ऋण प्रकृति में बहुमुखी हैं क्योंकि उधारकर्ता ऐसे ऋणों का उपयोग कई कारणों से कर रहे हैं जैसे शिक्षा के वित्तपोषण, चिकित्सा व्यय को कवर करना तथा यहां तक कि कार या घर क्रय करना। इन उपयोगों के कारण, उधारकर्ता अपने कई वित्तीय उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं।

3) **त्वरित संवितरण**–ये ऋण धन, विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋण के त्वरित वितरण के लिए तैयार किए जाते हैं। ऋण स्वीकृत करने के बाद, धनराशि प्रायः एक दिन के भीतर उधारकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। **इससे उधारकर्ताओं को अपनी तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधा मिलती है।**

... the buyer is doubtful.

1.7. RESERVE BANK OF INDIA (RBI)

1.7.1. Concept of Reserve Bank of India

Reserve Bank of India looks after the working and functioning of money market in India. The central bank introduce liquidity in banking system whenever required, especially when there is lack of money and also have the contract of the same in the different conditions. The Reserve Bank was formed in 1st April, 1935 under the provision of Reserve Bank of India Act and is known as **Central Bank** of the country. It was started with the paid-up capital of ₹5 crore. It was established for currency management and credit control. Earlier currency management was done by Government of India and credit control by Imperial Bank of India.

The Reserve Bank was nationalised after independence of the country in 1949. The reasons for nationalisation are as follows:

1) It was seen that various central banks of the countries all over the world were now nationalised after the end of Second World War. The Bank of England was also nationalised in 1946.

2) Due to the inflationary tendencies, this started along with the Second World War in 1939. The Reserve Bank was nationalised for controlling these tendencies effectively as it was made credit and currency management.

3) The nationalisation of the Reserve Bank of India was important and effective tool for economic development of the country as the country has started working according to the planned economic programme after independence. The Reserve Bank of India has started its working in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 and this act is changed on the regular time period.

1.7.2. Features of RBI

The features of Central Bank or RBI are as follows:

1) RBI formulates, implements and monitors the monetary policy.

2) RBI maintains public confidence in the system, protect depositors' interest and provide cost-effective banking services to the public.

3) To facilitate external trade and payment and promote orderly development and maintenance of foreign exchange market in India.

4) To give the public adequate quantity of supplies of currency notes and coins.

... चाहिए, विशेष रूप से जब क्रेता की ईमानदारी संदिग्ध हो।

1.7. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

1.7.1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अवधारणा

भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा बाजार के कामकाज तथा कार्य पद्धति को देखता है। केन्द्रीय बैंक जब भी आवश्यकता होती है बैंकिंग प्रणाली में तरलता का परिचय देता है, विशेष रूप से जब मुद्रा की कमी होती है एवं विभिन्न स्थितियों में उसी का अनुबंध होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत 1 अप्रैल सन् 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का गठन किया गया था, इसे देश का **केन्द्रीय बैंक** के रूप में भी जाना जाता है। 5 करोड़ की प्रदत्त पूँजी के साथ इसका प्रारम्भ हुआ था। इसे मुद्रा प्रबन्धन एवं साख नियन्त्रण के लिए स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम मुद्रा का प्रबन्धन भारत सरकार द्वारा तथा साख नियन्त्रण इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता था।

देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण के निम्नलिखित कारण हैं–

1) यह पाया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् पूरे विश्व के विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1946 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था।

2) मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप, यह 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ प्रारम्भ हुआ। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण इन प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से नियन्त्रित करने के लिए किया गया था क्योंकि इसे साख एवं मुद्रा प्रबन्धन के लिए स्थापित किया गया था।

3) भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण देश के आर्थिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन था क्योंकि देश ने स्वतन्त्रता के पश्चात् योजनाबद्ध आर्थिक कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्य का प्रारम्भ किया एवं इस अधिनियम में समयानुसार परिवर्तन किया जाता है।

1.7.2. भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषताएँ

केन्द्रीय बैंक या रिजर्व बैंक की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1) रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन तथा निरीक्षण करता है।

2) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखता है, तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है तथा जनता को लागत प्रभावी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है।

3) यह विदेशी व्यापार एवं भुगतान को सुविधाजनक बनाता है तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास एवं रखरखाव को बढ़ावा देता है।

4) यह जनता को पर्याप्त मात्रा में मुद्रा नोट तथा सिक्कों का आपूर्ति करता है।

1.7.3. Objectives of RBI

The various objectives of central bank/RBI are as follows:

1) For controlling the monetary and credit system of the country.
2) For balancing the internal and external value of rupee.
3) To have equal and organised development of bank in the country.
4) Its objective is to make growth in the organised money market of the country.
5) RBI arranges agriculture finance of the country.
6) RBI helps in the availability of industrial finance of the country.
7) RBI helps in maintaining the public debts.
8) RBI helps in maintaining the monetary relation with other countries and international financial institutions.
9) RBI helps in the centralisation of cash reserves of all commercial bank in India.
10) RBI helps in building balance relation with the demand and supply of currency.

1.7.4. Role of Reserve Bank of India

The Reserve Bank has undertaken several roles to promote economic development in the country.

1) **Promotion of Commercial Banking:** A well-developed banking system is a precondition for economic development. The Reserve Bank has taken several steps to strengthen the banking system. The Banking Regulation Act, 1949 has given the Reserve Bank vast powers of supervision and control of commercial banks in the country.

2) **Promotion of Rural Credit:** Defective rural credit system and deficient rural credit facilities are one of the major causes of backwardness of Indian agriculture. In view of this, the Reserve Bank, ever since its establishment, has been assigned the responsibility of reforming rural credit system and making provision of adequate institutional finance for agriculture and other rural activities.

3) **Promotion of Co-operative Credit:** Reserve Bank of India has also been entrusted with the job of encouraging and promoting the co-operative credit movement. With a view to reinforcing the country's cooperative credit framework, the RBI has been taking steps from time to time on the basis of recommendations made by Rural Credit Survey Committee. It is through the cooperative credit institutions, that RBI extends credit facilities to agriculturists. RBI has played a crucial role the advancement of cooperative credit movement in India.

4) **Promotion of Industrial Finance:** Every industrial development requires funds in large amount and availability of funds with an entrepreneur himself is a very rare case and thus, credit or finance has created its importance. The Reserve Bank has been playing an active role in the field of industrial finance also. Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, State Finance Corporations, State

1.7.3. भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य

केंद्रीय बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1) देश की मौद्रिक तथा साख प्रणाली को नियन्त्रित करने के लिए।
2) मुद्रा के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्य को सन्तुलित करने के लिए।
3) देश में बैंकों का बराबर एवं संगठित विकास करने के लिए।
4) देश के संगठित मुद्रा बाजार में वृद्धि करने के लिए।
5) देश के कृषि वित्त की समुचित व्यवस्था करने के लिए।
6) देश के औद्योगिक वित्त की उपलब्धता में सहायता करने के लिए।
7) सार्वजनिक ऋणों को बनाए रखने में सहायता करने के लिए।
8) दूसरे देशों एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ मौद्रिक सम्बन्ध बनाए रखने में सहायता करने के लिए।
9) भारत के सभी बैंकों के नकद भण्डार के केन्द्रीकरण में सहायता करने के लिए।
10) मुद्रा की माँग एवं पूर्ति में सन्तुलन बनाए रखने में सहायता करने के लिए।

1.7.4. भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका

देश के आर्थिक विकास में भारतीय रिज़र्व बैंक की निम्नलिखित भूमिका होती हैं–

1) **वाणिज्यिक बैंकिंग का संवर्धन**–आर्थिक विकास के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में भली–भाँति विकसित बैंकिंग प्रणाली है। बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए रिज़र्व बैंक ने विभिन्न चरण अपनाए हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ने रिजर्व बैंक को देश में वाणिज्यिक बैंकों की देखरेख एवं नियन्त्रण की व्यापक शक्तियाँ प्रदान की हैं।

2) **ग्रामीण साख का संवर्धन**–दोषपूर्ण ग्रामीण साख प्रणाली और ग्रामीण साख सुविधाओं की कमी भारतीय कृषि की पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके संदर्भ में, रिजर्व बैंक को, अपनी स्थापना के समय से ही, ग्रामीण साख प्रणाली में सुधार, कृषि एवं अन्य ग्रामीण गतिविधियों के लिए पर्याप्त संस्थागत वित्त हेतु प्रावधान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

3) **सहकारी साख का संवर्धन**–भारतीय रिजर्व बैंक को सहकारी साख प्रवाह को प्रोत्साहित करने एवं वृद्धि देने का कार्य सौंपा गया है। देश की सहकारी साख संरचना के सशक्तीकरण की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर समय–समय पर कदम उठा रहा है। यह सहकारी साख संस्थानों के माध्यम से होता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक कृषकों को साख उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में सहकारिता साख प्रवाह के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

4) **औद्योगिक वित्त का संवर्धन**–प्रत्येक औद्योगिक विकास के लिए अधिक मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता होती है तथा किसी उद्यमी के पास मुद्रा की उपलब्धता एक बहुत दुर्लभ कार्य है तथा इस प्रकार, साख एवं वित्त द्वारा इसके महत्त्व में वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, राज्य

Industrial Development Corporations and the Industrial Credit and Investment Corporation of India are some of the important corporations established in the country with the initiative of the Reserve Bank.

5) **Regulation of Credit:** The Reserve Bank has been extensively using various credit control weapons to regulate the cost of credit, the amount of credit and the purpose of credit. The quantitative tools are used by the RBI to regulate the cost and amount of credit, whereas the selective credit control tools are used to regulate the purpose and direction of credit.

6) **Credit to Weaker Sections:** The weaker sections of society are provided with the credit facilities at cheaper rate of interest through the steps taken by the RBI. For such purpose, the RBI has **introduced a "Differential Rate of Interest Scheme" in 1972.**

7) **Exchange Controls:** The Reserve Bank has been able to maintain the stability of the exchange value of the "Rupee" even under heavy strains and pressure. It has also managed "exchange controls" successfully.

औद्योगिक विकास निगम एवं औद्योगिक ऋण और निवेश निगम भारत में रिजर्व बैंक की पहल के साथ देश में स्थापित कुछ महत्त्वपूर्ण निगम हैं।

5) **साख का विनियमन**–साख की लागत, साख की मात्रा एवं साख के उद्देश्य को नियन्त्रित करने के लिए रिजर्व बैंक विभिन्न साख नियन्त्रण नियमों का व्यापक रूप से प्रयोग कर रहा है। रिजर्व बैंक ऋण की लागत एवं राशि के विनियमन के लिए मात्रात्मक नियमों का प्रयोग करता है। साख के उद्देश्य और दिशा को प्रभावित करने के लिए यह विभिन्न विशेष साख नियन्त्रणों का प्रयोग करता है।

6) **कमजोर वर्गों के लिए ऋण**–रिजर्व बैंक ने समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त एवं सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए कुछ सुविधाएँ प्रदान की हैं। इसके द्वारा **"ब्याज योजना की विभेदक दर" सन् 1972** में प्रारम्भ की गई थी।

7) **विनिमय नियन्त्रण**–रिजर्व बैंक अत्यधिक तनाव एवं दबाव के अंतर्गत भी "रुपये" के विनिमय मूल्य की स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम रहा है। इसने सफलतापूर्वक "विनिमय नियन्त्रण" भी प्रबन्धित किया है।

1.7.5. Organisational Setup of RBI

The organisation/structure of RBI can be discussed as under:

1.7.5. भारतीय रिजर्व बैंक की संगठनात्मक संरचना

भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन/संरचना की चर्चा निम्नानुसार की जा सकती है–

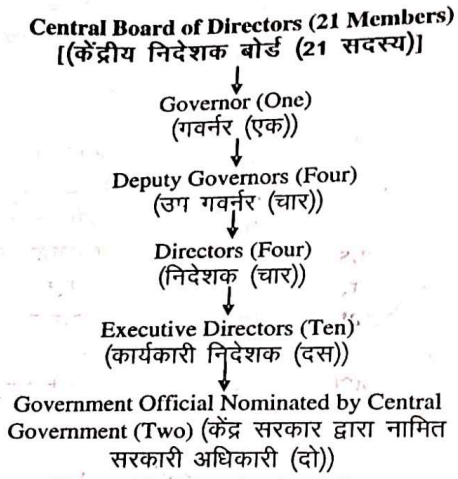

Figure 1.2: Organizational Structure of RBI
(चित्र 1.2– आरबीआई की संगठनात्मक संरचना)

) ***Central Board:*** *The Central Board of Directors of RBI is entrusted with the responsibility of governing all the activities of RBI by adhering with the rules and regulations mentioned in the RBI Act. Acting as the prime committee of the RBI, it supervises the general affairs of the Bank. The Central Board of RBI comprises of 21 members which include following:*

i) ***One Governor and Four Deputy Governor:*** *All these 5 members are nominated by Government of India and are full-time officials. They can be appointed for a term of 5 years or till the age of 62 years, whichever comes first. Governor acts as the chairperson of the Central Board and has the right to nominate one of the 4 Deputy Governors to act as chairman in his absence.*

1) **केंद्रीय बोर्ड/मंडल**–भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को RBI अधिनियम में उल्लेखित नियमों एवं विनियमों का पालन करके RBI की प्रत्येक गतिविधियों को संचालित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। RBI की प्रधान समिति के रूप में कार्य करते हुए, यह बैंक के सामान्य मामलों की निगरानी करती है। RBI के केंद्रीय बोर्ड में 21 सदस्य शामिल हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं–

i) **एक गवर्नर तथा चार उप गवर्नर**–इन सभी 5 सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता हैं तथा ये पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। उन्हें 5 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जा सकता है। गवर्नर केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए 4 उप गवर्नरों में से किसी एक को नामित करने का अधिकार होता है।

ii) **Four Directors to represent Local Boards:** These are also nominated by the Government of India but are non-official directors. Each of these directors is selected from the four respective local boards, i.e., one each from the Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai Local Boards. The term for which they remain appointed as the members of Central Board depends on their membership in their respective Local Boards.

iii) **Ten Directors nominated by Government of India:** These are also nominated by the Central Government and are non-official directors. They are experts in different paces of life such as business, finance, co-operation, industry, etc. The term for which they remain appointed as members of Central Board is 4 years and can be re-appointed.

iv) **Two Government Officials:** These are nominated by the Central Government through Ministry of Finance. The term for which they remain appointed as members of Central Board is determined by the government.

2) **Local Board:** There are four Local Boards of RBI which are located in New Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. These Boards represent the four regional areas of the country, i.e., North, West, South and East regions respectively. Each Local Board has 5 members which are appointed by the Central Government. The term for which they remain appointed as members of Local Board is 4 years. These are responsible to represent the regional and economic matters of their respective areas and provide suggestions to the Central Board on specific matter, when required. They represent the co-operative and indigenous banks and are provided with the responsibility of performing specific activity as directed by the Central Board.

ii) **स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार निदेशक**–इन्हें भी भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है, परंतु ये गैर–सरकारी निदेशक होते हैं। इनमें से प्रत्येक निदेशक को चार सम्बन्धित स्थानीय बोर्डों से चुना जाता है, अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई स्थानीय बोर्डों में से एक–एक। जिस अवधि के लिए उन्हें केंद्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता हैं, वह उनसे सम्बन्धित स्थानीय बोर्डों में उनकी सदस्यता पर निर्भर करता है।

iii) **भारत सरकार द्वारा नामित दस निदेशक**–इन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता हैं तथा गैर–सरकारी निदेशक होते हैं। वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, वित्त, सहकारिता, उद्योग आदि के विशेषज्ञ होते हैं। केंद्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि 4 वर्ष की होती है तथा उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

iv) **दो सरकारी अधिकारी**–इन्हें वित्त मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

2) **स्थानीय बोर्ड**– RBI के चार स्थानीय बोर्ड हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में स्थित हैं। ये बोर्ड देश के चार क्षेत्रीय, क्षेत्रों अर्थात् उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जिस अवधि के लिए उन्हें स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता हैं वह 4 वर्ष है। ये अपने सम्बन्धित क्षेत्रों के क्षेत्रीय तथा आर्थिक मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायीं होते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट मामले पर केंद्रीय बोर्ड को सुझाव प्रदान करते हैं। वे सहकारी एवं स्वदेशी बैंकों का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा उन्हें केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्देशित विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है।

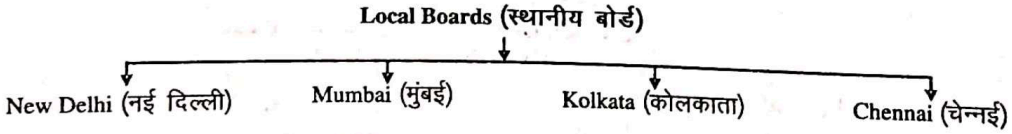

1.7.6. Functions of Reserve Bank of India

The functions of central bank or RBI is divided into two main categories as follows:

1) **Monetary Functions: Following are the central banking or monetary functions of RBI:**

i) **Issue of Bank Notes: Reserve Bank of India has the complete control over the currency management and credit control of India due to which the Reserve Bank of India has the right to issue bank notes of all denominations except one rupee notes which are issued only by Government of India. The bank issues the notes as according to the "Minimum Reserve System".**

1.7.6. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य

केन्द्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है–

1) **मौद्रिक कार्य**–केन्द्रीय बैंक या रिजर्व बैंक के मौद्रिक कार्य निम्नलिखित हैं–

i) **बैंक नोट का निर्गमन**–भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रा प्रबन्धन एवं साख नियन्त्रण पर पूर्ण नियन्त्रण होता है जिसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक को केवल एक रूपये के नोट को छोड़कर जो केवल भारत सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं सभी मूल्यवर्ग के बैंक नोट निर्गमित करने का अधिकार हैं। बैंक **"न्यूनतम कोष प्रणाली"** के अनुसार नोट निर्गमित करता है।

ii) **Banker to Government:** The Reserve Bank of India works as the Banker to Government. The RBI receives money and also does the payment on behalf of Union and State Government of India. It does various operations like exchange, remittance, managing public debt, etc. on behalf of the government. It gives ways and means advances to the government for 90 days. It helps in providing all the monetary and banking advices to the government.

iii) **Banker's Bank:** The following ways by which Reserve Bank act as the banker bank are as follows:

a) According to the Reserve Bank of India Act the bank needs to maintain certain amount of cash reserve with the central bank.

b) The Reserve Bank gives financial help to the scheduled banks through discounting the eligible bills and by the loans and advances in mortgage of approved securities.

c) In the Banking Regulation Act, 1949 and the various changes done in this has given importance to supervision and control over the banking system. These powers include licensing of banks and their branch expansion; liquidity of assets of the banks; management and methods of working of the banks; amalgamation, re-construction and liquidation of banks; inspection of banks; etc.

iv) **Lender of the Last Resort:** The Central Bank provides helps to the commercial bank at the time of emergency. The commercial banks cannot always help each other. It is only the Central Bank which provides help to one and more banks at the same time. The Central Bank is directly or indirectly responsible for fulfilling the demands of funds by commercial bank at the time of emergency because of this, the central bank is known as **lender of last resort**.

v) **Custodian of Foreign Exchange Reserves:** The central bank holds the foreign exchange reserve so that the external value of the rupee can be maintained. India is also the part of International Monetary Fund so the Central Bank needs to maintain the fixed exchange rate with all the other member countries.

vi) **Credit Control:** The credit control is a significant technique used by the Reserve Bank of India. It is used for controlling the demand and supply of money in an economy.

) **Non-Monetary Functions:** Following are the non-monetary functions of RBI:

i) **Supervisory Functions:** There are several supervisory functions of the Reserve Bank which helps in improving and establishing a better banking system in India. The Reserve Bank regularly checks the banks and asks for information which is important for efficient performance of supervisory functions. The different types of supervisory functions are:

ii) **सरकार का बैंकर**–भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक सरकार की राशि अपने पास जमा करते हैं तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की ओर से भुगतान भी करते हैं। यह सरकार की ओर से विनिमय, प्रेषण, सार्वजनिक वित्त का प्रबन्धन इत्यादि जैसे विभिन्न कार्य करते हैं। यह सरकार को 90 दिनों के लिए अग्रिम राशि प्रदान करता है। यह सरकार को सभी प्रकार की मौद्रिक एवं बैंकिंग सलाह प्रदान करने में भी सहायता करते हैं।

iii) **बैंकों का बैंक**–रिजर्व बैंक निम्नलिखित प्रकार से बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है–

a) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार बैंकों को केन्द्रीय बैंक के पास कुछ निश्चित नकद कोष जमा करना अनिवार्य होता है।

b) रिजर्व बैंक बिलों में कटौती एवं अनुमोदित ऋण तथा अग्रिम राशि के द्वारा अनुसूचित बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

c) बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 तथा इसमें किए गए विभिन्न परिवर्तनों में बैंकिंग प्रणाली के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण को महत्त्व दिया गया है। इन शक्तियों में बैंकों का लाइसेंस एवं उनकी शाखा का विस्तार, बैंकों की सम्पत्ति की तरलता, बैंकों का प्रबन्धन एवं कार्यविधि, समामेलन, बैंकों का पुनर्निर्माण एवं परिसमापन, बैंकों का निरीक्षण आदि शामिल है।

iv) **अन्तिम ऋणदाता**–केन्द्रीय बैंक आपातकाल के समय वाणिज्यिक बैंकों को सहायता प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंक सदैव एक–दूसरे की सहायता नहीं कर सकते हैं। यह केवल केन्द्रीय बैंक है जो एक ही समय में एक एवं एक से अधिक बैंकों को सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय बैंक आपातकाल के समय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए गए निधियों की माँग को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है अतः इस कारण केन्द्रीय बैंक को **अंतिम ऋणदाता** के रूप में जाना जाता है।

v) **विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक**–केन्द्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोष को अपने पास रखता है ताकि रूपये के विदेशी मूल्य को बनाए रखा जा सके। भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी भाग है, इसलिए केन्द्रीय बैंक को अन्य सभी सदस्य देशों के साथ नियत विनिमय दर बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

vi) **साख नियन्त्रण**–साख नियन्त्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण तकनीक है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा की माँग एवं पूर्ति को नियन्त्रित करने के लिए किया जाता है।

2) **गैर–मौद्रिक कार्य**–भारतीय रिजर्व बैंक के गैर–मौद्रिक कार्य निम्नलिखित हैं–

i) **पर्यवेक्षी कार्य**–रिजर्व बैंक के विभिन्न पर्यवेक्षी कार्य है जो भारत में बैंकों के सुधार तथा बेहतर बैंकिंग प्रणाली की स्थापना करने में सहायता करते हैं। रिजर्व बैंक नियमित रूप से बैंकों की जाँच करता है तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्यों के कुशल निष्पादन हेतु महत्त्वपूर्ण सूचना माँगता है। विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षी कार्य निम्नलिखित हैं–

a) **Provide Licence:** For doing the business, banking function requires the licence from the Reserve Bank of India. The Reserve Bank checks certain conditions before granting loan like the business is in position for paying claims of the deposits and the working of the business is done in the manner which is not harmful for the depositors' interest.

b) **Coverage of Bank Operations:** The Banking Regulation Act has given guidelines for maintaining minimum paid-up capital, reserves, cash reserve and other liquid assets according to the geographical requirement of business operation for maintaining the sound financial position of banking.

c) **Liquidation of Weak Banks:** The liquidation of weak bank or the merger with the stronger bank helps in increasing the growth of commercial banking structure in country as given by RBI. The Reserve Bank has the right to check, examine and does the required work for enhancing the operational efficiency of the banks. The Central Bank can also call for closing of the business.

d) **Spreading Banking Habits:** The RBI has developed a Deposit Insurance Corporation in 1962 for increasing the trust in the public towards the bank and to increase the banking habits in the country mainly among the lower section of society.

i) **Promotional Functions:** The Reserve Bank of India was established in 1935 for developing the money market and commercial banking system in India. It is known as central bank of the country. The Reserve Bank of India is not only engaged in monetary activity but also in the development and promotion work of the banks. RBI along with controlling the credit, currency management and price stabilising also work as the promoter of financial institutions which is needed for specific financial requirement of the developing economy.

The promotional steps taken by the RBI in this direction are:

a) **Established the Bill Market Scheme:** It established the Bill Market Scheme in 1952.

b) **Development of Specialized Financial Institutions:** It has taken up keen interest in setting up and development of specialized financial institutions. The number of such institutions in whose setting up the RBI is directly or indirectly involved is steadily growing. They include Industrial Finance Corporation of India (IFCI), State Financial Corporations (SFCs), Industrial Development Bank of India (IDBI), Unit Trust of India (UTI), Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India (DICGC), and National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), etc.

a) **लाइसेंस प्रदान करना**–बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। रिजर्व बैंक ऋण देने से पूर्व कुछ शर्तों की जाँच करता है जैसे कि व्यवसाय जमा राशि के दावों का भुगतान करने की स्थिति में है तथा व्यवसाय उस माध्यम से किया जाता है जो जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक न हो।

b) **बैंक परिचालन की व्याप्ति**–बैंकिंग विनियमन अधिनियम में बैंकिंग की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यावसायिक परिचालन की भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम प्रदत्त पूँजी, कोष, नकद कोष तथा अन्य तरल सम्पत्ति को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश दिए हैं।

c) **कमजोर बैंकों का परिसमापन**–कमजोर बैंकों के परिसमापन या सुदृढ़ बैंकों के साथ विलय से देश के वाणिज्यिक बैंकों की संरचना के विकास में सहायता प्राप्त होती है। रिजर्व बैंक के पास बैंकों की परिचालन क्षमता में वृद्धि करने के लिए निरीक्षण, जाँच एवं आवश्यक कार्य करने का अधिकार होता है। केन्द्रीय बैंक व्यवसाय परिसमापन करने के लिए भी आदेशित कर सकता है।

d) **बैंकिंग आदतों का प्रसार**–भारतीय रिजर्व बैंक ने 1962 में जनता में बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ाने तथा मुख्य रूप से समाज के निम्न वर्गों में बैंकिंग आदतों का प्रसार करने के लिए जमा बीमा निगम विकसित किया है।

ii) **संवर्धनात्मक कार्य**–भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में भारत में मुद्रा बाजार एवं वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के विकास के लिए की गई थी। इसे देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक न केवल मौद्रिक कार्य में बल्कि बैंकों के विकास तथा संवर्धन कार्य भी करता है। रिजर्व बैंक साख, मुद्रा प्रबन्धन एवं मूल्य स्थिरता को नियन्त्रित करने के साथ–साथ वित्तीय संस्थानों के प्रवर्तक के रूप में भी कार्य करता है जो विकासशील अर्थव्यवस्था की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकता के लिए आवश्यक होता है।

इस दिशा में रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए संवर्धनात्मक चरण निम्न प्रकार है–

a) **बिल बाजार योजना की स्थापना**–इसने सन् 1952 में बिल बाजार योजना की स्थापना की।

b) **विशिष्ट वित्तीय संस्थानों का विकास**–इसने विशिष्ट संस्थानों की स्थापना एवं विकास में गहरी रुचि दिखाई है। ऐसे संस्थानों की संख्या जिनकी रिजर्व बैंक को स्थापित करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी है, सतत् वृद्धि कर रहे हैं। इसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जमा बीमा तथा साख गारण्टी निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक आदि शामिल हैं।

c) **Promote Regional Rural Banks:** It has promoted Regional Rural Banks (RRBs) with the cooperation of the commercial banks to extend banking facilities to the rural areas.

d) **Promote National Housing Bank:** It promoted in July, 1988, the National Housing Bank, as its wholly owned subsidiary to organize and argument resources for housing. The National Housing Bank besides providing refinance to institutions engaged in housing finance will also extend full support to industries that augment supplies of building materials and/or leading to construction at lower cost.

e) **Establishment of Export Import Bank of India:** It has helped in establishment of Export Import Bank of India (EXIM) to provide finance to exporters. It also helps the commercial banks in opening their branches in the foreign countries for helping in the foreign trade of the country.

f) **Promotes Research:** The RBI also encourages and promotes research in the areas of banking.

c) **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बढ़ावा देना**–इसने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने हेतु वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहित किया है।

d) **राष्ट्रीय आवास बैंकों को बढ़ावा देना**–जुलाई, 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक को बढ़ावा दिया गया, जो आवास के लिए संसाधनों को व्यवस्थित करने एवं सुनियोजित करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है। आवासीय वित्त मे संलग्न संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय आवास बैंक उन उद्योगों को भी पूरा समर्थन देता है, जो निर्माणी सामग्री की आपूर्ति बढ़ाते हैं या कम लागत पर निर्माण की ओर अग्रसर होते हैं।

e) **भारतीय निर्यात–आयात बैंक की स्थापना**–निर्यातकों को वित्त प्रदान करने हेतु निर्यात–आयात बैंक की स्थापना से सहायता मिली है। यह वाणिज्यिक बैंकों को देश के विदेशी व्यापार में सहायता के लिए विदेशों में अपनी शाखाएँ खोलने में भी सहायता करता है।

f) **अनुसंधान को बढ़ावा देना**–भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्रों में भी अनुसंधान को प्रोत्साहित व बढ़ावा देता है।

1.7.7. Credit Control Methods of RBI

Credit Control is the most significant tool of monetary policy. Reserve Bank of India uses this tool to control the demand and supply of money in the economy. To maintain the stability in the market, the **Central Bank** regulates the commercial banks with their credit flow in the economy. This helps the banks to manage the inflationary conditions, promote economic growth and improve the level of national income. The instruments of credit control can be categorised into:

1.7.7. भारतीय रिजर्व की साख नियंत्रण विधि

साख नियन्त्रण मौद्रिक नीति का सबसे महत्त्वपूर्ण उपकरण है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की माँग तथा पूर्ति को नियन्त्रित करने के लिए इस उपकरण का उपयोग करता है। बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए, **केन्द्रीय बैंक** साख प्रवाह की मात्रा के साथ वाणिज्यिक बैंको को नियन्त्रित करता है। इससे बैंकों को मुद्रास्फीति की स्थिति का प्रबन्धन करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय आय के स्तर को सुधारने में सहायता प्राप्त होती है। साख नियन्त्रण के उपकरणों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है–

RBI Methods of Credit Control (साख नियंत्रण की भारतीय रिजर्व विधि)

Quantitative Credit Controls (मात्रात्मक साख नियंत्रण)	Qualitative/Selective Credit Controls (गुणात्मक / चयनात्मक साख नियंत्रण)
1) Bank rate Policy (बैंक दर नीति)	1) Credit Rationing (साख की राशनिंग)
2) Open market operations (खुले बाजार की क्रियाएँ)	2) Margin requirement (लाभ आवश्यकता)
3) Variations in the reserve requirements (कोष आवश्यकताओं में परिवर्तन)	3) Publicity (प्रचार)
4) Repo rate (रेपो दर)	4) Regulation of consumer credit (उपभोक्ता साख का विनियमन)
5) Liquidity adjustment facility (तरलता समायोजन सुविधा)	5) Moral Suasion (नैतिक प्रभाव / दबाव)
	6) Direct Action (प्रत्यक्ष कार्यवाही)

1.7.8. Quantitative Methods of Credit Control

The general quantitative methods of credit control can be discussed as under:

1) Bank Rate Policy
2) Open market Operations
3) Variable Reserve Ratio
4) Repo rate and Reverse Repo Rate
5) Liquidity adjustment facility

1.7.8. साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि

साख नियंत्रण की सामान्य मात्रात्मक विधि की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है–

1) बैंक दर नीति
2) खुले बाजार का संचालन
3) परिवर्तनीय कोष अनुपात
4) रेपो दर तथा और रिवर्स रेपो दर
5) तरलता समायोजन सुविधा

1.7.9. Bank Rate Policy

Bank rate is the oldest monetary policy instrument and is also known as the **Discount Rate.** At this rate, the qualified bills are discounted or rediscounted by the RBI. Broadly speaking, it refers to a minimum rate that central bank uses to provide financial accommodation to commercial banks as lender of the last resort in the discharge of its functions. Both the credit availability and credit cost are affected by the bank rate policy.

Benefits of Bank Rate Policy

1) **Helpful in Re-Discounting Bills of Exchange and Commercial Paper:** The standard rate at which the RBI is prepared to buy or re-discount bills of exchange or other commercial papers are eligible for purchase under the provisions of the Act of RBI. Therefore, the commercial banks can re-discount its first class bills from the RBI, if it requires funds to maintain its liquidity in the market.
2) **Acts as a Signal of Central Bank's Long-Term Outlook:** This rate is subjected to change from time to time in accordance with the economic stability and its credibility of the nation. Bank rates are useful for representing the long term perspective of the central bank in respect of the interest rates. Bank rate is directly related to the interest rate in long run period because, it tends to rise, if interest rate is increasing and it tends to fall, if interest rate is decreasing.
3) **Provide Stability:** It is the rate at which bills are discounted and re-discounted by the banks with the help of Central Bank. During inflation, the bank rate is increased and during deflation, bank rate is decreased. So it provides economic stability during the inflation or deflation.
4) **Oldest and Suitable Method:** Bank rate policy is the oldest and suitable method of credit control that operates through in bank rate made by the Central Bank. Bank rate is defined as the official minimum rate at which the Central Bank re-discounts approved bills of exchange.

Limitations of Bank Rate Policy

From the above benefits, it can be concluded that the bank rate policy is an efficient tool to control the credit in an economy, but the certain factors that limit the bank rate to be an efficient tool are as follows:

1) **Market Rates do not Change with Bank Rate:** When the market rate of interest is changing according to the bank rate then it can be said that the bank rate policy is fulfil its objective. The bank rate policy is assumed that the other market rates of interest change along with the bank rate. But it is not a realistic assumption. In the condition, when the other market rate is not follow direction of the bank rate then the assumption is not hold true. Thus, in such case, the **bank rate policy becomes ineffective to control the credit in an economy.**

1.7.9. बैंक दर नीति

बैंक दर मौद्रिक नीति का सबसे पुराना माध्यम है जिसे **कटौती दर** के नाम से भी जाना जाता है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंकों को उधार देता है तथा साधारण शब्दों में भारतीय रिजर्व बैंक जिस सामान्य ब्याज दर पर घरेलू बैंक को पैसा उधार देता है, उसे बैंक दर कहते है। श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है। एक व्यापक अर्थ में यह उस न्यूनतम दर को वर्णित करता है जिस पर केन्द्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को अपने कार्य के निर्वहन के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करता है। बैंक दर साख लागत एवं साख की उपलब्धता को प्रभावित करती है।

बैंक दर नीति के लाभ

1) **विनिमय एवं वाणिज्यिक पत्र की पुनर्कटौती में सहायक**–भारतीय रिजर्व बैंक जिस मानक दर पर विनिमय या अन्य वाणिज्यिक प्रपत्रों के बिलों को क्रय या पुनः छूट देता है, वह भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अन्तर्गत आती है। अतः यह वाणिज्यिक पत्रों की पुनर्कटौती में सहायक होती है। इसलिए यदि वाणिज्यिक बैंक को बाजार में अपनी तरलता बनाए रखने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वह अपने प्रथम श्रेणी के बिलों को भारतीय रिजर्व बैंक से पुनः भुना सकते हैं।
2) **केन्द्रीय बैंक के दीर्घकालीन दृष्टिकोण के संकेत के रुप में कार्य करता है**–इस दर में राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता एवं इसकी विश्वसनीयता के अनुसार समय–समय पर परिवर्तन होता है। बैंक दर केन्द्रीय बैंक की ब्याज दरों पर दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। यदि बैंक दर में वृद्धि होती है तो दीर्घकालीन ब्याज दरों मे भी वृद्धि होगी एवं इसके विपरीत बैंक दर में कमी होती है तो ब्याज दरों में भी कमी होगी।
3) **स्थिरता प्रदान करना**–यह वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक की सहायता से बैंको द्वारा बिलों में छूट प्रदान की जाती है। मुद्रास्फीति के दौरान बैंक दर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा संकुचन के दौरान बैंक दर में कमी होती है। इसलिए यह मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति के दौरान आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है।
4) **सबसे पुरानी एवं उपयुक्त विधि**–बैंक दर नीति साख नियन्त्रण की सबसे पुरानी एवं उपयुक्त विधि है जो केन्द्रीय बैंकों द्वारा बैंक दर के माध्यम से संचालित होती है। बैंक दर को अधिकारिक न्यूनतम दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर केन्द्रीय बैंक विनिमय के अनुमोदित बिलो को पुनः छूट प्रदान करता है।

बैंक दर नीति की सीमाएँ

उपर्युक्त लाभों से यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है कि बैंक दर नीति किसी अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित करने के लिए एक कुशल उपकरण है परन्तु कुछ कारक ऐसे होते हैं, जो बैंक दर को एक कुशल उपकरण के रूप में सीमित करते हैं वे निम्न प्रकार हैं–

1) **बाजार दर बैंक दर के साथ परिवर्तित नहीं होती है**–जब बाजार दर बैंक दर के अनुसार परिवर्तित होती है तो यह कहा जा सकता है कि बैंक दर नीति अपने उद्देश्यों को पूर्ण करती है। बैंक दर नीति की यह मान्यता है कि बाजार की ब्याज दर बैंक दर में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। परन्तु यह वास्तविक मान्यता नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब अन्य बाजार दर बैंक दर की नीति का पालन नही करती है तो या धारणा सही नही होता है। **इस प्रकार अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर नीति अप्रभावी हो जाती है।**

1.8. BANKING REGULATION ACT, 1949

1.8.1. Introduction

The Banking Regulation Act (BR Act) includes various laws concerned with the banking and offers the feature of transactions that can be carried out by the banks in India, regulate the management, suspension and winding-up of banking companies and penalties for the break of provisions of the Act. Primarily, the banking companies come under the scope of Companies Act. The main objective of company law is to protect the interest of stockholder and of banking legislation the main objective is to safeguard the interest of the depositor.

Hence, in order to have smooth regulation of banking in India, it is important to have a separate legislation resulting into the formation of Banking Regulation Act. It was passed in **1949** and which was primarily known as **Banking Companies Act.**

1.8.2. Scheme of the Banking Regulation Act

The Banking Regulation Act, 1949 has been divided into the following parts:

Part I: भाग I–	Preliminary (Sections 1 to 5A). (प्रारंभिक) (धारा 1 से 5 A)
Part II: भाग II–	Business of Banking Companies (Sections 6 to 36A). (बैंकिंग कंपनियों का व्यवसाय) (धारा 6 से 36 A)
Part IIA: भाग IIA–	Control over Management (Sections 36AA to 36AC). (प्रबंधन पर नियंत्रण (धारा 36 AA से 36 AC)
Part IIAB:	Supersession of Board of Directors of Banking Company (Section 36ACA). (बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण) (धारा 36 CA)।
Part IIB: भाग IIB–	Prohibition of Certain Activities in Relation to Banking Companies (Section 36AD). (बैंकिंग कंपनियों के संबंध में कुछ गतिविधियों का निषेध) (धारा 36 AD)

1.8. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

1.8.1. परिचय

बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BR अधिनियम) में बैंकिंग से संबंधित विभिन्न कानून शामिल हैं तथा भारत में बैंकों द्वारा किए जा सकने वाले लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है, बैंकिंग कंपनियों के प्रबंधन, निलंबन तथा समापन एवं अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड को नियंत्रित करता है। मुख्य रूप से बैंकिंग कंपनियाँ कंपनी अधिनियम के क्षेत्र में आती हैं। कंपनी कानून का मुख्य उद्देश्य अंशधारक के हितों की रक्षा करना है तथा बैंकिंग कानून का मुख्य उद्देश्य जमाकर्त्ता के हितों की रक्षा करना है।

इसलिए, भारत में बैंकिंग के सुचारू विनियमन के लिए, एक अलग कानून होना आवश्यक है जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग विनियमन अधिनियम का निर्माण होगा। इसे **1949** में पारित किया गया था तथा जिसे मुख्य रूप से **बैंकिंग कंपनी अधिनियम** के रूप में जाना जाता था।

1.8.2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम की योजना

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है–

1.8. BANKING REGULATION ACT, 1949

1.8.1. Introduction

The Banking Regulation Act (BR Act) includes various laws concerned with the banking and offers the feature of transactions that can be carried out by the banks in India, regulate the management, suspension and winding-up of banking companies and penalties for the break of provisions of the Act. Primarily, the banking companies come under the scope of Companies Act. The main objective of company law is to protect the interest of stockholder and of banking legislation the main objective is to safeguard the interest of the depositor.

Hence, in order to have smooth regulation of banking in India, it is important to have a separate legislation resulting into the formation of Banking Regulation Act. It was passed in **1949** and which was primarily known as **Banking Companies Act.**

1.8.2. Scheme of the Banking Regulation Act

The Banking Regulation Act, 1949 has been divided into the following parts:

Part I: भाग I–	Preliminary (Sections 1 to 5A). (प्रारंभिक) (धारा 1 से 5 A)
Part II: भाग II–	Business of Banking Companies (Sections 6 to 36A). (बैंकिंग कंपनियों का व्यवसाय) (धारा 6 से 36 A)
Part IIA: भाग IIA–	Control over Management (Sections 36AA to 36AC). (प्रबंधन पर नियंत्रण (धारा 36 AA से 36 AC)
Part IIAB:	Supersession of Board of Directors of Banking Company (Section 36ACA). (बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण) (धारा 36 CA)।
Part IIB: भाग IIB–	Prohibition of Certain Activities in Relation to Banking Companies (Section 36AD). (बैंकिंग कंपनियों के संबंध में कुछ गतिविधियों का निषेध) (धारा 36 AD)

1.8. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

1.8.1. परिचय

बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BR अधिनियम) में बैंकिंग से संबंधित विभिन्न कानून शामिल हैं तथा भारत में बैंकों द्वारा किए जा सकने वाले लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है, बैंकिंग कंपनियों के प्रबंधन, निलंबन तथा समापन एवं अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड को नियंत्रित करता है। मुख्य रूप से बैंकिंग कंपनियाँ कंपनी अधिनियम के क्षेत्र में आती हैं। कंपनी कानून का मुख्य उद्देश्य अंशधारक के हितों की रक्षा करना है तथा बैंकिंग कानून का मुख्य उद्देश्य जमाकर्त्ता के हितों की रक्षा करना है।

इसलिए, भारत में बैंकिंग के सुचारू विनियमन के लिए, एक अलग कानून होना आवश्यक है जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग विनियमन अधिनियम का निर्माण होगा। इसे **1949** में पारित किया गया था तथा जिसे मुख्य रूप से **बैंकिंग कंपनी अधिनियम** के रूप में जाना जाता था।

1.8.2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम की योजना

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है–

Part IIC: भाग IIC–	Acquisition of the Undertakings of Banking Companies in Certain Cases (Sections 36AE to 36AJ) (कुछ मामलों में बैंकिंग कंपनियों के उपक्रमों का अधिग्रहण) (धारा 36 AE से 36 AJ)
Part III: भाग III–	Suspension of Business and Winding-up of Banking Companies (Sections 36B to 45) (व्यवसाय का निलंबन तथा बैंकिंग कंपनियों का समापन) (धारा 36 B से 45)
Part IIIA: भाग IIIA–	Special provisions for speedy disposal of winding-up proceeding (Sections 45A to 45X). (समापन कार्यवाही के त्वरित निपटान के लिए विशेष प्रावधान) (धारा 45 A से 45 X)
Part IIIB: भाग IIIB–	Provisions Relating to Certain Operations of Banking Companies (Sections 45Y to 45ZF). बैंकिंग कंपनियों के कुछ परिचालनों से संबंधित प्रावधान) (धारा 45Y से 45ZF)।
Part IV: भाग IV	Miscellaneous (Sections 46 to 55A) (विविध (धारा 46 से 55 A)
Part V: भाग V–	Application of the Act to Cooperative Banks (Section 56, effective from 1st March 1966). (सहकारी बैंकों पर अधिनियम का लागू होना (धारा 56, 1 मार्च 1966 से प्रभावी)

The Banking Regulation Act was further amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1983, the Banking Public Financial Institutions and Negotiable Instrument Laws (Amendment) Act, 1988, and the Banking Regulation (Amendment) Act, 1994. (बैंकिंग विनियमन अधिनियम को बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1983, बैंकिंग सार्वजनिक वित्तीय संस्थान तथा विनिमय विपत्र कानून (संशोधन) अधिनियम, 1988 तथा बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा और संशोधित किया गया था।)

1.8.3. Main Provisions of Banking Regulation Act, 1949

Some of these Provisions of Banking Regulation Act, 1949 are detailed in the following headings.

1.8.3.1. Section 6: Forms of Business in which Banking Companies may Engage

In addition to the business of banking, a banking company may engage in any one or more of the following forms of business, namely:

1) The borrowing, raising, or taking up of money; the lending or advancing of money either upon or without security.
2) Acting as agents for any Government or local authority or any other person or persons.
3) Carrying on and transacting every kind of guarantee and indemnity business.
4) Managing, selling and realising any property which may come into the possession of the company in satisfaction or part satisfaction of any of its claims.

Acquiring and holding and generally dealing with any property or any right, title or interest in any such property which may form the security.

1.8.3.2. Section 7: Use of words Bank, Banker, Banking or Banking Company

No company other than a banking company shall use as part of its name or in connection with its business any of the words "bank", "banker" or "banking" and no company shall carry on the business of banking in India unless it uses as part of its name at least one of such words.

No firm, individual or group of individuals shall, for the purpose of carrying on any business, use as part of its or his name any of the words "bank", "banking" or "banking company".

1.8.3. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के सामान्य प्रावधान

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के इन प्रावधानों में से कुछ का विवरण निम्नलिखित शीर्षकों में दिया गया है।

1.8.3.1. धारा 6– व्यवसाय के रूप जिसमें बैंकिंग कंपनियाँ शामिल हो सकती हैं

बैंकिंग के व्यवसाय के अतिरिक्त, एक बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक प्रकार के व्यवसाय में शामिल हो सकती है, अर्थात्–

1) मुद्रा ऋण लेना, सृजन या लेना; प्रतिभू पर या बिना प्रतिभू पर ऋण प्रदान करना।
2) किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना।
3) सभी प्रकार की प्रत्याभूति एवं क्षतिपूर्ति व्यवसाय को चलाना तथा उसका लेन–देन करना।
4) किसी भी संपत्ति का प्रबंधन, बिक्री तथा वसूली जो कंपनी के किसी भी दावे की संतुष्टि या आंशिक संतुष्टि में कंपनी के अधिकार में आ सकती है।

किसी भी संपत्ति को प्राप्त करना तथा धारण करना एवं सामान्यतः किसी ऐसी संपत्ति में किसी भी संपत्ति या किसी अधिकार, शीर्षक या हित के साथ व्यवहार करना जो सुरक्षा का निर्माण कर सकता है।

1.8.3.2. धारा 7– बैंक, बैंकर, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी में शब्दों का प्रयोग करना

बैंकिंग कंपनी के अतिरिक्त कोई भी कंपनी अपने नाम के भाग के रूप में या अपने व्यवसाय के संबंध में "बैंक", "बैंकर" या "बैंकिंग" शब्दों में से किसी का उपयोग नहीं करेगी तथा कोई भी कंपनी भारत में बैंकिंग का व्यवसाय तब तक नहीं करेगी जब तक कि वह इसके नाम के भाग के रूप में ऐसे शब्दों में से कम से कम एक का उपयोग नहीं करती है। कोई भी फर्म, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, किसी भी व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से, अपने नाम के भाग के रूप में "बैंक", "बैंकिंग" या "बैंकिंग कंपनी" शब्दों में से किसी का भी उपयोग नहीं करेगा।

1.8.3.3. Section 8: Prohibition of Trading

No banking company shall directly or indirectly deal in the buying or selling or bartering of goods, except in connection with the realisation of security given to or held by it, or engage in any trade, or buy, sell or barter goods for others.

1.8.3.4. Section 9: Disposal of Non-Banking Assets

No banking company shall hold any immovable property howsoever acquired, except such as is required for its own use, for any period exceeding seven years from the acquisition thereof or from the commencement of this Act.

1.8.3.5. Section 10: Management

According to **Section 10(a)**, at least 51% of the total number of members of a banking company's Board of Directors shall include individuals with specific expertise or real-world experience in one or more of the following fields:

1) Accountancy;
2) Agriculture and Rural Economy;
3) Banking;
4) Cooperative;
5) Economics;
6) Finance;
7) Law; and
8) Small Scale Industry.

1.8.3.6. Section 11: Requirement as to Minimum Paid-up Capital and Reserves

The aggregate value of its paid-up capital and reserves shall not be less than fifteen lakhs of rupees and if it has a place or places of business in the city of Bombay or Calcutta or both, twenty lakhs of rupees.

1.8.3.7. Section 12: Regulation of Paid-up capital, Subscribed Capital and Authorised Capital and Voting Rights of Shareholders

No banking company shall carry on business in India, unless it satisfies the condition, that the subscribed capital of the company is not less than one-half of the authorised capital, and the paid-up capital is not less than one-half of the subscribed capital. No person holding shares in a banking company shall, in respect of any shares held by him, exercise voting rights on poll in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the banking company.

1.8.3.8. Section 13: Restriction on Commission, Brokerage, Discount, etc. on Sale of Shares

No banking company shall pay out directly or indirectly by way of commission, brokerage, discount or remuneration in any form in respect of any shares issued by it.

1.8.3.9. Section 14: Prohibition of Charge on Unpaid Capital

No banking company shall create any charge upon any unpaid capital of the company, and any such charge shall be invalid.

1.8.3.3. धारा 8– व्यापार का निषेध

कोई भी बैंकिंग कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु की खरीद या बिक्री या वस्तु विनिमय में संव्यवहार नहीं करेगी, सिवाय इसके कि उसे दी गई या उसके द्वारा रखी गई सुरक्षा की प्राप्ति के संबंध में, या किसी व्यापार में संलग्न नहीं है, या दूसरों के लिए वस्तुओं का क्रय, विक्रय या वस्तु विनिमय करना है।

1.8.3.4. धारा 9–गैर–बैंकिंग संपत्तियों का निपटान

कोई भी बैंकिंग कंपनी इस अधिनियम के लागू होने के बाद से उसके अधिग्रहण से सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी अचल संपत्ति को धारण नहीं करेगी, चाहे वह कितनी भी अर्जित की गई हो, सिवाय इसके कि अपने स्वयं के उपयोग के लिए आवश्यक है।

1.8.3.5. धारा 10– प्रबंधन

धारा 10 (a) के अनुसार, बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों की कुल संख्या में से कम से कम 51% में निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट विशेषज्ञता या वास्तविक विश्व का अनुभव वाले व्यक्ति शामिल होंगे–

1) लेखांकन
2) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था;
3) बैंकिंग;
4) सहकारी;
5) अर्थशास्त्र;
6) वित्त;
7) कानून; तथा
8) लघु उद्योग।

1.8.3.6. धारा 11– न्यूनतम प्रदत्त पूँजी तथा संचय के रूप में आवश्यकताएँ

इसकी प्रदत्त पूँजी तथा संचय का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से कम नहीं होगा और यदि इसका मुम्बई या कोलकत्ता शहर में इसका व्यवसाय है तो इसकी न्यूनतम प्रदत्त पूँजी तथा संचय ₹20 लाख होगी।

1.8.3.7. धारा 12– प्रदत्त पूँजी, अभिदान पूँजी तथा अधिकृत पूँजी एवं अंशधारकों के मतदान अधिकारों का विनियमन

कोई भी बैंकिंग कंपनी भारत में तब तक व्यवसाय नहीं कर सकती है, जब तक कि वह इस शर्त को पूरा न कर ले कि कंपनी की अभिदत्त पूँजी अधिकृत पूँजी के आधे से कम नहीं है, तथा प्रदत्त पूँजी अभिदत्त पूँजी के आधे से कम नहीं है। किसी बैंकिंग कंपनी में अंश धारित करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके द्वारा धारित किसी भी अंश के संबंध में, बैंकिंग कंपनी के सभी अंशधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक मतदान पर मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

1.8.3.8. धारा 13–अंश की बिक्री पर कमीशन, दलाली, छूट आदि पर प्रतिबंध

कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने द्वारा निर्गमित किए गए अंशों के संबंध में किसी भी रूप में कमीशन, दलाली, छूट या पारिश्रमिक के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करेगी।

1.8.3.9. धारा 14–अदत्त पूँजी पर प्रभार का निषेध

कोई भी बैंकिंग कंपनी, कंपनी की किसी भी भुगतान न की गई पूँजी पर कोई शुल्क नहीं लगाएगी तथा ऐसा कोई भी शुल्क अमान्य होगा।

1.8.3.10. Section 15: Restrictions as to Payment of Dividend

No banking company shall pay any dividend on its shares until all its capitalised expenses (including preliminary expenses, organisation expenses, share-selling commission, brokerage, amounts of losses incurred and any other item of expenditure not represented by tangible assets) have been completely written off.

1.8.3.11. Section 16: Prohibition of Common Directors

No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors any person who is a Director of any other banking company. Before the commencement of the Banking Companies (Amendment) Act 1956, any person holding office as a director of a banking company is also a Director of companies which among themselves are entitled to exercise voting rights in excess of twenty percent of the total voting rights of all the shareholders of the banking company.

1.8.3.12. Section 17: Reserve Fund

Every banking company incorporated in India shall create a reserve fund and out of the balance of profit of each year as disclosed in the profit and loss account prepared under section 29 and before any dividend is declared, transfer to the reserve fund a sum equivalent to not less than twenty per cent of such profit.

1.8.3.13. Section 18: Restriction on Nature of Subsidiary Companies

A banking company shall not form any subsidiary company except a subsidiary company formed for one or more of the following purposes:

1) The undertaking of any business which, under clauses (a) to (o) of subsection (3) of section 6, is permissible for a banking company to undertake.
2) With the previous permission in writing of the Reserve Bank, the carrying on of the business of banking exclusively outside India.

The undertaking of such other business, which the Reserve Bank may, with the prior approval of the Central Government, consider to be conducive to the spread of banking in India.

1.8.3.14. Section 19: Restrictions on Holding of Shares in Other Companies

The scope to which a banking corporation can form its subsidiaries and have shares in other companies has been restricted by **Section 19** of the Act. In other words, this section prevents banks from engaging in trading activities that could otherwise be done by obtaining a controlling interest in non-banking companies. Stated differently, this section limits the scope to which a banking company may develop subsidiaries and may own shares in other companies. A banking company may establish a subsidiary company for the objectives listed in this section. However, it can also establish a subsidiary company for other purposes incidental to the banking activity provided that prior approval of RBI has been obtained in writing.

1.8.3.10. धारा 15–लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध

कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने अंशों पर तब तक लाभांश का भुगतान नहीं करेगी जब तक कि उसके सभी पूँजीगत व्यय (प्रारंभिक व्यय, संगठन व्यय, अंश–विक्री कमीशन, दलाली, हानियों की मात्रा तथा व्यय की कोई अन्य वस्तु जो मूर्त संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है) को पूरी तरह से अपलिखित कर दिया गया है।

1.8.3.11. धारा 16– सामान्य निदेशकों का निषेध

भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। बैंकिंग कंपनी (संशोधन) अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व, बैंकिंग कंपनी के निदेशक के रूप में पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति उन कंपनियों का निदेशक भी होता है, जो आपस में बैंकिंग कंपनी के अंशधारक के कुल मतदान अधिकार के बीस प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार होते हैं।

1.8.3.12. धारा 17– संचित कोष

भारत में निगमित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी एक संचित कोष बनाएगी तथा धारा 29 के अन्तर्गत तैयार किए गए लाभ एवं हानि खाते में प्रकट किए गए प्रत्येक वर्ष के लाभ के शेष में से तथा किसी लाभांश की घोषणा से पूर्व, संचित कोष में ऐसे लाभ के कम से कम बीस प्रतिशत के बराबर राशि का हस्तांतरण करेगी।

1.8.3.13. धारा 18– सहायक कंपनियों की प्रकृति पर प्रतिबंध

एक बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए गठित एक सहायक कंपनी को छोड़कर कोई सहायक कंपनी नहीं बना सकती है–

1) किसी भी व्यवसाय का उपक्रम, जो धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (a) से (o) के अन्तर्गत, बैंकिंग कंपनी को करने की अनुमति है।
2) रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व अनुमति से, केवल भारत के बाहर बैंकिंग का व्यवसाय कर सकते है।

ऐसे अन्य व्यवसाय का उपक्रम, जिसे रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, भारत में बैंकिंग के प्रसार के लिए अनुकूल मान सकता है।

1.8.3.14. धारा 19– अन्य कंपनियों में अंश रखने पर प्रतिबंध

जिस क्षेत्र तक एक बैंकिंग निगम अपनी सहायक कंपनियाँ बना सकता है तथा अन्य कंपनियों में अंश रख सकता है, उसे अधिनियम की धारा 19 द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, यह धारा बैंकों को ऐसी व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकती है जो अन्यथा गैर–बैंकिंग कंपनियों में नियंत्रित हित प्राप्त करके की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में, यह धारा उस क्षेत्र को सीमित करता है जिसके अन्तर्गत एक बैंकिंग कंपनी सहायक कंपनियाँ विकसित कर सकती है तथा अन्य कंपनियों में अंश रख सकती है। एक बैंकिंग कंपनी इस क्षेत्र में सूचीबद्ध उद्देश्यों के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित कर सकती है। हालाँकि, यह बैंकिंग क्रियाओं से जुड़े अन्य उद्देश्यों के लिए एक सहायक कंपनी भी स्थापित कर सकता है, बशर्ते कि RBI की पूर्व स्वीकृति लिखित रूप में प्राप्त की गई हो।

1.9. RESERVE BANK OF INDIA (RBI) ACT, 1934

1.9.1. Introduction

Reserve Bank of India (RBI) regulates, manages and controls the banks from the period when they are opened till the period when they are closed. There is no regularity in the regulation of all the banks and its applicability is based on the constitution of the institution.

It means that the applicability is based on the fact that whether it is a statutory corporation, banking company or cooperative society. In order to safeguard the monetary stability of the banks and to smoothly regulate the credit system, RBI compels the scheduled banks to certain amount as reserve with the banks rather than dealing directly with the regulation of the banking system under the Reserve Bank of India Act, 1934. In case of any special event, direct discount is provided by the RBI act which is important for the purpose of regulating credit in the interests of trade, industry and agriculture.

1.9.2. Chapters and their Provisions of the RBI Act, 1934

The RBI Act consists of five chapters and five schedules. In reference to the provision of this Act, a short description or a summary of each chapter is as follows:

Chapter I: Preliminary: It gives a short title, extent and commencement as well as some definitions. The Act may be called the Reserve Bank of India Act, 1934, and extends to the whole of India. It will come into force at once and remaining provisions will come into force on such dates as notified in the official Gazette in India.

Chapter II: Incorporation, Capital, Management and Business: It encompasses the establishment and incorporation of the bank, provisions regarding share capital, offices, branches and agencies as well as composition, functions, and meetings of its central board, local boards, as well as terms like disqualification, removal, etc., of directors.

1.9. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934

1.9.1. परिचय

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों को खोलने की अवधि से लेकर बंद होने की अवधि तक विनियमित, प्रबंधित तथा नियंत्रित करता है। सभी बैंकों के विनियमन में कोई विनियमितता नहीं होती है तथा इसकी प्रयोज्यता संस्था के संविधान पर आधारित है।

इसका अर्थ यह है कि इसकी प्रयोज्यता इस तथ्य पर आधारित होती है कि यह एक वैधानिक निगम, बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति है। बैंकों की मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित रखने तथा ऋण प्रणाली को सुचारू रूप से विनियमित करने के लिए, RBI भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अन्तर्गत बैंकिंग प्रणाली के विनियमन से प्रत्यक्ष रूप से लेन देन करने के बजाय अनुसूचित बैंकों को बैंकों के पास संचय के रूप में कुछ राशि रखने के लिए बाध्य करता है। किसी विशिष्ट घटना के मामले में, RBI अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष छूट प्रदान की जाती है जो व्यापार, उद्योग तथा कृषि के लाभ में ऋण को विनियमित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होते है।

1.9.2. RBI अधिनियम, 1934 के अध्याय तथा उनके प्रावधान

RBI अधिनियम में पांच अध्याय तथा पांच अनुसूचियाँ शामिल हैं। इस अधिनियम के प्रावधान के संदर्भ में प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त विवरण या सारांश निम्न प्रकार है–

अध्याय I– प्रस्तावना– यह एक संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभिता के साथ–साथ कुछ परिभाषाएँ भी प्रदान करता है। इस अधिनियम को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 कहा जा सकता है, तथा यह पूरे भारत में लागू होता है। यह एक बार में लागू होगा तथा शेष प्रावधान भारत में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित तिथियों पर लागू होगें है।

अध्याय II– निगमन, पूँजी, प्रबंधन तथा व्यवसाय– इसमें बैंक की स्थापना तथा निगमन, अंशपूँजी, कार्यालयों, शाखाओं एवं एजेंसियों के साथ–साथ संरचना, कार्य, तथा इसके केंद्रीय बोर्ड, स्थानीय बोर्डों की बैठकों के साथ–साथ निदेशकों की अयोग्यता, निष्कासन आदि जैसे भी प्रावधान शामिल हैं।

Chapter III: Central Banking Functions: This chapter outlines banks obligations and right to transact government business, right to issue bank notes, their denomination, form as well as reissue, recovery, and issue of special bank notes.

Chapter IIIA: Collection and Furnishing of Credit Information: Provisions regarding the power of the bank to collect credit information, procedure for furnishing information and prohibited information are outlined in this chapter.

Chapter IIIB: Provisions Relating to Non-Banking Institutions Receiving Deposits and Financial Institutions: This chapter does not apply to state bank or its subsidiaries or a banking company as defined in Section 5 of Banking Regulation Act, 1949. It lays-down requirement for registration and net owned fund, reserve fund as well as maintenance of percentage of assets.

Chapter IIIC: Prohibition of Acceptance of Deposits by Unincorporated Bodies: This chapter specifies the deposits which are not to be accepted in certain cases and lays-down power to issue search warrants.

Chapter IIID: Regulation of Transactions in Derivatives, Money Market Instruments or Securities: It gives the definition of derivatives, money market instruments, repo and securities as well as specified transactions in derivatives.

Chapter IV: General Provisions: This chapter is explaining the general provisions associated to the following aspects:

1) Contribution of Central Government to reserve funds,
2) National, rural, industrial and housing credit,
3) Appointment, powers and duties of auditors,
4) Exemptions provided to the banks from income tax and super tax,
5) Delegation of powers,
6) Liquidation of bank, etc.

Chapter V: Penalties: This chapter lays-down penalties for any person, directors, auditor, and company whoever makes a wrong statement willfully, whether in any application, declaration, return, advertisement, book, account, document, etc.

1.9.3. Main Provisions of Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934

The main provisions of the Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934 are as follows:

1) **Section 3:** This Section explains the establishment of the Reserve Bank of India for taking over the administration of the currency from the Central Government and for taking on the corporation of banking by the provisions of this Act.
2) **Section 4:** According to this Section, the capital of the Bank shall be ₹5 crores of rupees.
3) **Section 6: This Section explains the establishment of offices, departments and agencies.**

अध्याय III– केंद्रीय बैंकिंग कार्य– यह अध्याय बैंकों के दायित्वों तथा सरकारी व्यवसाय को लेन–देन करने का अधिकार, बैंक नोट निर्गमित करने का अधिकार, उनके मूल्यवर्ग, साथ ही साथ पुनः निर्गमित करने, वसूली, एवं विशिष्ट बैंक नोट निर्गमित करने की रूपरेखा तैयार करता है।

अध्याय IIIA– क्रेडिट सूचना को संग्रह तथा प्रस्तुत करना– क्रेडिट सूचना एकत्र करने के लिए बैंक की शक्ति, सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा निषिद्ध सूचना के बारे में प्रावधान इस अध्याय में उल्लेखित हैं।

अध्याय IIIB– जमाराशि प्राप्त करने वाले गैर–बैंकिंग संस्थानों तथा वित्तीय संस्थानों से संबंधित प्रावधान– यह अध्याय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में परिभाषित स्टेट बैंक या उसकी सहायक कंपनियों या बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होता है। यह पंजीकरण तथा शुद्ध स्वामित्व वाली निधि, आरक्षित निधि के साथ–साथ संपत्ति के प्रतिशत के रखरखाव की आवश्यकता को निर्धारित करता है।

अध्याय IIIC– अनिगमित निकायों द्वारा जमा की स्वीकृति का निषेध– यह अध्याय उन जमाराशियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें कुछ मामलों में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए तथा खोज अधिपत्र निर्गमित करने की शक्ति प्रदान करता है।

अध्याय IIID–व्युत्पन्न, मुद्रा बाजार साधन या प्रतिभूतियों में लेनदेन का विनियमन– यह व्युत्पन्न प्रक्रिया, मुद्रा बाजार साधन, रेपो तथा प्रतिभूतियों के साथ–साथ व्युत्पन्न (शब्द) में निर्दिष्ट लेनदेन को परिभाषित करता है।

अध्याय IV–सामान्य प्रावधान– यह अध्याय निम्नलिखित पहलुओं से जुड़े सामान्य प्रावधानों की व्याख्या करता है–

1) निधि आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार का योगदान,
2) राष्ट्रीय, ग्रामीण, औद्योगिक तथा आवास ऋण,
3) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, शक्तियाँ तथा कर्तव्य,
4) बैंकों को आयकर तथा अधिकर से छूट,
5) शक्तियों का प्रत्यायोजन,
6) बैंक का परिसमापन, आदि।

अध्याय V– दंड– यह अध्याय किसी भी व्यक्ति, निदेशकों, लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के लिए दंड निर्धारित करता है, जो व्यक्ति जानबूझकर गलत विवरण देता है, चाहे वह किसी भी आवेदन, घोषणा, प्रतिफल, विज्ञापन, पुस्तक, खाता, दस्तावेज आदि में हो।

1.9.3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के मुख्य प्रावधान (RBI)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं–

1) **धारा 3**–यह धारा इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा केंद्र सरकार से मुद्रा का प्रशासन लेने तथा बैंकिंग निगम को अपने हाथ में लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की व्याख्या करती है।
2) **धारा 4**–इस धारा के अनुसार, बैंक की पूँजी ₹5 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
3) **धारा 6**–यह धारा कार्यालयों, विभागों तथा एजेंसियों की स्थापना की व्याख्या करती है।

4) **Section 7:** According to this Section, the Central Government is authorized to issue directions in public interest from time to time to the bank in consultation with the RBI Governor. It also provides the power of superintendence and direction of the affairs and business of RBI to the Central Board of Directors.

5) **Section 8:** This Section explains the composition of the Central Board, and term of office of Directors.

6) **Section 17:** This Section explains the business which the RBI may transact or the functioning of RBI. The particular functions are as follows:
   i) It can approve deposits from the Central and State Government without any interest;
   ii) It can obtain and discount bills of exchange from commercial banks;
   iii) It can obtain foreign exchange from banks and auction it to them;
   iv) It can provide loans to banks and state economic corporations;
   v) It can acquire government securities; and
   vi) It can deal in the secondary, repo, and reverse repo.

7) **Section 21:** This Section provides authority to RBI, the duty of being a banker to the central government and regulate public deficit.

8) **Section 22:** This Section renders power to RBI to allocate the currency in the nation.

9) **Section 23:** This section describes the issue department.

10) **Section 24:** According to this Section, the highest denomination note could be ₹10,000 rupees.

11) **Section 25:** It explains an aspect of banknotes.

12) **Section 26:** It explains the legal tender identity of notes while subsection (a) of this Section indicates the specific banknotes that cease to be lawful tender.

13) **Section 27:** It upholds the re-issue of notes.

14) **Section 28:** It allows RBI to create statutes about the exchange of damaged and defective rupee.

15) **Section 28(A):** It explains the issue of special bank notes and special one rupee notes in particular issues.

16) **Section 29:** According to this Section, the Bank is not be liable to the payment of any stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) in respect of bank notes issued by it.

17) **Section 30:** It explains the power of the Central Government to replace Central Board. According to the provisions of this Act, the central government can change the Central board.

18) **Section 31:** It explains the procedure to grant demand bills and notes.

19) **Section 37:** It explains the suspension of purchases regulations as to foreign securities.

20) **Section 38:** It explains the commitment of the Government and the Bank for the rupee coin.

21) **Section 39:** It explains the obligation to provide various forms of currency.

4) **धारा 7**—इस धारा के अनुसार, केंद्र सरकार RBI गवर्नर के परामर्श से बैंक को समय–समय पर सार्वजनिक हित में निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है। यह केंद्रीय निदेशक मंडल को RBI के मामलों एवं व्यवसाय के अधीक्षण तथा निर्देशन की शक्ति भी प्रदान करता है।

5) **धारा 8**—यह धारा केंद्रीय बोर्ड की संरचना तथा निदेशकों के कार्यालय की अवधि की व्याख्या करती है।

6) **धारा 17**—यह धारा उस व्यवसाय की व्याख्या करती है जिसे RBI संचालित कर सकता है या RBI की कार्यप्रणाली बताती है। विशेष कार्य निम्न प्रकार हैं–
   i) यह केंद्र एवं राज्य सरकार से बिना किसी ब्याज के जमा राशि स्वीकृत कर सकता है;
   ii) यह वाणिज्यिक बैंकों से विनिमय बिल प्राप्त कर सकता है तथा उन पर छूट दे सकता है;
   iii) यह बैंकों से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है तथा उन्हें नीलाम कर सकता है;
   iv) यह बैंकों एवं राज्य आर्थिक निगमों को ऋण प्रदान कर सकता है;
   v) यह सरकारी प्रतिभूतियाँ प्राप्त कर सकता है; तथा
   vi) यह सेकेंडरी, रेपो तथा रिवर्स रेपो में लेन–देन कर सकता है।

7) **धारा 21**—यह धारा RBI को केंद्र सरकार का बैंकर होने तथा सार्वजनिक घाटे को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करती है।

8) **धारा 22**—यह धारा RBI को देश में मुद्रा आवंटित करने की शक्ति प्रदान करती है।

9) **धारा 23**— यह धारा समस्या विभाग का वर्णन करता है।

10) **धारा 24**— इस धारा के अनुसार, उच्चतम मूल्यवर्ग का नोट ₹10,000 रुपये का हो सकता है।

11) **धारा 25**— यह बैंक नोटों के एक पहलू की व्याख्या करता है।

12) **धारा 26**—यह नोटों की कानूनी निविदा पहचान की व्याख्या करता है जबकि इस धारा की उपधारा (a) उन विशिष्ट बैंक नोटों को इंगित करती है जो वैध निविदा नहीं रह जाते हैं।

13) **धारा 27**— यह नोटों के पुनः निर्गमन को बनाये रखती है।

14) **धारा 28**—यह RBI को क्षतिग्रस्त तथा दोषपूर्ण रुपये के विनिमय के बारे में कानून बनाने की अनुमति प्रदान करती है।

15) **धारा 28(A)**— यह विशेष बैंक नोटों तथा विशेष रूप से एक रुपये के नोटों के निर्गमन की व्याख्या करता है।

16) **धारा 29**—इस धारा के अनुसार, बैंक अपने द्वारा निर्गमित किए गए बैंक नोटों के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अन्तर्गत किसी भी स्टांप शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

17) **धारा 30**— यह केंद्रीय बोर्ड को बदलने की केंद्र सरकार की शक्ति की व्याख्या करती है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार केंद्रीय बोर्ड को बदल सकती है।

18) **धारा 31**—यह माँग बिल तथा नोट्स देने की प्रक्रिया बताती है।

19) **धारा 37**—यह विदेशी प्रतिभूतियों के संबंध में क्रय नियमों के निलंबन की व्याख्या करती है।

20) **धारा 38**—यह रुपये के सिक्के के लिए सरकार तथा बैंक की प्रतिबद्धता को बताती है।

21) **धारा 39**—यह मुद्रा के विभिन्न रूप प्रदान करने के [illegible] की व्याख्या करती है।

Section 40: RBI is allowed to conduct foreign exchange transactions.

23) **Section 42:** The RBI is authorized to hold the cash reserve of scheduled banks to be protected with it.

24) **Section 43:** It explains the publication of a compressed statement by the Bank.

25) **Section 45(B):** It explains the power of the Bank to receive credit data.

26) **Section 45(C):** It explains the power to call for returns incorporating credit data.

27) **Section 45(IA):** It explains the requirement of enrolment and net acquired fund.

28) **Section 45(IB):** It explains the supervision of the proportion of assets.

29) **Section 45(IC):** It explains the provisions regarding reserve funds.

30) **Section 45(J):** It explains the Bank to legislate or restrict the issue of prospectus or advertisement summoning deposits of currency.

31) **Section 45(JA):** It authorises the Bank to infer policy and issue recommendations.

32) **Section 45(K):** It explains the power of the Bank to receive information from non-banking institutions as to deposits and to provide directions.

33) **Section 45(L):** It authorises the Bank to receive the information from economical institutions and to provide directions.

34) **Section 45(M):** It explains the duty of non-banking institutions to provide announcements obligated by the Bank.

35) **Section 45(MA):** It explains the powers and obligations of auditors.

36) **Section 45(MB):** It explains the power of the bank to restrict approval of deposit and alienation of assets.

37) **Section 45(ZA):** It explains the inflation target.

38) **Section 45(ZB):** It explains the constitution of the monetary policy committee.

39) **Section 45(ZM):** It explains the publication of the Monetary Policy Report.

40) **Section 46:** It explains the contribution by Central Government to the Reserve Fund.

41) **Section 58:** It explains the power of the Central Government to make regulations.

1.10. BANKER-CUSTOMER RELATIONSHIP

It was believed by **Mathews *versus* William Brown & Co.** that to form a customer, it is mandatory to have the account in the bank. The relationship between the banker and customer cannot be formed only just by opening the account in the bank i.e., it is necessary to have regularity by the customer in the transactions with the bank. This was popularly called as **'Duration Theory'**.

22) **धारा 40**–RBI को विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की अनुमति है।

23) **धारा 42**–RBI अनुसूचित बैंकों के नकदी संचय को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए अधिकृत है।

24) **धारा 43**–यह बैंक द्वारा एक संपीड़ित विवरण के प्रकाशन की व्याख्या करता है।

25) **धारा 45(B)**–यह क्रेडिट डेटा प्राप्त करने की बैंक की शक्ति की व्याख्या करता है।

26) धारा 45(C)–यह क्रेडिट डेटा को शामिल करते हुए विवरणी माँगने की शक्ति की व्याख्या करता है।

27) **धारा 45(IA)**–यह नामांकन एवं शुद्ध अर्जित निधि की आवश्यकता बताती है।

28) **धारा 45(IB)**–यह संपत्ति के अनुपात की निगरानी की व्याख्या करता है।

29) **धारा 45(IC)**–यह संचय निधि के संबंध में प्रावधानों की व्याख्या करता है।

30) **धारा 45(J)**–यह बैंक को मुद्रा जमा करने की याचना करने वाले प्रविवरण या विज्ञापन के निर्गमित करने पर कानून बनाने या प्रतिबंधित करने की व्याख्या करता है।

31) **धारा 45 (JA)**–यह बैंक को नीति का अनुमान लगाने तथा सिफारिशें जारी करने के लिए अधिकृत करता है।

32) **धारा 45(K)**– यह गैर–बैंकिंग संस्थानों से जमा के बारे में सूचना प्राप्त करने तथा निर्देश प्रदान करने की बैंक की शक्ति की व्याख्या करता है।

33) **धारा 45(L)**–यह बैंक को आर्थिक संस्थानों से सूचना प्राप्त करने तथा निर्देश प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है।

34) **धारा 45(M)**– यह बैंक द्वारा बाध्य घोषणाएँ प्रदान करने के लिए गैर–बैंकिंग संस्थानों के कर्तव्य की व्याख्या करता है।

35) धारा **45(MA)**–यह अंकेक्षकों की शक्तियों एवं दायित्वों की व्याख्या करती है।

36) धारा **45 (MB)**–यह संपत्ति के जमा तथा हस्तांतरण के अनुमोदन को प्रतिबंधित करने की बैंक की शक्ति की व्याख्या करता है।

37) **धारा 45(ZA)**– यह मुद्रास्फीति लक्ष्य की व्याख्या करता है।

38) **धारा 45(ZB)**– यह मौद्रिक नीति समिति के संविधान की व्याख्या करती है।

39) **धारा 45(ZM)**–यह मौद्रिक नीति रिपोर्ट के प्रकाशन की व्याख्या करती है।

40) **धारा 46**– यह केंद्र सरकार द्वारा संचय निधि में योगदान की व्याख्या करती है।

41) **धारा 58**–यह नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति की व्याख्या करती है।

1.10. बैंकर–ग्राहक संबंध

मैथ्यूज बनाम विलियम ब्राउन एवं कंपनी का मानना था ग्राहक बनाने के लिए बैंक में खाता होना अनिवार्य है। केवल में खाता खोलने से ही बैंकर तथा ग्राहक के मध्य संबंध नहीं सकते अर्थात् बैंक के साथ लेन–देन में ग्राहक द्वारा नियमि का होना आवश्यक है। इसे लोकप्रिय रूप से **'अवधि सिद्ध** कहा जाता था।

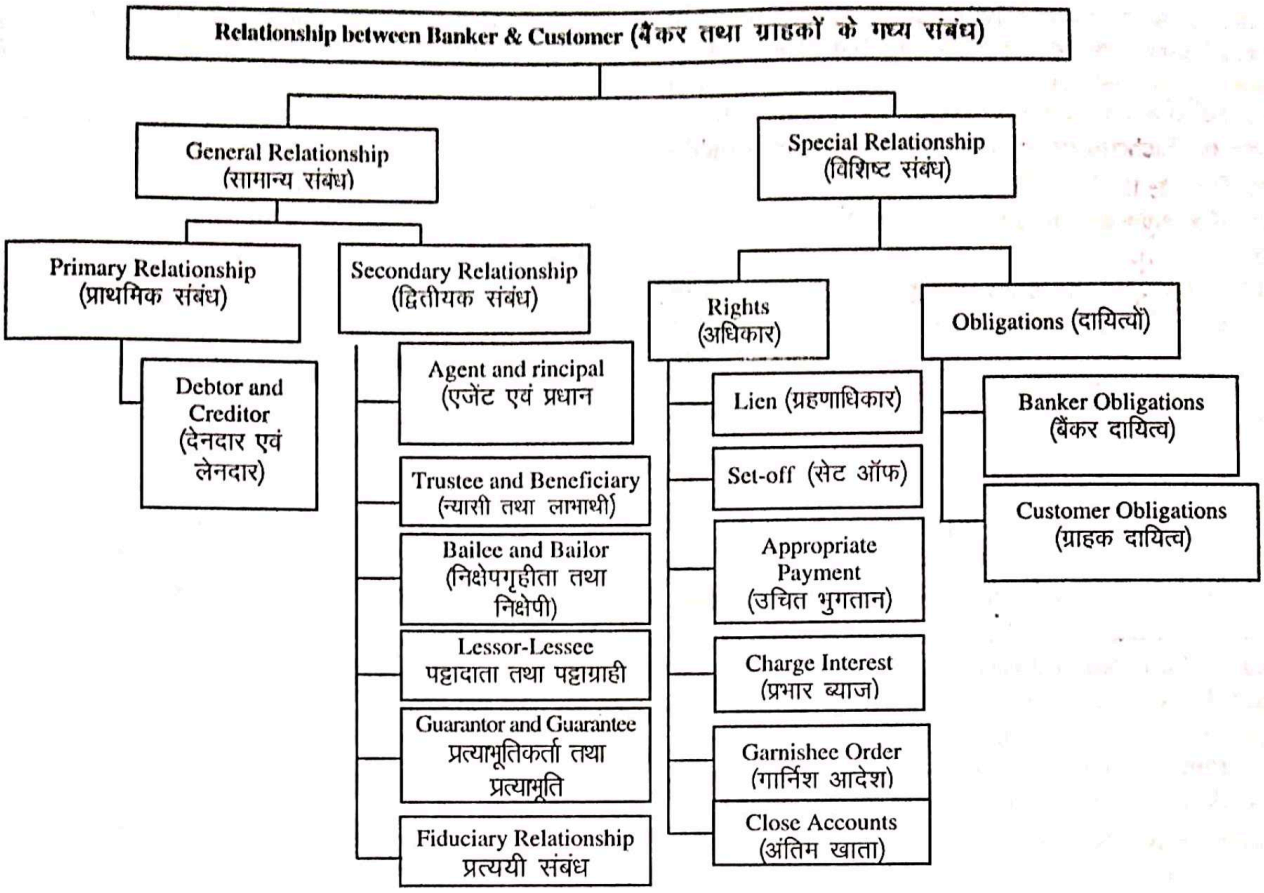

Figure 1.3: Relationship between Banker & Customer (चित्र 1.3–बैंकर तथा ग्राहक के मध्य संबंध)

The duration theory was established by **Justice Bailhache in Ladbroke *versus* Todd** in which it is said that "The relation of banker and customer begins as soon as the first cheque is paid in and accepted for collection and not merely when it is paid".

The relationship between the banker and customer is very important and it emerges when both the parties enter into a contract with their mutual consent. The loan contract is formed between the bank and the customer due to the reason that the bank is pleased to provide the money when the customer' account is in credit and when the account is overdrawn the bank collects money from the customer. The rules and regulation of the contract is followed as per the rules mentioned in the Negotiable Instruments Act, 1881 and the Indian Contract Act, 1872. The following are the two types of relationship that exists:

1.11. GENERAL RELATIONSHIP BETWEEN BANKER & CUSTOMER

Basically, there are two forms of general relationship between the banker and the customer:

1) Primary Relationship-Debtor and Creditors, and
2) Secondary Relationship.

1.11.1. Primary Relationship

The relationship that arises from a contract between the banker and customer in the form of a debtor is called as primary relationship. Banker is just a debtor rather than

लाडब्रोक बनाम टॉड में जस्टिस बैल्हाचे द्वारा अवधि सिद्धांत स्थापित किया गया था जिसमें यह बताया गया है कि "बैंकर तथा ग्राहक का संबंध तब प्रारम्भ होता है जब पहले चेक का भुगतान किया जाता है तथा संग्रह के लिए स्वीकार किया जाता है, न कि केवल तब जब इसका भुगतान किया जाता है।"

बैंकर एवं ग्राहक के मध्य का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा यह तब सामने आता है जब दोनों पक्ष अपनी आपसी सहमति से अनुबंध करते हैं। ऋण अनुबंध बैंक तथा ग्राहक के मध्य इस कारण से बनता है कि जब ग्राहक के खाते में राशि होता है तो बैंक मुद्रा प्रदान करने में प्रसन्न होती है तथा जब खाता अधिक आहरित किया जाता है तो बैंक ग्राहक से मुद्रा को एकत्र करता है। **विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, 1881 तथा भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872** में उल्लिखित नियमों के अनुसार अनुबंध के नियमों एवं विनियमों का पालन किया जाता है। निम्नलिखित दो प्रकार के संबंध विद्यमान होते हैं–

1.11. बैंकर एवं ग्राहक के मध्य सामान्य संबंध

मूल रूप से, बैंकर तथा ग्राहक के मध्य सामान्य संबंधों के दो रूप होते हैं–

1) प्राथमिक संबंध–देनदार तथा लेनदार, तथा
2) द्वितीयक संबंध।

1.11.1. प्राथमिक संबंध

देनदार के रूप में बैंकर तथा ग्राहक के मध्य एक अनुबंध से उत्पन्न होने वाले संबंध को प्राथमिक संबंध कहा जाता है। बैंकर अमानतदार, न्यासी या एजेंट नही बल्कि वह केवल एक

a bailee, trustee or an agent. Hence, the main relationship between the banker and the customer is that of a "Debtor and Creditor". The banker will be a debtor till the period when the customer's account shows a credit balance whereas the banker will be a creditor when the customer's account shows a debit balance.

Essentials of the Relationship between the Debtor and Creditors

1) **Creditor must Demand Payment:** It is not mandatory for the debtor to visit the creditor for the payment of money even though the banker is a debtor and customer is a creditor. This situation is likely to happen when the nature of transaction is commercial in which two parties i.e., debtor and creditor are involved to form a debtor-creditor relationship.

2) **Proper Place and Time of Demand:** The demand should be generated at the proper place and proper time by the creditors i.e., the cheques of the customer to make payment must be presented at a place where the bank is situated and the customer has opened the account. If a customer visits to a different state then at that place the customer account will not be known. The customer should also visit the bank for payment on a working day instead of visiting on a holiday.

3) **Demand must be made in Proper Form:** The demand must be made by the customer in proper form i.e., according to the specifications mentioned by the bank. In other words, the demand must be made through a cheque or an order to refund the deposited money with the bank. Alternatively, the banker has the right to reject the payment.

1.11.2. Secondary Relationship

It will be in the form of:

1) **Trustee and Beneficiary:** The banks may act as a trustee. The bank may perform the functions of trustee when the following conditions are fulfilled:
   i) As per the instructions given by the bank to the customers who do not have any account with the bank must deposit the money and hold it till the period of any further instruction is given to them.
   ii) In order to use the amount for the specific purpose or for remitting the funds to the other bank, the customer advises a bank to debit the account or deposit the money. However, this relationship will not be formed when no instructions is given to the customer.
   iii) The properties of the customers must be managed by the trustee.

2) **Agent and Principal:** The bank also performs various agency functions by acting as an agent of the customer. All this is done for the easiness of the customer. Some of the agency functions are as follows:
   i) Purchasing or selling of securities,
   ii) Collection of income,
   iii) Making periodical payments as instructed by his customers,
   iv) Collecting interest and dividend on securities lodged by his customers,

ऋणी होता है। इसलिए, बैंकर तथा ग्राहक के मध्य मुख्य संबंध "देनदार एवं लेनदार" का होता है। बैंकर उस अवधि तक देनदार रहेगा जब ग्राहक के खाते में क्रेडिट शेष राशि प्रदर्शित होगा जबकि बैंकर तब तक लेनदार होगा जब ग्राहक के खाते में डेबिट बैलेंस प्रदर्शित होगा।

देनदार तथा लेनदारों के मध्य संबंधों की अनिवार्यता

1) **लेनदार को भुगतान की माँग करनी चाहिए–** देनदार के लिए मुद्रा के भुगतान के लिए लेनदार के पास जाना अनिवार्य नहीं होता है, भले ही बैंकर देनदार हो तथा ग्राहक लेनदार हो। यह स्थिति तब होने की संभावना होती है जब लेन–देन की प्रकृति वाणिज्यिक होती है जिसमें दो पक्ष अर्थात् देनदार तथा लेनदार एक देनदार–लेनदार संबंध बनाने के लिए शामिल होते हैं।

2) **माँग का उचित स्थान तथा समय–** लेनदारों द्वारा उचित स्थान तथा उचित समय पर माँग उत्पन्न की जानी चाहिए अर्थात् भुगतान करने के लिए ग्राहक के चेक उस स्थान पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए जहां बैंक स्थित है तथा ग्राहक ने खाता खोला है। यदि कोई ग्राहक दूसरे राज्य में जाता है तो उस स्थान पर ग्राहक के खाते का पता नहीं चलेगा। ग्राहक को अवकाश पर जाने के अपेक्षा कार्य दिवस पर भुगतान के लिए बैंक जाना चाहिए।

3) **उचित रूप में माँग की जानी चाहिए–** ग्राहक द्वारा माँग उचित रूप में अर्थात् बैंक द्वारा उल्लेखित विनिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, बैंक के पास जमा की गयी मुद्रा को वापस करने के लिए चेक या आदेश के माध्यम से माँग की जानी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, बैंकर के पास भुगतान को अस्वीकार करने का अधिकार होता है।

1.11.2. द्वितीयक संबंध

यह निम्न प्रकार होगा–

1) **न्यासी तथा लाभार्थी**–बैंक न्यासी के रूप में कार्य कर सकते हैं। बैंक निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर न्यासी के कार्यों का निष्पादन कर सकता है–
   i) बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, जिन ग्राहकों का बैंक में कोई खाता नहीं होता है, उन्हें मुद्रा जमा करनी होगी तथा उन्हें कोई और निर्देश दिए जाने तक इसे अपने पास रखना होगा।
   ii) विशिष्ट उद्देश्य के लिए राशि का प्रयोग करने के लिए या दूसरे बैंक को मुद्रा भेजने के लिए, ग्राहक एक बैंक को खाते को डेबिट करने या मुद्रा जमा करने की परामर्श देता है। हालाँकि, यह संबंध तब नहीं बनेगा जब ग्राहक को कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा।
   iii) ग्राहकों की संपत्तियों का प्रबंधन न्यासी द्वारा किया जाना चाहिए ।

2) **एजेंट एवं प्रधान**–बैंक ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य करके विभिन्न एजेंसी कार्य भी करता है। यह सब ग्राहक की सरलता के लिए किया जाता है। एजेंसी के कुछ कार्य निम्न प्रकार हैं–
   i) प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय करना,
   ii) आय का संग्रह,
   iii) अपने ग्राहकों के निर्देशानुसार समय–समय पर भुगतान करना,
   iv) अपने ग्राहकों द्वारा जमा की गई प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा लाभांश एकत्र करना,

v) Receiving safe custody valuables and securities lodged by his customers, and

vi) Collecting cheques, hundies, drafts of the customers.

3) **Bailee and Bailor: Section 2 of the Indian Contract Act** defines that bailment as the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The banker must safeguard by taking due care of the valuables when the banker acts as a bailee. The banker is accountable to claim against the losses only in the condition when there is any carelessness in safeguarding the valuables by the bank. In case when the loss arises to the customer that is outside the control of the banker then the banker will not be accountable.

4) **Lessor and Lessee:** One of the forms of secondary relationship is that of a lessor and lessee i.e., the banker will be the lessor and hirer becomes the lessee when hiring out-of locker. In this situation, the relationship which establishes is of landlord and tenant. In lease deed, it is clearly mentioned that the lessor will not be held liable for any losses or damages to the lessee and it is the responsibility of the lessee itself to safeguard their valuable deposits in the locker of the bank.

5) **Guarantor and Guarantee:** A letter of credit is issued by the banker to the customer to provide the guarantee where the banker acts as a guarantor and the customer acts as a guarantee. In order to help the international trade, this kind of credit facility is provided to the customer. The bank provides the guarantee which includes that the bank will try to pay the amount without any issue according to the principal amount on the basis of non-performance or breach of contract.

6) **Fiduciary Relationship:** The fiduciary relationship is created when there is trust and confidence between the bank and customer. A banker who collects the money from the customer has the responsibility to safeguard his money otherwise it will not help in establishing fiduciary relationship.

1.12. SPECIAL RELATIONSHIP BETWEEN BANKER And CUSTOMER

The special relationship between the banker and customer consists of the rights that a banker performs and the duties or responsibilities which provides to his customers.

1.12.1. Banker's Rights

The following are the rights of a banker:

1) **Right of Lien:** The term lien refers to the right to hold the valuables of property to a debtor unless he settles all the debt which was owed to the retainer of the property.

v) अपने ग्राहकों द्वारा रखी गई सुरक्षित अभिरक्षा में महत्वपूर्ण वस्तुएं तथा प्रतिभूतियाँ प्राप्त करना, तथा

vi) ग्राहकों के चेक, हुंडी, ड्राफ्ट को एकत्र करना।

3) **निक्षेपगृहीता तथा निक्षेपी–भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2** में परिभाषित किया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी अनुबंध पर किसी उद्देश्य के लिए वस्तु की सुपुर्दगी के रूप में, जब उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा या अन्यथा उसके निर्देशानुसार व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा। जब बैंकर निक्षेपगृहीता के रूप में कार्य करता है तो बैंकर को कीमती वस्तुओं की उचित देखभाल करके सुरक्षा करनी चाहिए। बैंकर केवल व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जायेगा। उस स्थिति में हानि के लिए दावा करने के लिए उत्तरदायी होता है जब बैंक द्वारा कीमती वस्तुओं की सुरक्षा में कोई लापरवाही होती है। यदि किसी अन्य कारण से ग्राहक को हानि होती है जो बैंकर के नियंत्रण से बाहर है तो बैंकर जवाबदेह नहीं होगा।

4) **पट्टादाता तथा पट्टाग्राही**–द्वितीयक संबंध के रूपों में से एक पट्टादाता तथा पट्टाग्राही का होता है अर्थात्, बैंकर पट्टादाता होगा तथा लॉकर के बाहर किराए पर लेने पर किराएदार पट्टाग्राही बन जाएगा। इस स्थिति में जो संबंध स्थापित होता है वह भूस्वामी तथा किरायेदार का होता है। पट्टा विलेख में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पट्टेदाता को किसी भी हानि या क्षति के लिए पट्टेग्राही को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और यह पट्टेदाता का उत्तरदायित्व है कि वह बैंक के लॉकर में अपनी बहुमूल्य जमा राशि की रक्षा करे।

5) **प्रत्याभूतिकर्ता तथा प्रत्याभूति**–बैंकर द्वारा ग्राहक को प्रत्याभूति प्रदान करने के लिए एक साख पत्र निर्गमित किया जाता है जहां बैंकर एक प्रत्याभूतिकर्ता के रूप में कार्य करता है तथा ग्राहक प्रत्याभूति के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता के लिए ग्राहक को इस प्रकार की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। बैंक प्रत्याभूति प्रदान करता है जिसमें यह भी शामिल है कि बैंक गैर–निष्पादन या अनुबंध के उल्लंघन के आधार पर मूल राशि के अनुसार बिना किसी समस्या के राशि का भुगतान करने का प्रयास करेगा।

6) **प्रत्ययी संबंध**–इस प्रक्रिया में विश्वासपूर्ण संबंध का निर्माण तब होता हैं जब बैंक तथा ग्राहक के मध्य विश्वास एवं आत्मविश्वास होता है। एक बैंकर जो ग्राहक से मुद्रा संचित करता है, उसका उत्तरदायित्व है कि वह अपनी मुद्रा की रक्षा करे अन्यथा यह प्रत्ययी संबंध स्थापित करने में सहायता नहीं करेगा।

1.12. बैंकर तथा ग्राहक के मध्य विशिष्ट संबंध

बैंकर तथा ग्राहक के मध्य विशेष संबंध में वे अधिकार शामिल होते हैं जो एक बैंकर करता है और वे कर्तव्य या जिम्मेदारियाँ जो उसके ग्राहकों को प्रदान करती हैं।

1.12.1. बैंकरों के अधिकार

एक बैंकर के अधिकार निम्नलिखित हैं–

1) **ग्रहणाधिकार का अधिकार**– ग्रहणाधिकार शब्द का अर्थ है संपत्ति के कीमती वस्तु को एक देनदार के पास रखने का **अधिकार जब तक कि वह संपत्ति के प्रतिधारक के लिए शेष सभी ऋण का भुगतान नहीं करता है।**

i) **Specific/Particular Lien:** A particular lien refers to a lien which deliberates a right to hold the goods against the particular debt aroused with respect to a particular transaction.

ii) **General Lien:** A general lien refers to a lien which states that along with the right to hold goods against the particular debt with respect to particular transactions, it also holds the right in respect of any general balance that is created due to the general dealing between the two parties.

2) **Right of Set-Off:** The right of set-off is a statutory right that allows a debtor to take into consideration the debt which is to be paid to him by the creditor formerly the recovery of debt which is payable to him by the debtor. The dues of debtor and creditor are adjusted with each other's debt and after adjusting the amount left is paid to the debtor. This right of set-off is taken by the banker like the other debtors which allow him to associate the two accounts in the name of same customer. This is also done to adjust the debit balance in one account with the credit balance in the other.

3) **Right to Appropriation:** The banker has to work as per the certain direction for the appropriation given by the customer. The customer can exercise the right of appropriation at the time of depositing fund not after that. The bank can exercise the right to appropriate according to themselves if the customer has not given any instructions.

4) **Right to Charge Interest:** A banker has the right to charge interest on the advance allowed to the customer. In these days, the rate of interest is charged according to the directions of RBI. The interest is directly charged to the customer's account i.e., the customer's account is debited with such amount and further the interest is computed on the amount of principal.

5) **Right under Garnishee Order:** The term "Garnishee" is derived from the Latin word "*garnire*" which means "to warn".

6) **Right to Close Accounts:** The banker also has the right to close the customer's account and stop the further operations into it in the condition when it appears that no further profits can be generated to the banker. Hence, as the account is stopped then the relationship between the banker and the customer also ends. All these rights are enjoyed by the banker in respect of the customer's account.

1.12.2. Banker's Obligations

At the time of dealing with the customers, the bankers are under the obligation to satisfy some duties. The obligations are as follows:

1) **Obligation to Honour the Customer's Cheques:** The cheque which is drawn against the current account due to its honour when a statutory obligation is levied on the banker. There must be adequate balance to

i) **विशिष्ट/विशेष ग्रहणाधिकार**–एक विशिष्ट ग्रहणाधिकार एक ग्रहणाधिकार को संदर्भित करता है जो किसी विशिष्ट लेनदेन के संबंध में उत्पन्न विशिष्ट ऋण के विरुद्ध वस्तुओं को रखने के अधिकार पर विचार करता है।

ii) **सामान्य ग्रहणाधिकार**–एक सामान्य ग्रहणाधिकार एक ग्रहणाधिकार को संदर्भित करता है जिसमें यह बताया गया है कि विशिष्ट लेन–देन के संबंध में विशिष्ट ऋण के विरुद्ध वस्तुओं को रखने के अधिकार के साथ, यह किसी भी सामान्य शेष के संबंध में भी अधिकार रखता है जो कि दोनों पक्षों के मध्य सामान्य व्यवहार के कारण बनाया गया है।

2) **समायोजित करने का अधिकार**–समायोजित करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जो एक देनदार को उस ऋण को ध्यान में रखने की अनुमति देता है जिसे लेनदार द्वारा पूर्व में उसे देनदार द्वारा देय ऋण की वसूली के लिए भुगतान किया जाना है। देनदार तथा लेनदार की शेष राशि को एक दूसरे के ऋण के साथ समायोजित किया जाता है तथा शेष राशि का समायोजन करने के बाद देनदार को भुगतान किया जाता है। समायोजित करने का यह अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जो एक देनदार को उस ऋण को ध्यान में रखने की अनुमति देता है जिसे लेनदार द्वारा पूर्व में उसे देनदार द्वारा देय ऋण की वसूली के लिए भुगतान किया जाना है। देनदार तथा लेनदार की शेष राशि को एक दूसरे के ऋण के साथ समायोजित किया जाता है तथा शेष राशि का समायोजन करने के बाद देनदार को भुगतान किया जाता है।

3) **समायोजन का अधिकार**–ग्राहक द्वारा दिए गए समायोजन के लिए बैंकर को निश्चित दिशा के अनुसार कार्य करना होता है। ग्राहक कोष जमा करते समय विनियोग के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है। यदि ग्राहक ने कोई निर्देश नहीं दिया है तो बैंक अपने अनुसार उपयुक्त के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

4) **ब्याज प्रभारित करने का अधिकार**–एक बैंकर को ग्राहक को दिए गए अग्रिम पर ब्याज प्रभारित करने का अधिकार होता है। इन दिनों RBI के निर्देशों के अनुसार ब्याज दर प्रभारित की जाती है। ब्याज प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक के खाते से डेबिट की जाती है। अर्थात् ग्राहक के खाते से इतनी राशि डेबिट की जाती है तथा आगे ब्याज की गणना मूलधन की राशि पर की जाती है।

5) **गार्निशी आदेश के अन्तर्गत अधिकार**–शब्द "गार्निशी" लैटिन शब्द "गार्नेयर" से लिया गया है जिसका अर्थ है "चेतावनी देना"।

6) **खातों को बंद करने का अधिकार**–बैंकर को ग्राहक के खाते को बंद करने तथा उसमें आगे के संचालन को उस स्थिति में बंद करने का भी अधिकार होता है जब ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकर को कोई और लाभ नहीं दिया जा सकता है। अतः जैसे ही खाता बंद हो जाता है तो बैंकर तथा ग्राहक के मध्य का संबंध भी समाप्त हो जाता है। ग्राहक के खाते के संबंध में ये सभी अधिकार बैंकर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।

1.12.2. बैंकर के दायित्व

ग्राहकों के साथ व्यवहार के समय, बैंकर कुछ कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं। ये दायित्व निम्न प्रकार हैं–

1) **ग्राहक के चेक का पृष्ठांकन करने का दायित्व**–वह चेक जो बैंकर पर सांविधिक दायित्व लगाए जाने पर उसके पृष्ठांकन के कारण चालू खाते के विरुद्ध आहरित किया जाता है। बैंकर को ऐसा करने की अनुमति देने के लिए

इकाई–2

TECHNOLOGY & INSTRUMENTS IN BANKING
बैंकिंग में प्रोद्योगिकी एवं लेखपत्र

2.1. UNIVERSAL BANKING

2.1.1. Meaning and Definition of Universal Banking

Universal Banking can be referred to as a banking system in which the banks are allowed to offer various services to their customers. Besides services relating to savings and loans, they also offer investment services. In other words, the banks under universal banking are not restricted just to provide loans, or checking and savings accounts, or other similar activities rather they provide investment service as well. Thus, a universal bank is considered as a Commercial Bank as well as an Investment Bank and participates in various banking activities.

It is can also be referred to as a company that offers various financial services like stock, insurance, and real-estate brokerage. It is multi-purpose and multi-functional financial supermarket which offers both banking as well as financial services through a single window.

According to the World Bank, "In universal banking, large banks operate extensive network of branches, provide many different services, hold several claims on firms (including equity and debt) and participate directly in the Corporate Governance of firms that rely on the banks for funding or as insurance underwriters".

In short, it is a superstore that provides a wide range of financial products under one roof. Besides depositing and borrowing money, people can also get loans and take other services from a universal bank. In addition to services relating to savings and loans, these banks also offer investment services. However, practically "universal banking" includes those banks that offer several financial services beyond the commercial banking functions such as mutual funds, merchant banking, factoring, credit cards, retail loans, housing finance, auto loans, investment banking, insurance, etc.

2.1.2. Features of Universal Banking

The features of universal banking can be discussed as under:

1) It provides more banking and financial services than traditional banking institutions.

2.1. सार्वभौमिक बैंकिंग

2.1.1. सार्वभौमिक बैंकिंग का अर्थ एवं परिभाषा

सार्वभौमिक बैंकिंग को एक बैंकिंग व्यवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें बैंकों को अपने ग्राहकों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति होती है। बचत एवं ऋण से संबंधित सेवाओं के अतिरिक्त, वे निवेश सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, सार्वभौमिक बैंकिंग के अंतर्गत बैंक केवल ऋण, या चेक तथा बचत खाते, या अन्य समान सेवाएँ प्रदान करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे निवेश सेवा भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार, एक सार्वभौमिक बैंक को एक वाणिज्यिक बैंक के साथ–साथ एक निवेश बैंक भी माना जाता है तथा यह विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों में भाग लेता है।

इसे एक ऐसी कंपनी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है जो रहतिया, बीमा एवं अचल संपत्ति दलाली जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है। यह बहुउद्देश्यीय एवं बहु–कार्यात्मक वित्तीय सुपरमार्केट है जो एक ही खिड़की के माध्यम से बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ दोनों प्रदान करता है।

विश्व बैंक के अनुसार, "सार्वभौमिक बैंकिंग में, बड़े बैंक शाखाओं का व्यापक नेटवर्क संचालित करते हैं, कई अलग–अलग सेवाएँ प्रदान करते हैं, फर्मों पर कई दावे करते हैं (समता एवं ऋण सहित) तथा उन फर्मों के निगमीय प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं जो वित्तपोषण के लिए या बीमा अभिगोपक के रूप में बैंकों पर निर्भर होते हैं।"

संक्षेप में, यह एक सुपरस्टोर है जो एक ही छत के नीचे वित्तीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता हैं। धनराशि जमा करने एवं उधार लेने के अतिरिक्त, लोग सार्वभौमिक बैंक से ऋण भी प्राप्त करते हैं और अन्य सेवाएँ भी ले सकते हैं। बचत एवं ऋण से संबंधित सेवाओं के अतिरिक्त, ये बैंक निवेश सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। हालाँकि, व्यावहारिक रूप में "सार्वभौमिक बैंकिंग" में वे बैंक शामिल हैं जो वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, फैक्टरिंग, क्रेडिट कार्ड, खुदरा ऋण, आवास वित्त, ऑटो ऋण, निवेश बैंकिंग, बीमा, आदि है।

2.1.2. सार्वभौमिक बैंकिंग की विशेषताएँ

सार्वभौमिक बैंकिंग की विशेषताओं पर निम्नानुसार चर्चा की जा सकती है–

1) यह पारंपरिक बैंकिंग संस्थानों की तुलना में अधिक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है।

2) The functions performed by a universal bank include commercial banking, investment banking, maintaining investor's faith, optimum utilisation of resources, etc.
3) The universal banks are advanced forms of commercial banks because they offer more services than a commercial bank and that too under the same roof.
4) The banks under universal banking system are not obligated to perform all the services. They can choose the services they wish to offer to their customers.
5) They offer various services like credit card, housing finance, auto loans, insurance, retail loans, factoring, merchant banking, mutual funds, etc.
6) It assists banks to reach the prospective customers through intermediaries.
7) It helps the bank to enhance the lending, offer better services, and ensure least delinquency rates.

2.1.3. Significance/ Advantages of Universal Banking

The advantages or significance of universal banking are as follows:

1) **Economies of Scale:** Universal banking offers greater economic efficiency in the form of reduced cost, increased output, and enhanced quality. It is supported and favoured by various Committees and reports issued by RBI because it enables banks to take the advantage of economies of scale and scope.
2) **Profitable Diversions:** Universal banking enables the banks to diversify their activities and use their expertise in providing other services as well. Therefore, it enables the bank to perform all functions economically as compared to what could otherwise be performed by separate bodies.
3) **Resource Utilisation:** A bank usually holds information regarding risk attributes of various clients. Under universal banking, this information can be used to continue other activities with the same clients thereby enabling the optimum utilisation of resources.
4) **Easy Marketing on the Foundation of a Brand Name:** Under universal banking, the existing branches can be used to sell the financial products like insurance, mutual funds without allocating much effort on marketing because of brand name attached with it. This eventually enables a bank to extend its reach even in the remotest area without allocating additional resources.
5) **One-Stop Shopping:** The concept of 'one-stop shopping' helps to reduce the transaction costs and increase the speed of economic activities to a great extent. It provides benefit to the bank as well as to its customers.
6) **Investor's Trust:** Universal banks hold equity shares of various organisations. Since the investors believe that universal banks will closely evaluate all the activities of the organisations in which they hold a stake, the banks are able to gain more trust of the investor.

2) एक सार्वभौमिक बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्य वाणिज्यिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, निवेशकों विश्वास बनाए रखना, संसाधनों का इष्टतम उपयोग शामिल है।
3) सार्वभौमिक बैंक वाणिज्यिक बैंकों के उन्नत रूप हैं, वे एक वाणिज्यिक बैंक की तुलना में अधिक सेवाएँ प्र करते हैं तथा वह भी एक ही छत के नीचे।
4) सार्वभौमिक बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंक सभी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होते है। वह वे सेवाएँ सकते हैं जो वे अपने ग्राहकों को देना चाहते हैं।
5) वे क्रेडिट कार्ड, आवास वित्त, ऑटो ऋण, बीमा, ऋण, फैक्टरिंग, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड आदि विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं।
6) यह बैंकों को मध्यस्थों के माध्यम से संभावित ग्राहकों पहुँचनें में सहायता करता है।
7) यह बैंक को ऋण देने, बेहतर सेवाएँ प्रदान करने एवं से कम चूक दर सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

2.1.3. सार्वभौमिक बैंकिंग के महत्व/लाभ

सार्वभौमिक बैंकिंग के लाभ/महत्व निम्नलिखित है–

1) **पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ**–सार्वभौमिक बैंकिंग कम लाग बढ़े हुए उत्पादन एवं बढ़ी हुई गुणवत्ता के रूप में अधि आर्थिक दक्षता प्रदान करती है। यह विभिन्न समितियों त RBI द्वारा निर्गमित रिपोर्टों द्वारा समर्थित है क्योंकि बैंकों को पैमाने एवं क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ प्र करने में सक्षम बनाता है।
2) **लाभदायक विचलन**–सार्वभौमिक बैंकिंग बैंकों को अ गतिविधियों में विविधता लाने एवं अन्य सेवाएँ प्रदान क में भी अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने मे सक्षम बन है। इसलिए, यह बैंक को अलग–अलग निकायों द्वारा कि जाने वाले कार्यों की तुलना में सभी कार्यों को आर्थिक से करने में सक्षम बनाता है।
3) **संसाधन उपयोग**–एक बैंक सामान्यतः विभिन्न ग्राहकों जोखिम विशेषताओं के बारे में सूचना रखता है सार्वभौमिक बैंकिंग के अंतर्गत, इस सूचना का उपयो उन्हीं ग्राहकों के साथ अन्य गतिविधियों को जारी रखने लिए किया जाता है जिससे संसाधनों का इष्टतम उपयो संभव हो सके।
4) **ब्रांड नाम की बुनियाद पर आसान विपणन**– सार्वभौमि बैंकिंग के अंतर्गत, मौजूदा शाखाओं का उपयोग बी म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय उत्पादों को बेचने के लिए कि जाता है, क्योंकि इसके साथ जुड़े ब्रांड नाम के कार विपणन पर अधिक प्रयास नहीं किया जाता है। यह अत किसी बैंक को अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए बिना दूरस्थ क्षेत्र तक भी अपनी पहुँच बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
5) **एक स्थान पर क्रय**–'एक स्थान पर क्रय' की अवधारण लेनदेन लागत को कम करने एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को काफी हद तक बढ़ाने में सहायता करती है। इससे बैंक के साथ–साथ उसके ग्राहकों को भी लाभ प्राप्त होता है।
6) **निवेशकों का विश्वास**–सार्वभौमिक बैंक विभिन्न संगठनों के समता अंश हो सकते हैं। चूँकी निवेशकों का मानना है कि सार्वभौमिक बैंक उन संगठनों की सभी गतिविधियों की बारीकी से मूल्यांकन करेंगे जिनमें उनकी भागीदारी है, बैंक **निवेशकों का अधिक विश्वास प्राप्त करने में सक्षम है।**

2.1.4. Disadvantages of Universal Banking

The disadvantages of universal banking are as follows:

1) **Different Rules and Regulations:** Universal banking provides all financial products and services under one roof but all these products and services are subject to different rules and regulations. This gives rise to various problems. **For example,** there are different rules and regulations for mutual funds and loans but due to offering it under one roof, the personnel have to remember all rules and regulations and apply them accordingly.

2) **Effect of Failure on Banking System:** Universal banking is usually required to be performed by very large banks and if any failure is experienced by these banks, the banking system and confidence of the public are affected adversely.

3) **Monopoly:** Usually, universal banks are very large and therefore can easily gain monopoly in the market. This might lead to various adverse consequences on the other banks and the public. Besides this, it also has a negative impact on the economic development of the country.

4) **Conflict of Interest:** Universal banking involves integration of commercial and investment banking which may lead to conflict of interest between them. Some banks may emphasise on one type of banking, whereas the others on other type of banking. Such conflicts may cause huge loss to the banks.

2.2. INNOVATIVE BANKING

2.2.1. Meaning of Innovative Banking

The term, "innovative banking" is presently used very frequently. Innovation simply means something new or something that had not been performed earlier. The same also holds true for banking. There are various fields of banks that currently undergoing or undergone in past through innovation. Today, banks are not limited to traditional or conventional banking methods and are resorting to innovation to increase the business avenues and grab the new market.

2.2.2. Features of Innovative Banking

The features of innovative banking are as follows:

1) It facilitates the automation of manual processes, reduces costs, and enhances the overall efficiency of banking operations.

2) It involves automation technologies which in turn help in reducing errors, performing tasks quickly, and enabling employees to focus on other higher value work.

3) It helps to mitigate the risks associated with fraud, cyberattacks, and other possible threats to the banking industry.

2.1.4. सार्वभौमिक बैंकिंग की हानियाँ

सार्वभौमिक बैंकिंग की हानियाँ निम्नलिखित है–

1) **विभिन्न नियम एवं विनियम**–सार्वभौमिक बैंकिंग सभी वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएँ एक ही छत के नीचे प्रदान करती है परंतु ये सभी उत्पाद और सेवाएँ विभिन्न नियमों एवं विनियमों के अधीन हैं। यह विभिन्न समस्याओं को जन्म देता है। **उदाहरण के लिए**– म्यूचुअल फंड एवं ऋण के लिए विभिन्न नियम एवं विनियम हैं परंतु इसे एक ही छत के नीचे पेश करने के कारण कर्मियों को सभी नियम एवं विनियम याद रखने पड़ते हैं तथा उन्हें तदनुसार लागू करना पड़ता है।

2) **विफलता का बैंकिंग व्यवस्था पर प्रभाव**–सार्वभौमिक बैंकिंग को सामान्यतः बहुत बड़े बैंकों द्वारा निष्पादित करने की आवश्यकता होती है तथा यदि इन बैंकों द्वारा कोई विफलता होती है, तो बैंकिंग व्यवस्था एवं जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3) **एकाधिकार**–सामान्यतः सार्वभौमिक बैंक बहुत बड़े होते हैं, और इसलिए बाजार में सरलता से एकाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसका अन्य बैंकों एवं जनता पर विभिन्न प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका देश के आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

4) **हितों का टकराव**–सार्वभौमिक बैंकिंग में वाणिज्यिक एवं निवेश बैंकिंग का एकीकरण शामिल है जिससे उनके बीच हितों का टकराव हो सकता है। कुछ बैंक एक प्रकार की बैंकिंग पर जोर देते हैं, जबकि अन्य दूसरे प्रकार की बैंकिंग पर। ऐसे विवादों से बैंकों को भारी हानि हो सकता है।

2.2. नवाचार बैंकिंग

2.2.1. नवाचार बैंकिंग का अर्थ

"नवाचार बैंकिंग" शब्द वर्तमान में बहुत बार उपयोग किया जाता है। नवाचार शब्द का सीधा अर्थ है कुछ नया करना या ऐसा कुछ जो पहले नहीं किया गया था। बैंकिंग के लिए भी यही सच है। बैंकों के भी ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जो वर्तमान में नवाचार के माध्यम से अतीत में चल रहे हैं या उनका नवीनीकरण हो चुका हैं। आज, बैंक पारंपरिक या पारंपरिक बैंकिंग विधियों तक सीमित नहीं हैं एवं व्यापार के रास्ते बढ़ाने और नए बाजार को हथियाने के लिए नवाचार का सहारा ले रहे हैं।

2.2.2. नवाचार बैंकिंग की विशेषताएँ

नवाचार बैंकिंग की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं–

1) यह हस्तगत प्रक्रियाओं के स्वचालन की सुविधा प्रदान करता है, लागत को कम करता है, तथा बैंकिंग कार्यों की समग्र दक्षता को बढ़ाता है।

2) इसमें स्वचालन प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं जो बदले में त्रुटियों को कम करने, कार्यों को जल्दी से करने में सहायता करती हैं, तथा कर्मचारियों को अन्य उच्च मूल्य के काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती हैं।

3) यह धोखाधड़ी, साइबर हमले तथा बैंकिंग उद्योग के लिए अन्य संभावित जोखिमों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायता करता है।

4) It involves introduction of new products and services thereby enabling banks to create new revenue streams and reach the earlier untapped markets. It is important particularly to eliminate the outdated charges such as transaction fees that could lead to risk of losing customers.

5) It helps in providing value added services through android mobile application software.

6) It allows customers to access banking services anytime and anywhere according to their convenience. They are not required to depend upon the provider to access the services. **For example,** customers can shop for the items in malls and make payments using credit card.

7) It offers security to the customers through authentications within Innovative Banking Product like username, password, digital signature, PIN or even biometrics for ATM.

2.2.3. Significance/Advantages of Innovative Banking

The significance of innovative banking can be described as under:

1) **Increase in Efficiency:** The banks are able to offer the well-organized and quick services to their customers on employing the innovative banking technologies.

2) **Handling of Information:** The handling of customer's information become easy as the innovations are employed for creation of up-to-date monitoring of information and information system, for improving the performance of internal control system or housekeeping or for the reporting functions, and for sorting of customer's information as per the requirement.

3) **Cost Reduction:** On employing the advance innovation, the costs based on the floor space requirement have been reduced to minimum.

4) **Accuracy:** The certain services of the banks like the clearing of cheques, pass book entries, inter-branch or inter-bank reconciliation and many other such functions are required to be carry out quickly, correctly and legibly and this become possible only through the innovative technologies.

5) **Customer Service:** Presently, the banks are rendering services to their clients through different modes like through local branches or through mobile apps or through net banking facilities etc. Due to easy accessibility of internet, the customers can avail the services just by sitting at home or in transit, as they need not to visit any branch of the bank. The reoccurring services such as the updating of accounts, sharing of information, receiving, and providing of messages are carry out through the networking, where the physical movement of customers is not required.

4) इसमें नए उत्पादों तथा सेवाओं की शुरुआत करना शामिल है जिससे बैंकों को नए राजस्व प्रवाह बनाने तथा पहले अप्रयुक्त बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि लेनदेन की शुल्क जैसे पुराने प्रभारों को समाप्त किया जाए जो ग्राहकों को खोने का जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

5) यह एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मूल्य वर्धित सेवाएँ प्रदान करने में सहायता करता है।

6) यह ग्राहकों को अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करता है। उन्हें सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्रदाता पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, ग्राहक मॉल में वस्तु क्रय कर सकते हैं तथा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं।

7) यह एटीएम के लिए उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, पिन या यहां तक कि बायोमेट्रिक्स जैसे नवीन बैंकिंग उत्पाद के भीतर प्रमाणीकरण के माध्यम से ग्राहक को सुरक्षा प्रदान करता है।

2.2.3. नवाचार बैंकिंग का महत्व/लाभ

नवाचार बैंकिंग के महत्व को निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है–

1) दक्षता में वृद्धि–बैंक नवीन बैंकिंग प्रौद्योगिकियों को नियोजित करने के लिए अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से संगठित एवं त्वरित सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम होते हैं।

2) सूचना नियंत्रण–ग्राहक की सूचना को नियंत्रित करना आसान हो जाता है क्योंकि नवाचारों को सूचना तथा सूचना प्रणाली की अद्यतन निगरानी के निर्माण के लिए नियोजित किया जाता है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली या हाउसकीपिंग के प्रदर्शन में सुधार के लिए या रिपोर्टिंग कार्यों के लिए, तथा छँटाई के लिए आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों को सूचना प्रदान करता है।

3) लागत में कमी–अग्रिम नवाचार को नियोजित करने पर आधार स्थान की आवश्यकता के आधार पर लागत को न्यूनतम कर देता है।

4) सटीकता–बैंकों की कुछ सेवाएँ जैसे चेक का समाशोधन, पास बुक प्रविष्टियाँ, अंतर–शाखा या अंतर–बैंक समाधान तथा इस प्रकार के कई अन्य कार्यों को जल्दी, सही तथा कानूनी रूप से करने की आवश्यकता होती है तथा यह केवल नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव होता है।

5) ग्राहक सेवा–वर्तमान में, बैंक अपने ग्राहकों को स्थानीय शाखाओं के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से या शुद्ध बैंकिंग सुविधाओं आदि के माध्यम से विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं। इंटरनेट की आसान पहुंच के कारण, ग्राहक केवल घर पर या पारगमन में बैठकर सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बैंक की किसी भी शाखा में जाने की की आवश्यकता नहीं होती है। खातों का अद्यतन करने, सूचनाओं को साझा करने, प्राप्त करने तथा संदेश प्रदान करने जैसी सेवाओं को नेटवर्किंग के माध्यम से किया जाता है, जहाँ ग्राहकों को स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

2.3. CHANNELS OF BANKING

Channels of banking or banking channels includes different modes or ways through which the banks can offer their services or customers can avail banking services. The traditional method of doing banking involved only branch based banking and any transaction occurring outside the branch was considered as invalid. Such kind of banking is popularly referred to as **brick and mortar banking** because branch premises are made up of bricks and mortar. However, today the scenario has changed significantly due to the advancement of the technology. It has now been transformed into a multi-channel banking from mono channel banking. Today, it offers various options to its customers through which they can perform different bank transactions.

Customers can get both financial as well as non-financial services through banking channels.The financial services rendered by banks include Fund Transfer, Third party payments, Bill Payments, Opening Bank accounts, Closure of Loan accounts, Loan part payments, Issue of Demand Draft, ATM services, Mobile Services whereas the non-financial services include Viewing of account information, Request for cheque book, Creating standing instructions.

The different types of banking channels through which banks offer their services to the customers include the following:

2.3. बैंकिंग चैनल

बैंकिंग चैनल में विभिन्न माध्यम या तरीके शामिल हैं, जिनके माध्यम से बैंक अपनी सेवाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं या ग्राहक बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग लेनदेन की पारंपरिक विधि में केवल शाखा आधारित बैंकिंग शामिल थी तथा शाखा के बाहर होने वाले किसी भी लेनदेन को अमान्य माना जाता था। इस प्रकार के बैंकिंग को लोकप्रिय रूप से **ईंट एवं मोर्टार बैंकिंग** कहा जाता है क्योंकि शाखा परिसर ईंटों तथा मोर्टार से बना होता है। हालाँकि, वर्तमान प्रौद्योगिकी की उन्नति के कारण परिदृश्य काफी परिवर्तित हुआ है। अब इसे एकल बैंकिंग प्रणाली से एक बहु प्रणाली बैंकिंग में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान समय में , यह अपने ग्राहकों को विभिन्न विकल्प प्रदान करता है जिसके माध्यम से वे विभिन्न बैंक लेनदेन कर सकते हैं।

ग्राहकों को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वित्तीय तथा साथ ही गैर–वित्तीय दोनों सेवाएँ प्राप्त हो सकती हैं। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं में निधि हस्तांतरण ,किसी तीसरे पक्ष को भुगतान करना, बिल भुगतान, बैंक खाता खोलना, ऋण खाता बंद करना, ऋण का भुगतान करना, माँग पत्र का निर्गमन, एटीएम सेवाएँ, मोबाइल सेवाएँ शामिल हैं, जबकि गैर–वित्तीय सेवाओं में खाता जानकारी देखना, चेक बुक के लिए अनुरोध करना, स्थायी निर्देश देना आदि शामिल है।

विभिन्न प्रकार के बैंकिंग चैनलों जिनके माध्यम से बैंक ग्राहकों को अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं–

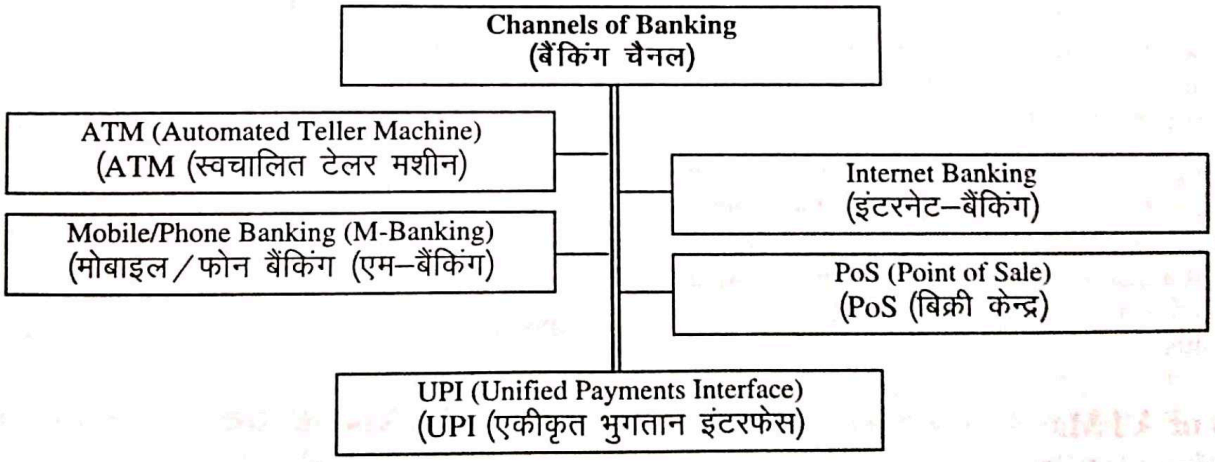

2.4. ATM (AUTOMATED TELLER MACHINE)

2.4.1. Introduction

Automated Teller Machine (ATM) is a machine installed by a bank and FI in a public place with the objective of providing certain basic financial and non-financial banking transactions like cash withdrawal, cash deposits, balance

2.4. ATM (स्वचालित टेलर मशीन)

2.4.1. परिचय

स्वचालित टेलर मशीन (ATM) एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक स्थान पर स्थापित एक मशीन हैं जिसका उद्देश्य कुछ बुनियादी वित्तीय तथा गैर–वित्तीय बैंकिंग लेनदेन जैसे– नकद निकासी, नकद जमा, शेष राशि की पूछताछ,

enquiry, payment of bills, requisition for cheque book, change of PIN, etc. It operates as a computerized telecommunications device, which does not require any human intervention in the form of a clerk or teller.

With the arrival of ATMs an important function of banks has been passed on to it and the customers' visits to bank branches have been reduced to a great extent. Its services can be availed of with the help of plastic cards (debit or credit) with distinctive characteristics. With the popularization of plastic cards, the use of cheques, customer's visits to bank branches, working hours of bank branches, paper-based verification, etc. are losing relevance.

ATMs can be used for a number of transactions including electronic fund transfer and exchange of information between the bank and its customers. It is not necessary for a bank customer and cardholder to have transaction at the bank's ATM. Under the 'Shared Payment Network System', a bank customer can use any ATM linked to the above network.

2.4.2. Features of ATMs

The features of ATMs are as follows:

1) ATM technology is a **packet-based technology** because it works as like a cell. Cells are basically used for multiplexing, switching, and transport thus it is a small fixed-sized packets.

2) ATM technology is a connection-oriented method and is entirely based on the virtual circuits where the service information is automatically transferred to the bank through the incorporation of VCs into the ATM.

3) Asynchronous Time-Decision Multiplexing (ATDM) is incorporated into the ATM for its functioning. ATDM is a TDM technique which depends upon the fixed-sized time slots and these time slots are fixed for the users to complete the transaction within the particular time period, provide that the period must be based on occasion rather than the periodical basis.

4) ATM technology has been established to facilitate the Quality of Service (QoS) because of the above mentioned features of the ATM. The installed virtual circuit in ATM assist in providing fixed routes created through the network which assist in allocation of network resource.

2.4.3. Types of ATMs

The types of ATMs are as follows:

1) **Onsite ATM:** These particular ATMs are placed inside the branch of the bank or somewhere near to the branch. Such ATMs are basically installed to avoid the crowd in the branch or the long Queue on the particular counter in the branch. Thus, this helps the banks officer to save time to focus more on the priority services of the bank.

बिलों का भुगतान, चेक की आवश्यकता को पूरा करना में पिन का परिवर्तन आदि है। यह एक कम्प्यूटरीकृत दूर–संचार उपकरण के रूप में कार्य करता हैं, जिसमें कलर्क या टेलर के रूप में किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ए.टी.एम के आगमन के साथ बैंको का एक महत्त्वपूर्ण कार्य इसे हस्तांतरित कर दिया गया है तथा ग्राहकों की बैंक शाखाओं के जाने की संख्या अधिक सीमा तक कम हो गई हैं। विशिष्ट विशेषताओं वाले प्लास्टिक कार्ड (डेबिट या क्रेडिट) की सहायता से इसकी सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता हैं। प्लास्टिक कार्डों के लोकप्रिय होने के साथ, चेक का उपयोग, ग्राहक का बैंक शाखाओं में जाना, बैंक शाखाओं के कार्य के घण्टे, कागज आधारित सत्यापन आदि की प्रासंगिकता समाप्त हो रही हैं। एटीएम का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण एवं बैक तथा उसके ग्राहकों के मध्य सूचनाओं के आदान–प्रदान सहित अन्य लेन–देन के लिए किया जा सकता हैं। बैंक के ग्राहक तथा कार्डधारक के लिए बैंक के एटीएम में लेन–देन करना आवश्यक नहीं हैं। 'साझा भुगतान नेटवर्क प्रणाली' के अंर्तगत, एक बैंक ग्राहक उपरोक्त नेटवर्क से संबंधी किसी भी ए.टी.एम का प्रयोग कर सकता हैं।

2.4.2. ATMs की विशेषताएँ

ATMs की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं–

1) ATMs तकनीक एक **पैकेट आधरित तकनीक** है क्योंकि यह एक सेल के समान कार्य करती हैं। सेल मूल रूप से बहुभाजन, स्वीचिंग, तथा ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार यह एक लघु निश्चित आकार के पैकेट होते हैं।

2) ATMs तकनीक एक संबंध–उन्मुख विधि है तथा पूर्ण रूप से आभासी परिधि पर आधारित है जहाँ ATMs में VCs के समावेश के माध्यम से सेवा की सूचना स्वचालित रूप से बैंक में स्थानातरित हो जाती हैं।

3) अतुल्यकालिक समय–निर्णय बहुसंकेतन को इसके कार्यकाज के लिए ATMs में शामिल किया गया हैं। ATDMs एक TDMs तकनीक है, जो निश्चित आकार के समय स्लाट पर निर्भर करती है तथा ये समय स्लाट उपयोगकर्ताओ के लिए विशेष समयावधि के अंतर्गत लेन–देन को पूरा करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, वशर्ते की अवधि आवधिक आधार की बजाय अवसर पर आधरित होनी चाहिए।

4) ATMs की उपर्युक्त विशेषताओं के कारण सेवा की गुणवत्ता (QoS) को सुविधाजनक बनाने के लिए ATM प्रौद्योगिककी की स्थापना की गई है। ATM में स्थापित आभासी सर्किट नेटवर्क के माध्यम से बनाए गए निश्चित मार्ग प्रदान करने में सहायता करता है, जो नेटवर्क संसाधन के आवंटन में सहायता करता हैं।

2.4.3. ATMs के प्रकार

ATMs निम्न प्रकार का होता हैं–

1) **ऑनसाइट ATM–** ये विशेष ATMs बैंक की शाखा के अंदर या अन्य शाखा के निकट स्थित होते हैं। ऐसे ATMs मूल रूप से शाखा में भीड़ या शाखा में विशेष काउंटर पर लंबी कतार से बचने के लिए लगाए जाते हैं। इस प्रकार, यह बैंक अधिकारी को बैंक की प्राथमिकता वाली सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए समय बचाने में सहायता करता हैं।

2) **Offsite ATM:** Unlike, the Onsite ATMs, these ATMs are not placed inside the branch of the bank but are placed at those places where the crowd gather like at shopping centres, airports, railway and petrol stations. Such ATMs are basically installed to cover the maximum geographical area so that the customers can avail the service even though the branch of bank is not present in that area.

3) **Worksite ATM:** These particular ATMs are placed inside any organisation where the bank has maximum customers who are normally employing in that organisation.

4) **Cash Dispenser:** It is a form of ATM as it is installed for only three primary functions of the ATM that are cash withdrawal, balance enquiry, and mini statement requests. On the other hand, the functions of depositing cash or cheques cannot be done through cash dispenser.

5) **Mobile ATM:** These particular ATMs are used by the banks when the customers are scattered in the large geographical area at different places. There are certain private banks which provide the ATM service on wheels.

.4.4. Advantages of ATMs

utomatic Teller Machines are extremely beneficial for e banks as well as their customers in the following anner:

To the Customers:

i) Availability of services round the clock (24 x 7) and round the year (365 days a year).

ii) Services offered are very prompt and efficient.

iii) Transactions carried out remain entirely confidential.

iv) Possibilities of mistakes on the part of ATMs are almost zero.

v) Services can be availed anywhere, irrespective of the location of the home branch of the bank, where the cardholder maintains the account.

vi) Ample elasticity in conducting the transaction is offered.

vii) The fund transfer facilities from or to linked accounts is also available.

viii) It offers banking facility anywhere.

To the Banks:

i) Customers can be served beyond the working hours of the bank branch.

ii) Large number of transactions leads to cost reduction as well as overcrowding at branches.

ii) Provision of an ATM services can be viewed as an alternative to opening a new branch.

v) Operating expenses of banks are brought down to a great extent.

) Movement of hard cash and cash handling by bank staff is avoided.

i) There is increase in market penetration.

2) **ऑफसाइट ATMs**–ऑनसाइट ATMs के विपरीत, इन ATMs को बैंक की शाखा के अदंर नहीं रखा जाता है, अर्थात् उन स्थानों पर स्थापित किया जाता हैं, जहाँ शॉपिंग सेंटर, हवाई अड्डों, रेलवे तथा पेट्रोल स्टेशनों पर भीड़ एकत्रित होती हैं। ऐसे ATM मूल रूप से अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र आवरण करने के लिए स्थापित किए जाते हैं ताकि ग्राहक सेवा का लाभ प्राप्त कर सके, भले ही उस क्षेत्र में बैंक की शाखा उपस्थित न हों।

3) **कार्य स्थल ATM**–ये विशेष ATM किसी भी संगठन के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। जहाँ बैंक के अधिकतम ग्राहक होते है, जो सामान्यतः उस संगठन में कार्यरत होते हैं।

4) **नकद वितरक**–यह ATM का एक रूप है, क्योंकि यह ATM के केवल तीन प्राथमिक कार्यों के लिए स्थापित किया गया है, जो नकद निकासी, बैलेंस पूछताछ तथा लघु विवरण अनुरोध के रूप में हैं। दूसरी ओर, नकद या चेक जमा करने का कार्य नकद वितरक के माध्यम से नहीं किया जा सकता हैं।

5) **मोबाइल ATM**–इन विशेष ATM का प्रयोग बैंकों द्वारा तब किया जाता है जब ग्राहक विभिन्न स्थानों पर उच्च भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होते है। कुछ निजी बैंक है जो व्हील्स पर ATM सेवा प्रदान करते हैं।

2.4.4. ATM के लाभ

स्वचालित टेलर मशीनें निम्नलिखित प्रकार से बैंको के साथ–साथ उनके ग्राहकों के लिए अधिक लाभदायक होते हैं–

1) **ग्राहकों के लिए–**

i) 24 घंटे (24×7) तथा पूरे (वर्ष में 365 दिन) सेवाओं की उपलब्धता।

ii) प्रदान की जाने वाली सेवाएँ अधिक शीघ्र तथा कुशल हैं।

iii) किए गए लेनदेन पूर्ण रूप से गोपनीय होते हैं।

iv) ATM की ओर से गलतियों की संभावना लगभग शून्य होती हैं।

v) बैंक की घरेलू शाखा के स्थान पर ध्यान दिए बिना, जहाँ कार्डधारक खाता खोलता हैं, कहीं भी सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता हैं।

vi) लेनदेन के संचालन में पर्याप्त लोच प्रदान किया जाता हैं।

vii) लिंक किए गए खातों से या उसके लिए निधि अंतरण की सुविधा भी उपलब्ध हैं।

viii) यह कहीं भी पैंकिंग सुविधा प्रदान करता हैं।

2) **बैंकों को–**

i) ग्राहकों को बैंक शाखा के कार्यकाजी घंटों के पश्चात् भी सेवा प्रदान की जा सकती हैं।

ii) अधिक संख्या में लेन–देन से लागत में कमी के साथ–साथ शाखाओं में भीड़–भीड़ भी होती हैं।

iii) एटीएम सेवाओं के प्रावधान को नइ शाखा खेलने के विकल्प के रूप में देखा जा सकता हैं।

iv) बैंको के परिचालन व्यय को अधिक सीमा तक न्यूनतम किया जाता हैं।

v) बैंक कर्मचारियों द्वारा हार्ड नकदी तथा नकदी हैंडलिंग की आदान–प्रदान से बचा जा सकता हैं।

vi) बाजार में प्रवेश में वृद्धि हुई हैं।

2.4.5. Disadvantages of ATMs

Following shortcomings are associated with the automated teller machines:

1) Substantial outflow of funds is involved in acquiring the machine and payment of 'network participation fee'.
2) Installation and network charges demand additional expenses.
3) Usage fee is payable on 'per transaction' or 'per month' basis.
4) Service fee for getting necessary support is also required to be paid.
5) Another additional expenditure is required to be borne in the form of communication charges for dial-up, leased lines, or wireless data links.

2.5. INTERNET BANKING

2.5.1. Meaning of Internet Banking

Internet Banking, E-Banking or Net Banking refers to a system under which a facility is provided to a bank customer having a personal computer and net connection to have an access to his / her bank's website for performing various banking transactions. This system considers the provision of a web enabled centralised database made available by a bank to its customers.

With the growing use of technology in banking and popularization of internet banking, the entire environment of banking industry is in the process of undergoing radical changes. Now-a-days, there is no need to visit a brick and mortar bank branch for conducting various transactions, like cash deposits, cash withdrawals, remittances, and request for a cheque book or statement of accounts.

These transactions can be carried out from the comfort of one's home / office at the click of a mouse. Such transactions are effected without referring them to the concerned bank branch, by the centralized hub of the bank on '24 × 7' basis. In the current banking scenario, all the banks are forced to offer (in fact already offering) internet banking in order to stay floated in the market. Internet banking is not only convenient as far as time and energy saving is concerned, it is cost-effective also (for the customers as well as for banks).

2.5.2. Internet Banking Services

The most widespread internet banking services are:

1) Debit Cards,
2) Credit Cards,
3) Internet Banking,
4) Automated Teller Machine,
5) Electronic Fund Transfer,
6) National Electronic Fund Transfer, and
7) Real Time Gross Settlement.

2.4.5. ATM की हानियाँ

निम्नलिखित हानियाँ स्वचालित टेलर मशीनों से संबंधित हैं–

1) मशीनों को प्राप्त करने तथा 'नेटवर्क भागीदारी शुल्क' के भुगतान में धन का पर्याप्त बाहिर्वाह शामिल हैं।
2) स्थापना एवं नेटवर्क शुल्क अतिरिक्त व्यय की माँग करते हैं।
3) उपयोग शुल्क 'प्रति–लेनदेन' या 'प्रति–माह' के आधार पर देय होता हैं।
4) आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए सेवा शुल्क का भुगतान करना भी आवश्यक हैं।
5) डायल–अप, लीज्ड लाइन या वायरलेस डेटा–लिंक के लिए संचार शुल्क के रूप में एक और अतिरिक्त व्यय वहन करने की आवश्यकता होती हैं।

2.5. इंटरनेट –बैंकिंग

2.5.1. इंटरनेट – बैंकिंग का अर्थ

इंटरनेट–बैंकिंग, ई–बैंकिंग या नेट बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली को सन्दर्भित करता है जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत कम्प्यूटर तथा नेट कनेक्शन रखने वाले बैंक के ग्राहक को विभिन्न प्रकार के बैंकिंग संव्यवहार करने के लिए बैंक की वेबसाइट तक पहुँच प्रदान की जाती है। यह प्रणाली बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए वेब समर्थित केन्द्रीकृत डेटाबेस के प्रावधान को ध्यान में रखती है।

बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग तथा इंटरनेट बैंकिंग की लोकप्रियता के साथ बैंकिंग उद्योग का समस्त वातावरण मूलभूत परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। वर्तमान में, नकद जमा, नकद निकासी, प्रेषण, चेक बुक या खातों के विवरण के लिए अनुरोध करने जैसे विभिन्न प्रकार के लेन–देन के लिए बैंकों की शाखा तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

ये सभी लेन–देन माउस के एक क्लिक पर घर/कार्यालय से आराम से किए जा सकते है। ऐसे लेनदेन को 24×7 के आधार पर बैंक के केन्द्रीकृत हब द्वारा सम्बन्धित बैंक शाखा को सन्दर्भित किए बिना प्रभावित किए जाते है। वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में, सभी बैंक बाजार में बने रहने के लिए (वास्तव में पहले से ही प्रस्तावित) इंटरनेट बैंकिंग प्रदान करने के लिए विवश है। इंटरनेट बैंकिंग न केवल समय एवं ऊर्जा की बचत के सम्बन्ध में सुविधाजनक है बल्कि यह लागत (ग्राहकों के साथ–साथ बैंकों) के लिए भी) प्रभावी है।

2.5.2. इंटरनेट–बैंकिंग सेवाएँ

अधिक व्यापक इंटरनेट–बैंकिंग सेवाएँ हैं–

1) डेबिट कार्ड,
2) क्रेडिट कार्ड,
3) इंटरनेट बैंकिग,
4) स्वचालित टेलर मशीन,
5) इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अथवा इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण,
6) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण, तथा
7) वास्तविक समय सकल भुगतान।

2.6. MOBILE/ PHONE BANKING (M-BANKING)

2.6.1. Introduction

Mobile banking (also known as M-Banking, SMS banking, etc.) is a form of internet banking, in which a mobile phone (instead of a Personal Computer) is used as a platform for conducting banking transactions. The facility of internet connection is provided by the concerned mobile service provider in the form of 'internet data'. Bank-specific apps are made available by the respective banks, which can be downloaded by the mobile / bank customers. Such apps are menu-driven and extremely user-friendly, which facilitate carrying out the desired transactions by the customers in a convenient manner. Someone has aptly defined mobile banking as under:

"Mobile Banking refers to provision and availment of banking and financial services with the help of mobile telecommunication devices. The scope of offered services may include facilities to conduct bank and stock market transactions, to administer accounts and to access customized information".

2.6.2. Technologies Enabling Mobile Banking

Mobile applications developed on any of the following mechanisms may be resorted to for the mobile banking:

1) **Interactive Voice Response (IVR):** IVR services function through pre-specified numbers, which are conveyed to the customers by their respective banks. A customer calling the IVR number of his / her bank is, at the outset greeted by a recorded message, which is followed by the main menu displaying various options to be selected by pressing the appropriate number, and following the instructions for carrying out the desired transaction.

   In case of any difficulty, the caller has an option of speaking to a bank representative, who guides the customer properly as to how to complete the transaction.

2.6. मोबाइल / फोन बैंकिंग (M –बैंकिंग)

2.6.1. परिचय

मोबाइल बैंकिंग (M–बैंकिंग, SMS बैंकिंग, आदि के रूप में भी जाना जाता है) इंटरनेट बैंकिंग का एक रूप है, जिसमें बैंकिंग लेनदेन के संचालन के लिए एक मोबाइल फोन (किसी कम्प्यूटर के स्थान पर) का उपयोग एक मंच के रूप में किया जाता है। इंटरनेट संपर्क / कनेक्शन की सुविधा संबंधित मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा 'इंटरनेट डेटा' के रूप में प्रदान की जाती है। बैंक विशिष्ट ऐप संबंधित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें मोबाइल / बैंक ग्राहक डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार के ऐप–मेनू चालित एवं अत्यंत उपयोगकर्ता के अनुकूल होते हैं, जो ग्राहकों द्वारा सुविधाजनक प्रकार से वांछित लेन–देन करने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसी व्यक्ति ने मोबाइल बैंकिंग को उपयुक्त रूप से निम्नुसार परिभाषित किया है।

"मोबाइल बैंकिंग से तात्पर्य मोबाइल दूरसंचार उपकरणों की सहायता से बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के प्रावधान तथा प्राप्ति से है। प्रस्तावित सेवाओं के क्षेत्र में बैंक तथा अंश बाजार में लेन–देन करने, खातों का प्रबंधन करने तथा अनुकूलित सूचना प्राप्त करने की सुविधाएँ शामिल हो सकती हैं।

2.6.2. मोबाइल–बैंकिंग को सक्षम करने वाली प्रौद्योगिकियाँ

मोबाइल बैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से किसी भी तंत्र पर विकसित मोबाइल एप्लिकेशन का सहारा लिया जा सकता है।

1) **इंटर एक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVR) –** IVR सेवाएँ पूर्व–निर्दिष्ट नंबरों के माध्यम से कार्य करती हैं, जो ग्राहकों को उनके संबंधित बैंको द्वारा बताई जाती हैं। अपने बैंक के IVR नंबर पर फोन करने वाले ग्राहक का एक अभिलिखित संदेश द्वारा स्वागत किया जाता है, जिसके पश्चात् मुख्य मेनू में उपयुक्त नंबर दबाकर विभिन्न विकल्पों को प्रदर्शित किया जाता है, तथा वांछित लेन–देन को पूरा करने के लिए निर्देशों का पालन किया जाता है। किसी भी कठिनाई के मामले में, फोन करने वाले के पास बैंक प्रतिनिधि से बात करने का विकल्प होता है, जो ग्राहक के लेनदेन को पूरा करने के बारे में उचित प्रकार से मार्गदर्शित करते हैं।

2) **Short Message Service (SMS):** Under this channel, text-messaging platform is used for conveying necessary information to the customer by his / her bank, and *vice-versa* (i.e. customer can also seek information from his / her bank). Information in respect of withdrawal from / deposits into the account, balances available in the account, services levied by the bank, etc. are some of the information which can be communicated through the channel of SMS.

3) **Wireless Application Protocol (WAP):** WAP offers a technology quite similar to that which is used for internet banking. However, its popularity graph is not as high as that of internet banking. This application envisages maintenance of WAP site by a bank, which can be accessed by its customers through a WAP-compliant browser. WAP provides fully secured interface to the customers of a bank.

An example of WAP-based services provided by Bank of America (BofA) to its customers in Hong Kong may be cited here. All the services pertaining to various enquiries / other banking transactions (including securities trading) can be undertaken by the customers of BofA anytime from anywhere.

4) **Standalone Mobile Applications:** Standalone Mobile Applications are considered to be the future of mobile banking, through which the most complicated banking transactions like securities trading can be accomplished with ease. In addition to the convenience of transactions, it is considered to be extremely robust, secured, and reliable platform of communication.

2.6.3. Mobile Banking Services

Mobile banking can offer services such as the following:

1) **Account Information:** It includes:
   - i) Mini-statements and checking of account history,
   - ii) Alerts on account activity or passing of set thresholds,
   - iii) Monitoring of term deposits,
   - iv) Access to loan statements,
   - v) Access to card statements,
   - vi) Mutual funds/equity statements,
   - vii) Insurance policy management,
   - viii) Pension plan management,
   - ix) Status on cheque, stop payment on cheque,
   - x) Ordering cheque books,
   - xi) Balance checking in the account,
   - xii) Recent transactions,
   - xiii) Due date of payment (functionality for stop, change and deleting of payments),
   - xiv) PIN provision, Change of PIN and reminder over the Internet,
   - xv) Blocking of (lost, stolen) cards.

2) **Payments, Deposits, Withdrawals and Transfers:** It includes:
   - i) Domestic and international fund transfers,
   - ii) Micro-payment handling,

2) **लघु संदेश सेवा (SMS)**– इस प्रणाली के अंतर्गत, ग्राहक को उसके बैंक द्वारा आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए पाठ–संदेश मंच का उपयोग किया जाता है, तथा इसके विपरीत (अर्थात् ग्राहक अपने बैंक से भी सूचना प्राप्त कर सकता है)। खाते से निकासी/जमा करने के संबंध में सूचना, खाते में उपलब्ध शेष राशि, बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ आदि अन्य ऐसी सूचनाएँ है, जिन्हें संदेश के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता हैं।

3) **वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल (WAP)**– WAP इंटरनेट बैंकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक के समान ही एक तकनीक प्रदान करता हैं। हालाँकि, इसकी लोकप्रियता का ग्राफ इंटरनेट बैंकिंग जितना उच्च नहीं हैं। इस एप्लिकेशन में एक बैंक द्वारा WAP साइट के रखरखाव की परिकल्पना की गई है, जिसे उसके ग्राहक WAP अनुपालक ब्राउज़र के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। WAP ग्राहकों को पूर्ण रूप से सुरक्षित इंटरफेस प्रदान करता हैं। बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) द्वारा हांगकागं में अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली WAP–आधरित सेवाओं का एक उदाहरण यहां दिया जा सकता हैं। विभिन्न पूछताछ/अन्य बैंकिंग लेनदेन (प्रतिभूति व्यापार सहित) से संबंधित प्रत्येक सेवाएँ बैंक ऑफ अमेरिका के ग्राहकों (BofA) के ग्राहकों द्वारा कहीं से भी किसी भी समय प्राप्त की जा सकती हैं

4) **स्टैण्डअलोन मोबाइल एपिलकेशन**– स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लिकेशन को मोबाइल बैंकिग का भविष्य माना जाता है, जिसके माध्यम से प्रतिभूति व्यापार जैसे अधिक जटिल बैंकिंग लेन–देन को सरलता से पूरा किया जा सकता हैं। लेन–देन की सुविधा के अतिरिक्त, इसे संचार का अत्यंत प्रबल, सुरक्षित तथा अविश्वसनीय मंच माना जाता हैं।

2.6.3. मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ

मोबाइल बैंकिंग निम्नलिखित सेवाओं को प्रस्तुत कर सकती हैं–

1) **खाता सूचना**– इसमें निम्न शामिल हैं–
   - i) लघु विवरण तथा खातों के इतिहास की जाँच करना,
   - ii) खाता गतिविधि या निर्धारित सीमा के पारित होने पर सावधान,
   - iii) सावधि जमा की निगरानी करना,
   - iv) ऋण–विवरण तक पहुँच करना,
   - v) कार्ड–विवरण तक पहुँच,
   - vi) म्युचुअल फंड/समता विवरण,
   - vii) बीमा पॉलिसी प्रबंधन
   - viii) पेंशन योजना प्रबंधन,
   - ix) चेक पर स्थिति, चेक पर भुगतान रोकना,
   - x) चेक बुक ऑर्डर करना,
   - xi) खाते में शेष राशि की जाँच करना,
   - xii) हाल ही के लेनदेन करना,
   - xiii) भुगतान की देय तिथि (भुगतान को रोकने, परिवर्तन तथा हटाने की कार्यक्षमता),
   - xiv) पिन प्रावधान, इंटरनेट पर पिन तथा रिमांइडर में परिवर्तन,
   - xv) (खाए, चोरी हुए) कार्डों को ब्लॉक करना।

2) **भुगतान, जमा, निकासी तथा हस्तांतरण**–इसमें निम्न शामिल हैं–
   - i) घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कोष हस्तांतरण,
   - ii) माइक्रो–पेमेंट हैंडलिंग,

iii) Mobile recharging,
iv) Commercial payment processing,
v) Bill payment processing,
vi) Peer to Peer payments,
vii) Withdrawal at banking agent,
viii) Deposit at banking agent.

3) **Investments:** It includes:
   i) Portfolio management services,
   ii) Real-time stock quotes,
   iii) Personalized alerts and notifications on security prices.

4) **Support:** It includes:
   i) Status of requests for credit, including mortgage approval and insurance coverage,
   ii) Check (cheque) book and card requests,
   iii) Exchange of data messages and email, including complaint submission and tracking,
   iv) ATM Location.

5) **Content Services:** It includes:
   i) General information such as weather updates, news,
   ii) Loyalty-related offers,
   iii) Location-based services.

2.6.4. Advantages of Mobile Banking

Mobile banking offers a convenient mode of undertaking various banking transactions. Its benefits are summarized in the following points:

1) Mobile banking can function by using the existing mobile connectivity provided by telecom operators. No separate internet connection is warranted;
2) Mobile phone users are empowered to perform a number of financial transactions through their mobile phones in a secured and convenient way;
3) Almost all the banking transactions (e.g. checking the account balance, recent transactions, transfer of funds, payment of utility bills, securities trading, hot-listing of debit / credit cards in case of theft / loss, etc.) can be undertaken through the mobile banking platform;
4) Mobile banking services are available twenty-four hours a day, seven-days a week, thirty-days a month, and three hundred sixty-five days a year. It is especially useful for the rural folks, who reside in remote areas, from where a brick & mortar bank branch is far off; and
5) As far as the security features of mobile banking are concerned, the same is viewed to be more secured than the online / internet banking.

2.6.5. Disadvantages of Mobile Banking

Mobile banking suffers from the following deficiencies in their operations:

1) The users of mobile banking facilities are exposed to the risk of receiving SMSes and calls from unauthorized persons seeking confidential and

iii) मोबाइल रिचार्जिंग,
iv) वाणिज्यिक भुगतान प्रसंस्करण,
v) बिल भुगतान–प्रसंस्करण,
vi) सहकर्मी से सहकर्मी भुगतान
vii) बैंकिंग एजेंट पर आहरण / निकासी,
viii) बैंकिंग एजेंट के पास जमा।

3) **निवेश**–इसमें शामिल हैं–
   i) पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ,
   ii) वास्तविक–समय स्कंध उद्धरण,
   iii) सुरक्षा कीमतों पर वास्तविक सुविधा तथा सूचनाएँ।

4) **समर्थन**–इसमें निम्न शामिल हैं–
   i) ऋण के लिए अनुरोधों की स्थिति, जिसमें बंधक अनुमोदन तथ बीमा व्याप्ति शामिल हैं,
   ii) चेक बुक तथा कार्ड के अनुरोध,
   iii) शिकायत प्रस्तुत करना तथा ट्रैकिंग सहित डेटा संदेशों तथा ई–मेल का आदान–प्रदान,
   iv) ATM का स्थान।

5) **सामग्री सेवाएँ**–इसमें निम्न शामिल हैं–
   i) सामान्य, सूचना जैसे मौसम अपडेट, समाचार,
   ii) वफादारी से संबंधित प्रस्ताव,
   iii) स्थान–आधारित सेवाएँ।

2.6.4. मोबाइल बैंकिंग के लाभ

मोबाइल बैंकिग विभिन्न बैंकिंग लेनदेन करने का एक सुविधाजनक माध्यम प्रदान करता हैं। इसके लाभों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया गया है–

1) मोबाइल बैंकिंग दूरसंचार परिचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्थित मोबाइल संयोजकता का उपयोग करके कार्य कर सकती हैं। अलग इंटरनेट संयोजक की आवश्यकता नहीं होती हैं।
2) मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सुरक्षित तथा सुविधाजनक प्रकार से विभिन्न वित्तीय लेन–देन करने का अधिकार होता हैं।
3) अधिकतर प्रत्येक बैंकिंग लेनदेन (जैसे खाते की शेष राशि की जाँच करना, वर्तमान लेनदेन खाते का हस्तांतरण, उपयोगिता बिलों का भुगतान, प्रतिभूति व्यापार, चोरी / हानि के मामले में डेबिट / क्रेडिट कार्ड की हॉट–लिस्टिंग आदि) मोबाइल बैंकिंग मंच के माध्यम से किए जा सकते हैं –
4) मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ 24 घंटे, सप्ताह के सातो दिन, महीने में 30 दिन तथा साल में 365 दिन उपलब्ध है। यह ग्रामीण लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो दूरदराज के क्षेत्रो में रहते हैं, जहाँ से एक ईंट तथा मोर्टार बैंक शखा अधिक दूर है; तथा
5) जहाँ तक मोबाइल बैंकिंग की सुरक्षा सुविधाओं का संबंध हैं, इसे ऑनलाइन / इंटरनेट बैंकिंग की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता हैं।

2.6.5. मोबाइल बैंकिंग की हानियाँ

मोबाइल बैंकिंग अपने संचालन में निम्नलिखित हानियों से ग्रस्त हैं–

1) मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं को किसी न किसी बहाने से गोपनीय तथा संवेदनशील डेटा माँगने वाले अनधिकृत व्यक्तियों से संदेश तथा फोन प्राप्त करने

2.8. UPI (UNIFIED PAYMENTS INTERFACE)

2.8.1. Meaning of UPI

An RBI-regulated entity, the National Payments Corporation of India (NPCI) developed an instant payment system which is known as **Unified Payments Interface (UPI).** This particular interface is designed to instantly transfer the funds between two bank accounts through a mobile platform.

In other words, it refers to a system that has the capacity to get multiple bank accounts into a single mobile application. It can merge many banking features, seamless routing, and merchant payments into a single application. Moreover, it also completes the "Peer to Peer" collection request which can be scheduled and paid according to prevailing conditions. All banks provide their own UPI App for Android, Windows, and iOS mobile platform(s).

2.8.2. Apps with UPI Feature in India

A few apps that provide UPI features in India are as follows:

1) Chillr;
2) Airtel Payments Bank;
3) BHIM App;
4) Uber;
5) Paytm;
6) PhonePe;
7) MobiKwik; and
8) Google Pay.

2.8.3. Features of UPI

The list of the features of UPI is as follows:

1) It instantly transfers funds through Immediate Payment Service (IMPS) which is quicker than NEFT.
2) The UPI is at the service around the clock. Moreover, it can be used on all public holidays.
3) Various bank accounts can be accessed through a single mobile application.
4) It uses a virtual payment address which happens to be a unique ID as provided by the bank.
5) Account number with IFS code, and Mobile Number with MMID or Mobile Money Identifier are used in it.
6) There is a requirement for an MPIN or Mobile Banking Personal Identification number to confirm each payment.
7) It is also available on USSD service where users can avail of the service just by dialing *99#. An individual can avail the services like fund transfer, sending money, requesting money, non-financial services, balance inquiry, and changing MPIN through it.

2.8. UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफेस)

2.8.1. UPI का अर्थ

RBI–विनियमित इकाई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित की है जिसे **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** के रूप में जाना जाता है। यह विशेष इंटरफेस एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दो बैंक खातों के मध्य तुरंत धनराशि स्थानांतरित करने के लिए तैयार किया गया है।

दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जो एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में विभिन्न बैंक खातों को लाने की क्षमता रखती है। यह विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध मार्ग एवं व्यापारी के भुगतान को एक ही एप्लिकेशन में विलय कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह "पीयर टू पीयर" संग्रह अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे मौजूदा स्थितियों के अनुसार निर्धारित तथा भुगतान किया जा सकता है। सभी बैंक एंड्रॉइड, विंडोज तथा iOS मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए अपना स्वयं का UPI ऐप प्रदान करते हैं।

2.8.2. भारत में UPI सुविधाओं वाले ऐप्स

भारत में UPI सुविधाएँ प्रदान करने वाले कुछ ऐप्स इस प्रकार हैं–

1) चिल्लर;
2) एयरटेल पेमेंट्स बैंक;
3) भीम ऐप;
4) उबेर;
5) पेटीएम;
6) फोनपे;
7) मोबिक्विक; तथा
8) गूगल पे।

2.8.3. UPI की विशेषताएँ

UPI की विशेषताओं की सूची निम्न प्रकार है–

1) यह तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) के माध्यम से तुरंत धनराशि स्थानांतरित करता है जो NEFT से भी तेज है।
2) UPI का प्रयोग बिना किसी अवकाश के चौबीसों घंटा किया जा सकता है।
3) एक ही मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों से लेनदेन किया जा सकता है।
4) यह एक वर्चुअल भुगतान पते का उपयोग करता है जो बैंक द्वारा प्रदान की गई एक अद्वितीय ID होती है।
5) इसमें IFS कोड वाला खाता नंबर तथा MMID या मोबाइल मनी आइडेंटिफायर वाला मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाता है।
6) प्रत्येक भुगतान की पुष्टि के लिए एक MPIN या मोबाइल बैंकिंग व्यक्तिगत पहचान संख्या की आवश्यकता होती है।
7) यह USSD सेवा पर भी उपलब्ध है जहाँ उपयोगकर्ता केवल *99# डायल करके सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति इसके माध्यम से निधि हस्तांतरण, पैसे भेजना, पैसे का अनुरोध करना, गैर–वित्तीय सेवाएँ, शेष राशि की जाँच करना और MPIN बदलने जैसी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है।

8) A particular UPI is provided by every bank for different platforms of Android, Windows, and IOS. It depends upon the banks whether they charge for the UPI services.
9) Bill sharing facility is available.
10) The particular platform is suitable for doing merchant payments, utility bill payments, in-app payments, OTC payments, Barcode barcode-based payments.
11) The option to file a complaint from the Mobile App directly is available on this platform.

2.8.4. Mechanism/Process of UPI

The downloading of the bank's UPI-enabled mobile application is the first step for processing UPI. A person can access the particular application on the Google Play Store for Android phones and on the App Store for iPhones. By visiting the bank's website, the person can obtain a direct link. Once downloading the mobile application he has to create his profile by entering his details like name, virtual ID, and password.

The virtual ID created by the person becomes the user's payment address. After that, the user or the person has to visit the Add/Link/Manage Bank Account option on the app to link his bank and account number with the virtual ID created previously.

The steps to send and receive money through UPI are as follows:

1) **Sending Money Using Virtual Address:** Once registering UPI successfully, the user has to follow the steps to send money through UPI:
   i) Initially, he has to login to his UPI application;
   ii) He then has to select the option of Send Money/Payment in the UPI section after successful login;
   iii) Thereafter, he has to enter the beneficiary's/Payee's virtual ID, amount, and select the account to be debited;
   iv) Next, he will move to the confirmation screen where he is asked to click on the confirm button after reviewing the payment details.
   v) He then has to enter his UPI PIN; and
   vi) Finally, he will receive the successful or failure message.

2) **Requesting Money Using Virtual Address:** The user needs to follow the below procedure for receiving money from a person or for requesting it from anyone.
   i) Initially, he has to login to his UPI application with the bank.
   ii) Once login into the application, he has to select the option "request for payment" in the UPI section.
   iii) He then has to enter remitters/payers' virtual ID, amount, and account to be credited.

8) प्रत्येक बैंक द्वारा एंड्रॉइड, विंडोज तथा IOS के विभिन्न प्लेटफार्मों के लिए एक विशेष UPI प्रदान किया जाता है। यह बैंकों पर निर्भर करता है कि वे UPI सेवाओं के लिए शुल्क लेते हैं या नहीं।
9) बिल साझा करने की सुविधा उपलब्ध है।
10) विशेष प्लेटफॉर्म व्यापारी भुगतान, उपयोगिता बिल भुगतान, इन–ऐप भुगतान, OTC भुगतान, बारकोड बारकोड-आधारित भुगतान करने के लिए उपयुक्त है।
11) इस प्लेटफॉर्म पर सीधे मोबाइल ऐप से शिकायत दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध होता है।

2.8.4. UPI तंत्र/प्रक्रिया

बैंक के UPI–सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड करना UPI प्रसंस्करण के लिए प्रथम चरण है। कोई व्यक्ति एंड्रॉइड फोन में Google Play Store तथा iPhones में ऐप स्टोर पर विशेष एप्लिकेशन तक पहुंच सकता है। बैंक की वेबसाइट पर जाकर, व्यक्ति सीधा लिंक प्राप्त कर सकता है। एक बार मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के पश्चात उसे अपना विवरण जैसे नाम, वर्चुअल आईडी तथा पासवर्ड दर्ज करके अपनी प्रोफाइल बनानी होती है।

व्यक्ति द्वारा बनाई गई वर्चुअल आईडी उपयोगकर्ता का भुगतान पता बन जाती है। इसके बाद यूजर या व्यक्ति को अपने बैंक तथा खाता नंबर को पहले से बनाई गई वर्चुअल आईडी से लिंक करने के लिए ऐप पर Add/Link/Manage Bank Account विकल्प पर जाना होगा।

UPI के माध्यम से पैसे भेजने तथा प्राप्त करने के चरण निम्न प्रकार है–

1) **वर्चुअल पते का उपयोग करके पैसे भेजना**– एक बार सफलतापूर्वक UPI पंजीकृत करने के बाद, उपयोगकर्ता को UPI के माध्यम से पैसे भेजने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा–
   i) प्रारंभ में, उसे अपने UPI एप्लिकेशन में लॉग इन करना होगा;
   ii) सफल लॉगिन के बाद उसे UPI अनुभाग में पैसे भेजें/भुगतान का विकल्प चुनना होगा;
   iii) इसके बाद, उसे लाभार्थी/प्राप्तकर्ता की वर्चुअल आईडी, राशि दर्ज करनी होगी तथा डेबिट किए जाने वाले खाते का चयन करना होगा;
   iv) इसके बाद, वह पुष्टिकरण स्क्रीन पर जाएगा जहाँ उसे भुगतान विवरण की समीक्षा करने के बाद पुष्टिकरण बटन पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा।
   v) फिर उसे अपना UPI पिन दर्ज करना होगा; तथा
   vi) अंत में, उसे सफल या असफल संदेश प्राप्त होगा।

2) **वर्चुअल पते का उपयोग करके धन का अनुरोध करना**–उपयोगकर्ता को किसी व्यक्ति से धन प्राप्त करने या किसी से अनुरोध करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
   i) प्रारंभ में, उसे बैंक के साथ अपने UPI एप्लिकेशन में लॉग इन करना होगा।
   ii) एक बार एप्लिकेशन में लॉग इन करने के बाद, उसे UPI अनुभाग में "भुगतान के लिए अनुरोध" विकल्प का चयन करना होगा।
   iii) फिर उसे प्रेषक/भुगतानकर्ता की वर्चुअल आईडी, राशि तथा क्रेडिट किए जाने वाले खाते को दर्ज करना होगा।

8) **Notifications:** Whenever there is an update on the status of user's recent transactions, UPI-enabled apps send notifications.

2.8.6. Advantages/Benefits of UPI

The various benefits of UPI are as of the following:

1) **Benefits for Banks:** The benefits for banks associated with UPI are given below:
   i) It involves single-click two-factor authentications.
   ii) It is a universal application for transactions.
   iii) It leverages existing infrastructure.
   iv) It is safer, secure, and innovative.
   v) There is a payment basis single/unique identifier.
   vi) It is useful to carry out seamless merchant transactions.

2) **Benefits for End Customers:** The benefits for end customers associated with UPI are given below:
   i) It is available round the clock.
   ii) It is a single application to access various bank accounts.
   iii) The use of Virtual ID proves itself to be more secure. There is no opportunity for credential sharing.
   iv) It involves single click authentication.
   v) The user can raise the compliant from mobile app directly.

3) **Benefits for Merchants:** The benefits for merchants associated with UPI are given below:
   i) It involves seamless fund collection from customers using single identifiers.
   ii) There is no risk of storing the customer's virtual address like in cards.
   iii) It identifies customers who do not have credit or debit cards.
   iv) It is suitable for e-Com & m-Com transactions.
   v) It resolves the collection problem associated with COD.
   vi) There is a single click 2FA facility to the customer – seamless Pull.
   vii) It facilitates the In-App Payments (IAP).

2.9. E-PAYMENT'S MECHANISM OF BANKS

E-payment system has evolved the emergence of the e-commerce which facilities buying and selling of goods and services online. It essentially involves electronic payment through debit and credit cards, internet banking and other pre-paid and smart cards via an Automated Clearing House (ACH) network.

8) सूचनाएँ–जब भी उपयोगकर्ता के हालिया लेनदेन की स्थिति पर कोई अपडेट होता है, तो UPI –सक्षम ऐप्स सूचनाएँ भेजते हैं।

2.8.7. UPI के फायदे/लाभ

UPI के विभिन्न लाभ निम्न प्रकार हैं–

1) **बैंकों के लिए लाभ**–UPI से जुड़े बैंकों के लिए लाभ नीचे दिए गए हैं–
   i) इसमें एकल क्लिक दो कारक प्रमाणीकरण शामिल है।
   ii) यह लेनदेन के लिए एक सार्वभौमिक एप्लिकेशन है।
   iii) यह मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ प्राप्त करता है।
   iv) यह अधिक सुरक्षित, संरक्षित एवं नवीन है।
   v) भुगतान के आधार पर एकल/विशिष्ट पहचानकर्ता है।
   vi) यह निर्बाध व्यापारिक लेनदेन करने के लिए उपयोगी है।

2) **अंतिम ग्राहकों के लिए लाभ**– UPI से जुड़े अंतिम ग्राहकों के लिए लाभ नीचे दिए गए हैं–
   i) यह चौबीसों घंटे कार्य करता है।
   ii) यह विभिन्न बैंक खातों तक पहुंचने के लिए एक एकल एप्लिकेशन है।
   iii) वर्चुअल आईडी का उपयोग स्वयं को अधिक सुरक्षित साबित करता है। साख साझा करने का कोई अवसर नहीं होता है।
   iv) इसमें सिंगल क्लिक प्रमाणीकरण शामिल है।
   v) उपयोगकर्ता सीधे मोबाइल ऐप से शिकायत दर्ज कर सकता है।

3) **व्यापारियों के लिए लाभ**– UPI से जुड़े व्यापारियों के लिए लाभ नीचे दिए गए हैं–
   i) इसमें एकल पहचानकर्ताओं का उपयोग करके ग्राहकों से निर्बाध तरीके से धन का संग्रह शामिल है।
   ii) कार्ड की तरह ग्राहक का वर्चुअल पता संग्रहीत करने का कोई जोखिम नहीं होता है।
   iii) यह उन ग्राहकों की पहचान करता है जिनके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं हैं।
   iv) यह ई–कॉम तथा m–कॉम लेनदेन के लिए उपयुक्त होता है।
   v) यह COD से जुड़ी संग्रहण समस्या का समाधान करता है।
   vi) ग्राहक के लिए सिंगल क्लिक 2FA सुविधा प्रदान करता है – अर्थात सीमलेस पुल।
   vii) यह इन–ऐप भुगतान (IAP) की सुविधा प्रदान करता है।

2.9. बैंकों की ई–भुगतान प्रणाली (तंत्र)

ई–भुगतान प्रणाली से ई–कॉमर्स का उद्भव हुआ है जो वस्तुओं एवं सेवाओं को ऑनलाइन खरीदने तथा बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें अनिवार्य रूप से ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (ACH) नेटवर्क के माध्यम से डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग तथा अन्य प्री–पेड एवं स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करना शामिल है।

In India, there are various payments and settlement systems, both gross and net settlement systems. The gross settlement system in India includes Real-Time Gross Settlement (RTGS) system and the net settlement systems include Electronic Clearing Services (ECS Credit), Electronic Clearing Services (ECS Debit), credit cards, debit cards, the National Electronic Fund Transfer (NEFT) system, Immediate Payment Service, Unified Payments Interface (UPI), etc.

The RBI is taking measures to encourage alternative methods of payments which would ensure security and efficiency of the payment systems and make the entire process easier for banks.

Some of the important e-payment mechanisms used by banks are as follows:

भारत में, विभिन्न भुगतान एवं निपटान प्रणालियाँ हैं, सकल तथा शुद्ध निपटान दोनों प्रणालियाँ है। भारत में सकल निपटान प्रणाली में वास्तविक समय सकल भुगतान (RTGS) प्रणाली शामिल है और शुद्ध निपटान प्रणालियों में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (ECS Credit),, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (ECS Debit), क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) प्रणाली, तत्काल भुगतान सेवा, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI), आदि शामिल है।

RBI भुगतान के वैकल्पिक विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय कर रहा है जो भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा तथा दक्षता सुनिश्चित करेगा तथा बैंकों के लिए पूरी प्रक्रिया को आसान बना देगा।

बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ई–भुगतान प्रणाली निम्न प्रकार हैं–

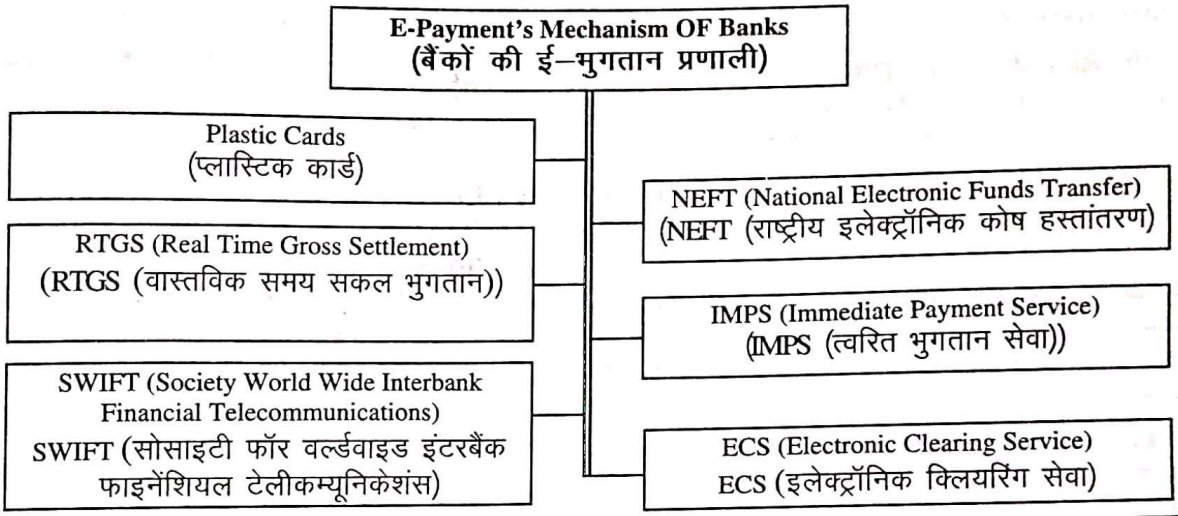

2.10. PLASTIC CARDS

2.10.1. Concept of Plastic Cards/Money

A new and more convenient method of paying for products and services is **plastic money**, often known as **polymer money**. Since its invention in the 1950s, it has become a crucial type of ready money that lowers the risk associated with handling large sums of cash. Debit cards, ATMs, smart cards, etc. are few examples of plastic cards.

The sole difference between plastic cards and paper notes is that plastic cards are safer. Carrying a large amount of cash while traveling and shopping is extremely insecure and increases crime. Therefore, the problem of carrying large amounts of cash is resolved by the introduction of cards. As a result, the cards are known as plastic money.

The use of plastic money (Cards) has expanded as a mode of payment for large sums. As time goes on, a variety of new types of plastic money have been introduced with new features. As the world is becoming more globalized, every card is now accepted worldwide thanks to the power of VISA, which connects many nations.

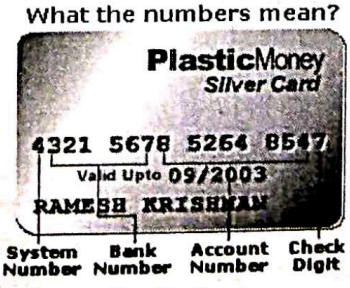

Credit Card

2.10. प्लास्टिक कार्ड

2.10.1. प्लास्टिक कार्ड/मुद्रा की अवधारणा

उत्पादों तथा सेवाओं के लिए भुगतान का एक नया एवं अधिक सुविधाजनक विधि **प्लास्टिक मुद्रा** है, जिसे प्रायः **पॉलिमर मुद्रा** के रूप में जाना जाता है। 1950 के दशक में इसके आविष्कार के बाद से, यह एक महत्वपूर्ण प्रकार की तैयार मुद्रा बन गई है जो अधिक मात्रा में नकदी रखने से जुड़े जोखिम को कम करती है। डेबिट कार्ड, एटीएम, स्मार्ट कार्ड आदि प्लास्टिक कार्ड के कुछ उदाहरण हैं।

प्लास्टिक कार्ड तथा कागजी नोट के बीच एकमात्र अंतर यह है कि प्लास्टिक कार्ड सुरक्षित होते हैं। यात्रा तथा खरीदारी के दौरान अधिक मात्रा में नकदी ले जाना बेहद असुरक्षित है तथा इससे अपराध में वृद्धि होती है। इसलिए, कार्ड के प्रचलन से अधिक मात्रा में नकदी ले जाने की समस्या हल हो गई है। परिणामस्वरूप, कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है।

बड़ी रकम के भुगतान के साधन के रूप में प्लास्टिक मुद्रा (कार्ड) का उपयोग बढ़ गया है। जैसे–जैसे समय बीत रहा है, नई सुविधाओं के साथ कई प्रकार की प्लास्टिक मुद्रा पेश की गई हैं। जैसे–जैसे विश्व अधिक वैश्वीकृत होती जा रही है, वीजा की शक्ति के कारण अब हर कार्ड दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है, जो कई देशों को जोड़ता है।

2.11. NEFT (NATIONAL ELECTRONIC FUNDS TRANSFER)

2.11.1. Introduction

Providing a superior customer service, including a system of prompt transfer of funds, is no longer a distant dream for banks. With the help of cutting edge technology like latest computers and communication facilities, the bankers dream has come true, distance has become irrelevant in extending various services to customers. With the introduction of Electronic Fund Transfer mechanism, it has become possible to transfer funds across the country in a swift and efficient manner. Consequent upon the acceptance of recommendations of Saraf Committee which was set up in 1994 by RBI on 'technology issues in the payment and settlement system', the above mechanism started operating at the national level.

The committee had recommended a hybrid system wherein both the paper-based and electronic-based systems for message transmission could co-exist. It had further suggested hourly batching of the cases pertaining to high value institutional fund transfers, which was accepted and implemented. Reserve Bank of India was designated as the service provider and the system regulator.

2.11. NEFT(राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण)

2.11.1. परिचय

एक बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करना, जिसमें धन के त्वरित हस्तांतरण की प्रणाली शामिल हैं, अब बैंको के लिए कोई दूर का सापना नहीं हैं। नवीनतम कम्प्यूटर तथा संचार सुविधाओ जैसी अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से बैकंरो का सपना सच हो गया है, ग्राहकों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने में दूरी अप्रासंगिक हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण तंत्र के आगमन के साथ, सपूंर्ण देश में तीव्रता एवं कुशल प्रकार से कोष हस्तांतरण करना संभव हो गया हैं। सराफ समीति की सिफरिशों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, जिसे RBI द्वारा 1994 में 'भुगतान तथा समाधान प्रणाली में प्रौद्योगिकी के समस्याओं, पर स्थापित किया गया था, उपरोक्त तंत्र ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना प्रारंम्भ कर दिया हैं।

समीति ने एक हाइब्रिड प्रणाली की सिफारिश की थी जिसमें संदेश प्रसारण के लिए कागज आधारित तथा इलेक्ट्रॉनिक आधारित दोनों प्रणालियाँ सहअस्तित्व में हो सकती हैं। इसने उच्च मूल्य वाले संस्थागत कोष हस्तांतरण से संबंधिति मामलों की प्रति घंटा बैचिंग का सुझाव दिया था जिसे स्वीकार तथा कार्यान्वित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक को सेवा प्रदाता तथा प्रणाली नियामक के रूप में नामित किया गया था।

NEFT refers to the National Electronic Funds Transfer (NEFT). It is an electronic payment system, where a person is transferring fund from an account to other account. More elaborately, an individual or a firm or any corporate is allowed to carry out transactions through NEFT just by transferring fund from an account to the account of any branch of the bank.

2.11.2. Persons Involved in NEFT Transaction

The customer is approved to avail the service of NEFT, only when he is a customer of the branch or when he holds his account in that branch provided that the branch must be a participating branch. The participating branches of a bank are those branches which are allowed to provide the service of NEFT to their customers only after getting approval from Reserve bank of India.

Nevertheless, an individual can carry out the transaction of NEFT even though he does not have any account in the participating branch of the bank. As, the person can avail the service of NEFT just by making deposits in the participating branch but he has to furnish his entire information like address, email ID, contact number, and more information. In this case, the individual is allowed to avail NEFT only upto the extent of ₹50,000.

2.11.3. Process of NEFT

Step-wise process of NEFT is as following:

Step 1: Role of Customer: The prescribed application form for remitting fund through NEFT is required to be filled in and submitted by a bank customer desirous of availing the remittance facility through NEFT. The said application authorizes the bank to debit the customer's account and remit the amount to the credit of beneficiary's account.

Step 2: Role of Sending Bank: The sending bank is required to display in its notice board the cut-off time upto which its customers can furnish the application forms for remitting funds through NEFT. On receipt of an application for remittance through NEFT, the sending bank has to transmit the message through 'Structured Financial Messaging System' (SFMS) to 'sending service centre' for processing and uploading of data at their end. The SFMS message received from the sending bank is onward forwarded by the 'sending service centre' to the national level 'NEFT clearing centre' (National Clearing Cell) through the communication network designated by Reserve Bank.

Step 3: Role of Clearing Centre: The National Clearing Cell (NCC), which is part of RBI and located at Free Press House, Nariman Point, Mumbai, acts as the data processing NEFT clearing centre. All the transactions get settled at NCC on the basis of SFMS messages received through the service centres, after validation of the said data.

Step 4: Role of Receiving Bank: The receiving NEFT service centre, immediately on receipt of SFMS message from NCC, transmits the files, after due processing, to the destination branch through the SFMS. The receiving NEFT service centre has also an option to use the 'Straight

NEFT का अर्थ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण (NEFT) है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है, जहाँ एक व्यक्ति एक खाते से दूसरे खाते में कोष हस्तांतरण करता हैं। अधिक विस्तृत रूप से, किसी व्यक्ति फर्म या किसी निगम को केवल किसी खाते से एवं बैंक की किसी भी शाखा के खाते में कोष हस्तांतरण करके NEFT के माध्यम से लेन–देन करने की अनुमति हैं।

2.11.2. NEFT लेन–देन में शामिल व्यक्ति

ग्राहक को NEFT की सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए तभी स्वीकृत किया जाता है, जब वह शाखा का ग्राहक को या जब वह उस शाखा में अपना खाता रखता हो बशर्ते कि शाखा एक सहभागी शाखा होनी चाहिए। किसी बैंक की भाग लेने वाली शाखाएँ वे शाखाएँ होती है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने की पश्चात् ही अपने ग्राहकों को NEFT की सेवा प्रदान करने की अनुमति होती हैं। वास्तव में, कोई व्यक्ति NEFT का लेन–देन कर सकता है, भले ही उसका बैंक की सहभागी शाखा में कोई खाता न हों। जैसा कि, व्यक्ति केवल भाग लेने वाली शाखा में जमा करके NEFT की सेवा का लाभ प्राप्त कर सकता हैं। परंतु उसे अपनी पूरी सूचना जैसे– पता, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर तथा आदि सूचना प्रस्तुत करनी होंगी। इस मामले में, व्यक्ति को केवल ₹50,000 की सीमा तक NEFT का लाभ उठाने की अनुमति हैं।

2.11.3. NEFT की प्रक्रिया

NEFT की चरण–वार प्रक्रिया निम्न प्रकार हैं–

चरण 1–ग्राहक की भूमिका–NEFT के माध्यम से धन के प्रेषण के माध्यम से प्रेषण सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक बैंक ग्राहक को NEFT के माध्यम से धन भेजने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना तथा जमा करना आवश्यक होता हैं। उक्त आवेदन बैंक को ग्राहक के खाते से डेबिट करने तथा राशि को लाभार्थी के खाते में जमा करने के लिए अधिकृत करता हैं।

चरण 2–प्रेषक बैंक की भूमिका–भेजने वाले बैंको को अपने नोटिस बोर्ड में उस कट–ऑफ समय को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि उसके ग्राहक NEFT के माध्यम से धन प्रेषण के लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकते है। NEFT के माध्यम से प्रेषण के लिए एक आवेदन प्राप्त होने पर, भेजने वाले बैंक को 'संरचित वित्तीय संदेश व्यवस्था (एसएफएमएस) के माध्यम से 'प्रेषित सेवा केंद्र, के माध्यम से डेटा को संसाधित करने के लिए संदेश प्रसारित करना होता है। भेजने वाले बैंक से SFMS संदेश रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट संचार नेटवर्क के माध्यम से 'प्रसारित करने वाले सेवा केंद्र, द्वारा राष्ट्रीय स्तर के 'NEFT समाशोधन केंद्र (राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष) को अग्रेषित किया जाता हैं।

चरण 3–समाशोधन केंद्र की भूमिका–राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष (NCC), जो RBI का भाग है तथा फ्री प्रेस हाउस, नरीमन बिंदु मुंबई में स्थित है, डेटा प्रौद्योगिकी NEFT समाशोधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। उक्त डेटा के सत्यापन के पश्चात् सेवा केंद्रों के माध्यम से प्राप्त (SFMS) संदेशों के आधार पर प्रत्येक लेन–देन NCC में व्यवस्थित हो जाते हैं।

चरण 4–प्राप्तकर्ता बैंक की भूमिका–प्राप्तकर्ता NEFT सेवा केंद्र, NCC से SFMS संदेश प्राप्त होने के शीघ्र पश्चात् फाइलों को SFMS के माध्यम से गंतव्य शाखा में उचित प्रसंस्करण के पश्चात् प्रेषित करता हैं। प्राप्त करने वाले NEFT सेवा केंद्र के पास SFMS में उपलब्ध प्रत्यक्ष प्रोसेसिंग इंटरफेस का उपयोग

2.12. RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT)

2.12.1. Introduction

The system of Real Time Gross Settlement (RTGS) provides fund transfer from one bank branch to another on a "real-time" and "gross" basis. The twin characteristics of the mechanism, i.e., 'real time' and 'gross' are indicative of the facts that the transactions are settled as and when they take place without any time gap (real time) and they are settled individually without any bunching or netting thereof (gross settlement). As the system is managed by Reserve Bank of India, all the transactions are final and irreversible. There is a restriction with regard to the minimum value of ₹2,00,000 and maximum value of ₹10,00,000 which can be undertaken through RTGS in a day. Risks associated with the settlement in inter-bank and high-value transactions have been totally removed under the RTGS system.

2.12.2. Objectives of RTGS

The system of RTGS was launched with the following objectives in view:

1) To provide total protection to the core assets (though intangible) of the banking system, viz. the brand name and customer relationship.
2) Widening of the customer base and strengthening thereof.
3) To bring down the existing cost of undertaking transactions which includes the high-value transactions.
4) To search new avenues to be used as additional source of revenue for the banks.

2.12.3. Process of RTGS

RTGS system, which is managed by Reserve Bank of India, involve following step-wise processes:

1) The receipt of payment instruction and message from the issuing and paying bank authorizes the technical operator of the Central Processor.

2.12. RTGS (वास्तविक समय सकल भुगतान)

2.12.1. परिचय

'वास्तविक समय सकल भुगतान' (RTGS) की प्रणाली "वास्तविक समय" तथा "सकल" आधार पर एक बैंक शाखा से दूसरी बैंक में निधि/कोष हस्तांतरण प्रदान करती है। इस तंत्र की दोहरी विशेषताएँ अर्थात् 'वास्तविक समय' तथा 'सकल' इस तथ्य का संकेत हैं, कि लेनदेन बिना किसी समय अंतराल (वास्तविक समय) के होते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से बिना किसी जनसमूह के व्यवस्थित होते हैं चूँकि यह प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, प्रत्येक लेनदेन अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होते हैं। वास्तविक समय सकल भुगतान में न्यूनतम राशि ₹2 लाख से अधिक तथा अधिकतम राशि ₹10 लाख होनी चाहिए। RTGS प्रणाली के अंतर्गत अंतर बैंक व उच्च मूल्य के लेनदेन में समाधान से सम्बन्धित जोखिम को पूरी तरह से हटा दिया जाता है।

2.12.2. वास्तविक समय सकल भुगतान (RTGS) के उद्देश्य

RTGS की प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भ किया गया था–

1) बैंकिंग प्रणाली की मूल संपत्ति (हालाँकि अमूर्त) को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना अर्थात् ब्राण्ड नाम तथा ग्राहक संबंध।
2) ग्राहक आधार का विस्तार करना तथा उसे सुदृढ़ करना।
3) लेन–देन करने में विद्यमान लागत को न्यूनतम करने के लिए जिसमें उच्च मूल्य के लेन–देन शामिल होते हैं।
4) बैंको के लिए राजस्व के अतिरिक्त स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले नए रास्ते की तलाश करना।

2.12.3. RTGS की प्रक्रिया

RTGS प्रणाली, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है, इसमें निम्नलिखित चरण प्रक्रियाएँ शामिल हैं–

1) निर्गमनकर्ता तथा भुगतान करने वाले बैंक से भुगतान निर्देश तथा संदेश की प्राप्ति केंद्रीय प्रक्रिया की तकनीकी प्रोसेसर को अधिकृत करती हैं।

2) After receiving payment instruction and message, the next step taken by the Central Processor is to strip the message and forward the sub-set of the instruction and message to the Reserve Bank of India along with the relevant details, viz. amount, identity of the issuing and receiving bank, etc. for the settlement of the transaction.

3) The transactions are thereafter settled in the records of the Reserve Bank of India by debiting the account of issuing bank and crediting the account of receiving bank. Once the settlement has been completed in RBI books, the same cannot be reversed. The confirmation of having settled the transactions is communicated to the Central Processor.

4) Appropriate message with details of transaction is conveyed by the Central Processor to the issuing bank as well as the receiving bank.

2.12.4. Advantages of RTGS

RTGS system is beneficial for all the participants involved in the transaction, which may be seen from the following:

1) **Certainty of Payment:** As mentioned above, settlement of all the transactions under RTGS system takes place on an irreversible basis and therefore they are final. As a result, the beneficiary's account is credited immediately. This is against the erstwhile paper-based system, wherein it was not always possible to give immediate credit in case of some technical glitch, like incorrect account details, foreign accounts, etc.

2) **Faster Collection of Funds:** The movement of funds is done quickly due to the technological advantage being in favour of RTGS. The faster collection of funds results in considerable reduction in the working capital cycle of the receiver.

3) **No Settlement Risk:** Settlement risk is negligible under RTGS system due to the irreversible nature of settlement and it is final. There exists no room for subsequent returns.

4) **Improved Liquidity Management:** As RTGS offers movement of funds within the system between banks without any hindrance. There is substantial improvement in bank's liquidity management.

5) **Less Fraud and Less Processing Cost:** Under the paper-based clearing system, the processing costs and the risk of frauds were at a higher level. They are minimized significantly under RTGS.

2.12.5. Disadvantages of RTGS

The following are the limitations of RTGS:

1) This service is only available to the customers of the banks whereas the non-customers cannot avail this service without being a client of the bank.

2) The customer cannot avail this service unless the amount of transaction is more than 1 Lakh.

2) भुगतान निर्देश तथा संदेश प्राप्त करने के पश्चात्, केंद्रीय प्रोसेसर द्वारा उठाया गया अगला चरण संदेश को अलग करना तथा निर्देश एवं संदेश के उप–समूह को संबंधित विवरण के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित करना है अर्थात् लेन–देन के समाधान के लिए राशि, जारीकर्ता तथा प्राप्त करने वाले बैंक की पहचान आदि करना है।

3) उसके पश्चात् जारीकर्ता बैंक के खाते को डेबिट करके तथा प्राप्त करने वाले बैंक के खाते में क्रेडिट करके लेन–देन को भारतीय रिजर्व बैंक के विवरण में व्यवस्थित किया जाता है। एक बार आर. बी. आई की पुस्तकों में व्यवस्था पूरा हो जाने के पश्चात् उसको दोबारा नहीं किया जा सकता हैं। लेन–देन के व्यवस्था की पुष्टि केंद्रीय प्रोसेसर को सूचित की जाती हैं।

4) केंद्रीय प्रोसेसर द्वारा जारीकर्ता बैंक के साथ–साथ प्राप्तकर्ता बैंक को लेन–देन के विवरण के साथ उपयुक्त संदेश दिया जाता हैं।

2.12.4. RTGS के लाभ

RTGS प्रणाली लेन–देन में शामिल प्रत्येक प्रतिभागियों के लिए लाभदायक हैं, जिसे निम्नलिखित बिदुओं द्वारा दर्शाया गया हैं–

1) **भुगतान की निश्चितता**–जैसा कि उपयुक्त उल्लेख किया गया है, RTGS प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन का समाधान अपरिवर्तनीय आधार पर होता है, तथा इसलिए वे अंतिम होते है। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी के खाते में तुरंत क्रेडिट किया जाता है। यह पूर्ववती पेपर– आधारित व्यवस्था के विरूद्ध है, जिसमें गलत खाता विवरण, विदेश खाता आदि जैसी अन्य तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में, तत्काल क्रेडिट होना सदैव संभव नहीं था।

2) **निधियों का तीव्रता से संग्रह**–तकनीकी लाभ RTGS के पक्ष में होने के कारण निधि का आदान–प्रदान शीघ्रता से हो जाता हैं। धन के शीघ्रता से संग्रह के परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ता के कार्यशील पूंजी चक्र में अधिक कमी आयी हैं।

3) **कोई समाधान जोखिम नहीं**–निपटान की अपरिवर्तनीय प्रकृति के कारण RTGS प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्था जोखिम नगण्य व अंतिम होती हैं। बाद के प्रतिफल के लिए कोई जगह नहीं होती हैं।

4) **बेहतर तरलता प्रबंधन**–चूँकि RTGS बिना किसी अवरोध के बैंको के मध्य प्रणाली के अतंर्गत धन की आवाज ही प्रदान करता हैं बैंक के तरलता प्रबंधन में पर्याप्त सुधार हुआ हैं।

5) **कम धोखाधड़ी एवं न्यूनतम प्रसंस्करण लागत**–कागज आधरित समाशोधन प्रणाली के अंतर्गत, प्रसंस्करण लागत तथा धोखाधड़ी का जोखिम उच्च स्तर पर था। RTGS के अंतर्गत इन्हें अत्यधिक न्यूनतम किया गया हैं।

2.12.5. RTGS की हानियाँ

RTGS की हानियाँ निम्नलिखित हैं–

1) यह सेवा केवल बैंको के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होता है, तथा गैर ग्राहक अर्थात् बैंक के ग्राहक के बिना इस सेवा का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

2) ग्राहक इस सेवा का लाभ तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक की लेन–देन की राशि 1 लाख से अधिक न हों।

3) The customer can avail this service within a nation only for internal transactions.

4) Providing such service to customer is beneficial for the banks but, it also fetches new challenges to the banks. Thus, they need to come up with new ideas, strategies, processes, systems and organization in order to manage or control the liquidity of bank in real-time.

   RTGS is directly or indirectly influencing the present functions of the banks mainly in the areas of treasury, payment division, corporate banking and cash management.

5) Net banking is subject to various form of risk like hacking, virus attack etc. all such associated risks can be wipe out by employing the RTGS system. But, the banks are needed to have optimum liquidity to settle down the payments in a day systematically and efficiently.

6) Many customers are availing the service of RTGS but they are not allowed to track the transaction of RTGS. As the remitting bank is receiving message of positive confirmation from the Central Bank that the fund has been transferred to the beneficiary.

3) ग्राहक इस सेवा का लाभ देश के अंतर्गत केवल आंतरिक लेन–देन के लिए कर सकता हैं।

4) ग्राहक को ऐसी सेवा प्रदान करना बैंको के लिए लाभदायक होता हैं परंतु, यह बैंको के लिए नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता हैं। इस प्रकार, उन्हें वास्तविक समय में बैंक की तरलता को प्रबंधित या नियंत्रित करने के लिए नए विचारों, रणनीतियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों तथा संगठन के साथ आने की आवश्यकता होती है। RTGS प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंको के वर्तमान कार्यो को मुख्य रूप से ट्रेजरी, भुगतान प्रभाग, कार्पोरेट बैंकिंग तथा नकद प्रबंधन के क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

5) नेट बैंकिंग विभिन्न प्रकार के जोखिमों के अधीन होता है, जैसे– हैकिंग, वायरस अटैक आदि, ऐसे प्रत्येक संबद्ध जोखिमों को RTGS प्रणाली को नियोजित करके समाप्त किया जा सकता हैं। परंतु, एक दिन में व्यवस्थित तथा कुशलता से भुगतान व्यवस्था के लिए बैंकों को इष्टतम तरलता की आवश्यकता होती हैं।

6) विभिन्न ग्राहक RTGS की सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। परंतु उन्हें RTGS के लेन–देन को ट्रैक करने की अनुमति नहीं होती हैं। चूँकि प्रेषण बैंक को केंद्रीय बैंक से साकारात्मक पुष्टि का संदेश प्राप्त होता है कि निधि लाभार्थी को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

2.12.6. RTGS Vs NEFT

2.12.6. RTGS बनाम NEFT

Basis of Difference (अंतर का आधार)	RTGS	NEFT
1) Meaning (अर्थ)	RTGS is Real Time Gross Settlement. (RTGS का अर्थ वास्तविक समय सकल भुगतान (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) होता है	NEFT is National Electronic Funds Transfer. (NEFT का अर्थ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) हैं।)
2) Time (समय)	RTGS completes transactions in real-time, and is therefore faster than NEFT. (RTGS वास्तविक समय में लेन–देन पूरा करता है, तथा इसलिए NEFT से तीव्र हैं।)	NEFT takes more time as it completes transactions in cycles. (NEFT में अधिक समय लगता है। क्योंकि यह कई भागों में लेन–देन पूरा करता हैं।)
3) Settlement (व्यवस्था)	RTGS is gross settlement, where a transfer is completed on a one-to-one basis. (RTGS सकल भुगतान होता है, जहाँ एक से एक आधार पर हस्तांतरण किया जाता हैं।)	NEFT is on a Deferred Net Basis, where transfers are bundled and deferred for a specific time. (NEFT एक अस्थगित नेट पर आधारित होता है, जहा हस्तांतरण को एक विशिष्ट समय के लिए एकमुश्तत्व तथा स्थगित किया जाता हैं।)
4) Amount of Fund (निधि की राशि)	RTGS is a high value transfer system, handling funds worth ₹1,00,000 and above. (RTGS एक उच्च मूल्य हस्तांतरण प्रणाली है, जो ₹1,00,000 तथा उससे अधिक के निधि का लेनदेन करती हैं।)	NEFT transfers smaller amounts below ₹1,00,000 (NEFT ₹1,00,000 से न्यूनतम की लघु राशि का हस्तांतरण करता हैं।)

2.13. IMPS (IMMEDIATE PAYMENT SERVICE)

2.13.1. Meaning of IMPS

Immediate Payment Service (IMPS) is an instant interbank electronic fund transfer service. It made payment settlements faster and easier. The necessity of introducing IMPS arose due to the major problem faced

2.13. IMPS (तत्काल भुगतान सेवा)

2.13.1. IMPS का अर्थ

तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) एक त्वरित इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण सेवा है। इसने भुगतान निपटान को तेज और आसान बना दिया। IMPS प्रारम्भ करने की आवश्यकता बैंकिंग उद्योग में आने वाली प्रमुख समस्या, वास्तविक समय तथा 24X7X365 अंतर–बैंक धन हस्तांतरण सुनिश्चित करने के कारण

in the banking industry, i.e., ensuring real-time and 24×7×365 inter-bank transfer of funds. Although RTGS and NEFT were providing the facility of fund transfer but only during banking hours, therefore, a need for another service was felt that could provide service 24×7×365. Consequently, **Smt. Shyamala Gopinath, Deputy Governor of RBI,** launched IMPS on **22nd November 2010.**

This service can now be availed through other channels like Mobile, Internet Banking, ATM, SMS, Branches, and USSD (*99#). The first four digits of MMID are the unique identification number of the bank providing the facility of IMPS. It offers robust, instant, and real-time interbank electronic fund transfer service in a safe as well as cost-effective manner. The mechanism of IMPS is managed by NPCI and regulated by RBI.

There are following four participants for IMPS:
1) Remitter (Sender);
2) Beneficiary (Receiver);
3) Banks; and
4) National Financial Switch.

2.13.2. Features of IMPS

Following are the salient features of IMPS:
1) It is the fastest and most reliable way to send and receive money.
2) It is compatible to net-banking as well as mobile platforms.
3) It provides services even on public holidays or bank-off days.
4) It enables the customer to transfer funds to any beneficiary by just providing his/her mobile number and Mobile Money Identifier (MMID).
5) It does not require the user to enter bank account numbers if he transacts through mobile phones.
6) It sends acknowledgement of transaction to both the sender as well as recipient on completion of the transfer.
7) The per day maximum and minimum fund transfer limit for IMPS are ₹5 lakh and ₹1, respectively.

2.13.3. Objectives of IMPS

The objectives of IMPS are as follows:
1) To allow customers to access their bank accounts and remit funds through their mobile phones;
2) To enable customers to make payments simply through the mobile number of the beneficiary;
3) To assist the RBI in achieving its goal of electrification of retail payments;
4) To ensure the implementation of mobile payment systems in a safe and secure manner; and
5) To establish the base for a variety of mobile-based banking services.

उत्पन्न हुई है। हालाँकि RTGS तथा NEFT निधि हस्तांतरण की सुविधा केवल बैंकिंग घंटों के दौरान ही प्रदान कर रहे थे, इसलिए, एक अन्य सेवा की आवश्यकता महसूस की गई जो 24X7X365 सेवा प्रदान कर सके। इसके परिणामस्वरूप, **श्रीमती RBI के डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ ने 22 नवंबर 2010** को IMPS लॉन्च किया।

इस सेवा का लाभ अब मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, ATM, SMS, शाखाओं तथा USSD (*99#) जैसे अन्य प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। MMID के प्रथम चार अंक IMPS की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक की विशिष्ट पहचान संख्या हैं। यह सुरक्षित तथा लागत प्रभावी तरीके से मजबूत, त्वरित एवं वास्तविक समय में इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण सेवा प्रदान करता है। IMPS का तंत्र NPCI द्वारा प्रबंधित तथा RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। IMPS के लिए निम्नलिखित चार प्रतिभागी हैं–
1) प्रेषक (भेजने वाला);
2) लाभार्थी (प्राप्तकर्ता);
3) बैंक; तथा
4) राष्ट्रीय वित्तीय स्विच।

2.13.2. IMPS की विशेषताएँ

IMPS की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–
1) यह राशि भेजने तथा प्राप्त करने का सबसे तेज एवं विश्वसनीय विधि है।
2) यह नेट–बैंकिंग के साथ–साथ मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए भी अनुकूल है।
3) यह सार्वजनिक अवकाशों या बैंक–अवकाश वाले दिनों में भी सेवाएँ प्रदान करता है।
4) यह ग्राहक को केवल अपना मोबाइल नंबर तथा मोबाइल मनी पहचानकर्त्ता (MMID) प्रदान करके किसी भी लाभार्थी को धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाता है।
5) यदि उपयोगकर्ता मोबाइल फोन के माध्यम से लेनदेन करता है तो उसे बैंक खाता नंबर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है।
6) यह हस्तांतरण पूरा होने पर प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों को लेनदेन की पावती भेजता है।
7) IMPS के लिए प्रतिदिन अधिकतम तथा न्यूनतम हस्तांतरण राशि सीमा क्रमशः ₹5 लाख तथा ₹1 है।

2.13.3. IMPS के उद्देश्य

IMPS के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–
1) ग्राहकों को अपने बैंक खातों तक पहुंचने तथा अपने मोबाइल फोन के माध्यम से धन भेजने की अनुमति देना;
2) ग्राहकों को केवल लाभार्थी के मोबाइल नंबर के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम बनाना;
3) खुदरा भुगतान के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में RBI की सहायता करना;
4) सुरक्षित एवं संरक्षित तरीके से मोबाइल भुगतान प्रणालियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना; तथा
5) विभिन्न मोबाइल–आधारित बैंकिंग सेवाओं के लिए आधार स्थापित करना।

2.14. SWIFT (SOCIETY WORLD WIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS)

2.14.1. Concept of SWIFT

The banking services provided by U.S. bank branches in Europe are very economical in nature which forces the other countries to thought about the matter cautiously. In 1970, around 36 banks's representatives from the seven countries came together and conducted a study on 'international electronic banking network'. Later in 1973, SWIFT as Society World Wide Interbank Financial Telecommunications has been introduced because it was necessary to decrease time, labour and cost of international banking transactions.

An organisation SWIFT is a non-profit cooperative, incorporated in Belgium with headquarters in Brussels. Around 239 charter shareholder banks from 15 different countries are jointly owned the cooperative. This cooperative has started its functioning from 1977, when the number of shareholders has been increased to 519. Over 10 million messages have been exchanged over the network of SWIFT during the 1st year of operation of the organisation. There are many banks in India which have also become the member of SWIFT. SWIFT is a way for transmission of message with international status. This method is secured, highly cost effective and reliable medium for transferring funds.

Further, this method can be supported through the transfer of information associated to different services of bank like fixed deposit, interest payment, debit-credit statements, foreign exchange etc. The banks are providing this service to their customer for entire year 24 hours in a day. This service has brought revolutionary change in the services provided to the customers and the banks are also protected against the loss of damage in the transmission. Presently, there are various users of SWIFT like brokers, trust and other agents.

2.14.2. Features of SWIFT

The following are the salient features of SWIFT:

1) The banks are the shareholders members of the SWIFT co-operative.
2) SWIFT is a system primarily used for transferring information between the two different countries of the world.
3) This service is available to the users for the entire year 24 hours in a day
4) Information exchange through SWIFT shall be either subject to approved or rejected by the users.
5) The regional processor of SWIFT is located in Mumbai and the banks as the member of the SWIFT are connected to the processor.

2.14. SWIFT (विश्वव्यापी इंटरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसायटी)

2.14.1. SWIFT की अवधारणा

यूरोप में अमेरिकी बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएँ प्रकृति में बहुत किफायती हैं जो अन्य देशों को इस स्थिति पर सावधानी से सोचने के लिए विवश करती हैं। 1970 में, सात देशों के लगभग 36 बैंकों के प्रतिनिधि एक साथ आए तथा 'अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नेटवर्क' पर एक अध्ययन किया। बाद में 1973 में, SWIFT को विश्वव्यापी इंटरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसायटी के रूप में पेश किया गया क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेनदेन के समय, श्रम तथा लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण था।

संगठन SWIFT एक गैर–लाभकारी सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में निगमित है। 15 विभिन्न देशों के लगभग 239 चार्टर अंशधारक बैंक संयुक्त रूप से सहकारी समिति के स्वामित्व में हैं। इस सहकारी समिति ने 1977 से अपना कामकाज प्रारम्भ किया, जब अंशधारकों की संख्या बढ़कर 519 हो गई। संगठन के संचालन के पहले वर्ष के दौरान SWIFT के नेटवर्क पर 10 मिलियन से अधिक संदेशों का आदान–प्रदान किया गया है। भारत में ऐसे कई बैंक हैं जो SWIFT के सदस्य भी बन गए हैं। SWIFT अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के साथ संदेश प्रसारित करने की एक विधि है। यह विधि राशि हस्तांतरित करने के लिए सुरक्षित, अत्यधिक लागत प्रभावी एवं विश्वसनीय माध्यम है।

इसके अतिरिक्त, इस पद्धति को बैंक की विभिन्न सेवाओं जैसे सावधि जमा, ब्याज भुगतान, डेबिट–क्रेडिट विवरण, विदेशी मुद्रा आदि से संबंधित सूचना के हस्तांतरण के माध्यम से समर्थित किया जा सकता है। बैंक अपने ग्राहकों को पूरे वर्ष 24 घंटे सेवा प्रदान करते हैं। इस सेवा से ग्राहकों को प्राप्त होने वाली सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है तथा बैंकों को भी हस्तांतरण में होने वाले हानि से सुरक्षा मिली है। वर्तमान में, स्विफ्ट के विभिन्न उपयोगकर्ता हैं जैसे दलाल , न्यासी एवं अन्य एजेंट।

2.14.2. SWIFT की विशेषताएँ

SWIFT की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1) बैंक SWIFT सहकारी समिति के अंशधारक सदस्य हैं।
2) SWIFT एक प्रणाली है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विश्व के दो अलग–अलग देशों के बीच सूचना हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है।
3) यह सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए पूरे वर्ष 24 घंटे उपलब्ध है।
4) SWIFT के माध्यम से सूचना का आदान–प्रदान या तो उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार के अधीन होगा।
5) SWIFT का क्षेत्रीय प्रोसेसर मुंबई में स्थित है तथा SWIFT के सदस्य के रूप में बैंक प्रोसेसर से जुड़े हुए हैं।

2.14.3. Organisation of SWIFT

SWIFT has been established as a co-operative society as per the regulation of Belgian and the same undertaking is jointly-owned and controlled by its shareholders. The whole body is supervised or controlled by the 25 directors of the company and a team of full-time employees as the executives of the company are accountable to board while the team is headed by a Chief Executive Officer.

The consolidated financial statements and the other information disclosed from annual reports must be accurate, reliable and purposeful and the executive is accountable for the same concern.

2.14.4. Message Formats

The proforma of transmitting message between the two different banks is standardised. There are different formats of sending message in respect of separate fields of business:

1) The messages are transfer as per the direction given by the customers.
2) Transfers took place between the two different banks.
3) The banks will transfers the documentary credits or guarantees.
4) Thereafter, the banks will accept the cheques together with the cheques of travellers.
5) Further, the banks will involve in the management of inflow and outflow of cash.

2.14.5. Security of Messages

The message transmit through SWIFT is created by using the telegraphic test keys. In conventional period, these keys were primarily used for verification of amounts mentioned in the message transmitted between the two different banks. The complete text message is computed automatically from this system and any alteration in the message is instantly identified.

1) The network of SWIFT is efficient enough to protect and maintain the secrecy of the transmitted message.
2) The system is facilitated by the encryption and checksum securities as the encryption is a security control which is employed to maintain the secrecy of the information while on other hand, checksum is the other security control to avoid the automated modification which may occurs during the transmission process.
3) The network of SWIFT is mainly useful for transmitting the information between the two separate regional processors, as it is financially responsible for maintaining the authenticity of the information and also ensure that the message is delivered in reasonable time period (within which the bank is texting the message from a point to point destination where the message is send). SWIFT is not responsible for transferring the message between the regional processor and the individual banks.
4) The network of SWIFT is highly secured from illegal access and the transmitted message is safe from loss of damage, errors in transmission, loss of privacy, fraudulent alteration etc.

2.14.3. SWIFT का संगठन

SWIFT को बेल्जियम के विनियमन के अनुसार एक सहकारी समिति के रूप में स्थापित किया गया है तथा यह उपक्रम इसके अंशधारकों द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व एवं नियंत्रित होता है। पूरे निकाय की देखरेख या नियंत्रण कंपनी के 25 निदेशकों तथा पूर्णकालिक कर्मचारियों की एक समूह द्वारा किया जाता है क्योंकि कंपनी के अधिकारी बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होते हैं जबकि समूह का नेतृत्व एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। समेकित वित्तीय विवरण एवं वार्षिक रिपोर्ट से प्रकट की गई अन्य सूचना सटीक, विश्वसनीय तथा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए तथा कार्यकारी उसी उपक्रम के लिए उत्तरदायी होते है।

2.14.4. संदेश प्रारूप

दो अलग–अलग बैंकों के बीच संदेश प्रेषित करने का प्रारूप मानकीकृत है। व्यवसाय के अलग–अलग क्षेत्रों के संबंध में संदेश भेजने के विभिन्न प्रारूप हैं–

1) संदेश ग्राहकों द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्थानांतरित किए जाते हैं।
2) दो अलग–अलग बैंकों के मध्य हस्तांतरण किया जाता है।
3) बैंक दस्तावेजी क्रेडिट या गारंटी हस्तांतरित करते है।
4) इसके पश्चात, बैंक यात्रियों के चेक के साथ चेक स्वीकार करते है।
5) इसके अतिरिक्त, बैंक नकदी के प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह के प्रबंधन में शामिल होते है।

2.14.5. संदेशों की सुरक्षा

SWIFT के माध्यम से प्रसारित संदेश टेलीग्राफिक परीक्षण कुंजियों का उपयोग करके बनाया जाता है। पारंपरिक काल में, इन कुंजियों का उपयोग मुख्य रूप से दो अलग–अलग बैंकों के मध्य प्रसारित संदेश में उल्लेखित राशि के सत्यापन के लिए किया जाता था। इस प्रणाली से संपूर्ण पाठ संदेश की गणना स्वचालित रूप से की जाती है तथा संदेश में किसी भी परिवर्तन की तुरंत पहचान की जाती है।

1) SWIFT का नेटवर्क प्रेषित संदेश की सुरक्षा तथा गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कुशल है।
2) प्रणाली को कूटलेखन तथा चेकसम प्रतिभूतियों द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है क्योंकि कूटलेखन एक सुरक्षा नियंत्रण है जिसे सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए नियोजित किया जाता है, जबकि दूसरी ओर, चेक सम प्रेषण प्रक्रिया के दौरान होने वाले स्वचालित संशोधन से बचने के लिए अन्य सुरक्षा नियंत्रण है। .
3) SWIFT का नेटवर्क मुख्य रूप से दो अलग–अलग क्षेत्रीय प्रोसेसरों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह सूचना की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए वित्तीय रूप से जिम्मेदार है तथा यह भी सुनिश्चित करता है कि संदेश उचित समय अवधि में वितरित किया जाता है (जिसके भीतर बैंक एक बिंदु से दूसरे गंतव्य तक)। संदेश भेजा जाता है)। SWIFT क्षेत्रीय प्रोसेसर तथा व्यक्तिगत बैंकों के मध्य संदेश भेजने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
4) SWIFT का नेटवर्क अवैध पहुंच से अत्यधिक सुरक्षित है तथा प्रेषित संदेश क्षति, प्रेषण में त्रुटियों, गोपनीयता की हानि, धोखाधड़ी वाले परिवर्तन आदि से सुरक्षित है।

operations of foreign exchange market are completely depends upon the SWIFT network because all transactions, payments and exchange of information between the users (banks, international financial institutions, international banks or customers etc.) around the globe is take place through this system.

2.14.8. Disadvantages of SWIFT

The following are the disadvantages of SWIFT:

1) **Additional/Unexpected) Fees:** The users of this system may be charged with additional or unexpected amount of fees particularly when they transact minimum amount of payments. Thus, this network is not economical. The charged fee for the service is often covered by all correspondent and recipient banks. While there are some banks which have choice to decide the party which will bear the extra fees or to share the expenses by all the banks. Although, this system is flexible but the cost incurred is huge.

2) **Poor Exchange Rates:** The bank may be inclined to unfavorable rates of exchange, particularly when the customer is require to have different currency exchange for a single transfer.

3) **Speed:** The processing of transaction through SWIFT is quick as what we have understood from its advantages but there are some specific cases where the processing of transaction may takes place in 5 or more business days.

4) **Need for Automated Solutions:** This network has been used by the different users for huge amount of money and for carrying out the number of transactions. Users are not allowed to text the message manually as they are only allowed to make use of standardized messages. While giving instruction for making modification in text massage is also not convenient for them. Users can obtain the automated solutions for completing their transactions but the solutions are acquired in exchange of additional costs. In order to maintain the customer base, the network is handling such issues efficiently.

2.15. ECS (ELECTRONIC CLEARING SERVICE)

2.15.1. Meaning of ECS

Electronic Clearing Service refers to the transfer of money electronically from bank account to another bank account through the ECS location/centre. This service is availed of by those, whose requirement entails transfer of funds in bulk, i.e. from one account to many accounts or from many accounts to one account. It is used by various organizations making bulk payments, e.g. dividend distribution, periodical interest payment, payment of salaries/pensions, etc. ECS is also a popular mode of

उपलब्ध होती है। मूल रूप से, विदेशी मुद्रा बाजार का संचालन पूरी तरह से SWIFT नेटवर्क पर निर्भर करता है क्योंकि पूरे विश्व में उपयोगकर्ताओं (बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों या ग्राहकों आदि) के मध्य सभी लेनदेन, भुगतान तथा सूचनाओं का आदान–प्रदान इसी प्रणाली के माध्यम से होता है। .

2.14.8. SWIFT की हानियाँ

SWIFT के निम्नलिखित हानियाँ है–

1) **अतिरिक्त/अप्रत्याशित) शुल्क**–इस प्रणाली के उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त या अप्रत्याशित शुल्क लिया जा सकता है, विशेषकर जब वे न्यूनतम राशि का भुगतान करते हैं। इस प्रकार, यह नेटवर्क किफायती नहीं है। सेवा के लिए लिया गया शुल्क प्रायः सभी संवाददाता तथा प्राप्तकर्ता बैंकों द्वारा शामिल किया जाता है। जबकि कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके पास यह निर्धारित करने का विकल्प है कि कौन सा समाज अतिरिक्त शुल्क वहन करेगी या सभी बैंकों द्वारा व्यय को साझा करने का विकल्प है। हालाँकि, यह प्रणाली लचीली है लेकिन इसमें आने वाली लागत बहुत अधिक है।

2) **खराब विनिमय दरें**–बैंक विनिमय की प्रतिकूल दरों की ओर जा सकता है, विशेषकर जब ग्राहक को एक ही हस्तांतरण के लिए अलग मुद्रा विनिमय की आवश्यकता होती है।

3) **गति**–जैसा कि हमने इसके लाभ से समझा है, SWIFT के माध्यम से लेनदेन का प्रसंस्करण त्वरित है परन्तु कुछ विशिष्ट मामले हैं जहाँ लेनदेन की प्रसंस्करण 5 या अधिक व्यावसायिक दिनों में हो सकती है।

4) **स्वचालित समाधानों की आवश्यकता**–इस नेटवर्क का उपयोग विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा अधिक मात्रा में धन तथा बड़ी संख्या में लेनदेन करने के लिए किया गया है। उपयोगकर्ताओं को संदेश को हस्तगत रूप से लिखने की अनुमति नहीं है क्योंकि उन्हें केवल मानकीकृत संदेशों का उपयोग करने की अनुमति होती है। वहीं टेक्स्ट संदेश में संशोधन करने का निर्देश देना भी उनके लिए सुविधाजनक नहीं है। उपयोगकर्ता अपने लेनदेन को पूरा करने के लिए स्वचालित समाधान प्राप्त कर सकते हैं परन्तु समाधान अतिरिक्त लागत के बदले में प्राप्त किए जाते हैं। ग्राहक आधार को बनाए रखने के लिए, नेटवर्क ऐसे समस्याओं को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर रहा है।

2.15. ECS (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा)

2.15.1. ECS का अर्थ

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा ECS स्थान/केंद्र के माध्यम से बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन के हस्तांतरण को संदर्भित करती है। इस सेवा का लाभ वे व्यक्ति प्राप्त करते हैं, जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में धनराशि स्थानांतरित करने की होती है, अर्थात एक खाते से कई खातों में या कई खातों से एक खाते में। इसका उपयोग थोक भुगतान करने वाले विभिन्न संगठनों द्वारा किया जाता है जैसे **लाभांश वितरण, आवधिक ब्याज भुगतान, वेतन/पेंशन का**

collecting money by utility companies and service providers like telephone bills, electricity bills, water taxes, property taxes, etc., banks/FIs for receiving EMIs on loans and Mutual Funds for SIP. ECS as a mode of fund transfer, is basically suitable for periodical and repetitive transactions.

2.15.2. Types of ECS

ECS may broadly be classified into two categories, viz. (i) ECS Credit System, and (ii) ECS Debit System. Both the systems have been discussed in the following points:

1) **ECS Credit System:** ECS credit system envisages debiting a single bank account maintained by the user organization and crediting numerous beneficiaries' accounts maintained at different branches of different banks within the jurisdiction of an ECS location. Through this system, the user organization is in a position to make payments to a number of beneficiaries in respect of dividends to its shareholders, interests to its depositors, salaries to its employees, pensions to its retirees, etc.

   With effect from October 2008, the concept of ECS jurisdiction was done away with when a centralized ECS credit system named as National ECS (NECS) was introduced. Currently, there is nothing like ECS location or centre and the entire country is considered as a unified unit. The system operates in synchronization with the centralized accounting system covering the entire banking system. The accounts of the participating banks are debited or credited at a centralized place located in Mumbai irrespective of their geographical location.

   Initiator of ECS Credit Transaction

   An organization, referred to as the 'ECS Credit User' of making bulk payments or payments of repetitive nature to numerous beneficiaries, can initiate ECS Credit transactions. All it has to do is to get the consent of beneficiaries in the form of a written mandate and in this regard along with their bank details and get itself registered with the ECS Credit Scheme. ECS credit transactions can be initiated by the ECS credit user through its bank, which is referred to as the 'sponsor bank'. The beneficiaries' accounts, which are credited with the amount of ECS credits, are referred to as the 'destination accounts' and beneficiaries themselves are referred to as the 'destination account holders'.

2) **ECS Debit System:** Under the ECS debit system an accountholder can give an authority letter to an 'ECS debit user', which empowers latter to recover an amount by debiting that accountholder's account at stipulated intervals.

   The above authority letter, referred to as the 'ECS Mandate', is required to be obtained by the "ECS debit user'. Such mandates need to be endorsed by the bank branch where the account is maintained by that accountholder.

भुगतान, आदि। ECS टेलीफोन बिल, बिजली बिल, जल कर, संपत्ति कर आदि जैसी उपयोगिता कंपनियों तथा सेवा प्रदाताओं, ऋण पर EMIs प्राप्त करने के लिए बैंकों/एफआई तथा एसआईपी के लिए म्यूचुअल फंड द्वारा राशि एकत्रित करने का एक लोकप्रिय विधि है।

2.15.2. ECS के प्रकार

ECS को सामान्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात ECS क्रेडिट प्रणाली, तथा ECS डेबिट प्रणाली। दोनों प्रणालियों पर निम्नलिखित बिंदुओं में चर्चा की गई है–

1) **ECS क्रेडिट प्रणाली**–ECS क्रेडिट प्रणाली में उपयोगकर्ता संगठन द्वारा बनाए गए एकल बैंक खाते को डेबिट करने तथा ECS स्थान के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न बैंकों की विभिन्न शाखाओं में बनाए गए विभिन्न लाभार्थियों के खातों को क्रेडिट करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से, उपयोगकर्ता संगठन अपने अंशधारकों को लाभांश, अपने जमाकर्ताओं को ब्याज, अपने कर्मचारियों को वेतन, अपने सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन आदि के संबंध में कई लाभार्थियों को भुगतान करने की स्थिति में है।

   अक्टूबर 2008 से, ECS क्षेत्राधिकार की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया जब राष्ट्रीय ECS (NECS) नामक एक केंद्रीकृत ECS क्रेडिट प्रणाली प्रारम्भ की गई। वर्तमान में, ECS स्थान या केंद्र जैसा कुछ नहीं है और पूरे देश को एक एकीकृत इकाई माना जाता है। यह प्रणाली संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को शामिल करने वाली केंद्रीकृत लेखांकन प्रणाली के साथ तालमेल बिठाकर काम करती है। भाग लेने वाले बैंकों के खातों को उनकी भौगोलिक स्थिति के बावजूद मुंबई में स्थित एक केंद्रीकृत स्थान पर डेबिट या क्रेडिट किया जाता है।

   ECS क्रेडिट लेनदेन के आरंभकर्ता

   एक संगठन, जिसे विभिन्न लाभार्थियों को थोक भुगतान या दोहरावदार प्रकृति के भुगतान करने वाला' ECS क्रेडिट उपयोगकर्ता' कहा जाता है, ECS क्रेडिट लेनदेन प्रारम्भ कर सकता है। उसे बस इतना करना है कि लाभार्थियों की सहमति एक लिखित आदेश के रूप में तथा इस संबंध में उनके बैंक विवरण के साथ प्राप्त करनी है तथा स्वयं को ECS क्रेडिट योजना के साथ पंजीकृत कराना है। ECS क्रेडिट लेनदेन ECS क्रेडिट उपयोगकर्ता द्वारा अपने बैंक के माध्यम से प्रारम्भ किया जा सकता है, जिसे 'प्रायोजक बैंक' कहा जाता है। लाभार्थियों के खाते, जिनमें ECS क्रेडिट की राशि जमा की जाती है, को 'गंतव्य खाते' कहा जाता है तथा लाभार्थियों को स्वयं 'गंतव्य खाताधारक' कहा जाता है।

2) **ECS डेबिट प्रणाली**–ECS डेबिट प्रणाली के अंतर्गत एक खाताधारक 'ECS डेबिट उपयोगकर्ता' को एक अधिकार पत्र दे सकता है, जो बाद वाले को निर्धारित अंतराल पर उस खाताधारक के खाते से डेबिट करके राशि वसूल करने का अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त प्राधिकार पत्र, जिसे 'ECS अधिदेश' कहा जाता है, को 'ECS डेबिट उपयोगकर्ता' द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अधिदेशों को उस बैंक शाखा द्वारा पृष्ठांकित किया जाना आवश्यक है जहाँ उस खाताधारक का खाता है।

2.16.5. Advantages of E-Wallet

The advantages of e-wallets are as follows:

1) **Lower Cost:** People using e-wallets can purchase goods and services at lower cost because the POS (Point of Sale) system involved in e-wallets reduce the transaction cost of business.

2) **No need to Carry Physical Cash:** E-wallets have reduced the need to carry physical cash because people can now simply tap on the mobile and make the required payments. The risks involved in carrying physical cash such as theft, difficulty in handling, deterioration of currencies, etc. are significantly reduced due to the increasing use of e-wallets.

3) **Competitive Advantage:** In order to use e-wallets, people need to have related applications. Different applications offer different satisfaction to their clients and the business adopting a more comfortable transaction process for the customer earns a higher competitive edge in the market.

4) **Creating Opportunity:** E-wallets today are trending significantly. Businesses as well as clients are provided with various opportunities with the introduction of e-wallets.

5) **Convenience:** E-wallets have provided significant convenience to consumers by facilitating them to purchase items in seconds by just tapping on the mobile device.

2.17. NEGOTIABLE INSTRUMENTS

2.17.1. Introduction

In 1881, the Negotiable Instruments Act was implemented in India. Before the implementation of this act, the English Negotiable Instrument Act was applicable in India and the foundation of the existing act

2.16.5. ई–वॉलेट के लाभ

ई–वॉलेट के लाभ निम्न प्रकार हैं–

1) **कम लागत**–ई–वॉलेट का उपयोग करने वाले लोग कम कीमत पर वस्तुएँ तथा सेवाओं को क्रय कर सकते हैं क्योंकि ई–वॉलेट में शामिल POS (बिक्री केन्द्र) प्रणाली व्यवसाय की लेनदेन लागत को कम करती है।

2) **भौतिक नकदी रखने की कोई आवश्यकता नहीं**–ई–वॉलेट ने भौतिक नकदी ले जाने की आवश्यकता को कम कर दिया है क्योंकि लोग अब बस मोबाइल से आवश्यक राशि का भुगतान कर सकते हैं। ई–वॉलेट के बढ़ते उपयोग के कारण भौतिक नकदी ले जाने में शामिल जोखिम जैसे चोरी, संभालने में कठिनाई, मुद्राओं का खराब होना आदि काफी कम हो गए हैं।

3) **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ**–ई–वॉलेट का उपयोग करने के लिए, लोगों के पास संबंधित एप्लिकेशन होना आवश्यक है। विभिन्न एप्लिकेशन अपने ग्राहकों को अलग–अलग संतुष्टि प्रदान करते हैं तथा ग्राहकों के लिए अधिक आरामदायक लेनदेन प्रक्रिया अपनाने वाला व्यवसाय बाजार में उच्च प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त अर्जित करता है।

4) **अवसर सृजित करना**–आजकल ई–वॉलेट काफी चलन में हैं। ई–वॉलेट की शुरुआत से व्यवसायों के साथ–साथ ग्राहकों को भी विभिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं।

5) **सुविधा**–ई–वॉलेट ने उपभोक्ताओं को केवल मोबाइल डिवाइस पर टैप करके सेकंडों में वस्तुओं को खरीदने की सुविधा प्रदान करके महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है।

2.17. विनिमय साध्य लेखपत्र

2.17.1. परिचय

विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम,1881 में भारत में लागू किया गया था। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व, भारत में अंग्रेजी विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम लागू था तथा वर्तमान

is also laid on the English Act with some specific changes. Apart from Jammu and Kashmir, this act is applicable in India. The provisions of Sections 31 and 32 of the Reserve Bank of India Act, 1934 are the main operatives of this act. According to Section 31 of Reserve Bank of India Act, any other individual apart from the Bank or as expressly authorised by this Act, the Central Government will only be allowed to draw, accept, make or issue any kind of bill of exchange, promissory note, hundi or involving in the payment of money which is payable on demand to the bearer.

2.17.2. Meaning and Definition of Negotiable Instrument

The expression 'negotiable instrument' is comprised of two terms, namely, 'negotiable' and 'instrument'. The term 'negotiable' is referred as 'transferable by delivery', while the term 'instrument' is referred as 'a written document stating a right formed for the advantage of some person'. Moreover, there are definite assumptions set for this instrument. Thus, the term "negotiable instrument" literally means "a written document transferable by delivery".

According to Section 13 (1) of the Negotiable Instruments Act, "A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange, or cheque payable either to order or to bearer". "A negotiable instrument may be made payable to two or more payees jointly, or it may be made payable in the alternative to one of two, or one or some of several payees" [Section 13(2)].

This means that a person taking an instrument *'Bona fide'*, and 'for value', known as a **holder in due course,** gets a good title even though the title of the transferor may be defective.

2.17.3.Features of Negotiable Instruments

The different features of negotiable instruments are as below:

1) **Writing and Signature:** It is important for the parties to write and sign the negotiable instruments as per the rules related to the Bills of Exchange, Promissory Notes and Cheques. In some cases, the demand drafts are also formed as the features of these are also similar to that of Negotiable instruments.

2) **Money:** Only legal tender money of India can be used to pay the negotiable instruments. There is a fixed liability of parties of negotiable instruments and it is based on the legal tender money.

3) **Freely Transferable:** It is possible to freely transfer the properties of the negotiable instrument. There is an easy process of transferring them from one individual to another. When it comes to order instruments, valid transfer will require two elements; endorsement (holder's signature) and delivery. When we talk about barrier instruments, it can be transferred just on delivery. If correct words like "pay to Rakesh only" are used then it is possible to convert the instrument into a non-transferable.

अधिनियम की भाँति ही कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ अंग्रेजी अधिनियम पर रखी गई है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त समस्त भारत में लागू है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 31 एवं 32 के प्रावधान इस अधिनियम के मुख्य संचालक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, बैंक के अतिरिक्त एवं इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, केंद्र सरकार को भी किसी भी प्रकार के विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, हुण्डी को लिखने, स्वीकार करने, बनाने एवं निर्गमित करने की अनुमति होगी जो मुद्रा के भुगतान में शामिल है, जो वाहक के माँग पर देय है।

2.17.2. विनिमय साध्य लेखपत्र का अर्थ एंव परिभाषा

अभिव्यक्ति 'विनिमय साध्य लेखपत्र' दो शब्दों से मिलकर बनी है, अर्थात 'विनिमय साध्य' एंव 'लेखपत्र'। शब्द 'विनिमय साध्य' को 'वितरण द्वारा हस्तांतरणीय' के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि ' 'लेखपत्र शब्द को 'किसी व्यक्ति के लाभ के लिए गठित अधिकार बताते हुए एक लिखित दस्तावेज' के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस लेखपत्र के लिए निश्चित धारणाएँ निर्धारित हैं। इस प्रकार, "विनिमय साध्य लेखपत्र" शब्द का शाब्दिक अर्थ है "वितरण द्वारा हस्तांतरणीय एक लिखित दस्तावेज"।

विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम, की धारा 13 (1) के अनुसार, "एक विनिमय साध्य लेखपत्र का अर्थ है एक प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, या चेक है जो आदेशित व्यक्ति या वाहक को देय होता है"। 'एक विनिमय साध्य लेखपत्र दो या दो से अधिक भुगतानकर्ताओं को संयुक्त रूप से देय हो सकता है, या इसे दो में से एक, या एक या कई भुगतानकर्ताओं में से कुछ के विकल्प के रूप में देय किया जा सकता है" [धारा 13 (2)]।

इसका अर्थ है कि व्यक्ति लेखपत्र को सदभावना के साथ एवं मूल्यों के बदले क्रय करता है, उसे यथाविधि धारक के रूप में जाना जाता है, उसे एक वैध स्वामित्व प्राप्त होता है, भले ही हस्तांतरणकर्ता का शीर्षक दोषपूर्ण हो।

2.17.3.विनिमय साध्य लेखपत्र की विशेषताएँ

विनिमय साध्य लेखपत्रों की विभिन्न विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

1) **लिखित एवं हस्ताक्षर**–पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र एंव चैक से संबंधित नियमों के अनुसार विनिमय साध्य लेखपत्र लिखित एवं हस्ताक्षरित हो। कुछ स्थितियों में, माँग ड्राफ्ट भी सृजित किये जाते हैं, क्योंकि इनकी विशेषताएँ भी विनिमय साध्य लेखपत्र के समान होती हैं।

2) **मुद्रा**–विनिमय साध्य लेखपत्रों का भुगतान करने के लिए केवल भारत की कानूनी निविदा राशि का उपयोग किया जा सकता है। विनिमय साध्य लेखपत्रों की पक्षों की एक निश्चित दायित्व होती है तथा यह कानूनी निविदा राशि पर आधारित होता है।

3) **स्वतन्त्र रूप से हस्तांतरणीय**–विनिमय साध्य लेखपत्र के गुणों को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित करना संभव है। उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित करने की एक सरल प्रक्रिया है। जब उपकरणों को आदेश देने की बात आती है, तो वैध हस्तांतरण के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है, पृष्ठांकन एवं सुपुर्दगी जब हम वाहा लेखपत्रों की बात करते हैं, तो इसे सुपुर्दगी पर ही हस्तांतरित किया जा सकता है। यदि "केवल राकेश को भुगतान करें" जैसे उचित शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो लेखपत्र को गैर–हस्तांतरणीय में परिवर्तित करना संभव होता है।

2.18. CHEQUES

2.18.1. Meaning and Definition of Cheque

A cheque may be referred to as a slip of paper which is issued by a bank to a person holding an account in that bank. This slip of paper lets the account holder make payments for various bills and other expenses. It precludes the necessity of using cash.

The cheque is drawn on the account holder's account. It is paid by the bank and the balance is debited from the particular bank account. However, the bank may refuse the payment on the cheque due to several reasons. Some of the main reasons are insufficient balance in the account. The refused cheque is called a bounced cheque.

According to Section 6, a cheque is define as "a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand".

A cheque is basically a bill of exchange. It has the following additional features:

1) The cheque is always drawn on a specific banker.
2) It is always payable on demand.

All cheques are bills of exchange, but all the bills of exchange are not cheques. The cheque should have all the required features of a bill of exchange. A cheque, like a bill of exchange, must always be signed by the drawer. It must also contain an unqualified obligation set on a specific banker to pay a specific amount of money to a specific person or the holder of the cheque. However, it does not need to be accepted as it is payable on demand.

2.18.2. Features of a Cheque

Following are the main features of a cheque:

1) **In Writing:** All the cheques must be in writing.
2) **Express Order to Pay:** Every cheque must contain an express order to pay. It should not be a request.
3) **Definite and Unconditional Order:** The order to pay needs to be unconditional as well as definite.
4) **Signed by the Drawer:** The cheque is also required to be signed by the drawer.
5) **Order to Pay Certain Sum:** The cheque must come with an order to pay a specific amount of money.
6) **Order to Pay Money Only:** A cheque may be in regard to money only.
7) **Definitive Three Parties:** Each cheque must have three parties and each of these should be named in the document. These parties are the drawer, drawee and payee.
8) **Drawn upon a Specified Banker:** The cheque must always be drawn on a particular banker.
9) **Payable on Demand:** The cheque must always be paid when demanded.

2.18. चेक

2.18.1. चेक का अर्थ एवं परिभाषा

एक चेक को कागज की एक पर्ची के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो एक बैंक द्वारा उस बैंक में खाता रखने वाले व्यक्ति को जारी किया जाता है। कागज की यह पर्ची खाताधारक को विभिन्न विपत्रों तथा अन्य व्ययों के लिए भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। यह नकदी का प्रयोग करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। चेक खाताधारक के खाते पर जारी किया जाता है। इसका भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है तथा शेष राशि को विशिष्ट बैंक खाते से डेबिट कर दिया जाता है। हालाँकि, बैंक विभिन्न कारणों से चेक पर भुगतान करने से मना कर सकता है। कुछ मुख्य कारणों में खाते में अपर्याप्त शेष है। अस्वीकृत चेक को बाउंस चेक कहा जाता है।

धारा 6 के अनुसार, एक चेक को "एक निर्दिष्ट बैंकर पर आहरित विनिमय विपत्र के रूप में परिभाषित किया गया है तथा जो माँग के अतिरिक्त किसी दूसरी तरह से देय नहीं होता है"।

एक चेक मूल रूप से विनिमय विपत्र होता है। इसमें निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताएँ होती हैं–

1) चेक सदैव एक विशिष्ट बैंकर के नाम पर लिखा जाता है।
2) यह सदैव माँग पर देय होता है।

सभी चेक विनिमय विपत्र होते हैं, परन्तु सभी विनिमय विपत्र चेक नहीं होते हैं। चेक में विनिमय विपत्र की सभी आवश्यक विशेषताएँ होनी चाहिए। विनिमय विपत्र की तरह चेक, सदैव आहर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति या चेक के धारक को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए एक विशिष्ट बैंकर पर एक अयोग्य दायित्व भी होना चाहिए। हालाँकि, इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह माँग पर देय होता है।

2.18.2. चेक की विशेषताएँ

चेक की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1) **लिखित रूप में**--सभी चेक लिखित रूप में होने चाहिए।
2) **स्पष्ट रूप से भुगतान करने का आदेश**–प्रत्येक चेक में भुगतान करने के लिए एक स्पष्ट आदेश होना चाहिए। इसमें कोई अनुरोध नहीं होना चाहिए।
3) **निश्चित तथा बिना शर्त आदेश**–भुगतान करने का आदेश बिना शर्त के साथ–साथ निश्चित भी होना चाहिए।
4) **आहर्ता द्वारा हस्ताक्षर**– चेक पर आहर्ता के हस्ताक्षर भी होने चाहिए।
5) **निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश**–चेक में एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का आदेश होना चाहिए।
6) **केवल मुद्रा का भुगतान करने का आदेश**–एक चेक केवल मुद्रा के संबंध में ही हो सकता है।
7) **निश्चित तीन पक्षकार**–प्रत्येक चेक में तीन पक्षकार होने चाहिए तथा इनमें से प्रत्येक को दस्तावेज में नामित किया जाना चाहिए। ये पक्षकार आहर्ता, आहर्ती तथा आदाता होते हैं।
8) **एक निर्दिष्ट बैंकर पर आहरित होना**–चेक सदैव एक विशिष्ट बैंकर के नाम पर ही लिखा जाना चाहिए।
9) **माँग पर देय**–माँगे जाने पर चेक का भुगतान सदैव किया जाना चाहिए।

2.18.3. Parties to a Cheque

Following are the main parties to a cheque:

1) **Drawer:** Drawer is the person who draws the cheque or deposits the money in the account. The drawer of a cheque is always a customer.
2) **Drawee:** Drawee is the drawer's banker on whom the cheque has been drawn.
3) **Payee:** Payee is the person who is entitled to receive the payment.

2.18.4. Specimen of a Cheque

The new form of a cheque as per Cheque Truncation System (CTS) 2010 is given below:

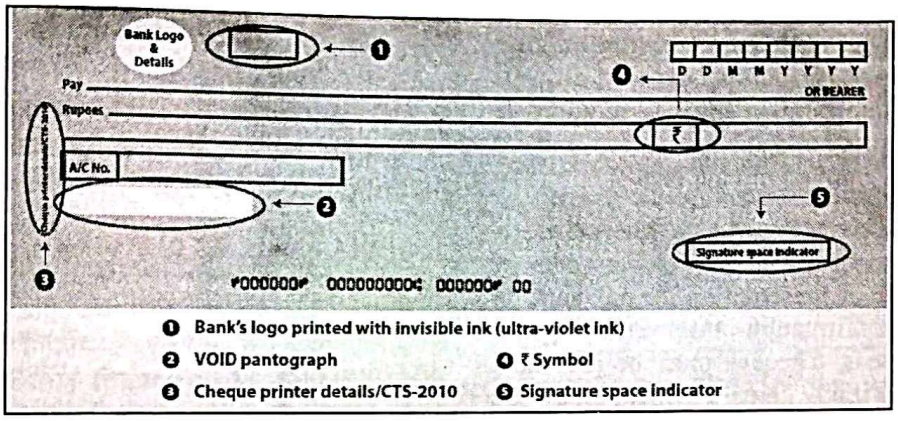

2.18.5. Types/Kinds of Cheques

Following are the main kinds/types of cheques:

1) **Open Cheque:** A cheque is deemed to be open when it been encashed over the counter in the bank. This type of cheque gives following options:
   i) May be encashed over the counter in the bank.
   ii) The receiver may deposit the cheque in their account.
   iii) The receiver may transfer the cheque to someone else by signing on its back.
2) **Crossed Cheque:**. These types of cheques are paid directly into the account of payee. These are not paid over the counter. A cheque may be made 'crossed' by drawing two transverse parallel lines on a corner of the cheque or by writing "Account Payee" or "Not Negotiable."

   The main purpose of crossing a cheque is to remove the possibility of over the counter encashment. In this way, a cheque become more secure as only the proper person may receive the benefit.
3) **Bearer Cheque:** This type of cheque is paid to whosoever is carrying it. This cheque may be transferred simply by delivery and does not require formal endorsement.
4) **Order Cheque:** This type of cheque may be paid to a specific person only. The character of this cheque may be changed by removing the word Bearer or writing the word Order. The check may be endorsed to someone else by signing on its back.

2.18.3. चेक के पक्षकार

चेक के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं–

1) **आहर्ता**–आहर्ता वह व्यक्ति होता है जो चेक लिखता है या खाते में धनराशि जमा करता है। चेक का आहर्ता सदैव एक ग्राहक होता है।
2) **आहर्यी**–आहर्यी उस आहर्ता का बैंकर होता है जिस पर चेक लिखा गया है।
3) **आदाता**–आदाता वह व्यक्ति होता है जो भुगतान प्राप्त करने का हकदार होता है।

2.18.4. चेक का नमूना

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) 2010 के अनुसार चेक का नया रूप नीचे दिया गया है–

2.18.5. चेक के प्रकार

चेक के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं–

1) **खुला चेक**–किसी चेक को बैंक में काउंटर पर भुनाए जाने पर खुला माना जाता है। इस प्रकार का चेक निम्नलिखित विकल्प प्रदान करता है–
   i) यह बैंक में काउंटर पर भुनाया जा सकता है।
   ii) आदाता चेक को अपने खाते में जमा कर सकता है।
   iii) आदाता चेक के पीछे हस्ताक्षर करके चेक को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है।
2) **रेखांकित चेक**–इस प्रकार के चेक का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आदाता के खाते में किया जाता है। इनका भुगतान काउंटर पर नहीं किया जाता है। चेक के एक कोने पर दो अनुप्रस्थ समानांतर रेखाएँ खींचकर या "Account Payee" या "Not Negotiable" लिखकर एक चेक को 'रेखांकित' किया जा सकता है।

   चेक को रेखांकित करने का मुख्य उद्देश्य काउंटर पर नकदीकरण की संभावना को दूर करना है। इस प्रकार, चेक अधिक सुरक्षित हो जाता है क्योंकि केवल उचित व्यक्ति ही लाभ प्राप्त कर सकता है।
3) **वाहक चेक**–इस प्रकार के चेक का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जो इसका धारक है। यह चेक केवल सुपुर्दगी द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है तथा इसके लिए औपचारिक पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होती है।
4) **आदेशित चेक**–इस प्रकार के चेक का भुगतान केवल एक विशिष्ट व्यक्ति को ही किया जा सकता है। वाहक शब्द को हटाकर या आज्ञा शब्द लिखकर इस चेक के प्रारूप को परिवर्तित किया जा सकता है। चेक के पीछे हस्ताक्षर करके इसे किसी अन्य व्यक्ति को पृष्ठांकित किया जा सकता है।

होगी।

2.19.8. Difference between Cheque and Bill of Exchange

2.19.8. चेक तथा विनिमय विपत्र के मध्य अन्तर

Basis of Difference (अन्तर का आधार)	Cheque (चेक)	Bill of Exchange (विनिमय विपत्र)
1) Drawer (आहर्ता)	Cheque is always drawn on a bank. (चेक सदैव बैंक पर ही लिखा जाता है।)	Bill of exchange is generally drawn on certain person or firm. (विनिमय विपत्र सामान्यतः किसी निश्चित व्यक्ति या फर्म पर भी लिखा जा सकता है।)
2) Payable on Demand (माँग पर देय)	Cheques are always payable on demand. (चेक सदैव माँग पर देय होते हैं।)	Bill of exchange may be payable both on demand and expiry of a fixed time period. (विनिमय विपत्र माँग तथा एक निश्चित समय अवधि की समाप्ति दोनों पर देय हो सकता है।)
3) Acceptance (स्वीकृति)	Acceptance is not required in case of cheques. (चेक के सम्बन्ध में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।)	Drawee's acceptance is required in case of bill of exchange. (विनिमय विपत्र के सम्बन्ध में आहार्यी की स्वीकृति आवश्यक होती है।)
4) Stamp (स्टाम्प / मुहर)	Cheques do not require stamps. (चेक के लिए मुहर की आवश्यकता नहीं होती है।)	Proper stamp is required in case of bill of exchange. (विनिमय विपत्र के सम्बन्ध में उचित मुहर की आवश्यकता होती है।)
5) Grace Period (अनुग्रह अवधि)	Cheques are payable on demand and do not require any grace period. (चेक माँग पर देय होते हैं तथा इसके लिए किसी अनुग्रह अवधि की आवश्यकता नहीं होती हैं।)	Grace period of three days from the due date, within which payment can be made, is given in case of bill of exchange. (विनिमय विपत्र के सम्बन्ध में देय तिथि से तीन दिनों की अनुग्रह अवधि, जिसके भीतर भुगतान किया जा सकता है, दी जाती है।)
6) Payable to Bearer on Demand (माँग पर वाहक को देय)	Cheque should be valid when it is drawn "payable on bearer" on demand. (माँग पर "वाहक को देय" चेक आहरित होने पर वैध होना चाहिए।)	A bill drawn payable to bearer on demand can never be valid. (एक बिल जो माँग पर वाहक को देय होता है, कभी भी वैध नहीं हो सकता है।)
7) Crossing (रेखांकन)	Cheques can be crossed. (चेकों को रेखांकित किया जा सकता है।)	Bill of exchange cannot be crossed. (विनिमय विपत्र को रेखांकित नहीं किया जा सकता है।)
8) Notice of Dishonour (अनादरण की सूचना)	In case of cheques, notice of dishonour is not needed. (चेक के सम्बन्ध में, अनादरण की सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है)	In case of bill of exchange, notice of dishonour is generally needed. (विनिमय विपत्र के सम्बन्ध में, सामान्यतः अनादरण की सूचना की आवश्यकता होती है।)
9) Countermanded (रद्द)	Drawer may countermand the payment of cheque. (आहर्ता चेक के भुगतान को रद्द कर सकता है।)	It is not possible to countermand the payment of a bill. (विपत्र के भुगतान को रद्द करना सम्भव नहीं है।)

2.20. PROMISSORY NOTES

2.20.1. Meaning and Definition of Promissory Notes

A promissory note is known as a written promise by an individual for paying a fixed amount of money to a certain individual. **Maker** is the person who makes the promissory note and promises to pay a certain sum. **Payee** is the person who will receive the payment of money.

According to Section 4 of the Negotiable Instruments Act, "a promissory note is an instrument in writing (not being a bank note or a currency note) containing an unconditional

2.20. प्रतिज्ञा पत्र

2.20.1. प्रतिज्ञा पत्र का अर्थ एंव परिभाषा

एक प्रतिज्ञा पत्र को एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए लिखित प्रतिज्ञा के रूप में जाना जाता है। **लेखक** वह व्यक्ति है, जो प्रतिज्ञा पत्र लिखता है एंव एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देता है। **अदाता** वह व्यक्ति है जो मुद्रा का भुगतान प्राप्त करता है।

विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार, "प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित लेखपत्र है। (बैंक नोट व करेन्सी को छोड़कर) जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं

undertaking, signed by the maker, to pay a certain sum of money only to, or to the order of a certain person, or to the bearer of the instrument". All the terms related to the indebtedness by the maker or issuer to the payee of the note. **For example,** interest rate, actual sum, dates of maturity, place and date of issuance and sign of the issuer.

2.20.2. Features of Promissory Notes

The different features of a promissory note are discussed as below:

1) **Must be in Writing:** A promissory note is not made just by having the verbal promises or oral undertaking. The purpose of the maker of the note should be provided in clear words in writing on the instruments and for paying certain sum of money to the payee or order or to the bearer.

2) **Must Contain an Express Promise or Clear Undertaking to Pay:** There must be a declaration of promise to pay. It should not be inferred or implied. It is not sufficient to have the acknowledgment of indebtness.

3) **Must be Definite and Unconditional:** There must not be any condition attached to the promise to pay note. If there is any condition associated with the promise to pay, it will not be termed as promissory note.

4) **Maker of the Promissory note Must be Certain:** The instrument must depict exactly that who the individual is having the liability to pay. The maker's name must be written clearly and determined on checking the document.

5) **Signed by the Maker:** If there is no signature of the maker on the instrument, it is not complete and legal. Thus, it is very important to have the signature of the person who promises to pay on the instrument despite being written by the promisor.

6) **Amount Must be Certain:** The sum which has to be paid must be fixed, definite and clear. It means that no contingent additions or subtractions should be possible.

7) **Promise Should be to Pay Money:** A promise to pay money and only money must be included in promissory note i.e., legal tender money. The promise to pay in the form of goods, bonds, shares, foreign exchange and so on cannot be made.

8) **Payee Must be Certain:** Only a certain individual or as per his order the money must be payable. The certainty of the payee must be in the form of the name or designation. The payment is not allowed to the bearer or maker.

) **Bear the Required Stamping:** There must be a reasonable stamp on the promissory note as per the requirement of Indian Stamp Act, 1889.

) **Should be Dated:** The date of promissory note is not fixed if the sum is not payable at a specific time and after a certain date. The starting date can be individually proved. It is important to determine the

तथा जिसमें लेखक के द्वारा शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है कि वह निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार व्यक्ति को अथवा विपत्र के धारक को एक निश्चित रकम का भुगतान करेगा।"

2.20.2. प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएँ

एक प्रतिज्ञा पत्र की विभिन्न विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है-

1) **लिखित रूप में होना चाहिए**–एक प्रतिज्ञा पत्र केवल मौखिक वादे एंव मौखिक वचन देने से नहीं तैयार होता है। लेखक का उद्देश्य लेखपत्रों पर स्पष्ट शब्दों में लिखित होना चाहिए तथा आदाता या उसके आदेश अनुसार या धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए प्रदान वचन किया जाना चाहिए।

2) **भुगतान करने के लिए एक स्पष्ट वादा एवं स्पष्ट वचन होना चाहिए**–भुगतान करने के वादे की घोषणा होनी चाहिए। यह अनुमानित या निहित नहीं होना चाहिए। ऋण की पावती होना पर्याप्त नहीं है।

3) **निश्चित तथा बिना शर्त होना चाहिए**–इसमें भुगतान से संबंधित कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। यदि भुगतान करने के वादे से संबंधित कोई शर्त है, तो इसे प्रतिज्ञा पत्र नहीं कहा जाएगा।

4) **प्रतिज्ञा पत्र का लेखक निश्चित होना चाहिए**–लेखपत्र में उचित प्रकार से यह दर्शाया जाना चाहिए, कि भुगतान करने के लिए व्यक्ति पर किसके लिए दायित्व रखता है। दस्तावेज की जाँच करने पर निर्माता का नाम स्पष्ट रूप से लिखा एंव निर्धारित किया जाना चाहिए।

5) **लेखक द्वारा हस्ताक्षरित**–यदि उपकरण पर लेखक का कोई हस्ताक्षर नहीं है, तो यह पूर्ण तथा कानूनी नहीं है। इस प्रकार, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होना अधिक महत्वपूर्ण है जो प्रतिज्ञाकर्ता द्वारा लिखे जाने के अतिरिक्त लेखपत्र पर भुगतान करने का वचन प्रदान करता है।

6) **राशि निश्चित होनी चाहिए**–जिस राशि का भुगतान किया जाना है वह निश्चित एंव स्पष्ट होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि कोई भी आकस्मिक जोड़ एंव घटाव संभव नहीं होना चाहिए।

7) **मुद्रा भुगतान करने का वचन होना चाहिए**–मुद्रा के भुगतान का वचन तथा केवल मुद्रा को प्रतिज्ञा पत्र अर्थात, कानूनी निविदा राशि में शामिल किया जाना चाहिए। माल, बांड, अंश, विदेशी मुद्रा आदि के रूप में भुगतान करने का वचन नहीं होता है।

8) **आदाता निश्चित होना चाहिए**–केवल एक निश्चित व्यक्ति या उसके आदेश के अनुसार मुद्रा देय होनी चाहिए। आदाता की निश्चितता नाम एंव पदनाम के रूप में होनी चाहिए। वाहक या लेखक को भुगतान की अनुमति नहीं होती है।

9) **आवश्यक स्टांप लगा होना चाहिए**–भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889 की आवश्यकता के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र पर एक उचित स्टाम्प होना चाहिए।

10) **दिनांकित होना चाहिए**–यदि किसी विशिष्ट समय पर एंव एक निश्चित तिथि के पश्चात् राशि देय नहीं है, तो प्रतिज्ञा पत्र की तिथि निश्चित नहीं है। प्रारंभिक तिथि व्यक्तिगत रूप से सिद्ध की जा सकती है। ब्याज का निर्धारण एंव परिपक्वता

notes are used.

2.20.6. Difference between Cheque and Promissory Note

2.20.6. चेक तथा प्रतिज्ञा पत्र के मध्य अन्तर

Basis of Difference (अन्तर का आधार)	Cheque (चेक)	Promissory Note (प्रतिज्ञा पत्र)
1) Definition (परिभाषा)	An instrument presented in bank indicating the financial institution to pay cash to the bearer or to the payee whose name mention on it is defined as cheque. (बैंक में प्रस्तुत किया गया एक लेखपत्र जो वित्तीय संस्थान को उस वाहक या आदाता को नकद भुगतान करने का संकेत देता है जिसका नाम उस पर अंकित है, चेक के रूप में परिभाषित किया जाता है।)	A promise in writing given by drawer to payee indicating that the fixed amount in fixed future date shall be paid by the drawer. (आहर्ता द्वारा आदाता को लिखित में दिया गया एक वचन यह दर्शाता है कि निर्धारित राशि का भुगतान भविष्य की निश्चित तिथि में किया जाएगा।)
2) Issuer (निर्गमनकर्त्ता)	Cheque can be issued by a person who has a bank account that indicates the bank to pay the cash from that person's account. (चेक उस व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है जिसके पास एक बैंक खाता है जो बैंक को उस व्यक्ति के खाते से नकद भुगतान करने का संकेत देता है।)	Promissory note can be drawn by a person who takes a loan which states the promise to pay by the borrower at certain future date to the moneylender. (प्रतिज्ञा पत्र उस व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है जो ऋण लेता है जो उधारकर्ता द्वारा साहूकार को निश्चित भविष्य की तिथि में भुगतान करने का वचन देता है।)
3) Number of Parties (पक्षकारों की संख्या)	Cheque involves three parties – the drawer, the drawee and the payee. (चेक में तीन पक्षकार शामिल होते है–आहर्ता, आहार्यी तथा आदाता।)	Promissory note involves two parties – the drawer and the payee. (प्रतिज्ञा पत्र में दो पक्षकार शामिल होते हैं आहर्ता तथा आदाता।)
4) Payment (भुगतान)	Drawer can make payment to himself in case of cheques by writing "self" in "pay to ___". (चेक के सम्बन्ध में आहर्ता स्वयं को "स्वतः लिखकर" ___ को भुगतान करना लिखकर भुगतान कर सकता है।)	Drawer cannot make payment to himself in case of promissory note. (प्रतिज्ञा पत्र के सम्बन्ध में आहर्ता स्वयं को भुगतान नहीं कर सकता है।)
5) Condition (शर्त)	Drawer is allowed to make condition for payment to drawee. (आहर्ता, आहार्यी को भुगतान करने के लिए शर्त रखने की अनुमति देता है।)	There is unconditional promise to make payment in case of promissory note. (प्रतिज्ञा पत्र के सम्बन्ध में बिना शर्त के भुगतान करने का वचन दिया जाता है।)

2.21. DEMAND DRAFT (DD)

2.21.1. Concept of Demand Draft

A demand draft can be defined as an order from one bank to another branch of the same bank to make the payment of a certain specified sum of money to a person whose name is mentioned in the draft or to his order. The payment of the demand draft is always made on demand. The issue of demand drafts is made by the banks on their branch at the place of destination for transferring money from one place to another.

According to Section 85(A) of the Negotiable Instrument Act, 1881, "A demand draft is an order to pay money drawn at one office of a bank upon another office of the same bank for a sum of money payable to order on demand."

2.21. डिमांड ड्राफ्ट (DD)

2.21.1. डिमांड ड्राफ्ट की अवधारणा

डिमांड ड्राफ्ट को एक बैंक से उसी बैंक की दूसरी शाखा को उस व्यक्ति को एक निश्चित निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका नाम ड्राफ्ट या उसके आदेश में उल्लेख किया गया है। डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान सदैव माँग पर किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन हस्तांतरित करने के लिए बैंकों द्वारा गंतव्य स्थान पर स्थित अपनी शाखा में डिमांड ड्राफ्ट निर्गमित किया जाता है।

विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम, 1881 की धारा 85 (A) के अनुसार, "डिमांड ड्राफ्ट एक बैंक के एक कार्यालय से उसी बैंक के दूसरे कार्यालय में निकाली गई राशि का भुगतान करने का एक आदेश है जो माँग पर आज्ञा के अनुसार देय है।"

इकाई–3

INDIAN FINANCIAL SYSTEM
भारतीय वित्तीय प्रणाली

3.1. INDIAN FINANCIAL SYSTEM

3.1.1. Meaning and Definition of Indian Financial System

For economic transformation of a country, the financial system is the key for the institutional and functional vehicle. Finance assists in reducing the gap between the present and the future, and covers every aspect like channelisation and effective usage of savings and making an efficient investment. It formulates the base, the sets and the tone for the accomplishment of wider national objectives.

According to Christy, the objective of the financial system is to "Supply funds to various sectors and activities of the economy in ways that promote the fullest possible utilisation of resources without the destabilising consequence of price level changes or unnecessary interference with individual desires".

According to Robinson, the primary function of the financial system is "To provide a link between savings and investment for the creation of new wealth and to permit portfolio adjustment in the composition of the existing wealth".

A financial system acts as an intermediary where there is surplus and deficiency of funds. It bridges the gap between the two segments. It comprises of various institutions, markets, regulations, laws, money managers, experts and many others. The flow of funds in Indian financial system is explained by **figure 3.1** given below:

3.1. भारतीय वित्तीय प्रणाली

3.1.1. भारतीय वित्तीय प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा

किसी देश के आर्थिक परिवर्तन के लिए, वित्तीय प्रणाली संस्थागत एवं कार्यात्मक वाहक की कुंजी है। वित्त वर्तमान तथा भविष्य के मध्य के अंतर को कम करने में सहायता करता है, तथा यह प्रणाली एवं बचत के प्रभावी उपयोग तथा एक कुशल निवेश करने जैसे प्रत्येक पहलू को शामिल करता है। यह व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आधार, समूह तथा भाव तैयार करता है।

क्रिस्टी के अनुसार– वित्तीय प्रणाली का उद्देश्य "अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा गतिविधियों के लिए धन की आपूर्ति करना है जो मूल्य स्तर में परिवर्तन या व्यक्तिगत इच्छाओं के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप के अस्थिर परिणाम के बिना संसाधनों के पूर्ण संभव उपयोग को बढ़ावा देता है।"

रॉबिन्सन के अनुसार– वित्तीय प्रणाली का प्राथमिक कार्य "नई संपत्ति के निर्माण के लिए बचत एवं निवेश के मध्य एक कड़ी प्रदान करना तथा उपस्थित संपत्ति की संरचना में पोर्टफोलियो समायोजन की अनुमति देना प्रदान करना है।"

एक वित्तीय प्रणाली एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है जहाँ धन का अधिशेष एवं कमी होती है। यह दो अनुभागों के मध्य के अंतर को कम करता है। इसमें विभिन्न संस्थान, बाजार, नियम, कानून, धन प्रबंधक, विशेषज्ञ एवं कई अन्य शामिल हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली में निधियों के प्रवाह की व्याख्या नीचे दिए गए **चित्र 3.1** द्वारा समझाया गया है–

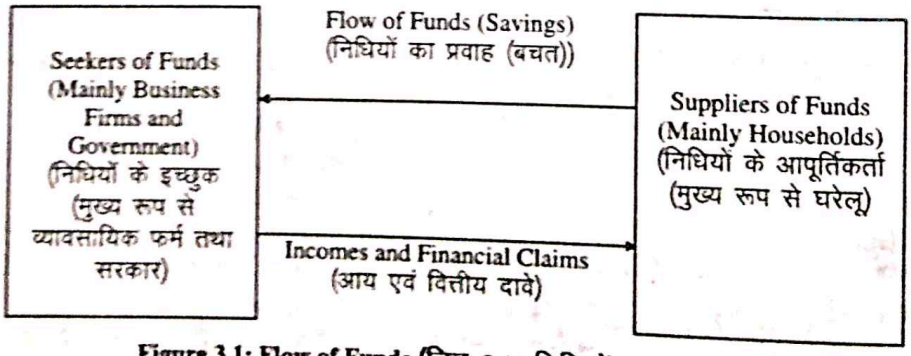

Figure 3.1: Flow of Funds (चित्र 3.1: निधियों का प्रवाह)

In the context of "financial system" the term system means a sequence of complex and closely attached variables like institutions, agents, practices, markets, transactions, claims and liabilities in an economy. The main function of a

"वित्तीय प्रणाली" के संदर्भ में शब्द प्रणाली का अर्थ है एक अर्थव्यवस्था में संस्थानों, एजेंटों, प्रथाओं, बाजारों, लेनदेन, दावों तथा दायित्वों जैसे जटिल एवं बारीकी से संबंधित चर

financial system is to take care of the money, credit and finance. However, these three terms may appear to be same but still there is some difference among each term. The Indian financial system comprises of the financial market, financial instruments, financial intermediary and also the financial services.

3.1.2. Features of Indian Financial System

Following are the features of the Indian financial system:

1) Financial system establishes a link between the one having surplus funds with those who are in need of such funds. Both the investment and the savings aspects are encouraged.
2) Financial system contributes towards the expansion and the development of financial markets.
3) Financial system facilitates the efficient allocation of financial resources for the benefit of the society and the public at large.
4) Financial system boosts the economic quality and accelerates economic development.
5) Financial system lays the foundation for an ideal economy.
6) Financial system builds an efficient portfolio for the fund seeker.
7) Financial system reduces the transaction costs.
8) Financial system ensures availability of all the price-related information.

3.1.3. Functions of Indian Financial System

Following are the functions of the Indian financial system:

1) **To Connect the Investors with the Savers:** The key function of a financial system is to bridge the gap between the one who saves money and the one who needs the funds. Thereby, the financial system helps in channelising the savings in an effective manner to reap the best possible outcome. The resources are allocated in such a manner that there is a regular advancement in technology and sustained growth can be achieved.
2) **Assistance in Selection of a Project:** A good financial system helps in selection of an optimum project for investment purpose. Alongside, it also constantly monitors the outcome of the project. It facilitates in the payment process for goods and services and the movement of the products to different industries and geographical areas.
3) **Risk Allocation:** A good financial system assists in the optimum distribution of the risk component. It restricts and controls the investment in the form of savings in a particular risky venture. The basic idea is to set a tolerance limit and to ensure that investments are made only within the prescribed limits.
4) **Availability of Information:** It further ensures that the information associated with the price is available all the time which helps in taking economic and financial decisions.

का एक क्रम है। वित्तीय प्रणाली का मुख्य कार्य धन, ऋण एवं वित्त की देखभाल करना है। हालाँकि, ये तीनों शब्द समान प्रतीत हो सकते हैं परंतु फिर भी प्रत्येक शब्द में कुछ अंतर होता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली में वित्तीय बाजार, वित्तीय साधन, वित्तीय मध्यस्थ तथा वित्तीय सेवाएँ भी शामिल हैं।

3.1.2. भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषताएँ

भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1) वित्तीय प्रणाली अधिशेष निधि रखने वाले व्यक्ति के साथ उन व्यक्तियों के मध्य एक कड़ी स्थापित करती है जिन्हें ऐसे धन की आवश्यकता होती है। निवेश तथा बचत दोनों पहलुओं को प्रोत्साहित किया जाता है।
2) वित्तीय प्रणाली वित्तीय बाजारों के विस्तार तथा विकास में योगदान करती है।
3) वित्तीय प्रणाली बड़े स्तर पर समाज एवं जनता के लाभ के लिए वित्तीय संसाधनों के कुशल आवंटन की सुविधा प्रदान करती है।
4) वित्तीय प्रणाली आर्थिक गुणवत्ता को बढ़ाती है तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है।
5) वित्तीय प्रणाली एक आदर्श अर्थव्यवस्था की नींव रखती है।
6) वित्तीय प्रणाली धन साधक के लिए एक कुशल पोर्टफोलियो का निर्माण करती है।
7) वित्तीय प्रणाली लेनदेन की लागत को कम करती है।
8) वित्तीय प्रणाली मूल्य संबंधी प्रत्येक सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

3.1.3. भारतीय वित्तीय प्रणाली के कार्य

भारतीय वित्तीय प्रणाली के निम्नलिखित कार्य हैं–

1) **निवेशकों को बचतकर्ताओं से जोड़ना–** वित्तीय प्रणाली का मुख्य कार्य धन की बचत करने वाले तथा धन की आवश्यकता वाले व्यक्ति के मध्य के अंतर को समाप्त करना है। इस प्रकार, वित्तीय प्रणाली सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए बचत को प्रभावी प्रकार से व्यवस्थित करने में सहायता करती है। संसाधनों को इस प्रकार से आवंटित किया जाता है कि प्रौद्योगिकी में नियमित रूप से प्रगति हो तथा निरंतर विकास प्राप्त किया जा सके।
2) **एक परियोजना के चयन में सहायक–** एक अच्छी वित्तीय प्रणाली निवेश के उद्देश्य के लिए एक इष्टतम परियोजना के चयन में सहायता करती है। साथ ही, यह परियोजनाओं के परिणाम की निरन्तर निगरानी भी करता है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान प्रक्रिया तथा विभिन्न उद्योगों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादों के संचालन की सुविधा भी प्रदान करता है।
3) **जोखिम आवंटन–** एक अच्छी वित्तीय प्रणाली जोखिम के घटक को इष्टतम रूप से वितरण करने में सहायता करती है। यह किसी विशेष जोखिम भरे उद्यम में बचत के रूप में निवेश को प्रतिबंधित एवं नियंत्रित करता है। इसका मूल विचार एक सहिष्णुता सीमा निर्धारित करना है तथा यह सुनिश्चित करता है कि निवेश केवल निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही किया जाए।
4) **सूचना की उपलब्धता–** यह आगे सुनिश्चित करता है कि कीमत से संबंधित सूचना प्रत्येक समय उपलब्ध हो, जो **आर्थिक तथा वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करती है।**

5) **Reducing the Cases of Asymmetric Information:** An ideal financial system aims in avoiding the occurrence of cases when the information available is found to be asymmetric. Such situations are highly adverse in nature and affect the motivation among the operators and also to a person who possesses information which the other person does not have. Besides this, it provides other services like insurance pension and adjustment of portfolio, etc.

6) **Reduction in the Borrowing and the Transaction Cost:** A sound financial system creates an ideal financial scenario that reduces the cost of the transactions. By reducing the cost, the returns for the investors are likely to rise. The borrowing cost is similarly reduced. So, this builds the habit of saving among the society.

7) **Liquidity Promotion:** In a financial system, the key function is to have adequate resources of money for the manufacturing of goods and services. In case of a production firm, the money should not fall short. Here, the term "money" and "monetary resources" signify liquidity. Liquidity in liberal sense is that form of the asset that can be readily converted into cash. In a financial system, all the activities are thus related with money and focus is on having a better liquidity position to ensure that the activities carry on in a smooth and effective manner.

8) **Financial Broadening and Deepening:** An ideal financial system encourages the process of financial deepening and broadening. **Financial deepening** refers to an increase of financial assets as a percentage of the Gross Domestic Product (GDP). **Financial broadening** refers to building an increasing number and a variety of intermediary and instruments.

3.1.4. Importance of Indian Financial System

Following are the significance of the financial system:

1) **Increment in the Output and Production of the Economy:** The surplus savings are channelised in such a manner that adequate resources are available for the production sector. This eventually results in the increase in output of the economy. The market, institutions and instruments are the basic market transformers who get adequate funds which leads to economic development. The financial system directs towards savings and contributing more value added areas which lead to national development.

2) **Accelerating the Quantum and Pace of Savings:** Apart from channelising of savings, a financial system also drives the rate of savings by diversifying the financial instruments, thus making number of options available for the investors to invest in. This creates competition among the intermediary; hence the investor gets the maximum return.

3) **Facilitates Innovation:** Healthy competition is promoted in the financial system. This leads to

5) **असममित सूचना के मामलों को कम करना–** एक आदर्श वित्तीय प्रणाली का उद्देश्य ऐसे मामलों की घटना से बचना है जब उपलब्ध सूचना असममित प्राप्त की जाती है। ऐसी परिस्थितियाँ प्रकृति में अत्यधिक प्रतिकूल होती है तथा संचालकों के मध्य प्रेरणा को प्रभावित करती हैं तथा उस व्यक्ति के लिए भी जिसके पास ऐसी सूचना होती है जो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, यह बीमा पेंशन एवं पोर्टफोलियो के समायोजन आदि जैसी अन्य सेवाएँ प्रदान करता है।

6) **उधार लेन–देन की लागत में कमी होना–** एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली एक आदर्श वित्तीय परिदृश्य बनाती है जो लेनदेन की लागत को कम करती है। लागत कम होने से निवेशकों के लिए प्रतिफल बढ़ने की संभावना होती है। इसी प्रकार उधार लेने की लागत भी कम हो जाती है। अतः इससे समाज में बचत करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

7) **तरलता/चलनिधि संवर्धन–** एक वित्तीय प्रणाली में, मुख्य कार्य वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण के लिए धन के पर्याप्त संसाधन का होना है। एक उत्पादन फर्म के संदर्भ में, धन की कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ, "धन" तथा "मौद्रिक संसाधन" शब्द तरलता को दर्शाते हैं। उदार अर्थ में तरलता संपत्ति का वह रूप है जिसे सरलता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। एक वित्तीय प्रणाली में, प्रत्येक गतिविधियाँ इस प्रकार धन से संबंधित होती हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तरलता की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि गतिविधियाँ सुचारू एवं प्रभावी प्रकार से चलती रहें।

8) **वित्तीय विस्तार एवं गहनता–** एक आदर्श वित्तीय प्रणाली वित्तीय गहनता तथा विस्तार की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। **वित्तीय गहनता** से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों की वृद्धि से है। **वित्तीय विस्तार** से तात्पर्य बढ़ती संख्या तथा विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों एवं उपकरणों के निर्माण से है।

3.1.4. भारतीय वित्तीय प्रणाली का महत्व

वित्तीय प्रणाली के महत्व निम्नलिखित हैं–

1) **अर्थव्यवस्था के आउटपुट एवं उत्पादन में वृद्धि–** अधिशेष बचत को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उत्पादन क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। यह अंततः अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि का परिणाम है। बाजार, संस्थान एवं उपकरण आधारभूत बाजार परिवर्तक होते हैं जिन्हें पर्याप्त धन प्राप्त होता है जिससे आर्थिक विकास होता है। वित्तीय प्रणाली बचत की ओर निर्देशित करती है तथा अधिक मूल्य वर्धित क्षेत्रों में योगदान करती है जिससे राष्ट्रीय विकास होता है।

2) **बचत की मात्रा एवं गति में तेजी लाना–** बचत को प्रणालीगत करने के अतिरिक्त, एक वित्तीय प्रणाली वित्तीय साधनों में विविधता लाकर बचत की दर को भी बढ़ाती है, इस प्रकार निवेशकों को निवेश करने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराती है। यह मध्यस्थों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है, इसलिए निवेशक को अधिकतम प्रतिफल प्राप्त होता है।

3) **नवाचार को सुगम बनाता है–** वित्तीय प्रणाली में बेहतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। इससे नए उत्पादों तथा निवेश के अवसरों का नवाचार होता है। कुल लागत कम हो

innovation of new products and investment opportunities. The overall cost is reduced which enhances profitability. Countries having a well-diversified financial system maintain national competitiveness and their products are regularly updated.

4) **Evaluation of Assets, Increasing the Liquidity, Production and Spreading of Information:** Apart from having an effect on the rate of return, it also influences economic development. A good financial system evaluates the assets, increases the liquidity and transmits the required information.

5) **Provide Risk Management Services:** A financial system is a need-based system. It changes with the change in requirement for funds. During the current scenario, the world has observed an increase in demand for better risk management services. This was fulfilled by increasing the trading volume and by introducing risk management products. So, the economic growth and the financial system work hand in hand.

6) **To Ensure Stability and Resilience:** Financial market is a part of the main branch of the financial system. There will be more stability and resilience as the system gets deeper. The Central Bank of the country can make effective policies if it is supported by well organised money and capital market instruments. The onus is on the financial markets to create a well-balanced and efficient financial system which comprises of both the financial market and the financial institutions. If there is any imbalance, similar problems will arise as experienced in South-East Asia.

7) **Introduction of Discipline in Management Companies and Guiding them:** The financial system also ensures that management companies work under the discipline and constantly guides for the same. When the domestic and the foreign financial system are linked together, the flow of the capital is increased. This combination reduces the risk by diversifying the portfolio and boosts the growth.

8) **Accelerating the Rate of Economic Growth:** There exists a bilateral and mutual relation between the financial system and the economic growth. A well developed and balanced financial system boosts the rate of the economic growth.

3.1.5. Major Issues in Indian Financial System

Indian financial system faces the following issues:

1) **Missing Coordination among the Financial Institutions:** Significant number of financial institutions exists and the government controls and operates the most important ones. Alongside controlling the FIs, government also exercises control over the regulatory of the financial institutions. Such situation leads to lack of coordination. With the presence of number of institutions in the financial system, there always exists lack of coordination in their operations.

जाती है जो लाभप्रदता को बढ़ाती है। एक उचित प्रकार से विविध वित्तीय प्रणाली वाले देश राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखते हैं तथा उनके उत्पादों का नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

4) **संपत्तियों का मूल्यांकन, तरलता में वृद्धि, सूचना का सृजन तथा प्रसार करना**– प्रतिफल की दर पर प्रभाव डालने के अतिरिक्त, यह आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। एक अच्छी वित्तीय प्रणाली संपत्तियों का मूल्यांकन करती है, तरलता में वृद्धि करती है तथा आवश्यक सूचना प्रसारित करती है।

5) **जोखिम प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करना**– एक वित्तीय प्रणाली एक आवश्यकता–आधारित प्रणाली है। यह धन की आवश्यकता में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। वर्तमान परिदृश्य के दौरान, संसार ने बेहतर जोखिम प्रबंधन सेवाओं की माँग में वृद्धि देखी है। इसे व्यापार की मात्रा में वृद्धि करके तथा जोखिम प्रबंधन उत्पादों को प्रस्तुत करके पूरा किया गया। इसलिए, आर्थिक विकास एवं वित्तीय प्रणाली साथ–साथ कार्य करती हैं।

6) **स्थिरता एवं लचीलापन सुनिश्चित करना**– वित्तीय बाजार वित्तीय प्रणाली की मुख्य शाखा का एक भाग है। जैसे–जैसे प्रणाली गहन होगी, अधिक स्थिरता तथा लचीलापन आयेगा। देश का केंद्रीय बैंक प्रभावी नीतियाँ बना सकता है यदि यह उचित प्रकार से संगठित धन एवं पूँजी बाजार के साधनों द्वारा समर्थित हो। यह वित्तीय बाजारों पर एक उचित प्रकार से संतुलित एवं कुशल वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए दायित्व है जिसमें वित्तीय बाजार एवं वित्तीय संस्थान दोनों शामिल होते हैं। यदि कोई असंतुलन होता है, तो दक्षिण–पूर्व एशिया में अनुभव की गई समान समस्याएँ उत्पन्न होगी।

7) **प्रबंधन कंपनियों में अनुशासन का परिचय एवं उनका मार्गदर्शन करना**– वित्तीय प्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि प्रबंधन कंपनियाँ अनुशासन के अंतर्गत कार्य करती हैं तथा इसके लिए निरंतर मार्गदर्शन करती हैं। जब घरेलू एवं विदेशी वित्तीय प्रणाली को एक साथ संबंधित किया जाता है, तो पूँजी का प्रवाह बढ़ जाता है। यह संयोजन पोर्टफोलियो में विविधता लाकर जोखिम को कम करता है तथा विकास को बढ़ावा देता है।

8) **आर्थिक विकास की दर में तेजी लाना**– वित्तीय प्रणाली तथां आर्थिक विकास के मध्य एक द्विपक्षीय एवं पारस्परिक संबंध विद्यमान होता है। एक उचित प्रकार से विकसित तथा संतुलित वित्तीय प्रणाली आर्थिक विकास की दर को बढ़ाती है।

3.1.5. भारतीय वित्तीय प्रणाली की प्रमुख समस्याएँ

भारतीय वित्तीय प्रणाली निम्नलिखित समस्याओं का सामना करती है–

1) **वित्तीय संस्थानों के मध्य समन्वय का अभाव**– वित्तीय संस्थानों में महत्वपूर्ण संख्या उपस्थित हैं तथा सरकार प्रत्येक महत्वपूर्ण लोगों को नियंत्रित एवं संचालित करती है। वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने के साथ–साथ सरकार वित्तीय संस्थानों के विनियामक पर भी नियंत्रण रखती है। ऐसी स्थिति में समन्वय की कमी होती है। वित्तीय प्रणाली में संस्थानों की संख्या की उपस्थिति के साथ, उनके संचालन में सदैव समन्वय का अभाव रहता है।

2) **Monopolistic Market Structure:** In India, some of the financial institutions capture the major portion of the market share and thus it leads to a monopolistic structure in the financial system. **For example,** LIC holds majority stake of the life insurance business in India. So the presence of these large corporations may disrupt the entire financial system of the nation.

3) **Major Hold of Development Banks in the Industrial Financing:** Development banks are considered as the most indispensible part of the financial system and hold a significant role in the capital market. In India, majority of the industrial financing is routed through the financial institutions which are created by the government at the national as well as the regional level. However, new methods of raising finance from the public have been introduced in the recent past like issuing bonds or debentures.

4) **Inactive and Erratic Capital Market:** At present, due to regular frauds and scams taking place, the public at large is losing confidence in the market and thus is not an attractive and dependable segment for the investors. This causes a serious area of concern in the capital market.

5) **Imprudent Financial Practice:** The development banks hold majority of the market share among the corporate clients and has lead to the development of imprudent market practices. Majority of the funds are provided by them in form of term loans giving rise to the debt content in the capital structure.

3.2. COMPONENTS OF INDIAN FINANCIAL SYSTEM

There are four segments or components of the Indian financial system. These are financial institutions, financial markets, financial instruments and financial services. The structure of financial system in an economy is shown in the **figure below:**

2) **एकाधिकारवादी बाजार संरचना**– भारत में, कुछ वित्तीय संस्थान बाजार भागीदारी के प्रमुख भाग पर अधिकार प्राप्त करते हैं तथा इस प्रकार वित्तीय प्रणाली में एकाधिकारवादी संरचना उत्पन्न होती है। **उदाहरण के लिए**– LIC के पास भारत में जीवन बीमा व्यवसाय की अधिकांश भागीदारी है। अतः इन बड़े निगमों की उपस्थिति देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकती है।

3) **औद्योगिक वित्त पोषण में विकास बैंकों की प्रमुख पकड़**– विकास बैंकों को वित्तीय प्रणाली का सबसे अनिवार्य भाग माना जाता है जो पूँजी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में, अधिकांश औद्योगिक वित्तपोषण वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किया जाता है जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर किए जाते हैं। हालाँकि, आधुनिक दिनों में जनता से वित्त एकत्रित करने के नई विधि प्रारम्भ की गई हैं जैसे बांड या ऋणपत्र निर्गमित करना।

4) **निष्क्रिय एवं अनियमित पूँजी बाजार**– वर्तमान में, नियमित धोखाधड़ी एवं घोटालों के कारण, बड़े स्तर पर जनता का बाजार से विश्वास कम हो रहा है तथा इस प्रकार यह निवेशकों के लिए एक आकर्षक एवं विश्वसनीय भाग नहीं है। यह पूँजी बाजार में एक गंभीर चिंता का विषय है।

5) **अविवेकपूर्ण वित्तीय व्यवहार**– विकास बैंकों के पास निगमित ग्राहकों के मध्य बाजार भागीदारी का अधिकांश भाग है तथा इसने अविवेकपूर्ण बाजार व्यवहार का विकास किया है। पूँजी संरचना में ऋण विषय वस्तु को उत्पन्न करने वाले अधिकांश धन उनके द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

3.2. भारतीय वित्तीय प्रणाली के घटक

भारतीय वित्तीय प्रणाली के चार अनुभाग या घटक हैं। ये वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार, वित्तीय साधन एवं वित्तीय सेवाएँ हैं। किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली की संरचना को नीचे दिए गए **चित्र** में दर्शाया गया है–

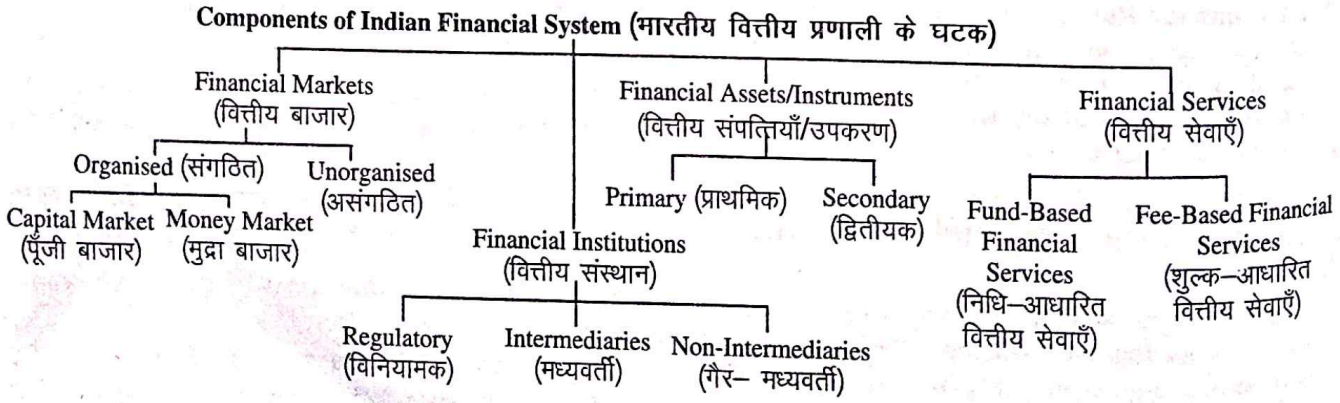

1) **Financial Markets:** There does not exist a physical or geographical location that can be termed as a financial market but all the financial transactions are deemed to occur in the financial market. So, it can be said that as financial transactions are pervasive in nature, financial markets are also pervasive.

1) **वित्तीय बाजार**– ऐसा कोई भौतिक या भौगोलिक स्थिति उपस्थित नहीं होता है जिसे वित्तीय बाजार कहा जा सकता है परंतु सभी वित्तीय लेनदेन वित्तीय बाजार में घटित होने वाले माने जाते हैं। अतः, यह कहा जा सकता है कि चूँकि वित्तीय लेनदेन प्रकृति में व्यापक हैं, अतः वित्तीय बाजार भी व्यापक होते हैं।

Basically, a financial market is a common place where the buyers and the sellers of financial instruments meet and exchange products. Stock exchange may be termed as a place where these transactions take place and a location for the financial market.

2) **Financial Institutions:** Different kinds of organisations which act as an intermediary and facilitator in financial transactions at the individual and the corporate level are included in the term financial institutions. Thus, it covers both the institutions providing finance and the investing institutions in it. They are the ones who channelise the savings and allocate the funds in the most optimum manner.

3) **Financial Assets and Instruments:** A financial instrument is an acknowledgement for a person entitling him against the claim that is receivable from another person or institution, while the person is in regular receipt of interest or dividend. These financial instruments assist the market in routing the funds from the lender to the borrower in consideration of interest. There are number of products that are available and they vary in terms of return, liquidity, marketability, reversibility, types of assets, risk and the transaction cost.

Following are the three major forms of the Indian financial instruments and assets:

i) **Money Market Instruments:** It is a component of the financial market for assets involved in short-term borrowing, lending, buying and selling with original maturities of one year or less.

ii) **Capital Market Instruments:** Capital market instruments are long-term financial instruments in the form of debt or equity that are traded either on a securities exchange or directly between investors and borrowers.

iii) **Derivatives:** A derivative instrument is a financial instrument which derives its value from the underlying asset. Following are the types of derivatives:

a) **Forwards:** This type of contract is a tailor-made contract, catering the need of the two parties. Under this, the **contract** is settled at a certain future date at a predetermined price.

b) **Futures:** This is an arrangement between two parties, where they agree to purchase or sell a particular asset on a predetermined time in future on a specific price. They are just like the forward contracts, the only difference being that the forwards contracts are standardised and dealt on the stock exchange.

c) **Options:** An option buyer acquires the right to buy or sell a specified amount of currency for another currency at a specific rate.

मूल रूप से, एक वित्तीय बाजार एक सामान्य स्थान है जहाँ वित्तीय साधनों के क्रेता एवं विक्रेता मिलते है तथा उत्पादों का आदान–प्रदान करते हैं। विनिमय स्कंध को उस स्थान के रूप में कहा जा सकता है जहाँ ये लेनदेन होते हैं तथा वित्तीय बाजार के लिए एक स्थान होता है।

2) **वित्तीय संस्थान**– विभिन्न प्रकार के संगठन जो व्यक्तिगत एवं निगमित स्तर पर वित्तीय लेनदेन में मध्यस्थ तथा सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें वित्तीय संस्थान शब्द में शामिल किया गया है। इस प्रकार, इसमें वित्त प्रदान करने वाले संस्थानों तथा इसमें निवेश करने वाले संस्थानों दोनों को शामिल किया जाता है। वे वही होते हैं जो बचत को प्रणालीगत बनाते हैं तथा सबसे इष्टतम प्रकार से कोष आवंटित करते हैं।

3) **वित्तीय संपत्ति एवं साधन**– एक वित्तीय साधन एक व्यक्ति के लिए एक अभिस्वीकृत होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से प्राप्त होने वाले दावे के विरूद्ध उसका अधिकार प्रदान करता है, जबकि वह व्यक्ति ब्याज या लाभांश को नियमित रूप से प्राप्त करते है। ये वित्तीय साधन बाजार के ब्याज को ध्यान में रखते हुए ऋणदाता से उधारकर्ता तक निधि पहुंचाने में सहायता करते हैं। ऐसे विभिन्न उत्पाद हैं जो उपलब्ध हैं तथा वे प्रतिफल, तरलता, विपणन क्षमता, प्रतिवर्तीता, संपत्ति के प्रकार, जोखिम एवं लेनदेन लागत के संदर्भ में भिन्न होता हैं।

भारतीय वित्तीय साधनों एवं संपत्तियों के तीन प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं–

i) **मुद्रा बाजार साधन**– यह एक वर्ष या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक उधार लेने, उधार देने, क्रय एवं विक्रय करने में शामिल संपत्तियों के लिए वित्तीय बाजार का एक घटक है।

ii) **पूँजी बाजार साधन**– पूँजी बाजार साधन ऋृण या समता के रूप में दीर्घकालिक वित्तीय साधन होते हैं जिनका व्यापार या तो प्रतिभूति विनिमय पर या प्रत्यक्ष रूप से निवेशकों तथा उधारकर्ताओं के मध्य होता है।

iii) **व्युत्पन्न**– एक व्युत्पन्न साधन एक वित्तीय साधन है जो अंतर्निहित परिसंपत्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है। व्युत्पन्न निम्नलिखित प्रकार के होते हैं–

a) **अग्रिम**– इस प्रकार का अनुबंध एक टेलर मेड अनुबंध है, जो दोनों पक्षों की आवश्यकता को पूरा करता है। इसके अंतर्गत अनुबंध एक निश्चित भावी तिथि में एक पूर्व निर्धारित कीमत पर निर्धारित किया जाता है।

b) **वायदा**– यह दो पक्षों के मध्य एक व्यवस्था है, जहाँ वे भविष्य में एक विशिष्ट कीमत पर एक विशेष संपत्ति को पूर्व निर्धारित समय पर क्रय या विक्रय करने के लिए सहमत होते हैं। ये वायदा अनुबंधों के समान होते हैं, अंतर केवल इतना है कि फॉरवर्ड अनुबंधों मानकीकृत होते है तथा इसका स्कन्ध विनिमय में लेन–देन किया जाता है।

c) **विकल्प**– एक विकल्प क्रेता एक विशिष्ट दर पर किसी अन्य मुद्रा के लिए एक निर्दिष्ट मात्रा में मुद्रा क्रय या विक्रय करने का अधिकार प्राप्त करता है।

d) **Swaps:** They are private contracts among two persons for exchange of cashflows at a future date on pre-decided terms. They may also be termed as the portfolios of forward contracts.

4) **Financial Services:** Important financial services like that of leasing, credit rating, hire purchase, merchant banking, etc., are rendered by these financial intermediaries. These services are crucial in reducing the gap resulting out of ignorance and unavailability of information among the investors and the rising complexity in financial instruments and the markets. These financial services play a crucial role in the creation of the firms, expansion of the industry and thus leading to the economic growth. The financial services are classified further in two categories:

i) **Asset and Fund-Based Financial Services:** Asset based finance is termed as funding against a range of corporate assets including accounts receivable, inventory, plant and machinery, real estate and sometimes even intellectual property and brands.

It is the method of making a loan secured by an asset. It includes the following:

a) **Lease Financing:** It is a financial contractual arrangement where one party having ownership of an asset lends the same to another for usage for certain duration *in lieu* or regular and periodic payments known as rent. At the expiry of the lease period the assets comes back to the original owner known as the lessor from the lessee. However, the parties may further renew the agreement.

b) **Hire Purchase:** It refers to hiring of an asset for a certain period and after the expiry of the period acquiring the same asset. The concept of time sharing is followed in this case. The person who hires the asset eventually ends up purchasing it. It is used as a tool in financing capital goods like industrial finance, consumer goods.

c) **Factoring:** The term **'factoring'** is originated from Latin word 'Factor' which means 'doer'. The **Webster's New Collegiate Dictionary** has defined a factor as 'one that lends money to producers and dealers on the security of accounts receivables'.

d) **Forfaiting:** Forfaiting is a form of financing of receivables arising in the course of overseas trade. It refers to the purchasing of trade bills or promissory notes issued by the banks or the financial institutions without recourse to seller. Finance is carried out by discounting the instruments and taking over the entire risk involved in case of default payment.

d) **विनिमय**– यह पूर्व–निर्धारित शर्तों पर भावी की तिथि में नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए दो व्यक्तियों के मध्य निजी अनुबंध हैं। इन्हें अग्रिम अनुबंधों के पोर्टफोलियो के रूप में भी माना जा सकता है।

4) **वित्तीय सेवाएँ**– महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएँ जैसे लीजिंग,साख दर, किराया क्रय, व्यापारिक बैंकिंग आदि इन वित्तीय मध्यस्थों द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएँ निवेशकों के मध्य अज्ञानता एवं सूचना की अनुपलब्धता तथा वित्तीय साधनों एवं बाजारों में बढ़ती जटिलता के परिणामस्वरूप अंतराल को कम करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ये वित्तीय सेवाएँ फर्मों के निर्माण, उद्योग के विस्तार तथा इस प्रकार आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वित्तीय सेवाओं को आगे दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–

i) **संपत्ति एवं निधि–आधारित वित्तीय सेवाएँ**– संपत्ति आधारित वित्त को विभिन्न निगमित संपत्ति के प्रति निधिकरण कहा जाता है, जिसमें प्राप्य खाते, रहतिया, संयंत्र एवं मशीनरी, रियल एस्टेट तथा कभी–कभी बौद्धिक संपदा एवं ब्रांड भी शामिल होते हैं।

यह किसी संपत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण बनाने की विधि है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

a) **पट्टा का वित्तपोषण**– यह एक वित्तीय संविदात्मक व्यवस्था है, जिसमें जिस पक्ष के पास संपत्ति का स्वामित्व होता है, वह दूसरे पक्षकार को किराये के रूप में ज्ञात नियमित एवं आवधिक भुगतान के बदले निश्चित अवधि के उपयोग के लिए उधार देता है। पट्टे की अवधि की समाप्ति पर संपत्ति मूल स्वामी के पास वापस आ जाती है जिसे पट्टेदार से पट्टादाता के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, पक्ष समझौते को पुनः नवीनीकृत कर सकते हैं।

b) **किराया क्रय**– यह एक निश्चित अवधि के लिए एक संपत्ति को किराए पर लेने तथा उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् उसी संपत्ति के अधिग्रहण को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में समय साझा करने की अवधारणा का पालन किया जाता है। जो व्यक्ति संपत्ति को किराए पर लेता है वही व्यक्ति अंत में इसे क्रय करता है। इसका उपयोग औद्योगिक वित्त, उपभोक्ता वस्तुओं जैसे पूँजीगत वस्तुओं के वित्तपोषण में एक साधन के रूप में किया जाता है।

c) **फैक्टरिंग**– **'फैक्टरिंग'** शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'फैक्टर' से हुई है **जिसका** अर्थ है 'कर्ता'। **वेबस्टर्स न्यू कॉलेजिएट डिक्शनरी** ने एक कारक को परिभाषित किया है 'वह जो खाता प्राप्तियों की सुरक्षा पर उत्पादकों एवं डीलरों को धन उधार देता है।'

d) **संरूपण**– संरूपण विदेशी व्यापार के दौरान प्राप्त होने वाली राशियों के वित्तपोषण का एक रूप है। यह बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा विक्रेता को सहारा दिए बिना निर्गमित किए गए व्यापार बिल या वचन पत्रों के क्रय को संदर्भित करता है। साधनों को छूट देकर तथा त्रुटिपूर्ण भुगतान की स्थिति में संपूर्ण जोखिम को लेकर वित्त किया जाता है।

e) **Mutual Fund:** Under this the investment made by the investors are pooled together and the same is invested in securities like stock, bonds and money market instrument and other allied assets.

f) **Exchange Traded Fund:** It is just like other investment funds that are traded on the stock exchange. Assets like stock, commodities, bonds, etc., are traded close to their NAV during the daily trading. Majority of these funds track an index like stock or the bond index.

g) **Consumer Credit or Consumer Finance:** It is the phenomenon of providing credit to the consumers for the purchase of consumer durable goods for everyday use. There are other names for the same concept like deferred payments, credit merchandising, instalment buying, pay as you earn scheme, pay out of income scheme, hire purchase, easy payment, instalment credit plan, credit buying, etc.

h) **Bill Discounting:** It denotes a short-term money market instrument and assists in financing credit trade related transactions. Normally, bills are discounted with the bank in the ordinary course of the trading activity.

i) **Housing Finance:** It is a set of financial arrangements which are rendered by the Housing Finance Companies to finance the need of funds for the construction and the purchase of house.

j) **Venture Capital:** It consists of two words that are, 'venture' and 'capital'. The first term venture means a course or a proceeding where the result is uncertain but the risk of loss arising exists. While the other term capital means the funds required to initiate the venture.

ii) **Fee-Based Financial Services:** Fee-based financial services do not create funds on the outset, rather, they ensure that the funds are created via their services for which a fee is charged by them. It comprises of:

a) **Merchant Banking:** It may be an institution or an individual who may be an agent for the corporation and the municipalities issuing securities. Further, broker or dealer operations are also maintained by them alongside and they also trade in existing issued securities. They also offer advice related to the investments to the investors in general.

b) **Credit Rating:** It is the process of allocating symbols having unique reference to the different instruments being rated, that indicate the opinion of the issuer to issue debt-related instruments on the ability to pay off the debt in timely manner is known as credit rating.

e) **म्यूचुअल फंड**–इसके अंतर्गत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को एक साथ जमा किया जाता है और इसे स्टॉक, बॉन्ड एवं मुद्रा बाजार साधन एवं अन्य संबद्ध संपत्तियों जैसी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।

f) **विनिमय व्यापार निधि**–यह अन्य निवेश निधियों के समान होता है जिसका स्कंध विनिमय में व्यापार किया जाता हैं। दैनिक व्यापार के दौरान स्कंध, कमोडिटीज, बॉन्ड आदि जैसी संपत्तियों का उनके शुद्ध संपत्ति मूल्य के समीप व्यापार किया जाता है। इनमें से अधिकांश निधि स्कंध या बॉन्ड सूचकांक जैसे सूचकांक को ज्ञात करते हैं।

g) **उपभोक्ता साख या उपभोक्ता वित्त**– यह उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग के लिए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को क्रय करने के लिए ऋण प्रदान करने की स्थिति है। इस अवधारणा के अन्य नाम हैं जैसे आस्थगित भुगतान, साख व्यापार, किश्त पर क्रय करना, आय योजना के अनुसार भुगतान आय योजना से भुगतान, किराया क्रय, सरल भुगतान, किश्त साख योजना, साख क्रय आदि।

h) **छूट बिल**–यह एक अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधन को दर्शाता है तथा साख व्यापार से संबंधित लेनदेन के वित्तपोषण में सहायता करता है। सामान्य रूप से, व्यापारिक गतिविधि के सामान्य पाठ्यक्रम में बैंक के साथ बिलों को भुनाया जाता है।

i) **आवास वित**–यह वित्तीय व्यवस्थाओं का एक समूह है जो आवास वित्त कंपनियों द्वारा आवास निर्माण एवं क्रय के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।

j) **उद्यम पूँजी**–इसमें दो शब्द होते हैं, 'उद्यम' तथा 'पूँजी'। प्रथम शब्द उद्यम का अर्थ एक पाठ्यक्रम या एक कार्यवाही है जहाँ परिणाम अनिश्चित होता है परंतु हानि होने का जोखिम उपस्थित होता है। जबकि अन्य शब्द पूँजी का अर्थ उद्यम प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक निधि है।

ii) **शुल्क–आधारित वित्तीय सेवाएँ**–शुल्क–आधारित वित्तीय सेवाएँ प्रारम्भ में निधि का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करती हैं कि निधि का सृजन उनकी सेवाओं के माध्यम से किया जाए जिसके लिए उनके द्वारा शुल्क लिया जाता है। इसमें निम्न शामिल हैं–

a) **व्यापारिक बैंक**–यह एक संस्था या एक व्यक्ति हो सकता है जो निगम एवं नगर पालिकाओं के लिए प्रतिभूतियाँ जारी करने वाले एक एजेंट हो सकते है। इसके अतिरिक्त, उनके साथ–साथ दलाल या डीलर के कार्य को भी नियंत्रित किया जाता है तथा वे उपस्थित जारी प्रतिभूतियों में भी व्यापार करते हैं। ये सामान्य रूप से निवेशकों को निवेश से संबंधित सलाह भी प्रदान करते हैं।

b) **साख दर**–यह मूल्यांकन किए जा रहे विभिन्न साधनों के लिए विशिष्ट संदर्भ वाले प्रतीकों को आवंटित करने की प्रक्रिया है, जो समय पर ऋण का भुगतान करने की क्षमता पर ऋण से संबंधित साधनों को निर्गमित करने के लिए जारीकर्ता की राय को साख दर के रूप में जाना जाता है।

c) **Stock Broking:** The mechanism under which the buyer and the seller of the securities come to a particular place like stock exchange for transaction dealing is termed as stock broking.

d) **Debt Securitisation:** It is the process by which assets like auto loan receivables, cash credit receivables, mortgage loans are converted into tradable investment.

e) **Letters of Credit:** It is commonly referred as LC. It is a written document which is issued by the buyers bank to the sellers bank to reimburse the cost of goods and services that are supplied by the seller to the buyer when the documents are submitted within the particular timeframe at a specified time and specified place, upto a certain amount and to a particular bank on the condition that the documents are submitted in accordance with terms and the conditions implied.

f) **Bank Guarantees:** It is the contract between the client and the issuing bank where the bank assumes the responsibility to settle the claims of the client for the customer for which the guarantee was given.

3.3. FINANCIAL SYSTEM AND DEVELOPMENT

The various roles of financial system in the economic development of the country are as follows:

1) **Saving Mobilisation:** The financial markets collect funds from the savers or surplus units like household individuals, business firms, public sector units, central governments, etc. The borrowers like bond issuers and lenders like bond buyers are connected in the financial markets.

2) **Investment:** The financial system helps in investing funds. The firms and individuals by the help of financial markets make investments by buying stocks of various companies.

3) **Banking Systems:** The banks play an important role in national financial system. The banks provide individuals the way to save their earnings. It gives capital to the companies which either want to start the operation or want to stay in the market by giving loans. If the companies do not get the sufficient amount of capital then their growth will decrease and they will not be able to earn profit for the owner and investors. The banks invest the savings into the business in the form of loans. They also offer various kinds of loans like car loan, home loan, etc., to individuals who indirectly help in increasing the economic growth and development of the country.

4) **National Growth:** The financial system enables continuous movement of surplus funds to required sectors which helps in maintaining the national growth. The financial system provides funds to various firms and industries according to the demand and supply of the products.

c) **स्कंध दलाली**–जिस तंत्र के अंतर्गत प्रतिभूतियों के क्रेता एवं विक्रेता लेन–देन के सौदे के लिए स्कंध विनिमय जैसे किसी विशेष स्थान पर आते हैं, उसे स्कंध दलाली कहा जाता है।

d) **ऋण प्रतिभूतिकरण**–यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वतः ऋण प्राप्य, नकद साख प्राप्य, बंधक ऋण जैसी संपत्ति को व्यापार योग्य निवेश में परिवर्तित किया जाता है।

e) **साख पत्र**–इसे सामान्यतः LC के रूप में जाना जाता है। यह एक लिखित उपकरण होता है जो क्रेता बैंक द्वारा विक्रेता बैंक को निर्गमित किया जाता है ताकि विक्रेता द्वारा क्रेता को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति की जा सके, जब दस्तावेज एक निर्दिष्ट समय तथा निर्दिष्ट स्थान पर विशेष समय सीमा के अंतर्गत जमा किए जाते हैं, एक निश्चित राशि तक तथा किसी विशेष बैंक को इस शर्त पर कि दस्तावेज निहित नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं।

f) **बैंक गारंटी**–यह ग्राहक तथा निर्गमनकर्ता बैंक के मध्य का अनुबंध है जहाँ बैंक ग्राहक के लिए ग्राहक के दावों को निपटाने का उत्तरदायित्व लेती है जिसके लिए गारंटी प्रदान की गई थी।

3.3. वित्तीय प्रणाली एवं विकास

देश के आर्थिक विकास में वित्तीय प्रणाली की विभिन्न भूमिकाएँ निम्न प्रकार हैं–

1) **बचत एकत्रीकरण**– वित्तीय बाजार बचतकर्ताओं या अधिशेष इकाईयों जैसे घरेलू व्यक्तियों, व्यापारिक फर्मों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों, केंद्र सरकारों आदि से धन एकत्र करते हैं। बांड जारीकर्ता जैसे ऋणकर्ता तथा बांड क्रेता जैसे ऋणदाता वित्तीय बाजारों से संबंधित हैं।

2) **निवेश**–वित्तीय प्रणाली निधियों के निवेश में सहायता करती है। वित्तीय बाजारों की सहायता से फर्म तथा व्यक्ति विभिन्न कंपनियों के स्कंधों को क्रय करके निवेश करते हैं।

3) **बैंकिंग प्रणाली**–बैंक राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बैंक व्यक्तियों को अपनी आय बचाने का तरीका प्रदान करती हैं। यह उन कंपनियों को पूँजी प्रदान करती है जो या तो परिचालन प्रारम्भ करना चाहती हैं या ऋण प्रदान करके बाजार में बने रहना चाहती हैं। यदि कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में पूँजी प्राप्त नहीं होता है तो उनकी वृद्धि में कमी हो जाएगी तथा वे स्वामी एवं निवेशकों के लिए लाभ अर्जित नहीं कर पाएंगे। बैंक इस बचत को व्यवसाय में ऋण के रूप में निवेश करती हैं। वे उन व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के ऋण जैसे कार ऋण, गृह ऋण, आदि भी प्रदान करते है, जो अप्रत्यक्ष रूप से देश के आर्थिक विकास की वृद्धि में सहायता करते हैं।

4) **राष्ट्रीय विकास**–वित्तीय प्रणाली आवश्यक क्षेत्रों में अधिशेष निधियों के संचलन को सक्षम बनाती है जो राष्ट्रीय विकास को बनाए रखने में सहायता करती है। वित्तीय प्रणाली उत्पादों की माँग एवं आपूर्ति के अनुसार विभिन्न फर्मों एवं उद्योगों को निधि उपलब्ध कराती है।

5) **Monetary Policy:** The financial system is required for issue of currency and also provides interest rates for the central bank. They are also required for framing monetary policy. It sets high interest rate for helping the currency value and low interest rate helps in increasing the lending and investment along with the risk of currency devaluation and price inflation. The constant monetary policy helps in increasing the economic stability and growth.

6) **Entrepreneurship Growth:** The financial system gives various kinds of assistance to an entrepreneur like providing funds required for the projects and companies.

3.4. FINANCIAL MARKETS

3.4.1. Meaning of Financial Market

Finance is considered to be one of the most important ingredients of the contemporary business. **Financial markets** comprise of the entire institutional set-up in place, which primarily deals with various financial instruments, including credits extended in the form of cash, cheques, bank deposits, bills, etc.

A financial market offers a platform for individuals, various entities, and institutions to enter into trading activities in respect of different financial instruments (such as equities, debentures, bonds, etc.), commodities (such as gold, silver, and other precious metals, or agricultural produces) and other items/goods of fungible nature. Such offer is made available at a reasonable transaction cost, which represents an efficient-market hypothesis. Financial market is a meeting ground for the market players, viz. the buyers and the sellers interested in trading in various financial instruments and commodities are gathered together. Markets may be classified into two categories, (i) general market, where different kinds of instruments and commodities are traded and (ii) specialised market, which is meant for trading in specific instrument/commodity.

Financial markets may be domestic or international depending upon the activities undertaken therein and the participants thereof. Following activities are facilitated by the markets:

1) The raising of capital (platform for which is the capital market);
2) The transfer of risk (platform for which is the derivative market);
3) International trade (platform for which is the foreign exchange market).

3.4.2. Features of Financial Markets

Financial markets are characterised by the following features:

1) **Large Volume of Transactions:** One of the salient features of the financial markets pertains to the high level of transaction volumes, and the pace at which various financial resources can move between different markets.

5) **मौद्रिक नीति**– मुद्रा निर्गमित करने के लिए वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता होती है तथा केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरें भी प्रदान करती हैं। मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। यह मुद्रा मूल्य में सहायता करने के लिए उच्च ब्याज दर निर्धारित करता है तथा न्यूनतम ब्याज दर मुद्रा अवमूल्यन एवं मूल्य मुद्रास्फीति के जोखिम के साथ–साथ ऋण तथा निवेश को बढ़ाने में सहायता करती है। निरंतर मौद्रिक नीति आर्थिक स्थिरता एवं विकास की वृद्धि में सहायता करती है।

6) **उद्यमिता विकास**– वित्तीय प्रणाली एक उद्यमी को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है जैसे परियोजनाओं तथा कंपनियों के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराती है।

3.4. वित्तीय बाजार

3.4.1. वित्तीय बाजार का अर्थ

वित्त को समकालीन व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण संघटकों में से एक माना जाता है। **वित्तीय बाजारों** में संपूर्ण संस्थागत व्यवस्था शामिल होती है, जो मुख्य रूप से विभिन्न वित्तीय साधनों से संबंधित है, जिसमें नकद, चेक, बैंक जमा, बिल आदि के रूप में प्रदान किए गए साख शामिल होते हैं।

एक वित्तीय बाजार व्यक्तियों, विभिन्न संस्थाओं तथा संस्थाओं को विभिन्न वित्तीय साधनों (जैसे समता, ऋणपत्र, बांड, आदि), वस्तुओं (जैसे सोना, चांदी तथा अन्य कीमती धातुओं या कृषि उत्पाद) के संबंध में व्यापारिक गतिविधियों में प्रवेश करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस प्रकार का प्रस्ताव उचित लेनदेन लागत पर उपलब्ध कराया जाता है, जो एक कुशल बाजार परिकल्पना का प्रतिनिधित्व करती है। वित्तीय बाजार प्रतिस्पर्धियों के मिलन के लिए एक बैठक का स्थान है, जैसे– विभिन्न वित्तीय साधनों एवं वस्तुओं में व्यापार करने में रुचि रखने वाले क्रेता तथा विक्रेता एक साथ एकत्रित होते हैं। बाजारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, (i) सामान्य बाजार, जहाँ विभिन्न प्रकार के साधनों एवं वस्तुओं का व्यापार होता है तथा (ii) विशिष्ट बाजार, जो विशिष्ट साधन/वस्तु में व्यापार के लिए होता है।

वित्तीय बाजार घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं जो उनमें की गई गतिविधियों तथा उसके प्रतिभागियों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित गतिविधियाँ बाजारों द्वारा सुगम बनायी जाती हैं–

1) पूँजी एकत्रित करना (जिस मंच के लिए पूँजी बाजार है)
2) जोखिम का हस्तांतरण (जिस मंच लिए व्युत्पन्न बाजार है),
3) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (जिस मंच के लिए विदेशी विनिमय बाजार है)।

3.4.2. वित्तीय बाजारों की विशेषताएँ/लक्षण

वित्तीय बाजारों की निम्नलिखित विशेषताएँ होती है–

1) **लेन–देन की बड़ी मात्रा**– वित्तीय बाजारों की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि लेनदेन की उच्च मात्रा तथा उस गति से सम्बन्धित है जिस पर विभिन्न वित्तीय संसाधन विभिन्न बाजारों के मध्य स्थानान्तरित हो सकते है।

2) **Various Segments:** Financial markets are composed of a number of sub-divisions, e.g. equities market, debts/bonds market, derivatives market, etc. Each of such sub-divisions may be further divided into the primary market and secondary market. Investment decisions are generally taken by the savers on the basis of risk perception and benefits accrued there from.

3) **Instant Arbitrage:** Due to the fact that there are a number of markets and a number of financial instruments in existence, there is enough opportunity for quick arbitrage, if a proper check is kept on the market movements.

4) **Volatility:** Movements of financial markets are unpredictable, as they are quite sensitive to any political/economic development, either domestic or global. Any negative/positive development in the political/economic arena or even in respect of a specific company/group of companies may impact the markets either way. Instances of distress selling or panic buying are common place news in markets.

5) **Dominated by Financial Intermediaries:** Most of the major/big players in markets are financial intermediaries; they take investment decisions on behalf of their clients. At times, the risks involved in those investment decisions are also borne by such intermediaries.

6) **Negative Externalities:** Another hallmark of the financial markets is their association with negative externalities. Any negative development in one of the market segments is likely to have a contagious effect not only on other financial market segments, but also on non-financial markets.

7) **Integration with Worldwide Financial Markets:** Of late, the domestic financial markets and the global financial markets are under the process of assimilation with each other. Any positive or negative sentiment of one market is bound to impact the other one. As a result, markets do not operate on standalone basis anymore. Sub-prime crisis of USA (2008) is a burning example of such integration.

3.4.3. Functions of Financial Market

Financial markets are expected to perform the following functions:

1) **Mobilisation of Savings and their Channelisation into more Productive Uses:** Financial markets encourage people to save more, as they act as a conduit for channelising household savings. Appropriate use of idle cash is ensured by deploying them at places where they are required most. They also provide suitable returns to the investors. This process is carried out through the help of a number of financial instruments, which are designed to cater the needs of various categories of investors.

2) **विभिन्न अनुभाग–** वित्तीय बाजार विभिन्न उप–विभाजनों से बने होते हैं, **उदाहरण के लिए–** समता बाजार, ऋण/बांड बाजार, व्युत्पन्न बाजार, आदि। ऐसे प्रत्येक उप–विभाजन को आगे प्राथमिक बाजार तथा द्वितीयक बाजार में विभाजित किया जा सकता है। निवेश के निर्णय इसके परिणामस्वरूप बचतकर्ताओं द्वारा जोखिम धारणा तथा उससे अर्जित लाभों के आधार पर प्राप्त किये जाते हैं।

3) **त्वरित मध्यस्थता–** इस तथ्य के कारण कि विभिन्न बाजार तथा कई वित्तीय साधन उपस्थित हैं, यदि बाजार की गतिविधियों पर उचित जाँच की जाती है तो, तत्काल मध्यस्थता के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

4) **अस्थिरता–** वित्तीय बाजारों की प्रवृत्तियाँ अप्रत्याशित होती है, क्योंकि ये घरेलू या वैश्विक किसी भी राजनीतिक/आर्थिक विकास के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। राजनीतिक/आर्थिक क्षेत्र में या यहाँ तक कि किसी विशिष्ट कंपनी/कंपनियों के समूह के संबंध में कोई भी नकारात्मक/सकारात्मक विकास बाजार को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकता है। बाजारों में संकटग्रस्त बिक्री या घबराहट में खरीदारी के उदाहरण सामान्य स्थान की खबरें होती हैं।

5) **वित्तीय मध्यस्थों का प्रभुत्व–** बाजारों में अधिकांश प्रमुख/बड़े प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थ होते हैं, वे अपने ग्राहकों की ओर से निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं। कभी–कभी, उन निवेश निर्णयों में शामिल जोखिम भी ऐसे मध्यस्थों द्वारा वहन किए जाते हैं।

6) **नकारात्मक बाह्यताएँ–** वित्तीय बाजारों की एक अन्य पहचान नकारात्मक बाह्यताओं के साथ संबंधित है। बाजार के किसी एक भाग में किसी भी नकारात्मक विकास का न केवल अन्य वित्तीय बाजार भागों पर, बल्कि गैर–वित्तीय बाजारों पर भी स्पर्शता का प्रभाव पड़ने की संभावना है।

7) **विश्वव्यापी वित्तीय बाजारों के साथ एकीकरण करना–** आधुनिक समय में, घरेलू वित्तीय बाजार तथा वैश्विक वित्तीय बाजार एक दूसरे के साथ आत्मसात करने की प्रक्रिया के अधीन होते हैं। एक बाजार का कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक भाव दूसरे बाजार को प्रभावित करने के लिए बाध्य है। परिणामस्वरूप, बाजार अब एकल आधार पर संचालित नहीं होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सब–प्राइम संकट (2008) इस प्रकार के एकीकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है।

3.4.3. वित्तीय बाजार के कार्य

वित्तीय बाजारों से निम्नलिखित कार्य करने की अपेक्षा की जाती है–

1) **बचतों का संग्रहण तथा उनका अधिक उत्पादक उपयोगों में प्रबंधन करना–** वित्तीय बाजार व्यक्तियों को अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे घरेलू बचत को प्रणालीगत बनाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। अतिरिक्त नकदी का उचित उपयोग उन स्थानों पर सुनिश्चित किया जाता है जहाँ उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वे निवेशकों को उचित प्रतिफल भी प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया विभन्न वित्तीय साधनों की सहायता से की जाती है, जिन्हें निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों की आवयश्कताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

2) **Facilitates Price Discovery:** The determinants of the price of any goods or services are the market forces, viz. demand of a specific product or service and supply thereof in the market. The same principle is applicable in the cases of financial instruments, i.e. their price is also determined by their demand and their availability. An investor may, therefore, make an attempt from time to time to ascertain the price of the financial instruments held by him. The financial markets are facilitators of such price discovery in respect of goods, services, and securities.

3) **Provides Liquidity to Financial Assets:** Markets are the places where the market players (traders in various commodities, including securities) are present for entering into appropriate actions, i.e. buying or selling commodities/securities. In view of the above, securities continue to be liquid; it means they can be bought or sold easily. This factor elevates the confidence of the existing as well as potential investors.

4) **Reduces Transactions Cost:** At the time of taking a trading decision (buying or selling), a host of data/information is required by the trader. Gathering such data/information from different independent sources is a challenging task, requiring a lot of time and money. However, such data/information are readily available in the financial markets, which can be obtained without much loss of time and money. As a result, the cost of transaction is kept at the minimum possible level.

5) **Assist in Maintaining Balanced Economic Growth:** Financial markets are important links between the investors on one hand, and savers on the other. Therefore, they facilitate economic growth of a country in a balanced manner. They are also an effective medium through which resources are distributed amongst those who require them. In the process, technological up-gradation for the purpose of growth takes place on a regular and sustainable basis.

3.4.4. Types of Financial Market

There does not exist a physical or geographical location that can be termed as a financial market but all the financial transactions are deemed to occur in the financial market. So, it can be said that as financial transactions are pervasive in nature, financial markets are also pervasive. Basically, a financial market is a common place where the buyers and the sellers of financial instruments meet and exchange products. Stock exchange may be termed as a place where these transactions take place and a location for the financial market. In India, financial markets are classified as follows:

1) **Unorganised Markets:** Under the unorganised market, there exists a large number of indigenous bankers, money lenders, traders, etc., who lends the money to the public at large through informal

2) **कीमत की खोज की सुविधा प्रदान करना–** किसी भी वस्तुओं या सेवाओं की कीमत के निर्धारक बाजार की शक्तियाँ होती हैं जैसे बाजार में किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा की माँग तथा उसकी आपूर्ति। वित्तीय साधनों के संदर्भ में भी यही सिद्धांत लागू होता है, अर्थात् उनकी कीमत भी उनकी माँग तथा उनकी उपलब्धता से निर्धारित की जाती है। इसलिए, एक निवेशक समय–समय पर अपने द्वारा रखे गए वित्तीय साधनों की कीमत को ज्ञात करने का प्रयास कर सकता है। वित्तीय बाजार वस्तुओं, सेवाओं एवं प्रतिभूतियों के संबंध में इस प्रकार की कीमत की खोज की सुविधा प्रदान करते हैं।

3) **वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना–** बाजार वे स्थान हैं **जहाँ** बाजार के प्रतिस्पर्धी (प्रतिभूतियों सहित विभिन्न वस्तुओं के व्यापारी) उचित कार्यों में प्रवेश करने के लिए उपस्थित होते हैं, अर्थात् वस्तुओं/प्रतिभूतियों को क्रय या विक्रय करते है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूतियाँ तरल बनी रहती हैं, इसका अर्थ है कि उन्हें सरलता से क्रय या विक्रय किया जा सकता है। यह कारक उपस्थित तथा संभावित निवेशकों के विश्वास में वृद्धि करता है।

4) **लेन–देन की लागत को न्यूनतम करना–** व्यापारिक निर्णय लेने (क्रय या विक्रय) के समय, व्यापारी को डेटा/सूचनाओं की एक अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। विभिन्न स्वतंत्र स्रोतों से इस प्रकार के डेटा/सूचना को एकत्र करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें अधिक समय एवं मुद्रा की आवश्यकता होती है। हालाँकि, वित्तीय बाजारों में ऐसे डेटा/सूचना सरलता से उपलब्ध होते हैं, जिन्हें बिना अधिक समय एवं मुद्रा की हानि से प्राप्त किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, लेनदेन की लागत को न्यूनतम संभव स्तर पर रखा जाता है।

5) **संतुलित आर्थिक विकास को बनाए रखने में सहायक–** वित्तीय बाज़ार एक ओर निवेशकों तथा दूसरी ओर बचतकर्ताओं के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए, वे संतुलित प्रकार से किसी देश के आर्थिक विकास को सुगम बनाते हैं। वे एक प्रभावी माध्यम भी हैं जिसके माध्यम से संसाधनों को उन लोगों के मध्य वितरित किया जाता है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में, विकास के उद्देश्य के लिए तकनीकी उन्नयन नियमित एवं स्थायीं आधार पर होता है।

3.4.4. वित्तीय बाजार के प्रकार

ऐसा कोई भौतिक या भौगोलिक स्थान उपस्थित नहीं है जिसे वित्तीय बाजार कहा जा सकता है परंतु प्रत्येक वित्तीय लेनदेन वित्तीय बाजार में होने वाले माने जाते हैं। अतः, यह कहा जा सकता है कि चूँकि वित्तीय लेनदेन प्रकृति में व्यापक होते हैं, उसी प्रकार वित्तीय बाजार भी व्यापक होते हैं। मूल रूप से, एक वित्तीय बाजार एक सामान्य स्थान है जहाँ वित्तीय साधनों के क्रेता एवं विक्रेता मिलते हैं तथा उत्पादों का विनिमय करते हैं। स्कंध विनिमय को उस स्थान के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जहाँ ये लेनदेन होते हैं तथा यह वित्तीय बाजार के लिए एक स्थान होता है। भारत में, वित्तीय बाजारों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है–

1) **असंगठित बाजार–** असंगठित बाजार के अंतर्गत बड़ी संख्या में स्वदेशी बैंकर, साहूकार, व्यापारी आदि उपस्थित होते हैं, जो अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से जनता को बड़े स्तर पर मुद्रा उधार प्रदान करते हैं। स्वदेशी बैंकर जमा राशि

3.5. MONEY MARKET

3.5.1. An Overview of Money Market

A banking system prevailing in India where short-term funds are lent and borrowed is referred to as the **Indian Money Market**. It is a market that facilitates the commencement of businesses by providing sufficient funds for different operations like agriculture, marketing, manufacturing, and distribution of goods and services.

The regulation of the Indian money market is primarily done by the Reserve Bank of India through control of the money supply in the economy. The RBI can regulate the money market by deciding the industries to which the funds should be advanced as loans. Such a decision is taken on the basis of job opportunities produced by the industry and the ability to circulate money in the economy. Significant growth has been observed in the Indian money market over the last few years.

The Indian Money Market was highly disintegrated, unorganized, narrow, shallow and very underdeveloped before the establishment of RBI. The actual and on record development of the Indian Money Market began in the year 1951 when the planned economic development took place. It was further developed due to:

1) The nationalization of banks (1969);
2) Establishment of several committees like the Sukhoi Chakraborty Committee (1982),
3) **The Vague Working Group (1986);**

3.5. मुद्रा बाजार

3.5.1. मुद्रा बाजार का एक अवलोकन

भारत में प्रचलित एक बैंकिंग प्रणाली जहाँ अल्पावधि के लिए धन उधार दिया तथा उधार लिया जाता है उसे **भारतीय मुद्रा बाजार** के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा बाजार है जो कृषि, विपणन, निर्माण तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण जैसे विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराकर व्यवसाय प्रारम्भ करने की सुविधा प्रदान करता है।

भारतीय मुद्रा बाजार का विनियमन प्राथमिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति के नियंत्रण के माध्यम से किया जाता है। RBI उन उद्योगों को निर्धारित करके मुद्रा बाजार को विनियमित कर सकता है **जिसके लिए** धन को ऋण के रूप में दिया जाना चाहिए। **इस प्रकार का** निर्णय उद्योग द्वारा उत्पादित कार्य के अवसरों तथा **अर्थव्यवस्था** में मुद्रा प्रसारित करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार में पूर्व कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि पाई गई है।

भारतीय मुद्रा बाजार RBI की स्थापना से पूर्व अत्यधिक विघटित, असंगठित, संकीर्ण, सतही तथा बहुत अविकसित था। भारतीय मुद्रा बाजार का वास्तविक एवं अभिलिखित विकास वर्ष 1951 में प्रारम्भ हुआ जब नियोजित आर्थिक विकास हुआ। यह निम्नलिखित कारणों से और विकसित हो गया था–

1) बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969);
2) सुखोई चक्रवर्ती समिति (1982) जैसी विभिन्न समितियों की स्थापना,
3) अस्पष्ट कार्य समूह **(1986);**

4) The establishment of Discount and Finance House of India Limited (1988),
5) The Securities Trading Corporation of Improvise (1994) and
6) The beginning of the liberalization and globalization process (1991).

3.5.2. Meaning and Definition of Money Market

The money market is an important segment of the financial market, wherein funds are either lend or borrowed for a short-term tenure, usually for a period not exceeding one year. It involves dealing with the financial instruments having a maturity within the short period of time. It is an institutional set up, which offers a meeting ground for:

1) The entities having surplus funds for a short period, and
2) Entities which are in need of short-term funds.

The borrowing and lending takes place through the highly liquid financial instruments having a short maturity period, which may be as short as one day, and extend up to weeks or months but within one year. **Examples** of such instruments are bill of exchange, bankers' acceptance, treasury bills, certificate of deposits, commercial papers, etc. They are also referred to as **'near money'.**

According to Crowther, "The money market is the collective name given to the various firms and institutions that deal in the various grades of near money".

Reserve Bank of India describes the Money Market as, "The center for dealings, mainly of a short term character, in monetary assets; it meets the short-term requirements of borrowers and provides liquidity or cash to the lenders".

3.5.3. Features of Money Market

Indian money market is characterised by the following qualities:

1) **Highly Organised Commercial Banking System:** Commercial banking network forms an important component of the money markets in India. Existence of a well-structured banking network is indicative of an evolved money market. The level of development of a banking system is in direct proportion to the level of evolvement of the money market. In a developed money market, the commercial banks' linkage with other components of the market on one hand and linkage with the Central bank of the country on the other is very robust.

2) **An Apex Central Bank:** Money market of a country is considered to be well developed, if it has the support and backing of a country's Central Bank, which in Indian context is Reserve Bank of India (RBI). The RBI acts as a facilitator, regulator, and supervisor as far as the monetary and banking system of the country is concerned. **It is also empowered to exercise control over the other participants of the money market.**

4) भारतीय मितिकाटा एवं वित्त गृह लिमिटिड की स्थापना (1986),
5) सुधार प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना (1994) तथा
6) उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया की स्थापना (1991)।

3.5.2. मुद्रा बाजार का अर्थ एवं परिभाषा

मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार का एक महत्त्वपूर्ण भाग है जिसमें निधि को अल्प अवधि के लिए सामान्यतः एक वर्ष से कम अवधि के लिए उधार लिया अथवा दिया जाता है। इसमें अल्प अवधि के अंतर्गत ही परिपक्व होने वाली वित्तीय उपकरणों का लेन–देन शामिल होता है। यह एक संस्थागत व्यवस्था है, जो निम्न के लिए एक बैठक का मंच प्रदान करता है–

1) अल्पावधि के लिए अधिशेष निधि रखने वाली संस्थाएँ तथा,
2) ऐसी संस्थाएँ जिन्हें अल्पावधि के लिए निधि की आवश्यकता होती है।

उधार लेने अथवा देने की प्रक्रिया उन अत्यधिक तरल वित्तीय उपकरणों के माध्यम से किया जाता है जिनकी परिपक्वता अवधि कम होती है यह एक दिन से लेकर एक सप्ताह, माह या एक वर्ष तक हो सकती है। ऐसे उपकरणों के **उदाहरण** विनिमय बिल, बैंकर्स की स्वीकृतियाँ, राजकोषीय बिल, जमा प्रमाण–पत्र, वाणिज्यिक पत्र आदि हैं। इसे **निकट मुद्रा** के रूप में भी जाना जाता है।

क्राउथर के अनुसार, "मुद्रा बाजार उन फर्मों तथा संस्थानों का सामूहिक नाम है जो निकट मुद्रा की विभिन्न श्रेणियों में व्यवहार करती हैं।"

भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार का वर्णन इस प्रकार किया है "यह अल्पकालिक प्रकृति की मौद्रिक संपत्तियों के क्रय–विक्रय का केन्द्र होता है। यह उधारकर्त्ताओं की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा ऋणदाताओं को तरलता या नकदी प्रदान करता है।"

3.5.3. मुद्रा बाजार की विशेषताएँ

भारतीय मुद्रा बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं–

1) **अत्यधिक संगठित वाणिज्यिक बैंकिग प्रणाली**– वाणिज्यिक बैंकिग प्रणाली भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। एक सुव्यवस्थित बैंकिग प्रणाली का अस्तित्व एक विकसित मुद्रा बाजार का संकेत है। बैंकिग प्रणाली के विकास का स्तर प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा बाजार के विकास के स्तर के अनुपात में होता है। एक विकसित मुद्रा बाजार में, वाणिज्यिक बैंकों का एक ओर बाजार के अन्य घटकों के साथ सम्पर्क तथा दूसरी ओर देश के केन्द्रीय बैंक के साथ सम्पर्क अधिक सुदृढ़ होता है।

2) **एक सर्वोच्च केन्द्रीय बैंक**–किसी देश के मुद्रा बाजार को यदि देश के केन्द्रीय बैंक का समर्थन प्राप्त होता है तो उसे पूर्ण रूप से विकसित माना जाता है, जो भारतीय संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक है । जहाँ तक देश की मौद्रिक तथा बैंकिग प्रणाली का सम्बन्ध है, भारतीय रिज़र्व **बैंक एक सुगमकर्ता, विनियामक तथा पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। इसे मुद्रा बाजार के अन्य प्रतिभागियों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार होता है।**

3) **Adequate Availability of Credit Instruments:** The money market of the country is well equipped with the various credit instruments like the promissory notes, bill of exchange, treasury bills, short-period government bonds, etc. thus, it is an important feature of money market.

4) **Number of Dealers:** The dealers and brokers play an important role in facilitating the trading activities (buying and selling of financial instruments) in a money market.

Adequate number of such dealers/brokers as well as that of financial instruments is an absolute necessity for a market to be considered as a developed one. Lack of sufficient number of dealers in a money market is an indication that the market is yet to be developed.

5) **Existence of a Large Number of Sub-Markets:** A well-established money market is characterised by the presence of a number of sub-markets, e.g. call money market, bill market, collateral market, acceptance market, etc., which specialises in facilitating specific activities. More the number of such specialised sub-markets, higher is the level of development of the money market.

6) **Proper Co-ordination among Sub-Markets:** In order to ensure that the entire money market operates in a cohesive and co-ordinated manner, it is necessary that different sub-markets of a developed money market function inter-dependently and not on a standalone basis.

7) **Integrated Interest Structure:** For the money market to be a developed one, the interest structure needs to be well-coordinated and integrated. Any change in interest rate structure of the country, as indicated by the Central Bank, should be transmitted promptly in the market and its impact needs to be visible.

8) **Responsive:** Any national or global event of political or economic significance impacts the money market, and this is reflected in the form of some response on the part of the money market. The magnitude of response depends upon the scale of importance attached to the specific event.

9) **Remittance Facilities:** Existence of a convenient and cost-effective remittance facility is a hallmark of a developed money market. The smooth functioning of a developed money market is not possible in the absence of such infrastructure.

10) **Other Factors:** Some factors, other than those discussed in the above points, are also considered as salient characteristics of a developed money market. These factors may relate to the volume of the trade, stability of the political conditions, etc.

3.5.4. Functions of Money Market

Money markets play an important role in monetary and economic arena of a country, as evident from the following:

3) **साख उपकरण की पर्याप्त उपलब्धता**–एक देश के मुद्रा बाजार में विभिन्न ऋण उपकरण, जैसे– प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, राजकोषीय बिल, अल्पकालीन सरकारी बांड आदि शामिल होते है, इस प्रकार, यह मुद्रा बाजार की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है।

4) **विक्रेताओं की संख्या**–विक्रेता तथा दलाल मुद्रा बाजार में व्यापारिक गतिविधियों (वित्तीय उपकरणों के क्रय तथा विक्रय) को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किसी भी बाजार को विकसित होने के लिए ऐसे विक्रेताओं तथा दलालों की पर्याप्त संख्या के साथ–साथ वित्तीय साधनों की पर्याप्त संख्या होना अनिवार्य है। मुद्रा बाजार में पर्याप्त संख्या में विक्रेता की संख्या में कमी इस बात का संकेत है कि बाजार का विकास होना अभी बचा है।

5) **उप–बाजारों की एक बड़ी संख्या का अस्तित्व**–एक सुव्यवस्थित मुद्रा बाजार की विशेषता अनेक उप–बाजारों, जैसे– माँग मुद्रा बाजार, बिल बाजार, संमपार्श्विक बाजार, स्वीकृति बाजार आदि की उपस्थिति है जो विशिष्ट गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में सक्षम होती हैं। जितना अधिक उप–बाजार की संख्या होगी, मुद्रा बाजार के विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा।

6) **उप–बाजार के मध्य उचित समन्वय**–यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण मुद्रा बाजार एक सुसंगत तथा समन्वित प्रकार से कार्य करता है, यह आवश्यक है कि एक विकसित मुद्रा बाजार के विभिन्न उप–बाजार पारस्परिक निर्भरतापूर्वक विधि से कार्य करे न कि स्वतन्त्र आधार पर।

7) **एकीकृत ब्याज संरचना**–मुद्रा बाजार के विकास के लिए ब्याज संरचना को उचित प्रकार से समन्वित तथा एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्दिष्ट देश की ब्याज दर संरचना में किए गए परिवर्तन को तत्काल प्रसारित किया जाना चाहिए तथा इसका प्रभाव प्रकट होना चाहिए।

8) **उत्तरदायी**–राजनीतिक अथवा आर्थिक महत्त्व की कोई भी राष्ट्रीय एवं वैश्विक घटना मुद्रा बाजार को प्रभावित करती है तथा यह मुद्रा बाजार की ओर से प्रतिक्रिया के रूप में परिलक्षित होती है। प्रतिक्रिया का परिणाम विशिष्ट घटना से सम्बन्धित महत्त्व के स्तर पर निर्भर करती है।

9) **प्रेषण सुविधाएँ**– एक सुविधाजनक तथा लागत प्रभावी प्रेषण सुविधा का अस्तित्व विकसित मुद्रा बाजार की पहचान है। एक विकसित मुद्रा बाजार का सुचारू संचालन इस प्रकार के बुनियादी संरचने के अभाव में सम्भव नहीं है।

10) **अन्य कारक**–उपर्युक्त बिन्दुओं में चर्चा किए गए कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारकों को भी विकसित मुद्रा बाजार की प्रमुख विशेषताओं के रूप में माना जाता है। ये कारक व्यापार की मात्रा, राजनीतिक स्थितियों की स्थिरता से सम्बन्धित हो सकते हैं।

3.5.4. मुद्रा बाजार के कार्य

मुद्रा बाजार किसी देश की मौद्रिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है–

1) Maintenance of monetary stability in the system by keeping a balance between the demand for money and its supply for the monetary transactions of short-term nature;

2) Money market acts as a stimulant for the economic growth by ensuring that adequate funds are made available to entrepreneurs engaged in various economic activities in different sectors, like agriculture, MSME, etc.;

3) Supporting trade and industry by extending provisions of sufficient funds to them, including credit facilities in the form of bill-discounting;

4) Money market is a facilitator of implementing the Monetary Policy of the country's central bank. It has got an inbuilt mechanism of ensuring implementation of the monetary policy in an efficient manner; and

5) In the process of capital formation, money market plays a vital role. It channelises the household savings and investments for short-term investments in its financial instruments, such as treasury bills, commercial papers, certificate of deposits, etc.

3.5.5. Importance of Money Market

A well-developed money market of a country is beneficial to various segments of its economy in the following manner:

1) **Source of Capital:** Through the various financial instruments, *viz.* treasury bills, commercial papers, certificate of deposits, etc., the money market is in a position to make available short-term funds for the trade and industry.

2) **Effective Monetary Management:** A developed and efficient money market also acts as a medium through which the monetary policy of the country's central bank, *viz.* RBI may be implemented successfully. It, thus, facilitates transmission of the policy of RBI in respect of its monetary management of the country as a whole.

3) **Economic Development:** Money market is a vital component of the monetary system prevailing in a country. It plays a significant role in the overall economic development of a country. Its efficiency and the country's fast economic development, in fact, go together.

4) **Facilitating Trade:** Trade and industries are benefitted from the money market in the following manner:
   i) A payment mechanism is offered by the money market, which enables the traders and industrialists to transfer money promptly (even huge amounts);
   ii) Working capital needs of a business entity can be effectively met through the money market, which facilitates their day-to-day production and marketing activities.
   iii) Money market provides a short-term investment opportunity for its participants in the instruments, which are highly liquid and as such can be converted into money, when required, without any loss of time.

1) अल्पकालिक प्रकृति के मौद्रिक लेन–देन के लिए मुद्रा की माँग एवं इसकी आपूर्ति के मध्य सन्तुलन बनाकर प्रणाली में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना।

2) मुद्रा बाजार किसी देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है। यह कृषि लघु एवं मध्यम उपक्रम आदि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न उद्यमियों को पर्याप्त मुद्रा उपलब्ध कराता है।

3) बिल छूट के रूप में साख सुविधाओं सहित उन्हें पर्याप्त मुद्रा के प्रावधानों का विस्तार करके व्यापार एवं उद्योग का समर्थन करता है।

4) मुद्रा बाजार देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने में सहायक होता है। यह मौद्रिक नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक तन्त्र प्रदान करता है। तथा

5) पूँजी निर्माण की प्रक्रिया में, मुद्रा बाजार एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अपने वित्तीय उपकरणों जैसे कोषागार बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र आदि में अल्पकालिक निवेश के लिए घरेलू बचत और निवेश का उपयोग करता है।

3.5.5. मुद्रा बाजार का महत्त्व

किसी देश की विकसित मुद्रा बाजार अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निम्न प्रकार से महत्त्वपूर्ण हैं–

1) **पूँजी का स्रोत**–विभिन्न वित्तीय उपकरणों अर्थात् राजकोषीय बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, आदि के माध्यम से मुद्रा बाजार व्यापार एवं उद्योग के लिए अल्पकालीन मुद्रा उपलब्ध कराता है।

2) **प्रभावी मौद्रिक प्रबन्धन**–एक विकसित एवं कुशल मुद्रा बाजार भी एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से देश की केन्द्रीय बैंक अर्थात् RBI की मौद्रिक नीति को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। इस प्रकार यह समग्र रूप से देश के मौद्रिक प्रबन्धन के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की नीति का प्रसार करने की सुविधा प्रदान करता है।

3) **आर्थिक विकास**–मुद्रा बाजार किसी देश में प्रचलित मौद्रिक प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। यह किसी भी देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में इसकी दक्षता तथा देश का तीव्र आर्थिक विकास एक साथ चलता है।

4) **व्यापार को सुगम बनाना**–किसी भी देश का व्यापार एवं उद्योग निम्न प्रकार से मुद्रा बाजार से लाभान्वित होता है–
   i) मुद्रा बाजार द्वारा व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को सरल भुगतान प्रणाली प्रदान की जाती है, जिससे मुद्रा के शीघ्र हस्तान्तरण में आसानी होती है।
   ii) किसी व्यावसायिक इकाई की कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से मुद्रा बाजार के माध्यम से पूरा किया जा सकता है जो उनकी दैनिक उत्पादन एवं विपणन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है।
   iii) मुद्रा बाजार उन उपकरणों में अपने प्रतिभागियों को निवेश का अवसर प्रदान करता है जो अत्यधिक तरल होते हैं तथा उन्हें बिना किसी समय को बर्बाद किए मुद्रा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है।

3.6. CAPITAL MARKET

3.6.1. Meaning and Definition of Capital Market

Capital market (securities market) means a common place where the borrowers and lenders meet to finance the requirement of long-term funding.

In a broader aspect, it involves all those channels from where the savings are mobilised and the same are used in funding the industrial and government expenditure. It comprises of savings that includes both corporate as well as personal savings which are utilised for making investments in the new IPO's and other public offerings that are issued by the government authorities.

So, a capital market is a well organised market structure where the money is transferred from the lender to the borrower in lieu of certain interest or other compensatory benefits. The individual investors are the primary savers who lends the same to the entrepreneurs for circulation of money in the industry which may be either owned privately or belong to the government.

According to P.K. Dhar, "This is not a market for capital goods; rather it is a market for raising and advancing money capital for investment purposes".

According to M.Y. Khan, "It is a market for long-term funds. Its focus is on financing of fixed investments in contrast to money market which is the institutional source of working capital finance".

3.6.2. Features of Capital Market

The various features of capital market are as follows:

1) **Link between Savers and Investment Opportunities:** The capital market acts as channel between the process of saving and investment. The capital market sends money from savers to entrepreneurial borrowers.

2) **Provides Long Term Investment:** The capital market supplies the funds required for long and medium investment. The capital market does not make use of short-term savings of less than one year.

3) **Utilizes Intermediaries:** Capital market uses various intermediaries such as brokers, underwriters, depositories, etc. by which all the work of capital market is performed and it is also the important part of capital market.

4) **Determinant of Capital Formation:** The various task of the capital market decide the rate of capital formation in an economy. The capital market gives choices to the firm about utilising excess funds to invest more in capital market which helps in increasing the saving in the profitable manner.

5) **Government Rules and Regulations:** The capital market works according to the rules and regulations framed by the government. They are free but need to work according to the government policies.

3.6. पूँजी बाजार

3.6.1. पूँजी बाजार का अर्थ एवं परिभाषा

पूँजी बाजार (प्रतिभूति बाजार) का अर्थ एक सामान्य स्थान है जहां उधार एवं ऋणदाता दीर्घ अवधि की वित्त पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलते हैं।

एक व्यापक पहलू में, इसमें वे प्रत्येक प्रणाली शामिल हैं जहां से बचत एकत्रित की जाती है तथा इसका उपयोग औद्योगिक एवं सरकारी व्ययों के वित्तपोषण में किया जाता है। इसमें बचत शामिल है जिसमें निगम एवं व्यक्तिगत बचत दोनों शामिल हैं जिनका उपयोग सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्गमित किए गए नए IPO's तथा अन्य सार्वजनिक प्रस्तावों में निवेश करने के लिए किया जाता है।

इसलिए, एक पूँजी बाजार एक सुसंगठित बाजार संरचना है जहां कुछ ब्याज या अन्य प्रतिपूरक लाभों के बदले में ऋणदाता से उधारकर्ता को मुद्रा हस्तांतरित की जाती है। व्यक्तिगत निवेशक प्राथमिक बचतकर्ता होते हैं जो उद्यमियों को उद्योग में मुद्रा के संचलन के लिए ऋण प्रदान करते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप या सरकार से संबंधित हो सकते हैं।

पीके धार के अनुसार– "यह पूँजीगत वस्तुओं का बाजार नहीं है; बल्कि यह निवेश उद्देश्यों के लिए मुद्रा पूँजी एकत्रित करने तथा ऋण देने के लिए एक बाजार है।"

एम.वाई. खान के अनुसार– "यह दीर्घ अवधि के निधियों का बाजार है। मुद्रा बाजार के विपरित इसका केन्द्र बिन्दु निश्चित निवेश के लिए वित्त प्रदान करने पर है जो कार्यशील पूँजी का संस्थागत स्रोत है।"

3.6.2. पूँजी बाजार की विशेषताएँ

पूँजी बाजार की विभिन्न विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं–

1) **बचतकर्ता एवं निवेश के अवसरों के मध्य का संबंध–** पूँजी बाजार बचत एवं निवेश की प्रक्रिया के मध्य प्रणाली के रूप में कार्य करता है। पूँजी बाजार बचतकर्ताओं से उद्यमी ऋणकर्ताओं को मुद्रा प्रदान करता है।

2) **दीर्घकालिक निवेश प्रदान करना–** पूँजी बाजार दीर्घ एवं मध्यम निवेश के लिए आवश्यक निधियों की आपूर्ति करता है। पूँजी बाजार एक वर्ष से कम की अल्पकालिक बचत का उपयोग नहीं करता है।

3) **मध्यस्थों का उपयोग–** पूँजी बाजार विभिन्न मध्यस्थों जैसे दलालों, अभिगोपक, निक्षेपागारों आदि का उपयोग करता है जिसके द्वारा पूँजी बाजार के प्रत्येक कार्य किए जाते हैं तथा यह पूँजी बाजार का महत्वपूर्ण भाग भी है।

4) **पूँजी निर्माण के निर्धारक–** पूँजी बाजार के विभिन्न कार्य एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण की दर निर्धारित करते हैं। पूँजी बाजार फर्म को पूँजी बाजार में अधिक निवेश करने के लिए अतिरिक्त धन का उपयोग करने के बारे में विकल्प प्रदान करता है जो लाभदायक तरीके से बचत की वृद्धि करने में सहायता करता है।

5) **सरकारी नियम एवं विनियम–** पूँजी बाजार सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार कार्य करता है। **वे स्वतंत्र होते हैं परंतु सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है।**

6) **No Entry Barriers:** The capital market is accessible to all the people. Any number of suppliers or users of funds can enter the market and deal with each other.

7) **Absence of Transaction Cost:** The participant does not have to pay transaction costs for buying and selling of securities.

8) **No Tax Differences:** The tax should be such that it should treat every investor in the same manner. It should not be favourable to one over other.

9) **Liquidity:** The capital market is more liquid as compared to real estate or commodity market because they have various institutions like banks, mutual funds, retail investors, hedge funds, etc. which helps the investors in easily exiting from the market as the investors can sell their investments whenever they want.

10) **Variety of Instruments:** The capital market has different type of instruments like bonds, debentures, equity stocks, futures and options. There are many more choices available according to the risk bearing capacity of the investors. The company with high leverage can increase their capital by investing in equity and the company having less leverage can raise their capital by investing in bond and debenture.

3.6.3. Functions of Capital Market

Following are the main functions of the capital market:

1) **Allocation Function:** Many times the investors are unaware about the investment opportunities that are available to them and thus are deprived of investing. Capital market in this situation assists in channelizing the savings on behalf of the investors in different available modes. So, the present savings are attributed among the respective borrowers. The market acts a magnet where different lenders having different perspectives are invited for making their investment.

2) **Liquidity Function:** Capital market aims at bringing the lenders and the borrowers at a common platform where they can exchange their funds at mutually agreed interest rates and lending period. Thus, the liquidity is always available at the discretion of both the parties.

3) **Other Functions:** Apart from the basic function of allocating the funds and the liquidity function, capital market also serves the following important functions:
   i) **Indicative Function:** In addition to showing the progress report of a company, capital market is also a good indicator of the economic position of a country.
   ii) **Savings and Investment Function:** The long-term debts can be easily converted into liquid funds in less time. Thereby, the lenders can redeem their funds at their own will. This helps in restoring the confidence of the lenders as they earn a good rate of interest with an assurance of liquid funds.

6) **प्रवेश करने में बाधाओं का न होना–** पूँजी बाजार प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ है। किसी भी संख्या में आपूर्तिकर्ता या निधि के उपयोगकर्ता बाजार में प्रवेश कर सकते हैं तथा एक दूसरे के साथ संव्यवहार कर सकते हैं।

7) **लेन–देन की लागत–** प्रतिभागी को प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय के लिए लेनदेन लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

8) **कर में अंतर न होना–** कर ऐसा होना चाहिए है कि वह प्रत्येक निवेशक के साथ एक जैसा व्यवहार करें। यह ऐसा नही होना चाहिए कि किसी व्यक्ति पर कर भार कम हो तथा किसी व्यक्ति पर अधिक हो।

9) **तरलता–** अचल संपत्ति या वस्तु बाजार की तुलना में पूँजी बाजार अधिक तरल होता है क्योंकि उनके पास बैंक, म्यूचुअल फंड, खुदरा निवेशक, हेज फंड, आदि जैसे विभिन्न संस्थान हैं। जो निवेशकों को सरलता से बाजार से बाहर निकलने में सहायता करते हैं क्योंकि निवेशक जब चाहें अपने निवेश का विक्रय कर सकते हैं।

10) **उपकरणों की विविधता–** पूँजी बाजार में विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं जैसे बांड, ऋणपत्र, समता स्कंध, भावी एवं विकल्प। निवेशकों की जोखिम वहन क्षमता के अनुसार कई अन्य विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। अधिक वित्तीय शक्ति वाली कंपनी समता में निवेश करके अपनी पूँजी में वृद्धि कर सकती है तथा न्यूनतम शक्ति वाली कंपनी बांड एवं ऋणपत्र में निवेश करके अपनी पूँजी में वृद्धि कर सकती है।

3.6.3. पूँजी बाजार के कार्य

पूँजी बाजार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

1) **आवंटन कार्य–** कई बार निवेशक अपने लिए उपलब्ध निवेश के अवसरों से अपरिचित होते हैं तथा इस प्रकार निवेश से वंचित रह जाते हैं। इस स्थिति में पूँजी बाजार निवेशकों की ओर से विभिन्न उपलब्ध विधियों से बचत का उपयोग करने में सहायता करता है। इसलिए, वर्तमान बचत को संबंधित उधारकर्ताओं के मध्य वितरित किया जाता है। बाजार एक चुंबक का कार्य करता है जहाँ अलग–अलग दृष्टिकोण रखने वाले विभिन्न उधारदाताओं को अपना निवेश करने के लिए आकर्षित करता है।

2) **तरलता कार्य–** पूँजी बाजार का उद्देश्य उधारदाताओं तथा उधारकर्ताओं को एक समान मंच पर लाना है जहाँ वे पारस्परिक रूप से सहमत ब्याज दरों और उधार अवधि पर अपने धन का आदान–प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार, तरलता सदैव दोनों पक्षों के विवेक पर उपलब्ध होती है।

3) **अन्य कार्य–** निधियों के आवंटन और चलनिधि कार्य के मूल कार्य के अतिरिक्त, पूँजी बाजार निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य भी करता है–
   i) **सांकेतिक कार्य–** किसी कंपनी की प्रगति रिपोर्ट दिखाने के अतिरिक्त, पूँजी बाजार एक देश की आर्थिक स्थिति का भी एक बेहतर संकेतक होता है।
   ii) **बचत एवं निवेश कार्य–** दीर्घ अवधि के ऋणों को कम समय में आसानी से तरल निधि में बदला जा सकता है। इस प्रकार, ऋणदाता अपनी इच्छा से अपने धन को भुना सकते हैं। यह उधारदाताओं के विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि वे तरल निधि के आश्वासन के साथ बेहतर **ब्याज दर अर्जित करते हैं।**

iii) **Transfer Function:** This market organises the movement of the assets i.e. the tangible assets and the intangible assets in different individual units or the groups.

iv) **Merger Function:** This market facilitates merging between the willing companies and companies having a slack in their management with the pioneers of the industry.

3.6.4. Organisation/Types of Capital Market

The capital market can be divided into the following two categories:

1) **Primary Market:** It is the new issue market wherein securities are offered for the first time, i.e., such securities are offered which have been never issued previously. The new and existing companies can use this market for raising capital. It primarily facilitates the transfer of funds from the prospective investors to the entrepreneurs establishing new businesses or wishing to expand, diversify, grow or modernize their existing business.

2) **Secondary Market:** The secondary market is also known as the **'after-market'**. It refers to the financial market to buy and sell financial instruments and securities which have been previously issued. These financial instruments include stock, bonds, futures and options. The term also refers to the market for any previously used assets or goods. It includes alternative use of the commodity.

   For example, corn is generally used as a foodstuff, however its secondary market involves the use of corn for producing ethanol. Other names used for such markets are **Stock Market or Stock Exchange**.

3.6.5. Importance of Capital Market

Following points illustrate the importance of the capital market:

1) Capital market provides direction to the company in achieving its financial targets.
2) Amalgamations and mergers can be facilitated through the available share price.
3) The element of liquidity assists in encouraging the growth.
4) Foreign investment is also attracted which brings about uniformity in the reporting norms.
5) In case of insufficient availability of funds in the money market, the funds can be arranged from the capital market.
6) Interests/dividend rates, liquidity, security entails the investors to do in-depth study of the market and make the investments.

iii) **हस्तांतरण कार्य**– यह बाजार विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों या समूहों में परिसंपत्तियों अर्थात् मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति की गति को सुनिश्चित करता है।

iv) **विलय कार्य**– यह बाजार उद्योग के अग्रदूतों के साथ इच्छुक कंपनियों तथा उन कंपनियों के मध्य विलय की सुविधा प्रदान करता है, जिनके प्रबंधन में कमी है।

3.6.4. पूँजी बाजार के प्रकार/संगठन

पूँजी बाजार को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

1) **प्राथमिक बाजार**– यह नव निर्गमन बाजार है जिसमें पहली बार प्रतिभूतियों को प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात् उस प्रकार की प्रतिभूतियों को प्रस्तुत किया जाता है जो पहले कभी नहीं निर्गमित की गई हैं। नई एवं विद्यमान कंपनियाँ इस बाजार का उपयोग पूँजी एकत्रित के लिए कर सकती हैं। यह मुख्य रूप से संभावित निवेशकों से नए व्यवसाय स्थापित करने वाले या अपने उपस्थित व्यवसाय का विस्तार, विविधता, विकास या आधुनिकीकरण करने के इच्छुक उद्यमियों को निधियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।

2) **द्वितीयक बाजार**– द्वितीयक बाजार को **'पश्चात् बाजार'** के रूप में भी जाना जाता है। यह वित्तीय बाजार को वित्तीय साधनों एवं प्रतिभूतियों को क्रय तथा विक्रय करने के लिए संदर्भित करता है जो पहले निर्गमित किये जा चुके हैं। इन वित्तीय साधनों में स्कंध, बॉन्ड, भावी एवं विकल्प शामिल हैं। यह शब्द किसी भी पूर्व उपयोग की गई संपत्ति या वस्तु बाजार को भी संदर्भित करता है। इसमें वस्तु का वैकल्पिक उपयोग भी शामिल है। **उदाहरण के लिए**– मकई का प्रयोग सामान्यतः खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, हालाँकि इसके द्वितीयक बाजार में इथेनॉल के उत्पादन के लिए मकई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के बाजारों के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य नाम **स्कंध बाजार** या **स्कंध विनिमय** हैं।

3.6.5. पूँजी बाजार का महत्व

निम्नलिखित बिंदु पूँजी बाजार के महत्व को स्पष्ट करते हैं–

1) पूँजी बाजार कंपनी को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में दिशा प्रदान करता है।
2) उपलब्ध अंश कीमत के माध्यम से समामेलन एवं विलय की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
3) तरलता का तत्व वृद्धि को प्रोत्साहित करने में सहायता करता है।
4) विदेशी निवेश भी आकर्षित होता है जिससे रिपोर्टिंग मानदंडों में एकरूपता आती है।
5) मुद्रा बाजार में धन की अपर्याप्त उपलब्धता के संदर्भ में, पूँजी बाजार से धन की व्यवस्था की जा सकती है।
6) ब्याज/लाभांश दरें, तरलता, प्रतिभूति निवेशकों को बाजार का गहन अध्ययन तथा निवेश करने के लिए विवश करती है।

3.6.6. Limitations of Capital Market

The disadvantages of capital market are as follows:

1) The capital market has the risk of losing money.

2) The capital market involves various charges which decrease profit from various investment done.

3) The capital market has the problem of volatility as it does not remain stable for long time especially in case of the long-term investments.

4) The capital market has the risk for the people who pursue their career in capital market. The businesses in which the investment is done is liable for the working performance and also has the burden of delivering goods. If the goods are not according to the customers, it will indirectly lead to loosing the investors.

3.6.7. Instruments in Capital Market

Following instruments are found in the capital market:

1) **Equity Shares:** Equity shares are also termed as ordinary shares or common shares. Holders of the equity shares are the owners of a company as they have invested in the company. They have the voting rights and part of decision-making process on major issues relating to the affairs of the company. The shareholders' return on the funds invested by them in a company is in the form of 'Dividend'. Depending upon the performance of the company, i.e., net profit earned by it during a particular year, Board of Directors of the company decide the quantum of dividend to be distributed amongst the shareholders. In case of loss incurred during a particular year, the Board may decide against the distribution of dividend. This is precisely the reason why equity shares are described as 'Variable Income Security'. In case of liquidation of a company, equity shareholders are the last one to get their money back.

Advantages of Equity Shares

Equity shares are beneficial for both, i.e., the investors and the company, which is evident from the following facts:

i) **Advantages to Investors:** An investor is likely to have the following benefits as a result of his/her investment in a company:

   a) **Capital Profit:** If a company is performing well and making profit year after year, the demand of its shares would be high and there will be an increase in the market value of its share. Shareholder has an option to sell the share at a higher price and earn capital gains.

   b) **Interest in the Company's Activities:** The owners (equity shareholders) of a company have their interest in the growth of the company. Therefore, they take keen interest and keep a watch over the performance and other activities of the company.

   c) **Best for Investment:** A company may or may not perform well. Hence, there is always an

3.6.6. पूँजी बाजार की सीमाएँ

पूँजी बाजार की दोष या सीमाएँ निम्न प्रकार हैं–

1) पूँजी बाजार में मुद्रा हानि का जोखिम होता है।

2) पूँजी बाजार में विभिन्न शुल्क शामिल होते हैं जो किए गए विभिन्न निवेशों से लाभ को कम करते हैं।

3) पूँजी बाजार में अस्थिरता की समस्या है क्योंकि यह दीर्घ अवधि तक स्थिर नहीं रहता है, विशेष रूप से दीर्घ अवधि के निवेश के मामले में।

4) पूँजी बाजार में उन व्यक्तियों के लिए जोखिम होता है जो पूँजी बाजार में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जिन व्यवसायों में निवेश किया जाता है वे कार्य प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा उन पर वस्तुओं की सुपुदर्गी करने का भार भी होता है। यदि वस्तु ग्राहकों के अनुसार नहीं है, तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से निवेशकों को हानि हो सकता हैं।

3.6.7. पूँजी बाजार के उपकरण

पूँजी बाजार में निम्नलिखित उपकरण पाए जाते हैं–

1) **समता अंशों**– समता अंशों को साधारण अंश या सामान्य अंश भी कहा जाता है। समता अंशधारक उस कम्पनी के स्वामी होते हैं जिस कम्पनी में उन्होंने निवेश किया है। उनके पास कम्पनी के मामलों से सम्बन्धित प्रमुख समस्याओं मतदान करने का अधिकार और निर्णयन प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार होता है। अंशधारकों द्वारा निवेश किए गए धन का प्रतिफल लाभांश के रूप में प्राप्त होता है। यह कम्पनी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, अर्थात्, एक विशेष वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ, कम्पनी के निदेशक मण्डल अंशधारकों के मध्य वितरित किए जाने वाले लाभांश की मात्रा निर्धारित करते हैं। किसी विशेष वर्ष के दौरान होने वाली हानि के संदर्भ में, बोर्ड लाभांश के वितरण के विपरीत निर्णय ले सकता है। यही कारण है कि समता अंशों को परिवर्तनीय आय प्रतिभूति के रूप में वर्णित किया जाता है। किसी कम्पनी के परिसमापन की स्थिति में, समता अंशधारक अपनी पूँजी वापस पाने के लिए अन्तिम प्राप्तकर्ता होते हैं।

समता अंशों के लाभ

समता अंश निवेशक एवं कम्पनी दोनों के लिए लाभदायक होते हैं, जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है–

i) **निवेशकों को लाभ**–एक निवेशक को किसी कम्पनी में उसके निवेश के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लाभ होने की सम्भावना होती है–

   a) **पूँजी लाभ**–यदि कोई कम्पनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और वर्ष दर वर्ष लाभ अर्जित कर रही है, तो उसके अंशों की माँग अधिक होगी अतः अंश के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। अतः अंशधारक के पास अधिक मूल्य पर अंश विक्रय करने तथा पूँजीगत लाभ अर्जित करने का विकल्प होता है।

   b) **कम्पनी की गतिविधियों में रुचि**–एक कम्पनी के स्वामी (समता अंशधारक) कम्पनी के विकास में अपनी रुचि रखते हैं। इसलिए, वे कम्पनी के प्रदर्शन के सम्बन्ध में गहरी रुचि रखते हैं तथा अन्य गतिविधियों की निगरानी करते हैं।

   c) **निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ**–एक कम्पनी बेहतर प्रदर्शन कर भी सकती है और नही भी। इसलिए,

element of risk in investing in equity shares of a company. An investor may gain or lose. Therefore, Equity share is the best investment alternative for th+e risk-taker investors.

d) **Right to Participate in Management:** Equity shareholders have stake in a company. As the owners of the company, they have a right to participate in decision-making process of the management.

They can actively participate in various meetings, election of Board of Directors and have voting rights to the extent of their holdings.

ii) **Advantages to Company:** By issuing equity shares, following benefits are accrued to a company:

a) **No Fixed Burden of Dividend:** Quantum of dividend on equity shares to be distributed by a company is variable and depends on the profit earned during a particular year. Unlike preference shares, dividends on equity shares are not a burden for a company; if a company incurs losses, dividend distribution may be avoided in that particular year.

b) **No Outflow of Cash:** As the equity shares are not redeemable during the life of a company, it should not be afraid of outflow of cash due to redemption. The funds lying in equity share capital accounts are a permanent source of capital for a company.

c) **Bear the Risk:** Funds lying in 'Equity Shares Capital' act as a cushion against the possible risks for a company.

Due to availability of this 'Protective Wall', the company can afford to take more risk to enhance its profitability.

d) **Availability of Fixed Capital:** The equity share capital is a long-term permanent source of finance. The funds raised through this source are generally utilised for the acquisition of fixed assets for the company's long-term uses.

2) **Preference Shares:** Preference shares have the unique characteristics of being hybrid in nature, i.e., they have certain features of equity and at the same time certain features of debentures. It is similar to equity shares in the following ways:

i) From disposable profits, the dividend of preference shares is paid.

ii) The payment of fixed amount of dividend is not compulsory in the case of preference shares. It totally depends upon the Board's decision.

iii) There is no tax-deduction in Preference Dividend.

किसी कम्पनी के समता अंशों में निवेश करने में सदैव जोखिम का एक तत्व होता है एक निवेशक को लाभ या हानि हो सकती है। इसलिए समता अंश जोखिम वहन करने वाले निवेशकों के लिए श्रेष्ठ निवेश विकल्प होता है।

d) **प्रबन्धन में भाग लेने का अधिकार**–एक कम्पनी में समता अंशधारकों की भागीदारी होती है। कम्पनी के स्वामियों के रूप में, उन्हें प्रबन्धन की निर्णयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है।

वे विभिन्न बैठकों, निदेशक मण्डल के चुनावों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं तथा इन्हें मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त होता है।

ii) **कम्पनी को लाभ**–समता अंश निर्गमित करके, निम्नलिखित लाभ एक कम्पनी द्वारा अर्जित किए जाते हैं–

a) **लाभांश का कोई निश्चित भार नहीं**–किसी कम्पनी द्वारा वितरित किए जाने वाले समता अंशों के लाभांश की मात्रा परिवर्तनीय होती है तथा यह वर्ष के दौरान अर्जित लाभ पर निर्भर करती है। पूर्वाधिकार अंशों के विपरीत, समता अंशों पर लाभांश किसी कम्पनी के लिए भार नहीं होता है। यदि कोई कम्पनी हानि वहन करती है, तो उस वर्ष वह लाभांश देने से बच सकती है।

b) **नकदी का कोई बहिर्वाह नहीं**–चूँकि कि कम्पनी के अस्तित्व के दौरान समता अंशों का शोधन नहीं किया जाता है, इसे शोधन के कारण नकदी के बहिर्वाह से डरना नहीं चाहिए। समता अंशपूँजी खातों की निधि एक कम्पनी के लिए पूँजी का स्थायी स्रोत होता है।

c) **जोखिम वहन**–'समता अंश पूँजी' में रखी निधि एक कम्पनी के लिए सम्भावित जोखिमों के विरुद्ध एक सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। इस 'सुरक्षात्मक दीवार' की उपलब्धता के कारण, कम्पनी अपनी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अधिक जोखिम वहन कर सकती है।

d) **स्थायी पूँजी की उपलब्धता**–समता अंश पूँजी वित्त का एक दीर्घकालिक स्थायी स्रोत है। इस स्रोत के माध्यम से सृजित धन का उपयोग सामान्यतः कम्पनी के दीर्घकालिक उपयोग के लिए स्थायी सम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु किया जाता है।

2) **पूर्वाधिकार अंश**– पूर्वाधिकार अंशों की प्रकृति में दोहरी विशेषताएँ होती हैं, अर्थात्, इनके पास समता अंश की कुछ विशेषताएँ हैं और ऋणपत्रों की भी कुछ विशेषताएँ होती हैं। यह निम्नलिखित प्रकार से समता अंशों के समान हैं–

i) प्रयोज्य आय/लाभ से, पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश का भुगतान किया जाता है।

ii) पूर्वाधिकार अंशों के संदर्भ में लाभांश की निश्चित राशि का भुगतान अनिवार्य नहीं है। यह पूर्णतः से बोर्ड के निर्णय पर निर्भर करता है।

iii) पूर्वाधिकार लाभांश में कोई कर–कटौती नहीं होती है।

Preference shares exhibit the following characteristics:

i) The rate of dividend on preference shares is generally fixed.

ii) Preference shareholders get a priority over the claim of equity shareholders.

iii) Preference shareholders generally do not have the right to vote.

Advantages of Preference Shares

Investing in preference shares and issuing of preference shares are advantageous for the investor and the company respectively, as is evident from the following points:

i) **Advantages to Investors**

a) **Priority in Repayment of Capital:** In comparison of equity shareholders, preference shareholders get priority in repayment of capital.

b) **Best Security:** Preference shares are the preferred choice of investment, especially during the onset of recession or declining profits.

c) **Regular and Fixed Income:** Preference shares provide a stream of assured and regular source of fixed income to their investors by way of dividends.

d) **Safety of Interest:** Preference shareholders, just like the equity shareholders, are empowered to safeguard their rights.

ii) **Advantages to Company**

a) **Independent Management:** Management of a company is shielded from the interference of preference shareholders in its affairs, as preference shareholders have no such power.

b) **Economical Financing:** Raising the finance by issuing preference shares is not expensive as compared to issuing equity shares. **Therefore**, it is a preferred mode of raising funds.

c) **Availability of Huge Market:** Investors having low level of risk appetite (risk taking capability) are attracted towards investment in preference shares. As a result, a company gets an opportunity to have a huge market to raise finances.

d) **Assets Remaining Unencumbered:** While issuing preference share capital, a company is not required to mortgage its assets. The assets of the company continue to remain unencumbered (available), which proves to be handy at the time of raising further finance at a future date.

3) **Debentures:** A debenture is an instrument through which an Indian company can raise funds from the market. It is signed by the company with its seal, to acknowledge the debt of the person(s), ensuring the

पूर्वाधिकार अंशों की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं–

i) पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर सामान्यतः निश्चित होती है।

ii) पूर्वाधिकार अंशधारकों को समता अंशधारकों के दावों पर प्राथमिकता प्राप्त होती है।

iii) पूर्वाधिकार अंशधारकों को सामान्यतः मतदान करने का अधिकार नहीं होता है।

पूर्वाधिकार अंशों के लाभ

पूर्वाधिकार अंशों में निवेश करना और पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमित करना क्रमशः निवेशक तथा कम्पनी के लिए लाभदायक है, जैसा कि निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट है–

i) **निवेशकों को लाभ**

a) **पूँजी के पुर्नभुगतान में प्राथमिकता**–समता अंशधारकों की तुलना में, पूँजी के पुर्नभुगतान में पूर्वाधिकार अंशधारकों को प्राथमिकता प्राप्त होती है।

b) **सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा**–पूर्वाधिकार अंश विशेष रूप से मंदी के प्रारम्भ में या लाभ में कमी की दौरान निवेश का लोकप्रिय विकल्प हैं: ।

c) **नियमित एवं निश्चित आय**–पूर्वाधिकार अंश लाभांश के माध्यम से अपने निवेशकों को निश्चित आय का एक स्थायी एवं नियमित स्रोत प्रदान करते हैं।

d) **अधिकारों की सुरक्षा**–समता अंशधारकों की भाँति पूर्वाधिकार अंशधारकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सशक्त किया जाता है।

ii) **कम्पनी को लाभ**

a) **स्वतन्त्र प्रबन्धन**–किसी कम्पनी के प्रबन्धन के मामलों में पूर्वाधिकार अंशधारकों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, क्योंकि पूर्वाधिकार अंशधारकों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है।

b) **मितव्ययी वित्तपोषण**–पूर्वाधिकार अंश निर्गमित करके वित्त बढ़ाना समता अंशों को निर्गमित करने की तुलना में महँगा नहीं होता है। इसलिए, यह धन एकत्रित करने का एक लोकप्रिय विधि है।

c) **वृहत बाजार की उपलब्धता**–कम जोखिम वहन (जोखिम लेने की क्षमता) वाले निवेशक पूर्वाधिकार अंशों में निवेश करने की ओर आकर्षित होते हैं। परिणामस्वरूप, एक कम्पनी को वित्त एकत्र करने के लिए वृहत बाजार होने का अवसर प्राप्त होता है।

d) **भार रहित परिसंपत्तियाँ**–पूर्वाधिकार अंशपूँजी निर्गमित करते समय, एक कम्पनी को अपनी सम्पत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। कम्पनी की परिसम्पत्तियाँ निरन्तर (उपलब्ध) भार रहित रहती हैं, जो भविष्य की तिथि में आगे वित्त एकत्रित करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं।

3) **ऋणपत्र**– ऋणपत्र एक उपकरण है जिसके माध्यम से एक भारतीय कंपनी बाजार से धन एकत्रित कर सकती है। यह कंपनी द्वारा अपनी मुहर के साथ हस्ताक्षरित होता है, व्यक्ति **(व्यक्तियों) के ऋण को स्वीकार करने के लिए, ऋण की**

advanced amount of debt. So this is a security issued by a company against debt. A company may issue debentures after getting 'Certificate of Commencement of Business', provided its 'Memorandum of Association' contain a clause which permits the company to issue debentures.

Professor Naidu and Datta has rightly defined the term 'Debenture' as "A debenture is an instrument issued by the company under this common seal acknowledging a debt and setting forth the terms under which they are issued and are to be paid".

Advantages of Debentures

The debentures are advantageous to both the stakeholders, i.e., the issuer (company) and the debenture holder (investor), as is evident from the following:

i) **Advantages to the Company**

a) **Lower Rate of Interest:** The issuing company has to pay a fixed rate of interest on debentures, which is generally lower than the rate of dividend payable on shares.

b) **Trading on Equity:** Raising funds by issuing debentures is a cheaper route for a company, because rate of interest payable on debentures is generally lower than the rate of earning. This enables the company to trade on equity, and declare a higher rate of dividend on its equity shares.

c) **Tax Benefits:** In terms of Income Tax provisions, the payment of interest on debentures is charged against earnings of the company while the payment of dividend on shares is an appropriation of earning.

In essence, the interest on debentures is paid **before** arriving at profit (before paying taxes) whereas dividends are declared **after** arriving at the profit (after paying taxes). This results in reduction in tax liability in the case of interest payment to the debenture holders. Such benefit does not accrue to the company on payment of dividends.

d) **Certainty of Finance:** Debentures are issued for a very long tenure. In terms of the Government of India's new guidelines, the secured debentures are not redeemable before a period of seven years. Hence, the issuing company enjoys the comfort with regard to continued availability of funds for that specific period, which enables the company in preparing its future plans.

e) **Capital from Moderate Investors:** Investors subscribing to debenture issue of a company are those who have low risk-

उन्नत राशि सुनिश्चित की जाती हैं। यह एक कंपनी द्वारा ऋण के विरूद्ध निर्गमित की गई प्रतिभूति होती है। एक कंपनी 'व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र' प्राप्त करने के पश्चात् ऋणपत्र निर्गमित कर सकती है, परंतु उसके पार्षद 'सीमानियम' में एक अनुच्छेद होता हैं जो कंपनी को ऋणपत्र निर्गमित करने की अनुमति प्रदान करता है।

प्रोफेसर नायडू एवं दत्ता ने 'ऋणपत्र' शब्द को उचित रूप से परिभाषित किया है, "एक ऋणपत्र कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया एक उपकरण है जो इस सामान्य मुहर के अंतर्गत एक ऋण को स्वीकार करता है तथा उन शर्तों को निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उन्हें निर्गमित किया जाता है तथा उनका भुगतान किया जाना है"।

ऋणपत्र के लाभ

ऋणपत्र दोनों हितधारकों, अर्थात् निर्गमनकर्ता (कंपनी) एवं ऋणपत्र धारक (निवेशक) के लिए लाभदायक होता है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है–

i) **कंपनी को लाभ**

a) **न्यूनतम ब्याज दर–** निर्गमित करने वाली कंपनी को ऋणपत्र पर एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करना होता है, जो सामान्यतः अंशों पर देय लाभांश की दर से कम होता है।

b) **समता पर व्यापार–** ऋणपत्र निर्गमित करके धन एकत्रित करना एक कंपनी के लिए आसान माध्यम होता है, क्योंकि ऋणपत्र पर देय ब्याज दर सामान्यतः अर्जित दर से कम होती है। यह कंपनी को समता पर व्यापार करने तथा स्वयं के समता अंशों पर लाभांश की उच्च दर की घोषणा करने में सक्षम बनाता है।

c) **कर लाभ–** आयकर प्रावधानों के संदर्भ में, ऋणपत्र पर ब्याज का भुगतान कंपनी की अर्जित धन के विरूद्ध लगाया जाता है जबकि अंशों पर लाभांश का भुगतान उपार्जित का विनियोग होता है।

संक्षेप में, ऋणपत्र पर ब्याज का भुगतान लाभ (करों का भुगतान करने से पूर्व) प्राप्त करने से **पूर्व** किया जाता है, जबकि लाभांश की घोषणा लाभ (करों का भुगतान करने के पश्चात) प्राप्त करने के **बाद** की जाती है। इसके परिणामस्वरूप ऋणपत्र धारकों को किए गए ब्याज के भुगतान के संदर्भ में कर दायित्व में कमी आती है। लाभांश के भुगतान पर कंपनी को इस प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

d) **वित्त की निश्चितता–** ऋणपत्र दीर्घ अवधि के लिए निर्गमित किए जाते हैं। भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सुरक्षित ऋणपत्र सात वर्ष की अवधि से पहले शोध्य नहीं होते हैं। इसलिए, निर्गमनकर्ता कंपनी को इस विशिष्ट अवधि के लिए धन की निरंतर उपलब्धता के संबंध में सुविधा प्राप्त होती है, जो कंपनी को अपनी भविष्य की योजना तैयार करने में सक्षम बनाती है।

e) **मध्यम निवेशकों से पूँजी–** एक कंपनी के ऋणपत्र निर्गमित करने की सदस्यता प्राप्त करने वाले वें निवेशक होते हैं जिनकी जोखिम-वहन

appetite and prefer fixed and regular source of income with minimum risk. For them, safety of funds is more important.

f) **Controlling Over-Capitalisation:** The phenomena of over-capitalisation, if the same takes place, can be contained with a lot of ease, by simply undertaking redemption process in respect of redeemable debentures. Thus, there is flexibility in the manipulation of capital structure.

ii) **Advantages to Investors**

a) **Fixed and Stable Income:** As the rate of interest on debentures is fixed, an investor has full information with regard to his/her future cash inflow on account of his holdings. This information on assured regular and fixed future income enables him/her to plan future personal budget and allocation of funds for various purposes.

b) **Safe Investment:** Debentures are secured instruments having charge either on a specific asset or assets of the company in general. Therefore, they are considered fairly safe investment by the moderate class of investors.

c) **Liquidity:** Debentures are considered highly liquid instruments due to the following facts:

- There is a vibrant secondary market of debentures,
- They may be lodged as a collateral security for raising loans from a Financial Institution or any other lender, and
- In terms of Government of India's guidelines, the 'rights' and 'secured (convertible and non-convertible) debentures' can be listed in a stock exchange.

d) **Fixed Maturity Period:** Many investors prefer subscribing to debentures, as they have a fixed maturity period. Certainty of maturity period of a debenture enables investors for their future financial planning.

e) **Convertibility of Debentures:** In the case of convertible debentures, a number of debenture holders prefer to have their debenture holding converted into shares of company at appropriate time. The company, without making any efforts gets debt converted into equity.

4) type of security derives its value g asset. The value of the backing value of the derivative security.

करने की क्षमता न्यूनतम होती है तथा न्यूनतम जोखिम के साथ आय के निश्चित एवं नियमित स्रोत को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इन निवेशकों के लिए मुद्रा की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है।

f) **अति–पूँजीकरण को नियंत्रित करना–** यदिअति–पूँजीकरण की घटना, घटित होती है, तो इसे शोध्य ऋणपत्र के संबंध में शोध्य प्रक्रिया द्वारा आसानी से समायोजित किया जा सकता है। इस प्रकार, पूँजी संरचना के हेरफेर में लचीलापन होता है।

ii) **निवेशकों को लाभ**

a) **निश्चित एवं स्थिर आय–** चूँकि ऋणपत्र पर ब्याज की दर निश्चित होती है, इसलिए एक निवेशक को अपने धारण के कारण भविष्य के नकदी प्रवाह के संबंध में पूर्ण सूचना होती है। यह नियमित एवं निश्चित भविष्य की आय की सूचना उसे भविष्य के व्यक्तिगत बजट की योजना बनाने तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन के आवंटन में सक्षम बनाती है।

b) **सुरक्षित निवेश–** ऋणपत्र सुरक्षित उपकरण होते हैं जिनका या तो कम्पनी की किसी विशिष्ट संपत्ति या संपत्तियों पर सामान्य रूप से प्रभार होता हैं। इसलिए, इसे मध्यम वर्ग के निवेशकों द्वारा काफी सुरक्षित निवेश माना जाता है।

c) **तरलता–** निम्नलिखित तथ्यों के कारण ऋणपत्र को अत्यधिक तरल उपकरण के रूप में माना जाता है–

- ऋणपत्रों का एक व्यावसायिक द्वितीयक बाजार होता है,
- इन्हें किसी वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से ऋण लेने के लिए एक संपार्श्विक सुरक्षा/प्रतिभूति के रूप में रखा किया जा सकता है, तथा
- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, 'अधिकार' एवं 'सुरक्षित (परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय) ऋणपत्र' को स्कंध विनिमय में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

d) **निश्चित परिपक्वता अवधि–** विभिन्न निवेशक ऋणपत्र में अभिदान करना इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी एक निश्चित परिपक्वता अवधि होती है। ऋणपत्र की परिपक्वता अवधि की निश्चितता निवेशकों को उनके भविष्य की वित्तीय योजना के लिए सक्षम बनाती है।

e) **ऋणपत्र की परिवर्तनीयता–** परिवर्तनीय ऋणपत्र की स्थिति में, विभिन्न ऋणपत्र धारक उचित समय पर स्वयं के ऋणपत्र अधिकार को कंपनी के अंशों में परिवर्तित करना पसंद करते हैं। दूसरी ओर, कंपनी बिना किसी प्रयास के अपने ऋण को समता में परिवर्तित कर सकती है।

4) **व्युत्पन्न– इस प्रकार की प्रतिभूति अन्तर्निहित सम्पत्तियों से अपना मूल्य प्राप्त करती है। समर्थन सम्पत्ति का मूल्य व्युत्पन्न प्रतिभूति का मूल्य निर्धारित करता है। एक व्युत्पन्न**

3.6.8. Difference between Money Market and Capital Market

The basic differences between money market and capital market are as follows:

3.6.8. मुद्रा बाजार तथा पूँजी बाजार के मध्य अंतर

मुद्रा बाजार एवं पूँजी बाजार के मध्य मुख्य अंतर निम्न प्रकार हैं–

Basis of Difference (अंतर का आधार)	Money Market (मुद्रा बाजार)	Capital Market (पूँजी बाजार)
1) **Time-period of Investment (निवेश की समय–अवधि)**	Money market deals with the short-term investment. (मुद्रा बाजार अल्पकालिक निवेश से संबंधित होता है।)	Capital market deals with the long-term investment. (पूँजी बाजार दीर्घकालीन निवेश से संबंधित होता है।)
2) **Use of Finance (वित्त का प्रयोग)**	The finance is used for working capital in the company. (वित्त का उपयोग कंपनी में कार्यशील पूँजी के लिए किया जाता है।)	The finance is used for both fixed and working capital. (वित्त का उपयोग स्थिर एवं कार्यशील पूँजी दोनों के लिए किया जाता है।)
3) **Functions (कार्य)**	The basic functions of money market are lending and borrowing for helping the adjustment of liquidity position. (तरलता की स्थिति के समायोजन में सहायता करने के लिए मुद्रा बाजार के मुख्य कार्य ऋण प्रदान तथा प्राप्त करना है।)	The basic functions of capital market are to mobilise funds and have effective use of resources by lending. (पूँजी बाजार का मुख्य कार्य धन एकत्रीकरण तथा ऋण प्रदान करके संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना है।)
4) **Components (घटक)**	The basic components of money market are call loan market, collateral loan market, bill market and acceptance houses. (मुद्रा बाजार का मुख्य घटक याचना ऋण बाजार, संपार्श्विक ऋण बाजार, बिल बाजार तथा स्वीकृति गृह हैं।)	The basic components of capital market are primary market and secondary market. (पूँजी बाजार का मुख्य घटक प्राथमिक बाजार तथा द्वितीयक बाजार हैं।)
5) **Link (कड़ी)**	The money market acts as the link between depositor and borrowers. (मुद्रा बाजार जमाकर्ता एवं ऋणकर्ता के मध्य कड़ी का कार्य करता है।)	The capital market acts as the link between investors and entrepreneur. (पूँजी बाजार निवेशकों एवं उद्यमियों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।)
6) **Underwriting (अभिगोपन)**	The underwriting acts as the secondary function of money market. (अभिगोपन मुद्रा बाजार के द्वितीयक कार्य के रूप में कार्य करता है)	The primary function of capital market is underwriting. (पूँजी बाजार का प्राथमिक कार्य अभिगोपन है।)
7) **Capital Raising (पूँजी सृजन)**	It raises capital from the short-term surplus funds. (यह अल्पकालिक अधिशेष निधियों से पूँजी एकत्रित करता है।)	It raises capital from the public and invests in selected securities for getting high possible return with low risk. (यह जनता से पूँजी एकत्रित करता है तथा न्यूनतम जोखिम के साथ उच्च संभावित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए चयनित प्रतिभूतियों में निवेश करता है।)
8) **Customers (ग्राहक)**	The customer of money market is Government as they purchase treasury bill of the government. (मुद्रा बाजार का ग्राहक सरकार होते है क्योंकि वे सरकार के राज्यकोषीय बिल को क्रय करते हैं।)	The customers of capital market are Central and State Government, public and local bodies. (पूँजी बाजार के ग्राहक केंद्र एवं राज्य सरकार, सार्वजनिक तथा स्थानीय निकाय होते हैं।)

3.7. DEBT MARKET

3.7.1. Meaning of Debt Market

A financial market, where the investors involve in trading of debt securities is known as the **debt market**. The debt securities traded in this market are usually the bonds issued by the different entities such as the central and state governments, municipal corporations, government bodies, and commercial entities including the financial institutions, banks, public sector units, and the public limited companies. These bonds are the fixed income securities of different kinds comprising with distinct features. Thus, this market is also known as the 'market of fixed income securities'.

3.7. ऋण बाजार

3.7.1. ऋण बाजार का अर्थ

एक वित्तीय बाजार, जहां निवेशक ऋण प्रतिभूतियों के व्यापार में शामिल होते हैं, **ऋण बाजार** के रूप में जा जाता है। इस बाजार में व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियाँ प्रायः विभिन्न संस्थाओं जैसे कि केंद्र एवं सरकारें, नगर निगमों, सरकारी निकायों एवं वित्तीय सं बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों तथा सा लिमिटेड कंपनियों सहित वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा किए गए बांड होते हैं।

The payments of interest and remittance of principal amount are predictable in case of all fixed income securities. Only, the qualified organisations are allowed to issue debt securities in the market, if they need to be financed from the investors. On obtaining the finance from the market, the companies are liable to pay fixed interest on the bonds, hence the investors are guaranteed to receive regular stream of payments on the bonds.

In addition to this, the bonds are movable assets because these are conveniently transferred from a person to other for a specific consideration amount. An individual invested in bonds is relatively secured compared to a person invested in common share because the investment in bond is providing the person to enjoy the benefits of fixed returns on regular basis and even, he can raise the level of invested capital amount, if he desires to do so. Additionally, the investors are highly preferred to make investment in bonds because it enables them to diversify the entire risk that is expected to be occurred on a portfolio.

Investment in government bonds is termed as the **risk-free investment** as the returns on such bonds are guaranteed by the government thus the possibilities of risk are very less. This market is a prominent source of funds, particularly in case of those countries that are at the stage of developing like India, Pakistan, Indonesia, Bangladesh and the other of countries of Asia. In different countries around the world, the debt market is taking the place of banking system and the same is happening in India.

3.7.2. Segment of Debt Market

The debt market is classified into two segments:

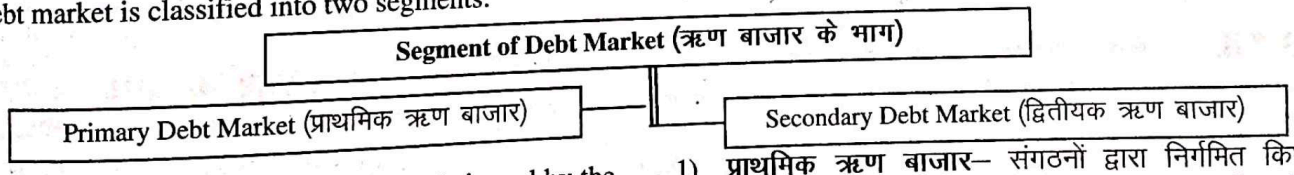

1) **Primary Debt Market:** All fresh bonds issued by the organisations are traded in primary debt market with the help of public prospectus, rights issue or the private placement. Floating of bonds through private placement is an attractive method for borrowers, who wish to acquire loans at lower cost. At this market, loans are available at cheap cost which is only half of the cost of loans raised from the market. In India, this market is regulated and controlled by the stock exchanges namely, the BSE and NSE.

All functions of this market are carried out under the guidance of the stock exchanges and the companies are instructed to submit the report to explain about the raised loans through private placements. The prime purpose of such reporting is to make the investors aware about the idea behind the raised loans and enables those to trace the risk return permitted on their investment amount.

ये बांड विभिन्न प्रकार की निश्चित आय प्रतिभूतियाँ हैं जिनकी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं। इस प्रकार, इस बाजार को 'निश्चित आय प्रतिभूतियों के बाजार' के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक निश्चित आय प्रतिभूतियों के मामले में ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि का प्रेषण अनुमानित होता है। केवल, योग्य संगठनों को ही बाजार में ऋण प्रतिभूतियाँ निर्गमित करने की अनुमति प्रदान की जाती है, यदि उन्हें निवेशकों से वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है। बाजार से वित्त प्राप्त करने पर, कंपनियाँ बांड पर निश्चित ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, इसलिए निवेशकों को बांड पर भुगतान की नियमित प्रवाह प्राप्त करने की गारंटी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, बांड चल संपत्ति हैं क्योंकि ये एक विशिष्ट प्रतिफल राशि के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सरलता से हस्तांतरित किए जाते है। बांड में निवेश करने वाला व्यक्ति सामान्य अंश में निवेश करने वाले व्यक्ति की तुलना में अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है क्योंकि बांड में निवेश व्यक्ति को नियमित आधार पर निश्चित प्रतिफल का लाभ प्राप्त करता है तथा यहां तक कि, वह निवेशित पूँजी राशि का स्तर को बढ़ा सकता है, यदि वह ऐसा करना चाहता है। इसके अतिरिक्त, निवेशकों को बांड में निवेश करने के लिए अत्यधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह उन्हें एक पोर्टफोलियो पर होने वाले संपूर्ण जोखिम में विविधता लाने में सक्षम बनाता है।

सरकारी बॉन्ड में निवेश को **जोखिम मुक्त** निवेश कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के बॉन्ड पर प्रतिफल की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है इसलिए इसमें जोखिम की संभावना कम होती है। यह बाजार निधियों का एक मुख्य स्रोत है, विशेष रूप से उन देशों के संदर्भ में जो भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश तथा एशिया के अन्य देशों जैसे विकास के स्तर पर हैं। विश्व के विभिन्न देशों में, ऋण बाजार बैंकिंग प्रणाली का स्थान ले रहा है तथा भारत में अपना विस्तार कर रहा है।

3.7.2. ऋण बाजार के भाग

ऋण बाजार को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है–

1) **प्राथमिक ऋण बाजार**– संगठनों द्वारा निर्गमित किए गए प्रत्येक नए बांडों का सार्वजनिक प्रविवरण, अधिकारिक निर्गमन या निजी नियोजन की सहायता से प्राथमिक ऋण बाजार में व्यापार किया जाता है। न्यूनतम लागत पर ऋण प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले ऋणकर्ताओं के लिए निजी स्थानन के माध्यम से बांडों की प्रवाह एक आकर्षक विधि है। इस बाजार में ऋण न्यूनतम लागत पर प्राप्त हो जाता है जो बाजार से एकत्रित किए गए ऋण की लागत का आधा होता है। भारत में, इस बाजार को BSE तथा NSE जैसे स्कंध विनियमों द्वारा विनियमित एवं नियंत्रित किया जाता है।

इस बाजार के प्रत्येक कार्य स्कंध विनियमों के मार्गदर्शन के अन्तर्गत में किए जाते हैं तथा कंपनियों को निर्देश दिया जाता है कि निजी स्थानन के माध्यम से एकत्रित किए गए ऋणों को स्पष्ट करने के लिए विवरण प्रस्तुत करे। इस प्रकार की रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य निवेशकों से एकत्रित किए गए ऋण के पीछे के विचार के बारे में जागरूक करना है तथा उन्हें उनकी निवेश राशि पर अनुमत जोखिम प्रतिफल का पता लगाने में सक्षम बनाना है।

2) **Secondary Debt Market:** The other important segment of debt market is secondary debt market. Secondary debt market is comprised of two markets, namely, the wholesale debt market and the retail debt market. This classification is made on the basis of investors and the structure of the market:
   i) **Wholesale Debt Market:** The participants of this market includes the investors such as, the commercial banks, financial institutions, the RBI, primary dealers, insurance companies, provident funds, MFs, corporates and FIIs.
   ii) **Retail Debt Market:** The participants of this market includes the investors such as individual investors, small trusts and legal entities including the different classes of wholesale investors.

3.7.3. Classification of Indian Debt Market

The classification of Indian debt market is as follows:

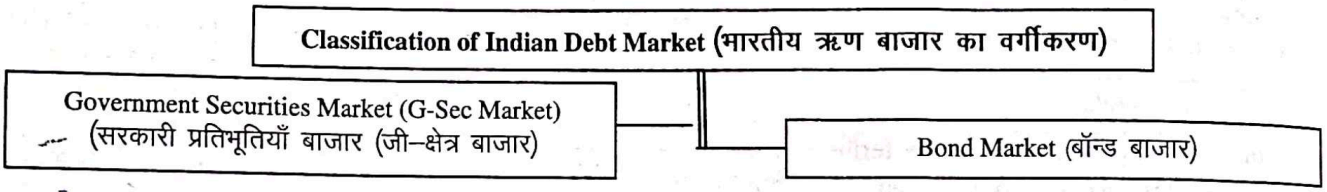

1) **Government Securities Market (G-Sec Market):** This market deals with securities of the Central and the State governments. It comprises the loans taken by the Central and the State governments and is regarded as the most important category of the Indian debt market.

2) **Bond Market:** This market deals with the bonds and debentures of financial institutions, corporates, and public sector units. The main objective of this market is to meet the financial needs at a fixed cost and prevent uncertainty in financial costs.

3.7.4. Functions of Debt Market

The functions of debt market in the Indian economy are as follows:

1) It facilitates proper mobilization and distribution of financial resources in the economy.
2) It provides adequate financial assistance for developmental activities.
3) It facilitates in implementation of the monetary policy.
4) It facilitates proper management of liquidity of resources in short term as well as in long term.
5) It not only meets the financial needs of corporations but also of the government.

3.7.5. Instruments of Debt Market

There are different financial instruments traded in the debt market like Zero coupon bonds, coupon bearing bonds, treasury bills, commercial paper, floating rate bonds etc. Normally, these instruments are grouped under the three major segments on the basis of issuers issuing such instruments.

2) **द्वितीयक ऋण बाजार–** ऋण बाजार का अन्य महत्वपूर्ण भाग द्वितीयक ऋण बाजार है। द्वितीयक ऋण बाजार में दो बाजार शामिल होते हैं, अर्थात् थोक ऋण बाजार एवं खुदरा ऋण बाजार। इसका वर्गीकरण निवेशकों एवं बाजारों की संरचना के आधार पर किया जाता है–
   i) **थोक ऋण बाजार–** इस बाजार के प्रतिभागियों में वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, RBI, प्राथमिक विक्रेता, बीमा कंपनियाँ, भविष्य निधि, MFs, निगम तथा FIIs जैसे निवेशक शामिल हैं।
   ii) **खुदरा ऋण बाजार–** इस बाजार के सहभागियों में व्यक्तिगत निवेशक, छोटे ट्रस्ट एवं कानूनी संस्थाओं जैसें थोक निवेशकों के विभिन्न वर्गों सहित निवेशक शामिल होते हैं।

3.7.3. भारतीय ऋण बाजार का वर्गीकरण

भारतीय ऋण बाजार का वर्गीकरण निम्न प्रकार है–

1) **सरकारी प्रतिभूतियाँ बाजार (G–क्षेत्र बाजार)–** यह बाजार केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों से संबंधित है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किए गए ऋण शामिल हैं तथा इसे भारतीय ऋण बाजार की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी के रूप में माना जाता है।

2) **बॉन्ड बाजार–** यह बाजार वित्तीय संस्थानों, निगमित एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के बॉन्ड तथा ऋणपत्र से संबंधित है। इस बाजार का मुख्य उद्देश्य निश्चित लागत पर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना तथा वित्तीय लागतों में अनिश्चितता को रोकना है।

3.7.4. ऋण बाजार के कार्य

भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण बाजार के कार्य निम्न प्रकार हैं–

1) यह अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों के उचित संग्रहण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करता है।
2) यह विकासात्मक गतिविधियों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
3) यह मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करता है।
4) यह अल्पावधि के साथ–साथ दीर्घ अवधि में संसाधनों की तरलता के उचित प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है।
5) यह न केवल निगमों की बल्कि सरकार की भी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है।

3.7.5. ऋण बाजार के उपकरण

ऋण बाजार में विभिन्न वित्तीय उपकरणों का व्यापार होता है जैसे कि जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन बेयरिंग बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, परिवर्तनीय दर बॉन्ड आदि। सामान्य रूप से इन उपकरणों को निर्गमित करने वाले इस प्रकार के उपकरणों के आधार पर तीन प्रमुख भागों के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है।

The major categories of debt market instruments are as follows:

ऋण बाजार साधनों की प्रमुख श्रेणियाँ निम्न प्रकार हैं–

Market Segment (बाजार भाग)	Issuer (निर्गमनकर्त्ता)	Instruments (उपकरण)
1) **Government Securities (सरकारी प्रतिभूतियाँ)**	Central Government (केन्द्रीय सरकार)	Zero coupon bonds, coupon bearing bonds, treasury bills, STRIPS (शून्य कूपन बांड, कूपन वहनीय बांड, ट्रेजरी बिल, स्ट्रिप्स)
	State Government (राज्य सरकार	Coupon bearing bonds (कूपन वहनीय बांड)
2) **Public Sector Bonds (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड)**	Government agencies/Statutory bodies (सरकारी एजेंसियाँ/वैधानिक निकाय)	Government guaranteed bonds, debentures (सरकारी गारंटी बांड, ऋणपत्र)
	Public sector units (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ)	PSU bonds, debentures, commercial paper (PSU बांड, ऋणपत्र, वाणिज्यिक पत्र)
3) **Private Sector Bonds (निजी क्षेत्र के बॉन्ड)**	Corporates (निगमन)	Debentures, bonds, commercial paper, floating rate bonds, zero coupon bonds, inter-corporate deposits (ऋणपत्र, बांड, वाणिज्यिक पत्र, परिवर्तनीय दर बांड, शून्य कूपन बांड, आंतरिक निगमित जमा।)
	Banks (बैंक)	Certificates of deposits, debentures, bonds (जमा प्रमाण पत्र, ऋण पत्र बॉन्ड)
	Financial institutions (वित्तीय संस्थान)	Certificates of deposits, bonds (जमा प्रमाण पत्र, बांड)

In India, the government securities are considered as the SLR securities because these can be used by the bank to maintain the SLR ratio. On the other hand, the non-government securities are considered as the non-SLR securities.

भारत में, सरकारी प्रतिभूतियों को SLR वैधानिक तरलता अनुपात प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है क्योंकि SLR अनुपात को बनाए रखने के लिए इनका उपयोग बैंक द्वारा किया जा सकता है। दूसरी ओर, गैर–सरकारी प्रतिभूतियों को non-SLR प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है।

3.7.6. Importance of Debt Market

The importance of the debt market in the Indian economy can be depicted from the following points:

1) It facilitates the government to borrow funds at a cheaper cost.
2) It helps in the mobilization of resources at a reasonable cost.
3) It reduces the pressure on institutional financing by providing a large number of funding opportunities for the projects of the public and private sectors.
4) It unlocks the illiquid retail investments such as gold thereby improving the mobilization of resources.
5) It brings heterogeneity in the market participants.
6) It helps in developing a reliable yield curve.
7) It helps in developing the term structure of interest rates.
8) It ensures efficient mobilization and distribution of resources in the economy.
9) It provides financial assistance to the development activities conducted by the government.
10) It provides signals that are important for implementing monetary policy.

3.7.6. ऋण बाजार का महत्व

भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण बाजार के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा दर्शाया जा सकता है–

1) यह सरकार को न्यूनतम कीमत पर धन उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है।
2) यह उचित लागत पर संसाधनों के एकत्रीकरण में भी सहायता करता है।
3) यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए अधिक संख्या में वित्त पोषण के अवसर प्रदान करके संस्थागत वित्तपोषण पर दबाव को न्यूनतम करता है।
4) यह सोने जैसे खुदरा निवेश में निवेश करता है। जिससे संसाधनों के एकत्रीकरण में सुधार होता है।
5) यह बाजार सहभागियों में विविधता लाता है।
6) यह एक विश्वसनीय प्रतिफल प्रदान करने में सहायता करता है।
7) यह ब्याज दरों की अवधि संरचना को विकसित करने में सहायता करता है।
8) यह अर्थव्यवस्था में संसाधनों के कुशल गतिशीलता एवं वितरण को सुनिश्चित करता है।
9) यह सरकार द्वारा संचालित विकास गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
10) यह मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है।

11) It helps in the process of liquidity management in relation to the entire short-term and long-term objectives.

3.7.7. Risks Involved in Debt Market Securities

Risks related to the debt market securities are as follows:

1) **Default Risk:** Normally, the default risk is arising in two conditions, first when an issuer is not capable to pay off the interest and the principal amount on the issued debt securities and second, when an issuer is not complying with the terms and conditions of the bond agreement. Such risk is also known as the **credit risk.**

2) **Interest Rate Risk:** The interest rate prevailing in the market is rapidly fluctuating thus it directly or indirectly affects the returns (yield) on the instruments traded in the market.

   The risk arising from the fluctuation of interest rate is termed as the **interest rate risk.** In favorable condition, the prevailing interest rate is rising and leading to a condition under which the money invested by the investors is locked at lower rate, while they can earn more returns on their investment, if they continued with the same security or if they made additional investment in the situation of fluctuating interest rate.

3) **Reinvestment Rate Risk:** Such type of risk is arising because of greater possibilities of decrease in interest rate that may result in reducing the alternatives present for the investment which provide higher interest rates at comparable rates in the market on a regular periodic basis.

4) **Counter Party Risk:** Such type of risk is arising because the counter party to the contract is not adhering to the terms and conditions or not performing the contract in an expected manner in respect of the promised security or the consideration for sale at the settlement date.

5) **Price Risk:** Such type of risk is arising because of constant fluctuations in the prices of the securities thus the investor cannot accurately estimate about the price and therefore, probability of not receiving the expected price is high.

3.7.8. Role of SEBI in Regulation of Capital Market

Following are the SEBI rules and regulations regarding stock markets:

1) **SEBI Rules and Regulation for Primary Market:** To protect the interest of the investors and to bring back the small investors to the market several measures have been undertaken by SEBI. Entry and disclosure norms are tightened to prevent the exploitation of investors by the unscrupulous promoters. Allocation of shares and promoters' contribution are regulated.

11) यह संपूर्ण अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उद्देश्यों के संबंध में तरलता प्रबंधन की प्रक्रिया में सहायता करता है।

3.7.7. ऋण बाजार प्रतिभूतियों में शामिल जोखिम

ऋण बाजार प्रतिभूतियों से संबंधित जोखिम इस प्रकार हैं–

1) **भुगतान में त्रुटि का जोखिम**– सामान्य रूप से, त्रुटि जोखिम दो स्थितियों में उत्पन्न होता है, प्रथम जब कोई निर्गमनकर्ता निर्गमित किए गए ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज एवं मूल राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं होते है तथा दूसरा, जब कोई निर्गमनकर्ता बांड समझौते की स्थितियों तथा शर्तों का पालन नहीं करता है। इस प्रकार के जोखिम को **साख जोखिम** के रूप में भी जाना जाता है।

2) **ब्याज दर जोखिम**– बाजार में प्रचलित ब्याज दर में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाजार में व्यापार किए गए साधनों पर प्रत्याय को प्रभावित करता है। ब्याज दर के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिम को **ब्याज दर जोखिम** कहा जाता है। अनुकूल स्थिति में, प्रचलित ब्याज दर बढ़ रही होती है तथा एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जिसके अंतर्गत निवेशकों द्वारा निवेश की गई मुद्रा न्यूनतम दर पर निवेशित होती है, जबकि वे अपने निवेश पर अधिक प्रतिफल अर्जित कर सकते हैं, यदि वे उसी प्रतिभूत को निरन्तर निर्गमित करते हैं या यदि वे परिवर्तित ब्याज दर की स्थिति में अतिरिक्त निवेश करते हैं।

3) **पुनर्निवेश दर जोखिम**– इस प्रकार का जोखिम ब्याज दर में कमी की अधिक संभावनाओं के कारण उत्पन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप निवेश के लिए उपस्थित विकल्पों को कम किया जा सकता है जो नियमित आवधिक आधार पर बाजार में तुलनीय दरों पर उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं।

4) **प्रतिपक्ष जोखिम**– इस प्रकार का जोखिम इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि अनुबंध का प्रतिपक्ष नियम एवं शर्तों का पालन नहीं करता है या वचन दी गई प्रतिभूत के संबंध में या समाधान की तिथि पर बिक्री के लिए अपेक्षित प्रकार से अनुबंध का पालन नहीं करता हैं।

5) **कीमत सम्बंन्धी जोखिम**– इस प्रकार का जोखिम प्रतिभूतियों की कीमतों में निरंतर परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए निवेशक कीमत के बारे में सटीक अनुमान नहीं लगा सकता है तथा इसलिए, अपेक्षित कीमत प्राप्त न होने की संभावना अधिक होती है।

3.7.8. पूँजी बाजार के विनियमन में SEBI की भूमिका

स्कन्ध बजार से सम्बन्धित सेबी के नियम एवं विनियम निम्नलिखित हैं–

1) **प्राथमिक बाजार के लिए सेबी के नियम एवं विनियम**–निवेशकों के हितों की रक्षा और छोटे निवेशकों को बाजार में वापस लाने के लिए सेबी द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। अनैतिक प्रवर्तकों द्वारा निवेशकों के शोषण को रोकने के लिए प्रवेश और प्रकटीकरण मानदंडों को सुदृढ किया जाता है। अंशों और प्रवर्तकों के अंशदान को विनियमित किया जाता है।

i) **Entry Norms:** SEBI has issued guidelines to regulate the entry norms for companies accessing the capital market.

ii) **Promoters' Contribution:** Promoters' contribution means contribution by those described in the prospectus as promoters, directors, friends, relatives and associates.

2) **Disclosure:** The draft prospectus filed with SEBI is made as a public document to enhance transparency. The draft prospects should provide all the needed information to the investor regarding: the present position of the company, the future prospect and the risk factors associated with the investment of the company.

3) **Book Building:** Book building has been accepted as one of the modes of public issue. SEBI issued guidelines relating to 100% book-building in an issue of security to the public through prospectus.

4) **Allocation of Shares:** To bring back the small investors to the primary market, the minimum application of share has been reduced from 500 to 200. Proportionate allotment of shares is made. A reservation of minimum 50 % of net offers to the small investors is being made.

5) **Market Intermediaries:** Licensing of merchant bankers or authorisation by SEBI was the first step undertaken to regulate the intermediaries. This licensing of merchant bankers is based on the capital adequacy as well as the track record of the capital market related activities. SEBI has the right to inspect the records of the intermediaries.

6) **SEBI Rules and Regulation for Secondary Market:** SEBI has introduced a wide range of reforms in the secondary market.

The important areas are as given below:

i) **Governing Board:** Governing Board of the stock exchanges was reconstituted according to the SEBI's directives. Broker and non-broker representations are made 50:50. Sixty per cent of non-broker representation was given in the arbitration, disciplinary and default committees of the exchanges.

ii) **Infrastructure:** To sophisticate the trade on the stock exchange NSE was established with the screen based trading. Then SEBI has allowed the stock exchanges to expand its on-line screen based trading terminals to locations outside their jurisdiction subjected to certain criteria.

iii) **Settlement and Clearing:** SEBI notified all stock exchanges to introduce weekly settlement. Besides, auctions have to be conducted by stock exchanges within eight days of the settlement in case members fail to deliver the shares.

i) **प्रवेश मानदंड**–सेबी ने पूँजी बाजार तक आने वाली कम्पनियों के प्रवेश नियमों को संख्त करने के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करती है।

ii) **प्रवर्तकों का अंशदान**– अंशदान का अर्थ है प्रवर्तक निदेशकों, मित्रों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के रूप में विवरणिका में वर्णित अंशदान के रूप में है।

2) **प्रकटीकरण**–सेबी में दायर प्रारूप विवरणिका पारदर्शिता बढाने के लिए एक सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में बनाई गई हैं। संभावनाओं के प्रारूप में निवेशक को इस बारे में सभी आवश्यक सूचना दी जानी चाहिए जैसे कि कम्पनी की वर्तमान स्थिति, भावी संभावना तथा कम्पनी के निवेश से जुड़े जोखिम कारक आदि।

3) **पुस्तक निर्माण**–पुस्तक/बही निर्माण को सार्वजनिक निर्गम के एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। सेबी ने प्रविवरणों के माध्यम से जनता को प्रतिभूति निर्गमित करने के सम्बन्ध में 100% बही निर्माण सम्बन्धी दिशानिर्देश जारी किए।

4) **अशों का आवंटन**–लघु निवेशकों को प्राथमिक बाजार में लाने के लिए अंश का न्यूनतम उपयोग 500 से 200 के मध्य कर दिया गया है। अंशों का आनुपातिक आवंटन किया जाता है। लघु निवेशकों को कम से कम 50% शुद्ध प्रस्तावों का आरक्षण दिया जा रहा है।

5) **बाजार मध्यस्थ**–सेबी द्वारा व्यापारी बैंकरो या प्राधिकरण का लाइसेंस मध्यस्थों को विनियमित करने के लिए प्रारम्भ करने के लिए प्रथम चरण था। व्यापारी बैंकरों को लाइसेंस प्रदान करने कार्य पूँजी बाजार से सम्बन्धित गतिविधियों के विवरण एवं पूँजी बार से सम्बन्धित आँकड़ों पर आधारित है। सेबी को मध्यस्थों के अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

6) **द्वितीयक बाजार के लिए सेबी के नियम एवं विनियम**–सेबी ने द्वितीयक बाजार में व्यापक स्तर पर सुधार किए हैं।

इसके महत्त्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित है।

i) **अधिशासी मंडल**–सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार स्कन्ध बाजारों के अधिशासी मंडल का पुनर्गठन किया गया। दलाल और गैर–दलाल का प्रतिनिधित्व 50:50 था। विनिमयों की मध्यस्थता अनुशासनात्मक तथा डिफॉल्ट समितियों में गैर दलाल प्रतिनिधत्व का 60 प्रतिशत दिया गया था।

ii) **आधारभूत संरचना**–स्कन्ध बाजार में व्यापार को परिष्कृत करने के लिए स्क्रीन आधारित व्यापार से स्थापित किया गया था। तब सेबी ने स्कन्ध बाजार को अपने ऑनलाइन स्क्रीन आधारित व्यापार टर्मिनलों को अपने कतिपय मानकों के अंतर्गत आने वाले स्थानों पर विस्तारित करने की अनुमति दी है।

iii) **समाधान एवं समाशोधन**–सेबी ने सप्ताहिक निपटान प्रारम्भ करने के लिए सभी स्कन्ध बाजारों को अधिसूचित किया। इसके अतिरिक्त, यदि सदस्य अंश वितरित करने में असफल रहते है तो निपटान के आठ दिनों के भीतर स्कंध विनियमों द्वारा नीलामी आयोजित की जानी चाहिए।

iv) **Debt Market Segment:** Wholesale debt market segment in the NSE enables the traders to trade in debt instruments.

v) **Price Stabilisation:** SEBI has set up a division to monitor the unusual movements in prices, in coordination with the stock exchanges. SEBI has asked stock exchanges to monitor the prices of newly listed permitted scrips from the first day of trading.

vi) **Delisting:** SEBI tightened the delisting norms by permitting delisting in accordance with the norms specified by Chandratre committee.

vii) **Brokers and SEBI:** The regulation of the functioning of the brokers starts with the registration of the brokers. The registration is given on the basis of the eligibility to be a member of any stock exchange, infrastructure facilities like adequate office space, equipment and man power.

3.7.9. Role of RBI in Regulation of Capital or Stock Market

The **Reserve Bank of India (RBI)** is an important body for the financial operations and has played various roles in the development of the stock market. The certain roles of RBI in the regulation of capital and stock market are as follows:

1) **Regulatory Framework:** The RBI ensures the orderly functioning of the Indian stock market by serving as its main regulator. It controls many aspects of the market by creating and carrying out extensive rules and policies. Listing requirements, trading practices, disclosure norms, and investor protection measures are all covered by these regulations. The RBI promotes integrity and openness in the stock market by upholding a strong regulatory environment that instills confidence and trust among investors.

2) **Monetary Policy and Interest Rates:** The RBI's control over monetary policy and interest rates is one of its most important weapons. The RBI controls inflation, promotes economic expansion, and upholds price stability through its monetary policy decisions. It uses tools such as the Cash Reserve Ratio (CRR), reverse repo rate, and repo rate to influence the cost of borrowing and lending for market participants. Variations in these rates directly affect stock market investing choices and influence market sentiment.

3) **Liquidity Management:** In the Indian stock market, RBI plays an important role in managing liquidity. The RBI helps banks and other financial institutions with liquidity by using repo auctions, Open Market Operations (OMOs), and other measures. It successfully affects general liquidity circumstances, which in turn affect trading volumes, investor

iv) **ऋण बाजार खण्ड**– NSE का थोक ऋण बाजार क्षेत्रीय व्यापारियों को ऋण उपकरणों में संव्यवहार करने में सक्षम बनाता है।

v) **मूल्य स्थिरीकरण**–सेवी ने स्कन्ध बाजार के समन्वय से मूल्यों में असामान्य उच्चावचन की निगरानी के लिए एक प्रभाग की स्थापना की है। सेबी ने अंश बाजारों को अनुमति प्रदान किया है कि वे व्यापार के प्रथम दिन से सूचीबद्ध अनुमत बीजक मूल्य की देखरेख करे।

vi) **असूचीयन**–सेबी ने चन्द्रात्रे समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार असूचीयन करने की अनमति देकर सूचीयन नियमों को कठोर बनाया।

vii) **दलाल एवं सेबी**–दलालों के क्रिया–कलापों का विनियमन दलालों के पंजीकरण से प्रारम्भ होता है। पंजीकरण किसी स्कन्ध बाजार, पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपकरण और मानव शक्ति जैसी आधारभूत सुविधाओं के सदस्य होने की पात्रता के आधार पर दिया जाता है।

3.7.9. पूँजी या अंश बाजार के विनियमन में RBI की भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**) वित्तीय कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है तथा इसने अंश बाजार के विकास में कई भूमिकाएँ निभाई हैं। पूँजी एवं अंश बाजार के विनियमन में RBI की कुछ भूमिकाएँ इस प्रकार है–

1) **नियामक संरचना**– RBI मुख्य नियामक के रूप में कार्य करके भारतीय अंश बाजार के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करता है। यह व्यापक नियमों एवं नीतियों को बनाकर तथा लागू करके बाजार के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है। लिस्टिंग आवश्यकताएँ, व्यापारिक प्रथाएँ, प्रकटीकरण मानदंड तथा निवेशक सुरक्षा उपाय सभी इन विनियमों के अंतर्गत आते हैं। RBI एक मजबूत नियामक वातावरण कायम करके अंश बाजार में निष्ठा एवं खुलेपन को बढ़ावा देता है जो निवेशकों के मध्य विश्वास उत्पन्न करता है।

2) **मौद्रिक नीति एवं ब्याज दरें**–मौद्रिक नीति एवं ब्याज दरों पर RBI का नियंत्रण इसके सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है। RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देता है तथा अपने मौद्रिक नीति निर्णयों के माध्यम से मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। यह बाजार सहभागियों के लिए उधार लेने एवं उधार देने की लागत को प्रभावित करने के लिए नकद संचय अनुपात (CRR), रिवर्स रेपो दर तथा रेपो दर जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। इन दरों में परिवर्तन सीधे अंश बाजार में निवेश विकल्पों को तथा बाजार की धारणा को प्रभावित करते हैं।

3) **तरलता प्रबंधन**– भारतीय अंश बाजार में, RBI तरलता प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RBI रेपो नीलामी, खुले बाजार की क्रियाएँ (OMOs) तथा अन्य उपायों का उपयोग करके बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को तरलता प्रदान करने में सहायता करता है। यह सामान्य तरलता परिस्थितियों को सफलतापूर्वक प्रभावित करता है, जो बदले में व्यापार मात्रा, निवेशक भावना तथा अंश बाजार की तरलता

sentiment, and stock market liquidity. The ability of RBI to inject or absorb liquidity is essential when it comes to preserving market resilience and stability.

4) **Regulations Concerning Foreign Institutional Investment (FII):** The Indian stock market is heavily reliant on the contributions of Foreign Institutional Investors (FIIs). The RBI creates and modifies the rules and regulations pertaining to such investments. These rules control things like investment caps, compliance standards, and registration procedures. The RBI plays an important role in preserving market stability and promoting sustainable growth by striking a balance between attracting foreign investment and protecting the interests of domestic investors.

5) **Exchange Rate Management:** The Reserve Bank of India (RBI) actively controls the exchange of Indian rupee against the major global currencies. In order to preserve stability and avoid excessive volatility, it purchases or sells foreign currency on the foreign exchange market. The stock market is directly impacted by changes in the exchange rates, particularly in industries that heavily rely on exports or have foreign currency exposure. The efforts of RBI to stabilise exchange rates help investors to gain confidence and overall market performance.

6) **Risk Management and Financial Stability:** The RBI plays an important role in maintaining the financial stability of the Indian stock market. In order to stop any disruption that can risk the stability of the financial system, it evaluates and tracks risks, including market volatility, credit risks, and systemic risks. The complete risk management framework of the RBI comprises capital adequacy requirements for financial institutions, risk-based supervision, and stress tests. The RBI promotes the steady expansion and stability of the stock market over the long run by maintaining a safe and stable financial environment.

3.7.10. Role of SEBI in Regulation of Money Market

SEBI plays an important role in regulation of money market and frames regulations to meet the requirements of three groups, namely the issuers of securities (companies), the investors, and the market intermediaries:

1) **In Case of Issuers:** Its goal is to give issuers a marketplace where they may look forward to raise finance in an easy, fair, and efficient manner.
2) **In Case of Investors:** Its goal is to provide protection to their rights and interests by providing sufficient, genuine, and accurate information on a continuous basis.
3) **In Case of Intermediaries:** Its goal is to provide a competitive, professionalized, and expanding market to the investors and issuers. Futher, it also provides a market that possesses sufficient and efficient infrastructure to render better services.

को प्रभावित करता है। जब बाजार के लचीलेपन एवं स्थिरता को बनाए रखने की बात आती है तो RBI की तरलता डालने या अवशोषित करने की क्षमता आवश्यक होती है।

4) **विदेशी संस्थागत निवेश (FII) से संबंधित नियम–** भारतीय अंश बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के योगदान पर बहुत अधिक निर्भर है। RBI ऐसे निवेशों से संबंधित नियमों एवं विनियमों को बनाता तथा संशोधित करता है। ये नियम निवेश सीमा, अनुपालन मानकों तथा पंजीकरण प्रक्रियाओं जैसी चीजों को नियंत्रित करते हैं। RBI विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा घरेलू निवेशकों के हितों की रक्षा के मध्य संतुलन बनाकर बाजार की स्थिरता को बनाए रखने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5) **विनिमय दर प्रबंधन–** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के बदले भारतीय रुपये के विनिमय को सक्रिय रूप से नियंत्रित करता है। स्थिरता बनाए रखने एवं अत्यधिक अस्थिरता से बचने के लिए, यह विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा क्रय करता या बेचता है। विनिमय दरों में परिवर्तन से अंश बाजार सीधे प्रभावित होता है, विशेषकर उन उद्योगों में जो निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं या जिनमें विदेशी मुद्रा का जोखिम होता हैं। विनिमय दरों को स्थिर करने के RBI के प्रयासों से निवेशकों को आत्मविश्वास तथा समग्र बाजार प्रदर्शन प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

6) **जोखिम प्रबंधन एवं वित्तीय स्थिरता**–RBI भारतीय अंश बाजार की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को जोखिम में डालने वाले किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए, यह बाजार की अस्थिरता, क्रेडिट जोखिम एवं प्रणालीगत जोखिमों सहित जोखिमों का मूल्यांकन तथा अभिलेख करता है। RBI के संपूर्ण जोखिम प्रबंधन संरचने में वित्तीय संस्थानों के लिए पूँजी पर्याप्तता आवश्यकताएँ, जोखिम–आधारित पर्यवेक्षण तथा तनाव परीक्षण शामिल हैं। RBI एक सुरक्षित एवं स्थिर वित्तीय वातावरण बनाए रखकर लंबे समय तक अंश बाजार के स्थिर विस्तार एवं स्थिरता को बढ़ावा देता है।

3.7.10. मुद्रा बाजार के विनियमन में SEBI की भूमिका

SEBI मुद्रा बाजार के विनियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा तीन समूहों, अर्थात् प्रतिभूतियों के निर्गमनकर्ता (कंपनियों), निवेशकों तथा बाजार मध्यस्थों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियम बनाता है–

1) **निर्गमनकर्ता के मामले में–** इसका लक्ष्य निर्गमनकर्ता को एक बाजार उपलब्ध कराना है जहां वे आसान, निष्पक्ष तथा कुशल विधि से वित्त एकत्रित करने के लिए तत्पर हो सकें।
2) **निवेशकों के मामले में**–इसका लक्ष्य निरंतर आधार पर पर्याप्त, वास्तविक तथा सटीक सूचना प्रदान करके उनके अधिकारों तथा हितों को सुरक्षा प्रदान करना है।
3) **मध्यस्थों के मामले में**–इसका लक्ष्य निवेशकों एवं निर्गमनकर्त्ताओं को प्रतिस्पर्धी, पेशेवर तथा विस्तारित बाजार प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, यह एक ऐसा बाजार भी प्रदान करता है जिसके पास बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं कुशल आधारभूत संरचना है।

3.7.11. Role of RBI in Regulation of Money Market

Since the money market is a place where the trading of money takes place and the central bank (RBI) is the major regulator of money supply, therefore RBI's role in the money market is very significant and cannot be **ignored**. It plays an important role in the money market by regulating the money supply in the following manner:

1) **Reserve Ratio:** RBI can regulate the money supply by making changes to the required reserve ratio. The ratio that states the amount to be maintained by the commercial banks with themselves is known as the **reserve ratio**. The reserve ratio regulates the lending capacity of the commercial bank which, in turn, regulates the money supply in the market. Thus, if RBI wishes to increase the money supply then it decreases the reserve ratio. On the other hand, if it wishes to decrease the money supply then it increases the reserve ratio. However, it can be claimed that commercial banks may try to attract further deposits from the public by offering higher interest rates to increase their lending capacity, but such effort is also worthless because the RBI (central bank) can strike back by increasing the required reserve ratio.

2) **Special Deposits:** These deposits are referred to as such deposits which are required to be maintained by the commercial banks with the RBI. In exchange of these deposits, the commercial banks are provided with the average Treasury Bill Rate. These deposits are frozen by the RBI thereby restricting the commercial banks from using them. The availability of such deposits thus reduces the level of the operational deposits (and ultimately lending capacity) of the commercial banks.

3) **Discount Rates:** RBI can regulate the money supply by making changes to the discount rates. The discount rate is defined as the rate charged by RBI from commercial banks on the money borrowed by them. Usually, commercial banks are required to keep some reserves of cash with them to meet the liquidity demand. However, if the market rates and discount rates are the same then the commercial banks can freely reduce their reserve ratio below the safe level because they can easily arrange funds from RBI in case the demand increases.

   If the RBI wishes to decrease the money supply in the market then it increases the discount rates. The increase in discount rates necessitates the commercial banks to maintain a safe level of cash reserve because in case the cash reserves fall below the safe level and the demand for cash increases then it would be costly for the banks to arrange the funds. This ultimately reduces the lending capacity of commercial banks.

3.7.11. मुद्रा बाजार के विनियमन में RBI की भूमिका

चूंकि मुद्रा बाजार एक ऐसा स्थान है जहां मुद्रा का व्यापार होता है तथा केंद्रीय बैंक (RBI) मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख विनियामक है, इसलिए मुद्रा बाजार में आरबीआई की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है तथा इसे **नजरअंदाज/उपेक्षा** नहीं किया जा सकता है। यह मुद्रा आपूर्ति को निम्नलिखित प्रकार से विनियमित करके मुद्रा बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है–

1) **संचय अनुपात**– RBI आवश्यक आरक्षित अनुपात में परिवर्तन करके मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं के पास रखी जाने वाली राशि को बताता है, **संचय अनुपात** के रूप में जाना जाता है। संचय अनुपात वाणिज्यिक बैंक की ऋण क्षमता को नियंत्रित करता है, जो बदले में, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इस प्रकार, यदि RBI मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करना चाहता है तो वह आरक्षित संचय अनुपात घटा देता है। दूसरी ओर, यदि वह मुद्रा आपूर्ति को कम करना चाहता है तो वह संचय अनुपात को बढ़ा देता है। हालाँकि, यह दावा किया जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंक अपनी ऋण क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च ब्याज दरों को प्रस्तुत करके जनता से जमा को आकर्षित करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु ऐसा प्रयास भी व्यर्थ होता है क्योंकि RBI (केंद्रीय बैंक) आवश्यक संचय अनुपात में वृद्धि करके पुनः वापस आ सकता है ।

2) **विशेष जमाएँ**– इन जमाओं को ऐसी जमाराशियों के रूप में संदर्भित किया जाता है जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा RBI के पास रखना आवश्यक होता है। इन जमाओं के परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक बैंकों को औसत राजकोषीय बिल दर प्रदान की जाती है। इन जमाओं को RBI द्वारा स्थिर कर दिया जाता है जिससे वाणिज्यिक बैंकों को इनका उपयोग करने से रोक दिया जाता है। इस प्रकार की जमाराशियों की उपलब्धता वाणिज्यिक बैंकों की परिचालन जमा (तथा अंततः ऋण प्रदान करने की क्षमता) के स्तर को कम करती है।

3) **छूट दरें**– RBI छूट दरों में परिवर्तन करके मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। छूट दर को RBI से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके द्वारा उधार ली गई राशि पर वसूल की जाने वाली दर के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्यतः, वाणिज्यिक बैंकों को तरलता की माँग को पूरा करने के लिए अपने पास कुछ नकदी को संचित करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यदि बाजार दरें एवं छूट की दरें समान हैं, तो वाणिज्यिक बैंक स्वतंत्र रूप से अपने संचित अनुपात को सुरक्षित स्तर से न्यूनतम कर सकते हैं क्योंकि माँग बढ़ने पर वे सरलता से RBI से धन की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि RBI बाजार में मुद्रा आपूर्ति को कम करना चाहता है तो वह छूट की दरों में वृद्धि करता है। छूट दरों में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों को नकदी संचित करने का एक सुरक्षित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि यदि नकदी संचित सुरक्षित स्तर से न्यूनतम हो जाता है तथा नकद की माँग बढ़ जाती है तो बैंकों के लिए धन की व्यवस्था करना महँगा होगा। इससे अंततः वाणिज्यिक बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता कम हो जाती है।

4) **Interest Rates:** RBI can control the money supply by regulating the interest rates charged by commercial banks to its customers. The RBI can increase the demand for money in the market by reducing the interest rate, and decrease the demand for money by increasing the interest rate.

5) **Open Market Operations:** RBI can control the money supply by operating in the open market. In simple terms, it affects the money supply through the financial base. If RBI wishes to increase the supply of money in the market then it purchases the securities, whereas if it wishes to decrease the supply of money then it sells the securities in the market.

3.8. NPA (NON PERFORMING ASSETS)

3.8.1. Meaning and Definition of NPA

A debtor/borrower is an asset of a business and it will be grouped under Non-Performing Asset (NPAs) if he/she is unable to pay the principal and interest amount for a period of 180 days. In other words, NPA refers to such dues which remain defaulted even after the expiry of 180 days from the due date. However, this time period has been reduced to 90 days with effect from March 2004. This implies that now the asset will be categorised under NPA if it remains in default for 90 days from the due date. The bank is required to treat **all the advances/credit facilities** provided to a borrower as non-performing assets if **any of advance/credit facility** granted by it has been categorised under NPA. This is required to be done even if there are still any advances that have performing status.

The Securitization Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 defined Non Performing Assets (NPAs) as "an asset or account of a borrower, which has been classified by a bank or financial institution as sub-standard, doubtful or loss assets in accordance with the direction or guidelines relating to asset classification issued by the RBI". Non-performing loans are also known as bad loans.

Non-Performing Asset (NPA) means an asset for which:

1) Interest or principal (or installment) is overdue for a period of 180 days or more from the date of acquisition or the due date as per contract between the borrower and the originator, whichever is later;

2) Interest or principal (or installment) is overdue for a period of 180 days or more from the date fixed for receipt thereof in the plan formulated for realization of the assets.

3) Interest or principal (or installment) is overdue on expiry of the planning period.

4) Any other receivable, if it is overdue for a period of 180 days or more in the books of the SC or ARC.

4) **ब्याज दरें**– RBI वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों से वसूल की जाने वाली ब्याज दरों को विनियमित करके मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। RBI ब्याज दर को कम करके बाजार में मुद्रा की माँग को बढ़ा सकता है, तथा ब्याज दर में वृद्धि करके मुद्रा की माँग को कम कर सकता है।

5) **खुले बाजार का संचालन**– RBI खुले बाजार में परिचालन करके मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। सरल शब्दों में, यह वित्तीय आधार के माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करता है। यदि RBI बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना चाहता है तो वह प्रतिभूतियों को क्रय करता है, जबकि यदि वह मुद्रा की आपूर्ति कम करना चाहता है तो वह बाजार में प्रतिभूतियों को विक्रय करता है।

3.8. NPA(गैर निष्पादित संपत्तियाँ)

3.8.1. NPA का अर्थ एवं परिभाषा

एक देनदार/उधारकर्ता एक व्यवसाय की संपत्ति है तथा यदि वह 180 दिनों की अवधि के लिए मूलधन एवं ब्याज राशि का भुगतान करने में असमर्थ है तो इसे गैर–निष्पादित संपत्ति (NPA) के अन्तर्गत समूहीकृत किया जाता है। दूसरे शब्दों में, NPA ऐसे बकाया को संदर्भित करता है जिसका देय तिथि से 180 दिनों की समाप्ति के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है। हालाँकि, मार्च 2004 से इस समयावधि को घटाकर 90 दिन कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अब संपत्ति को NPA के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह नियत तिथि से 90 दिनों तक भुगतान नहीं की जाती है। बैंक को उधारकर्ता को प्रदान की गई **सभी अग्रिम/क्रेडिट सुविधाओं को गैर–निष्पादित संपत्तियों के रूप** में मानना आवश्यक है यदि उसके द्वारा दी गई किसी भी अग्रिम/क्रेडिट सुविधा को NPA के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। ऐसा तब भी किया जाना आवश्यक है, भले ही अभी भी कोई अग्रिम हो जो निष्पादन योग्य स्थिति में हो।

वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ने गैर–निष्पादित संपत्तियों (NPAs) को "एक ऋणकर्त्ता की संपत्ति या खाते के रूप में परिभाषित किया है, जिसे बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा RBI द्वारा निर्गमित परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुसार उप–मानक, संदिग्ध या हानि वाली संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।" गैर–निष्पादित ऋण को अशोध्य ऋण के रूप में भी जाना जाता है।

गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) का अर्थ ऐसी संपत्ति है जिसके लिए–

1) ब्याज या मूलधन (या किश्त) अधिग्रहण की तिथि से 180 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए या ऋणकर्त्ता तथा प्रवर्तक के मध्य अनुबंध के अनुसार देय तिथि, जो भी बाद में हो, के लिए अतिदेय है;

2) ब्याज या मूलधन (या किस्त) परिसंपत्तियों की वसूली के लिए तैयार की गई योजना में इसकी प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि से 180 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है।

3) योजना अवधि की समाप्ति पर ब्याज या मूलधन (या किश्त) अतिदेय है।

4) कोई अन्य प्राप्य, यदि यह SC या ARC की पुस्तकों में 180 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है।

3.8.2. Non-Performing Assets in Banks

In India, the balance sheet of a commercial bank reflects the following items (in the same sequence) in the asset side:

1) Cash in hand.
   Balance with RBI:
   i) In current account.
   ii) In other account.
2) Balance with banks and money at call and short notice.
   Balance with banks:
   i) In current account.
   ii) In other deposit account.
3) Investments:
   i) Government securities
   ii) Other approved securities
   iii) Shares, debentures/bonds
   iv) Subsidiaries and/or joint ventures
4) Advances (including bills):
   i) Bills purchased.
   ii) Cash credit, overdraft and loans payable on demand.
   iii) Term loans.
   iv) Agricultural advance.
5) Fixed Assets:
   i) Premises.
   ii) Furniture, fixture, computers, etc.
6) Other Assets:
   i) Inter-office adjustment.
   ii) Interest on Investments not collected.
   iii) Prepaid tax, rent, rates, security deposits.
   iv) Suspense A/c (capital, revenue).
   v) Other unreal assets.

Nearly 90% of the total assets of a bank are comprised of the items 3 and 4 enlisted above. Thus, in order to encourage the bottom line of banks, it is important to focus on minimising the NPAs in these two items of assets.

3.8.3. Categories of Assets

Loans and advances are the major item appearing on the assets side of the lending institutions' balance sheet and in order to reduce the NPAs, the RBI has issued some guidelines on provisioning requirement regarding the bank advances. To facilitate the same, it has classified the assets into following two categories:

3.8.2. बैंकों में गैर–निष्पादित संपत्तियाँ

भारत में, एक वाणिज्यिक बैंक का आर्थिक चिट्ठा संपत्ति पक्ष में निम्नलिखित मदों (उसी क्रम में) को दर्शाता है–

1) हस्तगत रोकड़
   RBI के पास शेष राशि
   i) चालू खाते में।
   ii) अन्य खाते में।
2) बैंकों के पास शेष राशि तथा याचना तथा अल्प सूचना पर धनराशि
   बैंकों के पास शेष राशि
   i) चालू खाते में।
   ii) अन्य जमा खाते में.।
3) निवेश–
   i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
   ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
   iii) अंश, ऋणपत्र बॉन्ड
   iv) सहायक कंपनियाँ तथा/या संयुक्त उद्यम
4) अग्रिम (बिल सहित)–
   i) क्रय किए गए बिल।
   ii) नकद साख, अधिविकर्ष तथा माँग पर देय ऋण।
   iii) सावधि ऋण।
   iv) कृषि अग्रिम।
5) स्थायी संपत्तियाँ–
   i) परिसर.
   ii) फर्नीचर, फिक्स्चर, कंप्यूटर, आदि।
6) अन्य संपत्तियाँ–
   i) अंतर–कार्यालय समायोजन।
   ii) निवेश पर एकत्र नहीं किया गया ब्याज।
   iii) पूर्वदत्त कर, किराया, दरें, सुरक्षा जमा।
   iv) उचंत खाता (पूँजी, राजस्व)।
   v) अन्य अवास्तविक संपत्ति।

किसी बैंक की कुल संपत्ति का लगभग 90% ऊपर सूचीबद्ध मद 3 एवं 4 से बना है। इस प्रकार, बैंकों की निचली रेखा को प्रोत्साहित करने के लिए, संपत्तियों की इन दो मदों में NPAs को कम करने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

3.8.3. संपत्ति की श्रेणियाँ

ऋण एवं अग्रिम, ऋण देने वाले संस्थानों के आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित होने देने वाली प्रमुख मद हैं तथा NPA को कम करने के लिए, RBI ने बैंक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, इसने संपत्तियों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है–

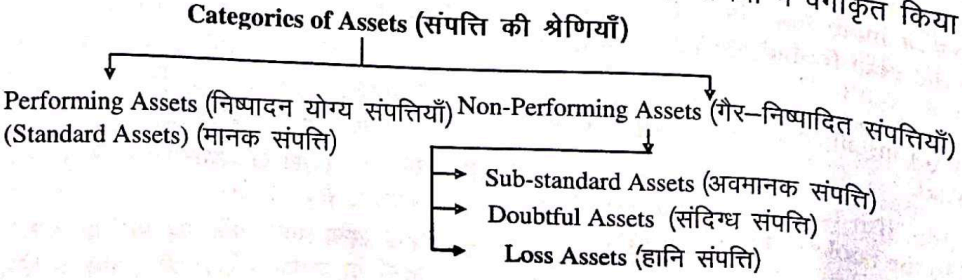

3.8.4. Causes of NPAs

The problems of rising NPAs are very significant for the entire banking sector but the public sectors banks are facing these problems more significantly than the private sector banks and foreign banks. The causes of rising NPAs can be classified into two groups – External and Internal.

3.8.4.1. External Causes

The major external causes of rising NPAs are as follows:

1) **Ineffective Recovery Tribunal:** Various tribunals have been established by the government to manage and regulate the recovery process of loans of advances. However, they are not performing their duties responsibly and various inadequacies have been observed on the part of their work. This has increased the cases of non-recovery of advances and is ultimately affecting the profitability and liquidity of banks.

2) **Willful Defaults:** There are various borrowers that do not repay the loan not because of their inability but because of their deceitful intention. These borrowers are known as wilful defaulters. The number of such type of borrowers is increasing significantly and causing the banks to suffer the rising NPAs. It is very important to take necessary measures to recover loans from them.

3) **Natural Calamities:** This factor is the most significant cause of rising NPAs of the banks. The occurrence of various natural calamities such as drought, flood, earthquake, tsunami, cyclone, etc. is very common in India thereby causing loss to the factor of production. As a result, the borrowers are unable to produce and earn and ultimately unable to repay their loans.

4) **Industrial Sickness:** The other cause of rising NPAs is the industrial sickness which is significantly increasing due to several reasons such as improper project handling, ineffective management, shortage of resources, lack of advance technology, unstable

3.8.4. गैर निष्पादित संपत्तियों के कारण

बढ़ते NPAs की समस्या पूरे बैंकिंग क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की तुलना में इन समस्याओं का अधिक सामना कर रहे हैं। बढ़ते NPAs के कारणों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है – बाहरी एवं आंतरिक।

3.8.4.1. बाहरी कारण

गैर निष्पादित संपत्तियाँ बढ़ने के प्रमुख बाहरी कारण निम्नलिखित हैं–

1) **अप्रभावी वसूली न्यायाधिकरण**–अग्रिम ऋणों की वसूली प्रक्रिया को प्रबंधित एवं विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। हालाँकि, वे अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं तथा उनके काम में विभिन्न अपर्याप्तताएँ देखी गई हैं। इससे अग्रिमों की वसूली न होने के मामले बढ़ गए हैं और अंततः बैंकों की लाभप्रदता एवं तरलता प्रभावित हो रही है।

2) **इरादतन चूक**–ऐसे कई उधारकर्ता हैं जो अपनी असमर्थता के कारण नहीं बल्कि अपने धोखेबाज इरादे के कारण ऋण नहीं चुकाते हैं। इन उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के कर्जदारों की संख्या काफी बढ़ रही है तथा इससे बैंकों को बढ़ते NPAs का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनसे ऋण की वसूली करने के लिए आवश्यक कदम उठाना बहुत आवश्यक है।

3) **प्राकृतिक आपदाएँ**–यह कारक बैंकों के बढ़ते NPAs का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। भारत में सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात आदि जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का आना बहुत आम है, जिससे उत्पादन के कारक को हानि होता है। इसके परिणामस्वरूप, उधारकर्ता उत्पादन एवं आय अर्जित करने में असमर्थ होते हैं तथा अंततः अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं।

4) **औद्योगिक रुग्णता**– बढ़ते NPA का दूसरा कारण औद्योगिक रुग्णता है जो विभिन्न कारणों से बढ़ रही है जैसे कि अनुचित परियोजना प्रबंधन, अप्रभावी प्रबंधन, संसाधनों की कमी, उन्नत प्रौद्योगिकी की कमी, अस्थिर राजनीतिक प्रणाली, आदि। उन्हें दिया गया ऋण NPA

political system, etc. Thus, advances granted to them turns out to be NPAs because such industrial units are unable to repay their loans as a result of failure of production.

5) **Lack of Demand:** The loan is usually taken by small and medium enterprises to establish new business and since they are unable to predict the demand of their products due to lack of resources, they fail to sell the products produced by them. Thus, they are unable to earn profit and repay their loans. Although the banks recover some amount from the sale of asset but entire amount cannot be recovered. Thus, such non-recovered part is treated as NPAs.

6) **Change in Government Policies:** The government in India is not stable and remains changing from time to time. Every government comes up with the new policy for regulating the business activities. The main objective of every government is to provide maximum benefit to the general public, particularly the low-income group people. Thus, banks are forced to grant credit to the new entrepreneurs and farmers who are unable to repay their loans if their productive activity fails.

3.8.4.2. Internal Causes

The major internal causes of rising NPAs are as follows:

1) **Defective Lending Process:** Every commercial bank needs to follow the three basic principles and any negligence on this part results in increasing its NPAs. Before lending money to any borrower, it should be ensured that the applicant is capable of carrying out the activity successfully for which the loan has been taken. It is also important to ensure that borrower is capable of repaying the loan. Thus, the three principles that should be followed while granting credit to borrowers are as given below:
   i) Principles of safety,
   ii) Principle of liquidity, and
   iii) Principle of profitability.

2) **Inappropriate Technology:** The NPAs are also constantly increasing due to the use of technology in an inappropriate manner. The inappropriate technology and management information system are making it difficult for the bank to take market driven decisions on real time basis. As a result, the banks are experiencing poor credit collection and increasing NPAs.

3) **Improper SWOT Analysis:** The NPAs are rising continuously also due to the improper SWOT analysis. The banks usually have to rely on the honesty, integrity, financial soundness and creditworthiness of the borrower while granting unsecured loans. However, a proper SWOT analysis involves following activities:
   i) Evaluating the existing capital investment of the borrower;

बन जाता है क्योंकि ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ उत्पादन की विफलता के परिणामस्वरूप अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होती हैं।

5) **माँग की कमी**–ऋण सामान्यतः लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए लिया जाता है तथा चूँकि संसाधनों की कमी के कारण वे अपने उत्पादों की माँग का अनुमान लगाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए वे अपने द्वारा उत्पादित उत्पादों को विक्रय करने में विफल रहते हैं। इस प्रकार, वे लाभ अर्जित करने तथा अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। हालाँकि बैंक संपत्ति की बिक्री से कुछ राशि वसूल कर लेते हैं परन्तु पूरी राशि वसूल नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, ऐसे गैर–वसूली वाले भाग को NPA माना जाता है।

6) **सरकारी नीतियों में परिवर्तन**–भारत में सरकार स्थिर नहीं है तथा समय–समय पर बदलती रहती है। प्रत्येक सरकार व्यावसायिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए नई नीति लेकर आती है। प्रत्येक सरकार का मुख्य उद्देश्य सामान्य जनता विशेषकर निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुंचाना होता है। इस प्रकार, बैंक नए उद्यमियों एवं किसानों को ऋण देने के लिए मजबूर होते हैं जो अपनी उत्पादक गतिविधि विफल होने पर अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं।

3.8.4.2. आंतरिक कारण

बढ़ते NPA के प्रमुख आंतरिक कारण निम्नलिखित हैं–

1) **दोषपूर्ण ऋण प्रक्रिया**–प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को तीन बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है तथा इस ओर से किसी भी लापरवाही के परिणामस्वरूप उसके NPAs में वृद्धि होती है। किसी भी उधारकर्ता को धन उधार देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदक उस कार्य को सफलतापूर्वक करने में सक्षम है जिसके लिए ऋण लिया गया है। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि उधारकर्ता ऋण चुकाने में सक्षम है। इस प्रकार, उधारकर्ताओं को ऋण देते समय जिन तीन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, वे नीचे दिए गए हैं–
   i) सुरक्षा का सिद्धांत,
   ii) तरलता का सिद्धांत, तथा
   iii) लाभप्रदता का सिद्धांत।

2) **अनुचित प्रौद्योगिकी**–प्रौद्योगिकी के अनुचित तरीके से उपयोग के कारण भी NPAs निरन्तर बढ़ रहा है। अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली के कारण बैंक के लिए वास्तविक समय के आधार पर बाजार आधारित निर्णय लेना कठिन हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप, बैंक अशोध्य ऋण संग्रह तथा बढ़ते NPAs का अनुभव कर रहे हैं।

3) **अनुचित SWOT विश्लेषण**–अनुचित SWOT विश्लेषण के कारण भी NPA निरन्तर बढ़ रहा है। असुरक्षित ऋण देते समय बैंकों को सामान्यतः उधारकर्ता की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, वित्तीय सुदृढ़ता तथा साख पर विश्वास करना पड़ता है। हालाँकि, एक उचित SWOT विश्लेषण में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होती हैं–
   i) उधारकर्ता के मौजूदा पूँजी निवेश का मूल्यांकन करना;

ii) Collecting information regarding borrower from:
   a) Bankers,
   b) Market/segment of trade, industry, business and
   c) External credit agencies.
iii) Analysing the financial statements of the borrower
iv) Ensuring that the loans are provided only for productive purposes.

4) **Poor Credit Appraisal System:** NPAs are also constantly rising because of the poor credit appraisal system. In absence of proper credit appraisal system, the banks are providing loans to even those persons who are unable to repay it. In order to decrease the NPAs, the banks should adopt efficient credit appraisal system.

5) **Managerial Deficiencies:** The managerial deficiencies on the part of managers of banks are also an important internal cause of increasing NPAs. Banks should be very careful while granting loans to the borrowers and should try to ask for the tangible assets as security against such loan. An asset should essentially have following characteristics to be eligible for security:
   i) Marketability,
   ii) Acceptability,
   iii) Safety,
   iv) Transferability.

   Moreover, a banker should also follow the principle of 'diversification of risk' to avoid huge NPAs on account of any adverse impact on any one or two sectors. Any negligence on this part leads to increasing the NPAs.

6) **Absence of Regular Industrial Visit:** The NPAs are also constantly rising because of lack of regular industrial visits by the bank officials. This factor facilitates the wilful defaulters in escaping from repaying the loan amount back. The regular visits put some pressure on the borrowers and consequently they make efforts to repay the loan.

7) **Re-Loaning Process:** The smooth functioning of the credit cycle has been adversely affected due to the non-remittance of recoveries to higher financing agencies and re-loaning the same to the borrowers. The NPAs of banks are increasing significantly because of such re-loaning to the defaulters, CCBs and PACs.

3.8.5. Impact of NPA on Banking Sector

The profitability of the bank is impacted by NPAs in the following ways:

1) The banks cannot generate any income from NPAs rather they have to incur costs for the resources locked into these unproductive assets.

2) The banks are required to use their profits to create provisions for NPAs.

3) NPAs block capital as there is 100% risk weight associated with Capital Adequacy.

ii) उधारकर्ता के संबंध में निम्नलिखित के द्वारा सूचना एकत्रित करना–
   a) बैंकर्स,
   b) व्यापार, उद्योग, व्यवसाय का बाजार/खंड तथा
   c) बाहरी क्रेडिट एजेंसियाँ।
iii) उधारकर्ता के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना;
iv) यह सुनिश्चित करना कि ऋण केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए प्रदान किए जाएं।

4) **खराब क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली**–खराब क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली के कारण NPAs भी निरन्तर बढ़ रहा है। उचित ऋण मूल्यांकन प्रणाली के अभाव में, बैंक उन व्यक्तियों को भी ऋण प्रदान कर रहे हैं जो इसे चुकाने में असमर्थ हैं। NPAs कम करने के लिए बैंकों को कुशल ऋण मूल्यांकन प्रणाली अपनानी चाहिए।

5) **प्रबंधकीय कमियाँ**–बैंकों के प्रबंधकों की ओर से प्रबंधकीय कमियाँ भी NPA बढ़ने का एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारण हैं। बैंकों को उधारकर्ताओं को ऋण देते समय बहुत सावधान रहना चाहिए तथा ऐसे ऋण के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में मूर्त संपत्ति माँगने का प्रयास करना चाहिए। सुरक्षा के लिए पात्र होने के लिए एक संपत्ति में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए–
   i) विपणन योग्यता,
   ii) स्वीकार्यता,
   iii) सुरक्षा,
   iv) हस्तांतरणीयता।

   इसके अतिरिक्त, एक बैंकर को किसी एक या दो क्षेत्रों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के कारण अधिक NPA से बचने के लिए 'जोखिम के विविधीकरण' के सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए। इस ओर से कोई भी लापरवाही NPA बढ़ाने का कारण बनती है।

6) **नियमित औद्योगिक दौरे का अभाव**–बैंक अधिकारियों के नियमित औद्योगिक दौरे की कमी के कारण भी NPA निरन्तर बढ़ रहा है। यह कारक जानबूझकर चूक करने वालों को ऋण राशि वापस चुकाने से बचने में सुविधा प्रदान करता है। नियमित दौरों से उधारकर्ताओं पर कुछ दबाव पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप वे ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं।

7) **पुनः ऋण देने की प्रक्रिया**–उच्च वित्तपोषण एजेंसियों को वसूली न भेजने तथा उधारकर्ताओं को पुनः ऋण देने के कारण क्रेडिट चक्र की सुचारू कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चूककर्ताओं, CCBs तथा PACs को ऐसे दोबारा ऋण देने से बैंकों का NPAs काफी बढ़ रहा है।

3.8.5. बैंकिंग क्षेत्र पर NPA का प्रभाव

NPA से बैंक की लाभप्रदता निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित होती है–

1) बैंक NPAs से कोई आय सृजित नहीं कर सकते हैं बल्कि उन्हें इन अनुत्पादक संपत्तियों में बंद संसाधनों की लागत वहन करनी पड़ती है।

2) बैंकों को NPAs के लिए प्रावधान बनाने के लिए अपने लाभ का उपयोग करना आवश्यक है।

3) NPAs पूँजी को अवरुद्ध करता है क्योंकि पूँजी पर्याप्तता के साथ 100% जोखिम भार जुड़ा होता है।

4) In order to maintain these assets, the banks have to incur other administrative and legal costs.

5) Low customer confidence and increased cost of deposits are the result of high levels of NPAs in the balance sheet.

6) Non-performing assets may cause economic contraction as it may spill over the banking system and contract the money stock. Under the following cases, the spillover effects may increase through liquidity and bank insolvency:
   i) When a number of borrowers do not pay interest, banks may have to face the problem of a shortage of liquidity. The payment can be jammed across the country by this.
   ii) Because of illiquidity, the banks fail to make payments to their depositors.
   iii) The capital base of banks is exceeded by under-capitalized banks.

7) Non Performing Assets disturb the ratios of computation of capital adequacy and increase the cost of capital because there is uncertainity in return, and greater risk.

8) NPA decreases the overall interest income of the bank and is accounted only on the receipt basis.

9) The mismatch of assets and liabilities as a result of NPA disturbs the Economic Value Addition (EVA) made by banks. This happens because EVA is equal to the net operating profit minus cost of capital. Therefore, it reduces the recycling of the funds.

10) NPA epitomizes bad investment and economy performs below its production potential because it misallocates credit from good projects.

11) Because of NPA, banks fail to provide market returns to the despositor on their savings. This in turn increases the risk of asset loss to the depositors.

12) NPA may increase the interest rate charged on the borrowed amount as bank applies this as a strategy to redistribute its losses.

13) Those who hold the shares of the bank may not receive the market return on their capital and in unfavourable situations they may lose their assets. Hence, this can impact the broad pool of shareholders.

3.8.6. Methods of Recovery of NPA's

Following are the methods of recovery of NPA's:

1) **Securitization:** It means issue of security by raising of receipts or funds by SCs/ARCs. A securitization company or reconstruction company may raise funds from the QIBs (Qualified Institutional Buyer) by forming schemes for acquiring financial assets. The SC/ARC shall keep and maintain separate and distinct accounts in respect of each scheme for every financial asset

4) इन संपत्तियों को बनाए रखने के लिए, बैंकों को अन्य प्रशासनिक एवं कानूनी लागतें वहन करनी पड़ती हैं।

5) कम ग्राहक विश्वास तथा जमा की बढ़ी हुई लागत आर्थिक चिट्ठा में NPAs के उच्च स्तर का परिणाम है।

6) गैर–निष्पादित संपत्तियाँ आर्थिक संकुचन का कारण बन सकती हैं क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली पर फैल सकती हैं तथा धन के स्कंध को अनुबंधित कर सकती हैं। निम्नलिखित मामलों में, तरलता एवं बैंक दिवालियापन के माध्यम से प्रसार प्रभाव बढ़ सकता है–
   i) जब कई उधारकर्ता ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं, तो बैंकों को तरलता की कमी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे देशभर में भुगतान अवरोधित हो सकता है।
   ii) तरलता के कारण, बैंक अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने में विफल रहते हैं।
   iii) बैंकों का पूँजी आधार कम पूँजी वाले बैंकों से अधिक हो गया है।

7) गैर–निष्पादित संपत्तियाँ पूँजी पर्याप्तता की गणना के अनुपात को खराब कर देती हैं तथा पूँजी की लागत बढ़ा देती हैं क्योंकि रिटर्न में अनिश्चितता होती है तथा जोखिम अधिक होता है।

8) NPA से बैंक की कुल ब्याज आय घट जाती है तथा इसका गणना केवल प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

9) NPA के परिणामस्वरूप संपत्तियों एवं दायित्वों का अंतर होना बैंकों द्वारा किए गए आर्थिक मूल्यवर्धन (EVA) को परेशान करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि EVA पूँजी की लागत में से शुद्ध परिचालन लाभ घटाने के बराबर है। इसलिए, यह धन के पुनर्चक्रण को कम करता है।

10) NPA खराब निवेश का प्रतीक है तथा अर्थव्यवस्था अपनी उत्पादन क्षमता से कम प्रदर्शन करती है क्योंकि यह अच्छी परियोजनाओं से ऋण का गलत आवंटन करती है।

11) NPA के कारण, बैंक जमाकर्ताओं को उनकी बचत पर बाजार प्रत्याय प्रदान करने में विफल रहते हैं। इससे जमाकर्ताओं की संपत्ति खोने का जोखिम बढ़ जाता है।

12) NPA उधार ली गई राशि पर लगने वाली ब्याज दर को बढ़ा सकता है क्योंकि बैंक इसे अपने घाटे को पुनर्वितरित करने की रणनीति के रूप में लागू करता है।

13) जिनके पास बैंक के अंश हैं उन्हें अपनी पूँजी पर बाजार प्रत्याय नहीं मिल सकता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में वे अपनी संपत्ति खो सकते हैं। इसलिए, यह अंशधारकों के व्यापक समूह को प्रभावित कर सकता है।

3.8.6. गैर निष्पादित संपत्तियों की वसूली की पद्धतियाँ

गैर निष्पादित संपत्तियों की वसूली की पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं–

1) **प्रतिभूतिकरण**– इसका अर्थ SCs/ARCs द्वारा प्राप्तियाँ या निधियाँ संचित कर प्रतिभूति निर्गमित करना होता है। एक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने के लिए योजनाएँ बनाकर QIBs (योग्य संस्थागत क्रेता) से मुद्रा संचित कर सकती है। SC/ARC QIB द्वारा किए गए निवेश से अर्जित की गई प्रत्येक वित्तीय संपत्ति के

acquired, out of investments made by a QIB and ensure that realizations of such financial asset is held and applied towards redemption of investments and payment of returns assured on such investments under the relevant scheme.

2) **Asset Reconstruction:** The SCs/ARCs for the purpose of asset reconstruction should provide for any one or more of the following measures:
   i) The suitable management of business operated by the borrower either through modifications or by takeover of management of the business.
   ii) The sale or lease of a part or whole of the business of the borrower.
   iii) Rescheduling of payment of debts payable by the borrower.
   iv) Enforcement of security interest in accordance with the provisions of this Act.
   v) Settlement of dues payable by the borrower.
   vi) Taking possession of secured assets in accordance with the provisions of this Act.

   The Guidelines for SCs/ARCs registered with the RBI are:
   i) Act as an agent for any bank or FI for the purpose of recovering their dues from the borrower on payment of such fees or charges.
   ii) Act as a manager between the parties, without raising a financial liability for itself.
   iii) Act as receiver if appointed by any court or tribunal. Apart from above functions any SC/ARC cannot commence or carryout other business without the prior approval of RBI.

3) **Exemption from Registration of Security Receipt:** The Act also provides, notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908, for enforcement of security without Court intervention:
   i) Any security receipt issued by the SC or ARC, as the case may be, under section 7 of the Act and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in immovable property except in so far as it entitles the holder of the security receipt to an undivided interest afforded by a registered instrument; or
   ii) Any transfer of security receipts, shall not require compulsory registration.

लिए प्रत्येक योजना के संबंध में दूसरे तथा अलग खाते रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी वित्तीय संपत्ति की वसूली निवेशों के विमोचन तथा प्रतिफल के भुगतान के लिए आयोजित एवं लागू की जाती है। संबंधित योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के निवेश पर आश्वासन दिया गया है।

2) **संपत्ति पुनर्निर्माण**– संपत्ति पुनर्निर्माण के उद्देश्य से SCs/ARCs को निम्नलिखित मापों में से किसी एक या अधिक के लिए प्रावधान करना चाहिए–
   i) उधारकर्त्ताओं द्वारा या तो संशोधनों के माध्यम से या व्यवसाय के प्रबंधन के अधिग्रहण द्वारा संचालित व्यवसाय का उपयुक्त प्रबंधन।
   ii) उधारकर्त्ताओं के व्यवसाय के एक भाग या पूरे व्यवसाय की बिक्री या पट्टा।
   iii) उधारकर्त्ताओं द्वारा देय ऋणों के भुगतान का पुनर्निर्धारण।
   iv) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन।
   v) उधारकर्त्ताओं द्वारा भुगतान देय राशि का निपटान।
   vi) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित संपत्ति पर अधिकार करना।

   भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत SCs/ARCs के लिए दिशानिर्देश निम्न प्रकार हैं–
   i) किसी भी बैंक या FI के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करना ताकि इस प्रकार के शुल्क या प्रभार के भुगतान पर उधारकर्त्ता से उनकी शेष राशि की वसूली की जा सके।
   ii) स्वयं के लिए वित्तीय दायित्व किए बिना पक्षों के मध्य एक प्रबंधक के रूप में कार्य करना।
   iii) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने पर प्राप्तकर्त्ता के रूप में कार्य करना। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त कोई भी SC/ARC RBI के पूर्वानुमोदन के बिना अन्य व्यवसाय प्रारम्भ या संचालित नहीं कर सकता है।

3) **प्रतिभूति प्राप्तियों के पंजीकरण से छूट**– न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम, 1908 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, यह भी प्रदान करता है–
   i) SC या ARC द्वारा निर्गमित की गई कोई भी प्रतिभूति प्राप्तियाँ, जैसी भी स्थिति हो, अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत तथा अचल संपत्ति में किसी भी अधिकार, शीर्षक या हित को बनाने, घोषित करने, आवंटित करने, सीमित करने या समाप्त करने के अलावा, जहां तक कि इसे छोड़कर सुरक्षा रसीद के धारक को एक पंजीकृत उपकरण द्वारा वहन किए जाने वाले अविभाजित ब्याज का अधिकार देता है; या
   ii) प्रतिभूति प्राप्तियों के किसी भी हस्तांतरण के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

इकाई–4

FINANCIAL INSTITUTIONS AND SERVICES
वित्तीय संस्थान एवं सेवाएँ

4.1. FINANCIAL INSTITUTIONS (FIs)

4.1.2. Concept of Financial Institutions

Business organisations which act as a source of credit of finance and deposit savings are known as **Financial Institutions (FI)**.These institutions are public depositaries of savings and offer financial services to the society. Financial institutions and organisations are different from non-financial business organisations (i.e., industrial and commercial) on the basis of products and services. This implies that financial institutions provide services related to financial assets, like, loans, deposit facilities, securities transaction, etc. On the other hand, non-financial business organisations provide services related to real assets, like inventory, machinery and equipments, real estate (buildings and other infrastructures), etc.

Financial institutions generally comprise of two or more government agencies, states or publicly funded bodies as members. These institutions can be formed with or without signing a treaty. The key objective of financial institutions is to achieve global co-ordination in handling issues having economic, social, cultural, humanitarian or technical nature. Such international co-operation can be in the field of finance, scientific research, governance, security, environment, etc.

4.1.2. Functions of Financial Institutions

FIs have following functions:

1) **Management of Liquidity Risk:** Due to complex economic structure, there is an increase in the level of information and transaction costs. These costs are linked with several risks which are minimised with the help of financial institutions, as they use techniques such as hedging, pooling of risks, trading, etc. Further, FI manages and decreases liquidity risks through trading of equities and banking intermediation.

2) **Information Acquisition and Resource Allocation:** Financial institutions aid in providing information related with long-term and risky projects. This certainly helps the investors to invest their savings in long-term projects as they evaluate their returns through the information provided by FI.

   Traditionally, it was very difficult for an investor to bear the cost of monitoring and evaluating such projects.

4.1. वित्तीय संस्थान

4.1.1. वित्तीय संस्थान की अवधारणा

व्यावसायिक संगठन जो वित्तीय ऋण एवं बचत के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं उन्हें **वित्तीय संस्थान** के रूप में जाना जाता है। यह संस्थान बचत के सार्वजनिक निक्षेपागार होते है तथा समाज को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते है। वित्तीय संस्थान एवं संगठन उत्पादों एवं सेवाओं के आधार पर गैर–वित्तीय संस्थानों (अर्थात् औद्योगिक तथा वाणिज्यिक) से भिन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वित्तीय संस्थान वित्तीय सम्पत्तियों जैसे– ऋण, जमा सुविधाएँ, प्रतिभूति लेनदेन आदि से सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान करते हैं, दूसरी ओर, गैर–वित्तीय व्यावसायिक संगठन वास्तविक सम्पत्ति जैसे– स्कन्ध, मशीनरी, उपकरण, स्थायी सम्पत्ति (भवन तथा अन्य मूलभूत संरचना) आदि से सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान करते हैं।

वित्तीय संस्थानों में सामान्यतः दो या दो से अधिक सरकारी एजेंसियाँ, राज्य या सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित निकाय सदस्य के रूप में शामिल होती हैं। इन संस्थानों का गठन किसी संधि पर हस्ताक्षर के साथ या बिना हस्ताक्षर के किया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय या तकनीकी प्रकृति वाले समस्याओं से निपटने में वैश्विक समन्वय प्राप्त करना है। इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वित्त, वैज्ञानिक अनुसंधान, शासन, सुरक्षा, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में हो सकते हैं।

4.1.2. वित्तीय संस्थानों के कार्य

वित्तीय संस्थान के निम्नलिखित कार्य हैं–

1) **तरलता जोखिम का प्रबंधन**–जटिल आर्थिक संरचना के कारण, सूचना एवं लेनदेन की लागत के स्तर में वृद्धि होती है। इन लागतों को विभिन्न जोखिमों से जोड़ा जाता है, जिन्हें वित्तीय संस्थानों की सहायता से कम किया जाता है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा, जोखिमों के समूहीकरण, व्यापार आदि जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थान समता एवं बैंकिंग मध्यस्थता के व्यापार के माध्यम से तरलता जोखिमों का प्रबंधन एवं उन्हें कम करते है।

2) **सूचना अधिग्रहण एवं संसाधन आवंटन**–वित्तीय संस्थान दीर्घ अवधि तथा जोखिम भरी परियोजनाओं से सम्बन्धित सूचना प्रदान करने में सहायता करते हैं। यह निश्चित रूप से निवेशकों को दीर्घकालिक परियोजनाओं में अपनी बचत का निवेश करने में सहायता करता है क्योंकि वे वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना के माध्यम से अपने प्रतिफल का मूल्यांकन करते हैं।

   परंपरागत रूप से, एक निवेशक के लिए ऐसी परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन की लागत को वहन करना अत्यन्त कठिन होता है।

Also, the investor may lack sufficient time and resources for collecting and processing information regarding enterprises, economic conditions, etc. Hence, investors obtain guidance from the FI in the form of information acquisition and resource allocation.

3) **Monitoring of Investment Projects:** FI plays an important role in monitoring the investment projects and decreasing the costs associated with gathering information. These institutions mobilise the savings of individuals and transfer them to borrowers (i.e., project owners), which helps in reducing information costs required by the investors before investing. FI also helps in improving capital allocation, exercising corporate control and promoting capital accumulation.

4) **Mobilisation of Savings:** It is very expensive to mobilise savings. As better mobilisation of savings prosper technological innovation and improves allocation of resources, financial systems which are more efficient in pooling the savings significantly affect economic development. FI helps in mobilisation of savings and resources for promoting better technologies, thereby supporting overall development.

5) **Facilitating Exchange of Goods and Services:** Financial institutions support specialisation, promote technological innovation, and expand production technologies. Further, they facilitate in the exchange of goods and services as activities involve in it help in lowering transaction costs. The reduced transaction costs enable transfer of technology in market due to which creative people can specialise in innovations for strengthening the economic growth.

6) **Resolving Issue of Market Imperfection:** Another role played by financial institutions is to resolve issues related to market imperfection.FI pools funds from individuals and surplus units in the form of savings and further allocates their funds to deficit units which need funds.

7) **Promotion of Saving:** Different financial institutions such as banks, investment management companies, securities companies, pension funds, etc., hold an important place in the market economy. They help in promoting savings of individuals by providing them guidance, and help in obtaining and analysing information regarding various financial resources. Besides, these institutions analyse risks associated with price and rate of return. After pooling the savings, they allocate and channelise savings to profitable investments.

8) **Supply of Capital and Promotion of Financial Education:** FIs supply capital to industries (small, medium and large scale) in the form of venture capital, capital and services for ensuring the overall industrial development. FIs also promote financial education among different students across the globe.

इसके अतिरिक्त निवेशक के पास उद्यमों, आर्थिक स्थितियों आदि के बारे में सूचना एकत्र करने तथा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त समय एवं संसाधनों की कमी हो सकती है। इसलिए निवेशक सूचना के अधिग्रहण तथा संसाधन आवंटन के रूप में वित्तीय संस्थान का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।

3) **निवेश परियोजनाओं की निगरानी**–वित्तीय संस्थान निवेश परियोजनाओं की निगरानी एवं सूचना एकत्र करने से संबंधित लागतों को न्यूनतम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संस्थान व्यक्तियों की बचत को एकत्र करते हैं तथा उन्हें उधारकर्ताओं (अर्थात्, परियोजना स्वामियों) को हस्तांतरित करते हैं, जो निवेश करने से पूर्व निवेशकों द्वारा आवश्यक सूचना लागत को न्यूनतम करने में सहायता करता है। वित्तीय संस्थान पूँजी आवंटन में सुधार करने, निगमीय नियंत्रण का प्रयोग करने तथा पूँजी संचय को बढ़ावा देने में सहायता करता है।

4) **बचतों का संग्रहण**–बचत का उचित उपयोग करना अत्यंत महँगा कार्य है। बचत का बेहतर तरीके से उपयोग समृद्ध तकनीकी नवाचार के बेहतर विकास एवं संसाधनों के आवंटन में सुधार करता है। वित्तीय प्रणाली जो बचत को एकत्र करने में अधिक कुशल होती है आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। वित्तीय संस्थान बेहतर प्रोद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए बचत एवं संसाधनों को एकत्र करने में सहायता करता हैं, जिससे समग्र विकास को सहायता प्राप्त होता है।

5) **वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय की सुविधा**–वित्तीय संस्थान विशेषज्ञता का समर्थन करते हैं, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हैं तथा उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विस्तार करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं क्योंकि इसमें सम्मिलित गतिविधियाँ लेनदेन की लागत को न्यूनतम करने में सहायता करती हैं। कम लेनदेन की लागत बाजार में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सक्षम बनाती है जिसके कारण रचनात्मक व्यक्ति आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए नवाचार में विशेषज्ञ हो सकते हैं।

6) **बाजार की अपूर्णता की समस्या को हल करना**–वित्तीय संस्थानों द्वारा निभाई गई एक और भूमिका बाजार की अपूर्णता से सम्बन्धित समस्या का समाधान करना है। वित्तीय संस्थान बचत के रूप में व्यक्तियों तथा अधिशेष इकाईयों से धन एकत्र करता है तथा उन इकाईयों को धन का आवंटन करता है, जिन्हें धन की आवश्यकता होती है।

7) **बचत को प्रोत्साहित करना**–विभिन्न वित्तीय संस्थान, जैसे–बैंक, निवेश प्रबंधन कंपनियाँ, प्रतिभूति कंपनियाँ, पेंशन कोष आदि बाजार अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करके व्यक्तियों की बचत को बढ़ाने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न वित्तीय संसाधनों के बारे में सूचना प्राप्त करने एवं उनका विश्लेषण करने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये संस्थान मूल्य एवं प्रतिफल दर से सम्बन्धित जोखिमों का विश्लेषण करते हैं। बचत को एकत्र करने के पश्चात् वे लाभकारी निवेशों के लिए बचत को आवंटित तथा दिशा प्रदान करते हैं।

8) **पूँजी की आपूर्ति एवं वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना**–वित्तीय संस्थान समग्र औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उद्यम पूँजी, पूँजी एवं सेवाओं के रूप में उद्योगों (लघु, मध्यम तथा बड़े स्तर) को पूँजी की आपूर्ति करता है। वित्तीय संस्थान विश्व भर में विभिन्न छात्रों के मध्य वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देता है।

9) **Other Roles:** Other roles played by financial institutions are as follows:

i) **Industrial Development:** FIs in India play a major role in the overall growth and development of industries. For this purpose, FIs provide the required financial resources alongwith other facilities needed for industrial development programme.

ii) **Catalytic Role:** They play a role of catalyst by maintaining balance between different operations of **capital** market. With the help of operations like merchant banking and underwriting, FIs also provide support in the development of sound capital market.

iii) **Employment Opportunities:** The new projects being initiated with the help of financial institutions which will create numerous employment opportunities. Various studies have revealed that millions of people have been employed in projects funded by FI.

4.1.3. Types of Financial Institutions

The types of financial institutions are as follows:

1) **Regulatory:** Regulatory institutions are the ones who provides rules and guidelines for a particular market. They combine It comprises of RBI, SEBI, IRDA, , etc. Primarily, an investor would want the funds to be under the control and to be safe to invest.

This assurance is rendered by the regulatory authority that is regulating the particular market. **For example,** money market instruments are regulated by the RBI whereas the capital market instruments are regulated by SEBI. and insurance guideline by IRDA.

2) **Intermediaries:** Intermediaries are the ones who fulfil the short-term requirement of funds of corporate as well as the individual clients.

They comprise of banking as well as non-banking intermediaries. **For example,** banks like SBI, PNB, etc. whereas examples of non-banking intermediaries comprise of GIC, UTI, LIC, etc.

Other important services like credit rating, leasing, merchant banking, hire-purchase are also provided by financial intermediaries. These services are required while creating a new firm, during expansion and the economic growth. These are of the following four types:

i) **Commercial Banks:** These banks hold deposits on behalf of the customers and thus ensure the safety of the funds. This is the primary purpose to bank for the customers. Banks deals with all currency related functions and facilitates additional services related to **banking transaction.**

9) **अन्य भूमिकाएँ**–वित्तीय संस्थानों द्वारा निभाई गई अन्य भूमिकाएँ इस प्रकार हैं–

i) **औद्योगिक विकास**–भारत में वित्तीय संस्थान उद्योगों के समग्र विकास एवं वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस प्रयोजन के लिए, वित्तीय संस्थान औद्योगिक विकास कार्यक्रम के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं के साथ आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करते हैं।

ii) **उत्प्रेरक की भूमिका**–यह पूँजी बाजार के विभिन्न कार्यों के मध्य संतुलन बनाए रखकर उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। व्यापार बैंकिंग, तथा अभिगोपन जैसे कार्यों की सहायता से, वित्तीय संस्थान भी सुदृढ़ पूँजी बाजार के विकास में सहायता प्रदान करते हैं।

iii) **रोजगार के अवसर**–वित्तीय संसाधनों की सहायता से प्रारम्भ की जा रही नई परियोजनाएँ रोजगार के विभिन्न अवसरों का सृजन करती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

4.1.3. वित्तीय संस्थानों के प्रकार

वित्तीय संस्थानों के प्रकार इस प्रकार हैं–

1) **विनियामक**–विनियामक वे संस्थाएं होती हैं जो किसी विशेष बाजार के लिए नियम एवं दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, परिसम्पत्ति–प्रबन्ध समिति इत्यादि शामिल हैं।
निवेशक चाहते हैं कि धन नियन्त्रण में रहे तथा निवेश के लिए सुरक्षित रहे। यह आश्वासन विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है जो विशेष रूप से बाजार को विनियमित करता है। **उदाहरण के लिए**– मुद्रा बाजार साधनों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। जबकि पूँजी बाजार के साधनों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा बीमा को IRDA द्वारा संचालित किया जाता है।

2) **मध्यवर्ती संस्थाएँ**–मध्यवर्ती संस्थाएँ वे होती हैं जो निगमित कम्पनियों के साथ–साथ व्यक्तिगत ग्राहकों के धन की अल्पकालिक आवश्यकता को पूरा करती हैं। इनमें बैंकिंग के साथ–साथ गैर–बैंकिंग मध्यवर्ती संस्थाएँ भी शामिल हैं। **उदाहरण के लिए**–बैंकिंग संस्थानो में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि, जबकि गैर–बैंकिंग मध्यवर्ती संस्थाओं के उदाहरणों में सामान्य बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम आदि सम्मिलित हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण सेवाएँ, जैसे–साख दर, पट्टे पर देना, व्यापारिक बैंकिग, किराया क्रय भी इन वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। एक नई फर्म का निर्माण करने, विस्तार तथा आर्थिक विकास के दौरान इन सेवाओं की आवश्यकता होती है। ये निम्नलिखित चार प्रकार की होती हैं–

i) **वाणिज्यिक बैंक**–ये बैंक ग्राहकों की जमा राशि को स्वीकार करते हैं तथा धन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार यह ग्राहकों के लिए बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है। बैंक सभी मुद्रा सम्बन्धी कार्यों को नियंत्रित करता हैं तथा बैंकिंग लेनदेन से सम्बन्धित अतिरिक्त **सेवाओं की सुविधा प्रदान करता हैं।**

As a result, the need for the customers to keep funds in the form of cash has reduced and he can thus use the services of credit cards, cheques, net banking for entering into any financial transaction. Banks also provide loans to individuals and businesses for long-term purposes and for financing the working capital requirements.

परिणामस्वरूप, ग्राहकों को नकदी के रूप में राशि रखने की आवश्यकता कम हो गई है और वह किसी भी वित्तीय लेनेदेन में प्रवेश करने के लिए क्रेडिट कार्ड, चेक, नेट बैंकिंग की सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक व्यक्तियों एवं व्यवसायों को दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए तथा कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए ऋण भी प्रदान करते हैं।

ii) **Non-Banking Financing Institutions (NBFI): According to the Reserve Bank (Amendment Act) 1997,** "A Non-banking Finance Company (NBFC) means:

a) A financial institution which is a company;

b) A non-banking institution which is a company and which has as its principal business the receiving of deposits under any scheme or arrangement or in any other manner or lending in any manner;

c) Such other non-banking institution or class of such institutions, as the Bank may with the previous approval of the Central Government specify."

ii) **गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI)– रिजर्व बैंक (संशोधन अधिनियम) 1997 के अनुसार,** "एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFI) का अर्थ है–

a) एक वित्तीय संस्थान जो एक कम्पनी है।

b) एक गैर बैंकिंग संस्था जो एक कम्पनी है तथा जिसका प्रमुख व्यवसाय किसी भी योजना या व्यवस्था के अंतर्गत या किसी अन्य विधि से जमा प्राप्त करना या किसी भी प्रकार से ऋण प्रदान करना है।

c) ऐसी अन्य गैर बैंकिंग संस्थान या ऐसी संस्थानों की श्रेणी जिन्हें बैंक केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ निर्दिष्ट कर सकता है।

The notified roles of NBFCs acknowledged by the RBI are as follows:

a) To make advancement in various sectors such as transport and infrastructure.

b) To create opportunities for substantial employment.

c) To provide better enviroment for wealth creation.

d) To encourage broad base economic development.

e) To provide unique and favorable bank credit facilities in rural area.

f) To inbuilt confidence among the users and customers in rural and semi-urban areas.

g) To provide fund to the weaker sections of the society which are economically backward.

h) To facilitate the state exchequer through enormous contribution.

रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की अधिसूचित भूमिकाएँ इस प्रकार हैं–

a) परिवहन एवं मौलिक संरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करना।

b) रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करना।

c) धन अर्जित करने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना।

d) व्यापक आधार पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।

e) ग्रामीण क्षेत्रों में अद्वितीय तथा अनुकूल बैंक ऋण सुविधाएँ प्रदान करना।

f) ग्रामीण तथा अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं एवं ग्राहकों के बीच विश्वास का निर्माण करना।

g) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, निधि प्रदान करना।

h) अधिक योगदान के माध्यम से सरकारी निधि को सुविधाजनक बनाना।

Few Example of NBFCs are Power Finance Corporation Limited, Shriram Transport Finance Company Limited, Bajaj Finance Limited, Mahindra & Mahindra Financial Services Limited, Muthoot Finance Ltd, HDB Finance Services, Cholamandalam, Tata Capital Financial Services Ltd.

गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कुछ उदाहरण पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, HDB फाइनेंस सर्विसेज, चोलामंडलम, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आदि है।

iii) **Investment Companies:** They may be called a trust or a corporation which facilitates an individual to invest in different diversified and professionally managed securities by arranging pool of funds from other investors. The individual need not invest in single company stocks but can rather purchase units directly from the investing company which are well diversified. **For example,** UTI and Mutual **Fund.**

iii) **निवेश कंपनियाँ**–इन्हें एक ट्रस्ट या एक निगम कहा जा सकता है जो एक व्यक्ति को अन्य निवेशकों से धन की व्यवस्था करके विभिन्न विविध एवं पेशेवर रूप से प्रबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। व्यक्ति को एकल कंपनी के अंशों में निवेश करने आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि निवेश करने वाली कंपनी से प्रत्यक्ष रूप से इकाइयों को क्रय कर सकते हैं, **जो भली–भाँति विविधात्मक है। उदाहरण के लिए– भारतीय इकाई संघ एवं म्यूचुअल फंड।**

Some of the investment companies are Alliance Bernstein Investment Research and Management (India) Private Limited, Bajaj Allianz General Insurance Company Limited, Barclays Capital, Capital Group, F. I. L. Fund Management Private Limited, Infrastructure Development Finance Company Limited, Larsen & Toubro Mutual Fund, Peerless General Finance & Investment, Tata Investment Corporation, Toss Financial Services Private Limited.

iv) **Insurance Companies:** Insurance companies are the non-bank financial institutions that can be set as a profit making or non-profit or government owned companies. Such institutions assist a person to transfer his risk of losses of different types like death, disability, accidents, property damage, and other misfortunes. Thus, people are availing the service of insurance companies for acquiring the insurance cover against their life, belongings, income, or possessions and the high cost of medical bills. Such companies promise to cover the risks in consideration of an amount known as **premium**.

Insurance is divided into life insurance and general insurance. The **life insurance** business refers to the business in which there is contract made on the life of the human. It can also be said that the life insurance contract is a contract where the insurer agrees to pay the premium in lumpsum or in periodic form to the assured or to other beneficial person at the decided amount either on the death of insured or on the expiry of a specified period of time.

General insurance is the contract in which the insurer assumes to compensate the insured in case of any loss or damage. There is regular payment given of the sum of money known as premium. It is type of protection contract not an investment contract.

3) **Non-Banking Financial Intermediaries:** "The Non-Banking Financial Intermediaries are the intermediaries/middlemen moving funds from lenders to borrowers. The financial intermediaries acquire funds by issuing to the public their own liabilities such as saving deposits and loan and then utilise this funds for buying the financial assets such as stocks, bond and mortgages for themselves. Thus, the financial intermediaries act as intermediate between savers and borrowers".

4.2. DEVELOPMENTAL FINANCIAL INSTITUTIONS (DFIs)

4.2.1. An Overview of Development Financial Institutions

An institution is said to be a Development Financial Institution (DFI) when it is allowed and authorised by the Government of India to provide development project finance to one or more sectors or sub-sectors of the

निवेश कम्पनियों में कुछ एलायंस बर्न्स्टाइन निवेश शोध एवं प्रबन्धन (भारत) प्राइवेट लिमिटेड, बजाज एलियांज सामान्य बीमा कम्पनी लिमिटेड, बार्क लैज कैपिटल, कैपिटल ग्रुप, F. I. L. फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, लार्सन एण्ड टुबरो म्यूचल फंड, पेरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इंवेस्टमेंट, टाटा इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टॉस फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है।

iv) **बीमा कम्पनियाँ**–बीमा कम्पनियाँ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ हैं जिन्हें लाभ अर्जित या गैर–लाभकारी या सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार की संस्थाएँ किसी व्यक्ति को मृत्यु, दिव्यांगता, दुर्घटना, सम्पत्ति की हानि, और अन्य दुर्भाग्य जैसे विभिन्न प्रकार की हानि के जोखिम को स्थानांतरित करने में सहायता करती हैं। इस प्रकार, व्यक्ति अपने जीवन, वस्तु, आय या सम्पत्ति तथा चिकित्सा बिलों की उच्च लागत के लिए बीमा में शामिल होने के लिए बीमा कम्पनियों की सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसी कम्पनियाँ **प्रीमियम** के रूप में जानी जाने वाली राशि को ध्यान में रखते हुए जोखिम को वहन करने का वादा करती हैं।

बीमा को दो भागों में, जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा में विभाजित किया गया है। **जीवन बीमा** व्यवसाय उस व्यवसाय को सन्दर्भित करता है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर अनुबन्ध होता है। यह भी कहा जा सकता है कि जीवन बीमा अनुबंधन एक ऐसा अनुबंधन है जिसमें बीमाकर्ता एकमुश्त या आवधिक रूप में प्रीमियम को बीमाकृत की मृत्यु पर अथवा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर बीमाकृत अथवा अन्य हितकारी व्यक्ति को निर्धारित राशि भुगतान करने के लिए सहमत होता है।

सामान्य बीमा वह अनुबंधन होता है जिसमें बीमाकर्ता किसी भी हानि या क्षति के संदर्भ में बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार होता है। प्रीमियम के रूप में एक निश्चित धनराशि का नियमित रूप से भुगतान किया जाता है। यह सुरक्षा अनुबन्ध का प्रकार है न कि निवेश अनुबंध हैं।

3) **गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ**–"गैर–बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ वह मध्यस्थ/बिचौलिए होते हैं जो ऋणदाताओं से ऋणप्राप्तकर्ताओं को धन प्रदान करते हैं। वित्तीय मध्यस्थ जनता को अपनी स्वयं के दायित्वों जैसे बचत जमा एवं ऋण निर्गमित करके धन प्राप्त करते हैं तथा फिर इस धन का प्रयोग अपने लिए वित्तीय संपत्ति जैसे स्टाक बॉड व बंधक क्रय करने के लिए करते हैं। इस प्रकार, वित्तीय मध्यस्थ बचतकर्त्ताओं एवं ऋणप्राप्तकर्ताओं के मध्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।"

4.2. विकास वित्तीय संस्थान (DFIs)

4.2.1. विकास वित्तीय संस्थानों का अवलोकन

एक संस्था को एक विकास वित्तीय संस्थान (DFI) कहा जाता है जब इसे भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के एक या एक से **अधिक क्षेत्रों या उप–क्षेत्रों को विकास परियोजना वित्त प्रदान करने के लिए अनुमति तथा अधिकृति** किया जाता है। विकास

economy. Development financial institutions are the important intermediaries that provide long-term finance for capital-intensive investments like urban infrastructure, mining and heavy industry, and irrigation systems.

DFIs are not similar to aid agencies whose prime objective is to make profitable investments and work according to the market rules. Instead, DFIs are formed to fulfil the following objectives:

1) To raise economic growth and promote the sustainable development within the country;
2) To meet the shortcomings of investment in the company; and
3) To fill the gap between state development aid and commercial investment.

In developing countries, the common functions of DFIs are given below:

1) They render many financial services like providing loans or guarantees to investors and entrepreneurs, participating in the equity capital of the firms or investment funds, and providing finance for infrastructure projects.
2) They can initiate or develop projects in industrial fields or in countries if the commercial banks are not ready to provide financial help in the absence of some form of official collateral.
3) They provide financial services to such small and medium-sized enterprises and companies, which are assumed as risky by private sources of financing. This assumption enables the DFIs to take the first-mover advantage in markets with strong growth potential.

Earlier, the role of commercial banks was limited only to provide working capital financing for a short period. Therefore, during that time, the entire focus of DFIs was to provide long-term finance for the industry and infrastructure sector in India.

The extremely successful DFIs of India are:

1) Industrial Finance Corporation of India (IFCI); it was the first DFI established in 1948;
2) Industrial Development Bank of India (IDBI) that was established in 1964; and
3) Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI); it was opened by an initiative of the World Bank in 1955.

These institutions were developed for offering medium and long-term project finance to Indian industries. The complete ownership of IFCI and IDBI was with the Government of India enterprises.

However, the effective operations of DFIs continued till about the mid-1990 and after the reforms of 1991, the major DFIs were transformed into commercial banks.

वित्तीय संस्थान महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं जो विदेशी आधारभूत संरचना, खनन एवं भारी उद्योग तथा सिंचाई प्रणालियों जैसे पूंजी–गहन निवेश के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं।

विकास वित्तीय संस्थान सहायता एजेंसियों के समान नहीं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभदायक निवेश करना तथा बाजार के नियमों के अनुसार कार्य करना होता है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विकासात्मक वित्तीय संस्थान का गठन किया गया है–

1) देश के अंतर्गत आर्थिक वृद्धि तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए;
2) कंपनी में निवेश की कमियों को पूरा करने के लिए; तथा
3) राज्य विकास सहायता एवं वाणिज्यिक निवेश के मध्य के अंतर को कम करने के लिए।

विकासशील देशों में, विकास वित्तीय संस्थान द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों को नीचे दिया गया हैं–

1) ये विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे निवेशकों तथा उद्यमियों को ऋण या गारंटी प्रदान करना, फर्मों या निवेश निधियों की समता पूंजी में भाग लेना तथा बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करना।
2) ये औद्योगिक क्षेत्रों या देशों में परियोजनाओं को प्रारंभ या विकसित कर सकते हैं यदि वाणिज्यिक बैंक आधिकारिक संपार्श्विक के किसी रूप के अभाव में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हैं।
3) ये ऐसे लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों तथा कंपनियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जिन्हें वित्तपोषण के निजी स्रोतों द्वारा जोखिम भरा माना जाता है। यह धारणा विकासात्मक वित्तीय संस्थान को प्रबल विकास क्षमता वाले बाजारों में प्रथम–प्रस्तावक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

पहले, वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका केवल लघु अवधि के लिए कार्यशील पूंजी वित्तपोषण प्रदान करने तक सीमित थी। इसलिए, उस समय के दौरान, विकासात्मक वित्तीय संस्थान का पूरा ध्यान भारत में उद्योग तथा आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना था।

भारत के अत्यंत सफल विकासात्मक वित्तीय संस्थान निम्न हैं–

1) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI); यह 1948 में स्थापित प्रथम विकास वित्तीय संस्थान था;
2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी; तथा
3) भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम (ICICI); इसे 1955 में विश्व बैंक की एक पहल द्वारा प्रारम्भ किया गया था।

इन संस्थानों को भारतीय उद्योगों के मध्यम एवं दीर्घकालिक परियोजना वित्त प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। IFCI एवं IDBI का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के उद्यमों के पास था।

हालाँकि, DFIs का प्रभावी संचालन 1990 के मध्य तक जारी रहा तथा 1991 के सुधारों के पश्चात्, प्रमुख **विकास वित्तीय संस्थान को वाणिज्यिक बैंकों में परिवर्तित कर दिया गया था।**

4.2.2. Features of Development Banks

The main features of development banks are as follows:

1) These banks are not engaged in regular banking activities such as accepting deposits.
2) Such banks also provide working capital assistance.
3) Development banks also provide other assistance to the industries as well.
4) Such banks also subscribe to the instruments issued by other companies by offering guarantees and underwriting services.
5) These banks also offer other services such as planning and strategic advises.
6) Such institutes may also offer managerial, technical and economical assistance in the form of carrying out surveys and studies.
7) Such banks engage with both private and public banks.
8) The main purpose of such institutes is to promote development and help industrialization.
9) Such institutes help in increasing the economic growth rate.

4.2.3. Objectives of Development Banks

Following are the main objectives entrusted to development banks:

1) Such banks act as a growth catalyst for different sectors ranging from agriculture to industry.
2) Increasing the growth rate for the economy.
3) Dividing the resources appropriately to aid critical domains.
4) To help the process of fast industrial growth and offer employment opportunities.
5) To aid the process of developing entrepreneurial skills.
6) To help promoting rural area development.

Additionally, these banks also play key roles as below:

1) Planning and promoting industries in the areas which are lagging.
2) To coordinate between various institutes engaged in the process.
3) Offering promotional activities such as finding new ideas, carrying out feasibility analysis and offering technical and other expertise.

4.2.4. Functions of Development Banks

Following are the main functions and working of development banks:

1) **Catalysts:** The development banks are required to act as activators for the purpose of providing accelerated growth rate. This is important for the purpose of ensuring sustainable growth.
2) **Entrepreneurial Cult:** These banks help in increasing entrepreneurial traits. It helps in providing assistance in the form of technical and managerial assistance.
3) **Socio-Economic Objectives:** Such banks help in attaining the objective of achieving socio-economic growth. **It helps in equitable distribution of wealth and increasing self-reliance.**

4.2.2. विकास बैंकों की विशेषताएँ

विकास बैंकों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1) ये बैंक जमा स्वीकार करने जैसी नियमित बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न नहीं होते हैं।
2) ऐसे बैंक कार्यशील पूंजी सहायता भी प्रदान करते हैं।
3) विकास बैंक उद्योगों को अन्य सहायता भी प्रदान करते हैं।
4) ऐसे बैंक प्रत्याभूति तथा अभिगोपन सेवाओं को प्रस्तुत करके अन्य कंपनियों द्वारा निर्गमित किए गए उपकरणों के लिए अभिदान भी करते हैं।
5) ये बैंक योजना तथा रणनीतिक सलाह जैसी अन्य सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।
6) ऐसे संस्थान सर्वेक्षण तथा अध्ययन करने के रूप में प्रबंधकीय, तकनीकी एवं आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकते हैं।
7) ऐसे बैंक निजी तथा सार्वजनिक दोनों बैंकों से सबंधित होते हैं।
8) ऐसे संस्थानों का मुख्य उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना तथा औद्योगीकरण में सहायता करना है।
9) ऐसे संस्थान आर्थिक विकास दर को बढ़ाने में सहायता करते हैं।

4.2.3. विकास बैंकों के उद्देश्य

विकास बैंकों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1) ऐसे बैंक कृषि से लेकर उद्योग तक के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।
2) अर्थव्यवस्था के लिए विकास दर में वृद्धि करना।
3) महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सहायता के लिए संसाधनों को उचित रूप से विभाजित करना।
4) तीव्र औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में सहायता करना तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना।
5) उद्यमशीलता कौशल विकसित करने की प्रक्रिया में सहायता करना।
6) ग्रामीण क्षेत्र के विकास में वृद्धि करने में सहायता करना।

इसके अतिरिक्त, ये बैंक निम्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं–

1) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की योजना बनाना तथा उन्हें बढ़ावा देना।
2) प्रक्रिया में संलग्न विभिन्न संस्थानों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
3) प्रचार गतिविधियों को प्रस्तुत करना जैसे कि नए विचार खोजना, व्यवहार्यता विश्लेषण करना तथा तकनीकी एवं अन्य विशेषज्ञता प्रदान करना।

4.2.4. विकास बैंकों के कार्य

विकास बैंकों के मुख्य कार्य तथा कार्यप्रणाली निम्नलिखित हैं–

1) **उत्प्रेरक–** विकास बैंकों को त्वरित विकास दर प्रदान करने के उद्देश्य से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना आवश्यक है। यह सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होते है।
2) **उद्यमी पंथ–** ये बैंक उद्यमशीलता की विशेषताओं में वृद्धि करने में सहायता करते हैं। यह तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता के रूप में सहायता प्रदान करने में सहायता करती है।
3) **सामाजिक–आर्थिक उद्देश्य–** ऐसे बैंक सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। यह मुद्रा के समान वितरण

4) **Balanced Development:** These institutes' help in ensuring balanced development as these are entrusted with the task of providing funds and assistance to critical areas of economy.

5) **Optimal Utilisation:** These banks help in utilizing the national resources in a more balanced way. It also helps in the development of infrastructure sector as well.

6) **Financial Functions:** Development banks perform various financial functions such as providing loans and financial assistance. It also aids other processes such as issue of equity shares and debentures by subscribing to them, providing loan guarantees and offering strategic advisory services.

4.2.5. Scope of Development Financial Institutions (DFIs) in India

Scope of Development Financial Institutions (DFIs) in India
(भारत में विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) का क्षेत्र)

All India Financial Institutions
(अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान)
1) All India Development Banks (Term Lending Institutions) (अखिल भारतीय विकास बैंक (सावधि ऋण प्रदान करने वाले संस्थान))
   i) IFCI
   ii) EXIM Bank (1982) (एक्जिम बैंक)
   iii) TFCI (1989)*
2) Refinance Institutions (पुनर्वित संस्थान)
   i) NABARD (1982)
   ii) SIDBI (1990)
   iii) NHB (1980)
3) Investment Institutions (विनियोग संस्थान)
   i) LIC (1956)
   ii) GIC (1972)
4) Specialised Financial Institutions (विशिष्ट वित्तीय संस्थान)
   i) IDFC (1997)
   ii) PFC (1986)
   iii) REC (1969)
   iv) IDBI (1964)

State-Level Institutions
(राज्यस्तरीय संस्थान)
1) SFCs (18)
2) SIDCs (28)

Other Institutions (अन्य संस्थान)
1) ECGC (1957)
2) DICGC (1962)

* Tourism Finance Corporation of India Ltd. (भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड)

Above diagram illustrates the scope of DFIs:

1) **National-Level Institutions:** Such institutions are All India Financial Institutions (AIFIs), two All India Development Banks (AIDBs), which are also referred to as term-lending institutions. Apart from these, there are three refinance institutions, two investment institutions and one specialized financial institution. Industrial Finance Corporation of India Limited (IFCI), Export-Import Bank of India (EXIM Bank) and Tourism Finance Corporation of India Limited (TFCI) are term-lending institutions.

4.2.5. भारत में विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) का क्षेत्र

उपयुक्त आरेख DFIs के कार्यक्षेत्र को दर्शाता है–

1) **राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं**–ऐसी संस्थाएं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs), दो अखिल भारतीय विकास बैंक (AIDBs) हैं, जिन्हें सावधि ऋण देने वाली संस्थाएं भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, तीन पुनर्वित्त संस्थान, दो निवेश संस्थान एवं एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (IFCI), भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्जिम बैंक) तथा भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड (TFCI) सावधि ऋण देने वाली संस्थाएं हैं।

2) **State Institutions:** There are 18 State Financial Corporations (SFCs) operating at the state level while there are other 28 State Industrial Development Corporations (SIDCs).

3) **Specialised Financial Institutions:** These institutions are PFC, IDBI, REC and IDFC.

4) **Investment Institutions:** Life Insurance Corporation of India (LIC) and General Insurance Corporation of India (GIC) are included under this category.

5) **Refinance Institutions:** National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Small Industries Development Bank of India (SIDBI), and National Housing Bank (NHB) are main refinance institutions in India. These organizations carry out several activities such as extending refinance, housing finance and small scale industry funding.

4.3. IFCI (INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA)

4.3.1. Introduction

The IFC Act was passed, by the Government of India in 1948, in order to establish the Industrial Finance Corporation of India. The IFCI was incorporated with a view to financially assist the industries in India by providing medium- and long-term loans to them.

But, this corporation provide credit only to the companies that are registered and belong to a limited set of industries which are as follows:

1) Manufacture, preservation or processing of goods,
2) The mining industry,
3) The shipping business,
4) The hotel industry, and
5) The generation or distribution of electricity or any other form of power.

4.3.2. Objectives and Functions of IFCI

IFCI has the following objectives and functions:

1) **Financial Assistance:** The IFCI can assist the companies financially in the following ways:
   i) Sanctioning loans to the companies or by buying their debentures. Maximum duration of both is 25 years.
   ii) Raising capital by issuing shares, debentures, bonds, etc., on behalf of the company. Maximum duration of the securities is 7 years.
   iii) Raising the capital of public limited companies by purchasing their securities, i.e., debentures, shares, etc.
   iv) Taking guarantee of payments on behalf of those companies which make purchases of capital goods within or outside the India.
   v) **Sanctioning loans to the companies on the directive of the Central Government or the World Bank.**

2) **राज्य संस्थान**–राज्य स्तर पर 18 राज्य वित्तीय निगम (SFCs) संचालित हैं जबकि अन्य 28 राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDCs) हैं।

3) **विशिष्ट वित्तीय संस्थान**–ये संस्थान PFC, IDBI, REC तथा IDFC हैं।

4) **निवेश संस्थान**–भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) तथा भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

5) **पुनर्वित्त संस्थान**–राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), एवं राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) भारत में मुख्य पुनर्वित्त संस्थान हैं। ये संगठन विभिन्न गतिविधियों का संचालन जैसे पुनर्वित्त, आवास वित्त तथा लघु उद्योग वित्त पोषण आदि करते है।

4.3. IFCI (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम)

4.3.1. परिचय

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के लिए 1948 में भारत सरकार द्वारा IFC अधिनियम पारित किया गया था। IFCI को भारत में उद्योगों को मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था।

परंतु, यह निगम केवल उन्हीं कंपनियों को ऋण प्रदान करता है जो पंजीकृत है और उद्योगों के एक सीमित समूह से संबंधित है जो निम्नलिखित है–

1) वस्तुओं का निर्माण, संरक्षण या प्रसंस्करण
2) खनन उद्याग
3) नौ परिवहन व्यवसाय
4) होटल उद्योग, तथा
5) बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति का उत्पादन या वितरण

4.3.2. IFCI के उद्देश्य एवं कार्य

IFCI के उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित है–

1) **वित्तीय सहायता**– IFCI निम्नलिखित तरीकों से कंपनियों की वित्तीय सहायता करता है।
   i) कंपनियों का ऋण स्वीकृत करना या उनके ऋणपत्र क्रय करना, दोनों की अधिकतम अवधि 25 वर्ष है।
   ii) कंपनी की ओर से अंश, ऋणपत्र, बांड आदि जारी करके पूँजी एकत्रित करना प्रतिभूतियों की अधिकतम अवधि 7 वर्ष है।
   iii) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की प्रतिभूतियों अर्थात् ऋणपत्र, अंश आदि को क्रय करके उनकी पूँजी एकत्रित करना।
   iv) उन कंपनियों की ओर से भुगतान की गारंटी लेना जो भारत के भीतर या बाहर पूँजीगत वस्तुओं को क्रय करती है।
   v) केंद्र सरकार या विश्व बैंक के निर्देश पर कंपनियों के ऋण को स्वीकृत करना।

IFCI assist the organisations financially in order to fulfil the purposes, which are as follows:

i) To set-up a new company.

ii) To expand or diversify the existing companies, i.e., to include new products or services in the portfolio.

iii) To renovate and modernise the existing company, i.e., to improve the infrastructure, technology, etc.

iv) To fulfil the requirements of working capital and to settle the liabilities of existing companies but only in exceptional situations.

2) **Promotional Activities:** Other than the financial assistance, IFCI also promotes new companies. IFCI assists the budding entrepreneurs by guiding them in recognising the business ides, preparing the business plan, checking the viability of their project, and its implementation. It plays an important role in speeding-up the process of industrial development and it also attempts to reduce the uneven distribution of industries in different areas of a country.

4.3.3. Financial Sources of IFCI

The sources through which IFCI generates its finances are borrowings from RBI and Central Government, ownership capital, issuing market securities, etc., which are explained below:

1) Authorised capital of IFCI at the time of its incorporation was ₹100 crore, later it was increased to ₹259 crore.

2) In order to raise its working capital, the IFCI can issue market securities such as debentures and bonds; provided that the amount raised by issuing securities should not be more than ten times of the retained earnings and paid-up capital of IFCI.

3) IFCI can not only borrow from the RBI, Central Government, and IDBI but it can also accept deposits from the State Government, public, and local authorities. Provided that the amount raised by borrowings and deposits should not be more than ₹10 crore.

4) IFCI is also authorised to ask for money from financial institutions of other countries but only in the currency of lender.

4.4. SIDBI (SMALL INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA)

4.4.1. Introduction

SIDBI is a development bank dedicated for the betterment of small-scale industries. It was incorporated in **1990** and is undertaken by Central Government of India. Providing financial assistance and worthy factors of production in order to improve and encourage the small-scale industries is the main objective behind the establishment of SIDBI.

उद्देश्यों को पूरा करने के लिए IFCI संगठन की वित्तीय रूप से सहायता करता है, जो इस प्रकार है।

i) एक नई कंपनी स्थापित करना।

ii) मौजूदा कंपनियों का विस्तार या विविधता लाना, अर्थात् पोर्टफोलियों में नए उत्पादों या सेवाओं को शामिल करना।

iii) मौजूदा कंपनी का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, अर्थात् बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी आदि में सुधार करना।

iv) कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करना एवं मौजूदा कंपनियों के दायित्वों का निपटान करना, परंतु केवल असाधारण स्थितियों में।

2) **प्रचार गतिविधियाँ**– वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, IFCI नई कंपनियों को भी बढ़ावा देता है। IFCI नवोदित उद्यमियों को व्यावसायिक विचारों को पहचानने, व्यवसाय योजना तैयार करने, उनकी परियोजना की व्यवहार्यता की जांच करने एवं उसके कार्यान्वयन में मार्गदर्शन देकर सहायता करता है। यह औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के असमान वितरण को कम करने का भी प्रयास करता है।

4.3.3. IFCI के वित्तीय स्त्रोत

जिन स्त्रोतों के माध्यम से IFCI अपना वित्त उत्पन्न करता है वे RBI एवं केंद्र सरकार से उधार, स्वामित्व पूँजी, बाजार प्रतिभूतियाँ निर्गमित करना आदि हैं, जिन्हें नीचे समझाया गया है–

1) IFCI के निगमन के समय इसकी अधिकृत पूँजी ₹100 करोड़ थी, बाद में इसे बढ़ाकर ₹259 करोड़ कर दिया गया।

2) अपनी कार्यशील पूँजी में वृद्धि करने के लिए, IFCI ऋणपत्र एवं बांड जैसी बाजार प्रतिभूतियाँ निर्गमित करता है, बशर्ते कि प्रतिभूतियों को निर्गमित करके एकत्रित की गई राशि, IFCI की रखी गई आय और भुगतान की गई पूँजी के दस गुना से अधिक नहीं होना चाहिए।

3) IFCI न केवल RBI, केंद्र सरकार और IDBI से उधार ले सकता है, बल्कि यह राज्य सरकार, जनता एवं स्थानीय अधिकारियों से जमा भी स्वीकार करता है। परंतु उधार और जमा द्वारा एकत्रित की गई राशि ₹10 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4) IFCI अन्य देशों के वित्तीय संस्थानों से धनराशि माँगने के लिए भी अधिकृत है, परंतु केवल ऋणदाता की मुद्रा में।

4.4. SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)

4.4.1. परिचय

भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक एक विकास बैंक हैं जो लघु उद्योगों की बेहतरी के लिए कार्य करता हैं। इसका निगमन **1990** में हुआ था तथा इसे भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था। सिडबी की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को बेहतर बनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता तथा उत्पादन के योग्य उपकरण प्रदान करना है।

SIDBI is the chief financial institution for providing finances, encouraging and improving the small-scale industries. It is responsible for directing all those commercial banks and financial institutions which provide financial assistance to small-level businessmen. The objective of SIDBI is to make MSME sector capable of generating employment, contributing the growth of economy, and in bringing evenness in industrial development in different regions.

4.4.2. Objectives of SIDBI

Small Industries Development Bank of India (SIDBI) was established on **2nd April 1990** as an apex Development Financial Institution (DFI) for the promotion, financing and development of the Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) sector as well as for co-ordination of functions of institutions engaged in similar activities. Its objectives may be summarised as following:

1) To extend short term credit in the form of working capital finance to the entrepreneurs engaged in MSME sector for meeting their various expenses on daily basis, e.g. purchase of raw material, payment of wages/salaries, electricity/water charges, etc. Long-term credits are also provided in the form of term loans for creation of fixed assets, e.g. plants, machineries, equipment, land, building, etc.;
2) To take appropriate measures for technological advancement and modernisation of prevailing MSME units;
3) To enlarge ways and means of marketing the merchandises manufactured by MSME units;
4) To support and encourage the MSME industries having potential of generating employment opportunities for the people residing in semi-urban areas with a view to curbing their migration to urban/metropolitan areas;
5) To provide refinance facilities to the banks and other financial institutions lending to the MSME units;
6) To extend discounting/rediscounting facilities in respect of the bills representing genuine transactions of sales of machineries manufactured by MSME units;
7) To offer seed capital and soft loan support under various Government schemes, such as National Equity Fund, Mahila Udyam Nidhi, Mahila Vikas Nidhi, and other seed capital schemes;
8) To provide direct support and refinance facilities to the primary lending institutions for onward financing the export of products manufactured by MSME units;
9) To offer services of factoring, leasing, etc. to MSME units;
10) To provide financial assistance to State Small Industries Corporations (SSICs) for the procurement of rare/limited raw materials for MSME units, and marketing of their products; and
11) To extend financial help to National Small Industries Corporation (NSIC) for providing necessary finance to MSME units in undertaking leasing, hire purchase and marketing activities.

SIDBI एक मुख्य वित्तीय संस्थान है जो लघु उद्योगों में सुधार करता है तथा प्रोत्साहन एवं वित्त प्रदान करता है। यह उन सभी वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देशित करने के लिए उत्तरदायी है जो लघु स्तर के व्यावसायियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। SIDBI का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र को रोजगार सृजित करने, अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में समरूपता लाने में सक्षम बनाना है।

4.4.2. SIDBI के उद्देश्य

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना **2 अप्रैल, 1990** को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण एवं विकास के साथ–साथ इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। इस के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किया जा सकता है–

1) सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम क्षेत्र में लगे उद्यमियों को दैनिक आधार पर उनके विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूँजी वित्त के रूप में अल्पकालिक ऋण का विस्तार करने के लिए स्थापित किया गया है। **उदाहरण–** कच्ची सामग्री के क्रय, मजदूरी/वेतन का भुगतान, बिजली/पानी के शुल्क का भुगतान आदि। दीर्घकालिक ऋण भी स्थायी सम्पत्तियों जैसे– संयन्त्र, मशीनरी, उपकरण, भूमि, भवन आदि के निर्माण के लिए सावधि ऋण के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
2) विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों की तकनीकी उन्नति और आधुनिकीकरण के लिए उचित उपाय करना।
3) सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन की विधियों एवं साधनों का विस्तार करना।
4) शहरो एवं महानगरो में प्रवास करने वाले अर्ध शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता रखने वाले सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को समर्थन एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।
5) सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों को ऋण देने वाले बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सुविधाएँ प्रदान करना।
6) सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों द्वारा निर्मित मशीनरी के विक्रय के वास्तविक लेनदेन का प्रतिनिधित्व करने वाले बिलों के सम्बन्ध में छूट/पुनः छूट की सुविधाओं का विस्तार करना।
7) विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय समता कोष, महिला उद्यम कोष, महिला विकास निधि, तथा अन्य मूल पूँजी योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भिक पूँजी एवं उदार ऋण सहायता को प्रस्तुत करना।
8) सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों द्वारा निर्मित निर्यात उत्पादों के वित्त पोषण के लिए प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता एवं पुनर्वित्त सुविधाएँ प्रदान करना।
9) सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों को आढतिया, पट्टा आदि की सेवाएँ प्रदान करना।
10) सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों के लिए दुर्लभ/सीमित कच्ची सामग्री के क्रय, और उनके उत्पादों के विपणन के लिए राज्य के लघु उद्योग निगमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तथा,
11) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों को पट्टे पर देने, किराया क्रय और विपणन गतिविधियों को चलाने में आवश्यक वित्त प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

4.4.3. Functions and Working of SIDBI

The main functions and working performed by SIDBI are as following:

1) **Re-Financing:** SIDBI refinances the credits and loans granted by financial institutions to small-scale industries. It also assists financial institutions by providing them finance and other resources so that they can sufficiently help the small-scale industries to grow and develop.

2) **Discounting and Re-Discounting:** SIDBI also serves the function of discounting and re-discounting of bills of the small scale industrial units. Bills can either be of purchases made by any small-scale unit or by the purchases of products produced by any small-scale unit.

3) **Direct Assistance:** Other than the re-financing of loans granted by credit institutions, SIDBI also extend direct assistance to the small-scale industrial sector for exporting of goods.

4) **Soft Loans and Seed Capital:** There are various schemes of SIDBI, by which it provides soft loans, i.e., loans which can be availed on very lenient terms and conditions. Some of them are Mahila Vikas Nidhi, National Equity Fund, Mahila Udyam Nidhi, etc. In the same way, through the specific credit agencies, SIDBI also provides schemes of seed capital.

5) **Support to SSIDCs:** The two most important difficulties that are often faced by the companies of small-scale sector are procuring the scarce resources, and marketing and selling of the finished goods. The financial assistance needed to carry out these two activities is given by SIDBI, not directly but through one of its agencies, named as **State Level Small Industries Development Corporations (SSIDC).**

6) **Other Services:** Alongwith all the aforementioned functions, SIDBI also assist the small-scale industrial units in services such as factoring, leasing, etc.

7) **Help to NSIC:** National Small Industries Corporation (NSIC) is a body that helps small-scale industrial units in making hire-purchases, leasing, marketing activities, etc. The SIDBI assists NSIC financially, so that the latter can perform its functions effectively.

8) **Technological Upgradation:** In the era of globalisation, technology and its regular updation is becoming a necessity for all the sectors and same applies to small-scale industrial sector. This is the reason why SIDBI took a step ahead in order to renovate the small-scale industrial units by instituting advanced technology in their operations.

4.4.4. Schemes for Promotion of Small Business

At present, various schemes offered by SIDBI for the promotion and encouragement of MSME sector are as following:

1) **National Equity Fund Scheme:** Under this scheme, equity support is made available to small entrepreneurs intending to set up project in tiny Sectors.

4.4.3. SIDBI के कार्य एवं कार्यप्रणाली

सिडबी द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित हैं–

1) **पुनः वित्तपोषण**–सिडबी लघु उद्योगों को वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण और साख का पुनर्वित्त करता है। यह वित्तीय संस्थानों को वित्त और अन्य संसाधन प्रदान करके उनकी सहायता भी करता है ताकि वे छोटे स्तर के उद्योगों को विकसित एवं विकास करने में सहायता कर सकें।

2) **छूट तथा पुनः छूट**–सिडबी लघु औद्योगिक इकाइयों के बिलों की छूट तथा पुनः छूट का कार्य भी करता है। बिल या तो किसी भी लघु स्तर की इकाई द्वारा किए गए क्रय या लघु स्तर की इकाई द्वारा उत्पादित उत्पादों के क्रय के हो सकते हैं।

3) **प्रत्यक्ष सहायता**–ऋण संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के पुनः वित्तपोषण के अतिरिक्त, सिडबी वस्तुओं के निर्यात के लिए लघु स्तर के औद्योगिक क्षेत्र को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करता है।

4) **आसान ऋण एवं मूल पूँजी**–सिडबी की विभिन्न योजनाएँ हैं जिसके द्वारा आसान ऋण प्रदान करता है, अर्थात्, ऐसे ऋण जिन्हें बहुत ही आसान शर्तों पर लिया जा सकता है। इनमें से कुछ महिला विकास निधि, राष्ट्रीय समता कोष, महिला उद्योग निधि आदि हैं। इसी प्रकार, विशिष्ट साख एजेंसियों के मध्यम से, सिडबी मूल पूँजी की योजनाएँ भी प्रदान करता है।

5) **राज्य स्तरीय लघु उद्योग विकास निगम को सहायता**–लघु स्तर के क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा प्रायः सामना की जाने वाली दो सबसे महत्त्वपूर्ण कठिनाइयाँ दुर्लभ संसाधनों का क्रय एवं निर्मित माल का विपणन एवं विक्रय करना है। इन दोनों गतिविधियों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता सिडबी द्वारा प्रदान की जाती है, SIDBI ऐसी सहायता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अपनी एक एजेंसी के माध्यम से, प्रदान करता जिसे राज्य स्तरीय **लघु उद्योग विकास निगम** का नाम दिया गया है।

6) **अन्य सेवाएँ**–उपरोक्त सभी कार्यों के साथ सिडबी आढ़तिया, पट्टे इत्यादि सेवाओं में लघु–स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की सहायता भी करती है।

7) **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को सहायता**–राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एक निकाय है जो लघु–स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को किराया–क्रय, पट्टा, विपणन गतिविधियों आदि को करने में सहायता करता है। सिडबी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को आर्थिक सहायता प्रदान करता है ताकि वह अनुवर्ती कार्यों का प्रभावी रूप से निष्पादन कर सके।

8) **तकनीकी उन्नयन**–वैश्वीकरण के युग में, प्रौद्योगिकी एवं नियमित अद्यतन सभी क्षेत्रों के लिए एक आवश्यकता बनता जा रहा हैं और यह लघु स्तर के औद्योगिक क्षेत्र पर भी लागू होती है। इस कारण से सिडबी ने अपने संचालन में उन्नत प्रौद्योगिकी का गठन करके लघु–स्तरीय औद्योगिक इकाइयों के नवीनीकरण के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है।

4.4.4. लघु व्यवसाय के संवर्धन के लिए योजनाएँ

वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं प्रोत्साहन के लिए सिडबी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाएँ निम्नलिखित हैं–

1) **राष्ट्रीय समता कोष योजना**–इस योजना के अन्तर्गत लघु क्षेत्रों में परियोजना स्थापित करने के इच्छुक लघु उद्यमियों को समता समर्थन, उपलब्ध कराया जाता है।

2) **Technology Development & Modernisation Fund Scheme:** This scheme envisages financial support to the existing MSME units for the technological advancement and modernisation.

3) **Single Window Scheme:** Under this scheme, all long-term (in the form of term loan) as well as short-term (in the form of working capital) financial support is provided to the MSME units through a single agency.

4) **Composite Loan Scheme:** Composite Loan Scheme is extended for the acquisition of equipment, working capital, and construction of work sheds to artisans, village and cottage industries in tiny sector.

5) **Mahila Udyam Nidhi (MUN) Scheme:** This scheme is specifically designed for providing equity assistance to women entrepreneurs for initiating new projects in tiny Sector.

6) **Scheme for Financing Activities Relating to Marketing of Products Manufactured by MSME Units:** This scheme envisages extending financial support to MSME units for marketing related activities (including research projects) like marketing research, R&D, product upgradation, participation in trade fairs and exhibitions, advertising branding, setting up/development of distribution networks including show rooms, retail outlets, warehousing facilities, etc.

7) **Equipment Finance Scheme:** This scheme is designed to extend financial support to MSME units for the acquisition of machinery including diesel generator sets for general purpose, i.e. not for any specific project.

8) **Venture Capital Scheme:** Venture Capital Scheme has been introduced with the objective of encouraging MSME ventures/sub-contracting units to go for capital equipment and latest technology with a view to enhancing their export competencies/import substitution including cost of Total Quality Management (TQM) and for acquiring ISO-9000 certification and expansion of capacity.

9) **ISO 9000 Scheme:** This scheme provides financial support to MSME units for meeting various expenses to be incurred in connection with securing ISO 9000 certification. Such expenses may relate to consultancy, documentation, audit, certification fee, equipment and calibrating instruments; and

10) **Micro Credit Scheme:** This scheme is meant for the well managed voluntary agencies (fulfilling certain eligibility criteria) for meeting their requirements.

The eligibility criteria are as following:

i) Should be in existence for a minimum period of five years;

ii) Should have a good past record; and

iii) Should have a robust network and experience of small savings-cum-credit programmes with Self Help Groups (SHGs) individuals.

2) **प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण निधि योजना**–यह योजना तकनीकी प्रगति एवं आधुनिकीकरण/नवाचार के लिए विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

3) **एकल खिड़की योजना**–इस योजना के अन्तर्गत सभी दीर्घकालिक (सावधि ऋण के रूप में) तथा अल्पकालिक (कार्यशील पूँजी के रूप में) वित्तीय सहायता एक ही एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाती है।

4) **समग्र ऋण योजना**–लघु क्षेत्रों में कारीगरों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के लिए, उपकरण, कार्यशील पूँजी तथा कार्यस्थल के निर्माण हेतु समग्र ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया जाता है।

5) **महिला उद्यम निधि (MUN) योजना**–इस योजना को विशेष रूप से महिला उद्यमियों को लघु क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए समता सहायता प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है।

6) **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन से सम्बन्धित गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु योजना**–इस योजना में विपणन सम्बन्धी गतिविधियों (अनुसंधान परियोजनाओं सहित) के लिए विपणन अनुसंधान, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद उन्नयन, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें विज्ञापन, ब्रांडिंग, वितरण माध्यम की स्थापना/विकास जिसमें शो–रूम, खुदरा दुकानें, गोदाम सुविधाएँ आदि शामिल हैं।

7) **उपकरण वित्त योजना**–यह योजना सामान्य उद्देश्य अर्थात्, किसी विशेष परियोजना के लिए नहीं डीजल जनरेटर सेट सहित मशीनरी के अधिग्रहण के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए डिजाइन की गई हैं, ।

8) **उद्यम पूँजी योजना**–कुल गुणवत्ता प्रबंधन की लागत सहित अपनी निर्यात दक्षताओं आयात प्रतिस्थापन को बढ़ाने तथा ISO-9000 प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से MSME उद्यमों/उप–ठेका इकाइयों को पूँजी उपकरण तथा नवीनतम तकनीक के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यम पूँजी योजना शुरू की गई है।

9) **अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन–9000 योजना**–यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को ISO–9000 प्रमाणीकरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में किए जाने वाले विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार के व्यय परामर्श, प्रलेखन अंकेक्षण, प्रमाणन शुल्क, उपकरण एवं मापांकन उपकरणों से सम्बन्धित हो सकते हैं।

10) **सूक्ष्म साख योजना**–यह योजना भली–भाँति प्रबन्धित स्वैच्छिक एजेंसियों (कुछ पात्रता मानदण्डों को पूरा करने) के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। इसकी पात्रता मानदण्ड निम्नलिखित हैं–

i) पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अस्तित्व में होना चाहिए;

ii) एक बेहतर अतीत अभिलेख (छवि) होना चाहिए; तथा

iii) स्वयं सहायता समूह व्यक्तियों के साथ छोटी बचत, सह–ऋण कार्यक्रमों का एक सुदृढ़ तन्त्र और अनुभव होना चाहिए।

New Schemes

1) To enhance the export capabilities of SSI units.
2) Scheme for Marketing Assistance.
3) Infrastructure Development Scheme.
4) Scheme for acquisition of ISO 9000 certification.
5) Factoring Services and
6) Bills Re-discounting Scheme against inland supply bills of SSIs.

4.5. ICICI (INDUSTRIAL CREDIT & INVESTMENT CORPORATION OF INDIA)

4.5.1. Introduction

The World Bank was helping the setting up of development banks in underdeveloped countries. ICICI was one of such banks which were set up in India in January, 1955. The ownership of the corporation was entirely in private hands but certain safeguards were contemplated against the acquisition of control by vested interests. ICICI provides funds of various kinds. The primary purpose for which funds are made available by the corporation is the purchase of capital assets such as land, building and machinery.

4.5.2. Objectives and Functions of ICICI

The corporation has been established for the purpose of assisting industries in the private sector by undertaking the following functions:

1) Assisting in the creation, expansion and modernisation of such enterprises.
2) Encouraging and promoting the participation of private capital, both internal and external
3) Encouraging and promoting private ownership.
4) Expansion of investment market.
5) Providing finance in the form of long or medium-term loans.
6) Underwriting issue of shares and debentures.
7) Making funds available for re-investment.
8) Furnishing managerial, technical and administrative services to Indian Industry.
9) To extend guarantee for deferred payments.
10) To advance loans in foreign currency towards the cost of imported capital equipment.

4.5.3. Financial Schemes Offered by ICICI

The business operations of the ICICI can be categorised into following:

1) **Lending Operation:** Lending is the basic operation of only financial institution. This activity refers to the business concerns. The lending operations generate income to the ICICI by charging different rates of interest from the corporate sector.

नई योजनाएँ

1) SSI की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना।
2) विपणन सहायता के लिए योजना।
3) अवसंरचनात्मक विकास योजना।
4) आई.एस.ओ.–9000 प्रमाणन के अधिग्रहण के लिए योजना।
5) फैक्टरिंग सेवाएँ, तथा
6) लघु उद्योगों के अन्तर्देशीय बिलों को पुनः भुनाने की योजना।

4.5. ICICI (भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम)

4.5.1. परिचय

विश्व बैंक अविकसित देशों में विकास बैंकों की स्थापना में सहायता कर रहा था। ICICI ऐसे बैंकों में से एक था जिसकी स्थापना जनवरी, 1955 में भारत में की गई थी। निगम का स्वामित्व पूरी तरह से निजी हाथों में था। परंतु निहित हितों द्वारा नियंत्रण के अधिग्रहण के विरूद्ध कुछ सुरक्षा उपायों पर विचार किया गया था। ICICI विभिन्न प्रकार के फंड प्रदान करता है। प्राथमिक उद्देश्य जिसके लिए निगम द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है वह भूमि, भवन एवं मशीनरी जैसी पूँजीगत संपत्तियों की खरीद है।

4.5.2. ICICI के उद्देश्य एवं कार्य

निगम की स्थापना निम्नलिखित कार्य करके निजी क्षेत्र में उद्योगों की सहायता के उद्देश्य से की गई है–

1) ऐसे उद्यमों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में सहायता करना।
2) आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह की निजी पूँजी की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।
3) निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।
4) निवेश बाजार का विस्तार।
5) दीर्घ या मध्यम अवधि के ऋण के रूप में वित्त प्रदान करना।
6) अंशों तथा ऋणपत्रों के निर्गमन का अभिगोपन करना।
7) पुनः निवेश के लिए धन उपलब्ध कराना।
8) भारतीय उद्योग को प्रबंधकीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक सेवाएँ प्रदान करना।
9) आस्थगित भुगतानों के लिए गारंटी का विस्तार करना।
10) आयातित पूँजीगत उपकरणों की लागत के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करना।

4.5.3. ICICI द्वारा प्रस्तावित वित्तीय योजनाएँ

ICICI के व्यवसाय संचालन को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है–

1) **ऋण परिचालन**–ऋण देना केवल वित्तीय संस्थान का मूल कार्य है। यह गतिविधि व्यावसायिक चिंताओं को संदर्भित करती है। ऋण देने का कार्य कॉर्पोरेट क्षेत्र से विभिन्न ब्याज दरें वसूल कर ICICI को आय उत्पन्न करता है।

The lending operations of the ICICI consist of the following activities:

i) **Project Finance:** Project finance is the most important activity of the bank. It grants the loans to business concerns in the form of rupee and foreign currency loans. It also provides financial assistance for the modernisation, expansion of manufacturing and processing units. The rupee project loans are involved in financing the purchase of equipment and machinery. It also finance under this scheme towards cost of land, construction of factory and preliminary expenses, etc. The rupee currency loans dominated the portfolio of loans disbursed by ICICI. The share of rupee loans in the total financial assistance provided by the bank, increased substantially.

ii) **Foreign Currency:** Foreign currency project loans are provided to finance the purchase of imported capital goods. The World Bank channelises foreign currency resources for the private industry through ICICI. It did not sanction any foreign loan during the commencement of its operations. At present, the Indian companies are directly accessing international capital markets through the issue of GDR. It started guaranteeing loans from the private investment sources. It charges 1% p.a. on the outstanding balances of guarantee issued in rupees and 1.8% in case of foreign currencies. It also offers assistance to corporate by underwriting the issue of shares and debentures. Now, it has been following a policy of direct subscription of shares to the extent of ₹1 crore.

iii) **Technology Financing:** It has emerged as one of the sources of finance. The ICICI is the largest financiers of technology in India. This source of finance runs with the help of United States agency of International Development and World Bank. They are providing funds for various schemes of financing. It offers a wide variety of financial packages for R&D commercialisation of technology. It also offers package relating to pollution control and environmental protection. The following schemes offered by ICICI are:

a) **SPREAD:** Sponsored Research and Development Programme.

b) **ACE:** Agricultural Commercialisation Enterprise.

c) **TEST:** Trade in Environmental Services and Technologies.

d) **PACT:** Programme for Advancement of Commercial Technology.

e) **PACER:** Programme for Acceleration of Commercial Energy Research.

ICICI के ऋण परिचालन में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं–

i) **परियोजना वित्त**–परियोजना वित्त बैंक की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह व्यावसायिक संस्थाओं को रूपये एवं विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में ऋण देता है। यह विनिर्माण एवं प्रसंस्करण इकाईयों के आधुनिकीकरण, विस्तार के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। रूपया परियोजना ऋण उपकरण एवं मशीनरी की क्रय के वित्तपोषण में शामिल है। यह इस योजना के तहत भूमि की लागत, कारखाने के निर्माण तथा प्रारंभिक व्ययों आदि के लिए वित्त भी प्रदान करता है। ICICI द्वारा वितरित ऋणों के पोर्टफोलियों में रूपया मुद्रा ऋणों का वर्चस्व रहा। बैंक द्वारा प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता में रूपये के ऋण की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई।

ii) **विदेशी मुद्रा**– आयातित पूँजीगत वस्तुओं की क्रय के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्रा परियोजना ऋण प्रदान किए जाते हैं। विश्व बैंक ICICI के माध्यम से निजी उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा संसाधनों को प्रसारित करता है। इसने अपने परिचालन की शुरूआत के दौरान किसी भी विदेशी ऋण को मंजूरी नहीं दी।

वर्तमान में भारतीय कंपनियाँ GDR के मुद्दे के माध्यम से सीधे अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार तक पहुँच बना रहीं हैं। इसने निजी निवेश स्त्रोतों से ऋण की गारंटी देना शुरू कर दिया। यह रूपये में जारी गारंटी की बकाया राशि पर 1% प्रति वर्ष और विदेशी मुद्राओं के मामले में 1.8% शुल्क लेता है। यह अंश एवं ऋणपत्र के निर्गमन का अभिगोपन करके कॉर्पोरेट को सहायता भी प्रदान करता है। अब, यह ₹1 करोड़ की सीमा तक अंशों के अभिदान की नीति का पालन कर रहा है।

iii) **प्रौद्योगिकी वित्तपोषण**–यह वित्त के स्रोतों में से एक के रूप में उभरा है। ICICI भारत में प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा वित्तदाता है। वित्त का यह स्त्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी एवं विश्व बैंक की सहायता से चलता है। वे वित्तपोषण की विभिन्न योजनाओं के लिए धन उपलब्ध करा रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास व्यावसायीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय पैकेज प्रदान करता है।

यह प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पैकेज भी प्रदान करता है। ICICI द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित योजनाएँ है।

a) **SPREAD**–प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम।

b) **ACE**–कृषि व्यावसायीकरण उद्यम।

c) **TEST**–पर्यावरण सेवाओं एवं प्रौद्योगिकियों में व्यापार।

d) **PACT**–वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए कार्यक्रम।

e) **PACER**–वाणिज्यिक ऊर्जा अनुसंधान में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम।

2) **Capital Market Operations:** The ICICI mobilises funds through debt and equity. It is actively involved in capital market operations. It encourages entrepreneurs by making investments in their companies by direct subscription to public issues. It participates in the capital market operations by taking-up right issues of the companies conversion by option of loans assisted companies, participating in private placement of the corporate sector and provide rehabilitation package for the sick industries. It does not acquire securities in the secondary market. The investment operations of the ICICI have been increasing at present. It also offers fee based services to its clients.

The ICICI has been actively involving in promoting a number of institutions which are strengthening the institution structure of the money and capital market. The Credit Rating Information Services of India Limited had been established in association with UTI in 1987. It provides quality of consultancy services to the corporate sector CRISIL involved in rating various types of financial instruments that are offered to the investing public.

It is also instrumental in promoting the following institutions:

i) Technology Development and Information Company of India Limited (TDCI),
ii) Over the Counter Exchange of India Limited (OTC),
iii) Stock Holding Corporation of India Limited (SHCI),
iv) Discount and Finance House of India (DFHI),
v) Management Development Institutes (MDIs).

After the liberalisation, privatisation and globalisation, the ICICI entered new areas of business like investment banking, assets management, commercial banking, etc.

4.6. IRCI (INDUSTRIAL RECONSTRUCTION CORPORATION OF INDIA)

4.6.1. Introduction

The **Industrial Reconstruction Corporation of India** was established in April 1971. It is established as a public company under the control of Reserve Bank of India and the Central Government. The primary purpose of this company is to support rehabilitation of sick industrial units or rehabilitation of units likely to face closure but showing the promise of viability. It supports those industrial units which are experiencing decline because of ongoing strikes, poor management, a lack of raw materials, a general economic downturn, etc. Their shutdown will cause jobs to be lost and productive activity to be disrupted.

2) **पूँजी बाजार परिचालन**–ICICI ऋण एवं समता के माध्यम से धन एकत्रित करता है। यह पूँजी बाजार परिचालन में सक्रिय रूप से शामिल है। यह सार्वजनिक निर्गमों के प्रत्यक्ष अभिगोपन के माध्यम से उद्यमियों को उनकी कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ऋण सहायता प्राप्त कंपनियों के विकल्प द्वारा कंपनियों के रूपांतरण के अधिकार निर्गमन को उठाकर, कॉर्पोरेट क्षेत्र के निजी स्थानन में भाग लेकर और रूग्ण उद्योगों के लिए पुनर्वास पैकेज प्रदान करके पूँजी बाजार परिचालन में भाग लेता हैं। यह द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों का अधिग्रहण नहीं करता है। ICICI का निवेश परिचालन इस समय बढ़ रहा है। यह अपने ग्राहकों को शुल्क आधारित सेवाएँ भी प्रदान करता है।

ICICI कई संस्थानों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है जो धन एवं पूँजी बाजार की संस्थागत संरचना को मजबूत कर रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1987 में UTI के सहयोग से की गई थी। यह कॉर्पोरेट क्षेत्र CRISIL को गुणवत्तापूर्ण परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है, जो निवेश करने वाली जनता को पेश किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों की रेटिंग करता है।

यह निम्नलिखित संस्थानों को बढ़ावा देने में भी सहायक है–

i) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (TDCI)
ii) ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (OTC)
iii) स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCI)
iv) डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया (DFHI)
v) मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (MDIs)

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के बाद, ICICI ने निवेश बैंकिंग, संपत्ति प्रबंधन वाणिज्यिक बैंकिंग आदि जैसे व्यवसाय के नए क्षेत्रों में प्रवेश किया।

4.6. IRCI (भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम)

4.6.1. परिचय

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना अप्रैल 1971 में हुई थी। यह भारतीय रिज़र्व बैंक एंव केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। इस कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वास या बंद होने की संभावना वाली लेकिन व्यवहार्यता का वादा दिखाने वाली इकाईयों के पुनर्वास का समर्थन करना है। यह उन औद्योगिक इकाईयों का समर्थन करता है जो चल रही हड़तालों, खराब प्रबंधन, कच्चे माल की कमी, सामान्य आर्थिक मंदी आदि के कारण गिरावट का सामना कर रही हैं। उनके बंद होने से नौकरियाँ चली जाएंगी एवं उत्पादक गतिविधि बाधित हो जाएगी।

In order to protect these units, IRCI was established, and its goal is to offer administrative, technical, or financial support so that these units can be re-established as viable ones.The government approved legislation in **August 1984** to transform the IRCI into the IRBI **(Industrial Reconstruction Bank of India)**. IRBI was established to serve as the primary lending and reconstruction organisation for the revival of industries. Its goals include modernization, expansion, reorganisation, diversification, or rationalisation of industry, coordinating the efforts of other relevant institutions, and supporting and rehabilitating industrial concerns.

4.6.2. Objectives and Functions of IRCI

The following are the objectives and functions of IRCI:

1) To restructure the management team;
2) To offer technical and managerial guidance either through its own employees or by hiring the right people from the market.
3) To obtain help from other banks, financial institutions, and government agencies.
4) To restructure the financial base of the assisted companies;
5) To determine the viable solutions to the labour problems; and
6) To advertise the management in reference to product mix and other allied matters.

4.6.3. Financial Resources of IRCI

The authorised capital of IRCI is **₹25 crore**, of which ₹10 crores have been issued to and subscribed by the 14 nationalised banks, IDBI, IFCI, ICICI, Life Insurance Company of India, and State Bank of India. The Government of India has given the Corporation ₹10 crores, and it has raised an additional amount of ₹11 crores by selling bonds to the general public.

It was operated by the Board of Directors, whose membership must consist of 9 to 15 people. The IDBI is authorised to appoint three directors. It has also created an executive committee to assess the grant of restructuring loans up to the amount of ₹5 lakhs in any single case. The period of repayment ranges from 4 to 12 years.

4.7. IDBI (INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA)

4.7.1. Introduction

The Industrial Development Bank of India was established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964, as a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India. The ownership of IDBI has since been transferred to Central Government from February

इन इकाईयों की सुरक्षा के लिए, IRCI की स्थापना की गई थी, तथा इसका लक्ष्य प्रशासनिक तकनीकी या वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि इन इकाईयों को व्यवहार्य इकाईयों के रूप में फिर से स्थापित किया जा सके। सरकार ने **अगस्त 1984** में IRCI को IRBI **(भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक)** में बदलने के लिए कानून को मंजूरी दी। IRBI की स्थापना उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए प्राथमिक ऋण एवं पुनर्निर्माण संगठन के रूप में की गई थी। इसके लक्ष्यों में उद्योग का आधुनिकीकरण, विस्तार, पुनर्गठन, विविधीकरण या युक्तिसंगत बनाना, अन्य प्रासंगिक संस्थानों के प्रयासों का समन्वय करना और औद्योगिक संस्थाओं का समर्थन एवं पुनर्वास करना शामिल है।

4.6.2. IRCI के उद्देश्य एवं कार्य

IRCI के उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित है–

1) प्रबंधन टीम का पुनर्गठन करना;
2) अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से या बाजार से सही लोगों को कार्य पर रखकर तकनीकी एवं प्रबंधकीय मार्गदर्शन प्रदान करना;
3) अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं सरकारी एजेंसियों से सहायता प्राप्त करना;
4) सहायता प्राप्त कंपनियों के वित्तीय आधार का पुनर्गठन करना;
5) श्रमिक समस्याओं के व्यवहार्य समाधान निर्धारित करना; तथा
6) उत्पाद मिश्रण एवं अन्य संबद्ध मामलों के संदर्भ में प्रबंधन का विज्ञापन करना।

4.6.3. IRCI के वित्तीय संसाधन

IRCI की अधिकृत पूँजी ₹25 करोड़ है, जिसमें से ₹10 करोड़ 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों IDBI, IFCI, ICICI भारतीय जीवन बीमा कंपनी एवं भारतीय स्टेट बैंक को निर्गमित और उनके द्वारा अभिदान की गई है। भारत सरकार ने निगम को ₹10 करोड़ दिए हैं, और इसने आम जनता को बांड बेचकर ₹10 करोड़ की अतिरिक्त राशि एकत्रित की है।

इसका संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता था, जिसकी सदस्यता में 9 से 15 व्यक्ति थे। IDBI तीन निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत है। इसने किसी एक मामले में ₹5 लाख की राशि तक के पुनर्गठन ऋण के अनुदान का आकलन करने के लिए एक कार्यकारी समिति भी बनाई है। पुनर्भुगतान की अवधि 4 से 12 वर्ष तक होती है।

4.7. IDBI (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक)

4.7.1. परिचय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के तहत भारतीय रिवर्ज़ बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। 16 फरवरी 1976 से IDBI का स्वामित्व केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। IDBI की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अन्य वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों का

16, 1976. The main objective of establishing IDBI was to set up an apex institution to co-ordinate the activities of other financial institutions and to act as a reservoir on which the other financial institutions can draw.

IDBI provides direct financial assistance to industrial units also to bridge the gap between supply and demand of medium and long term finance.

4.7.2. Objectives and Functions of IDBI

Following are the objectives and functions of IDBI:

1) To co-ordinate the activities of other institutions providing term finance to industry and to act as an apex institution.
2) To provide refinance to financial institutions granting medium and long-term loans to industry.
3) To provide refinance to scheduled banks or co-operative banks.
4) To provide refinance for export credits granted by banks and financial institutions.
5) To provide technical and administrative assistance for promotion, management or growth of industry.
6) To undertake market surveys and techno-economic studies for the development of industry.
7) To grant direct loans and advances to industrial concerns, IDBI is empowered to finance all types of industrial concerns engaged or proposed to be engaged in the manufacture, preservation or processing of goods, mining, hotel, industry, fishing, shipping, transport, generation or distribution of power etc.
8) To render financial assistance to industrial concerns, IDBI operates various schemes of assistance, e.g., Direct Assistance Scheme. Soft Loans Scheme. Technical Development Fund Scheme, Refinance Industrial loans Scheme, Bill Re-discounting Scheme, Seed Capital Assistance Scheme, Overseas Investment Finance Scheme, Development Assistance Fund, etc.

4.7.3. Financial Schemes Offered by IDBI

The various schemes of assistance of IDBI can be mainly classified under two heads:

1) **Direct Assistance:** It includes the following:
   i) **Project Finance Scheme:** Under this scheme, loans, underwriting, direct subscription and guarantees are provided for setting-up new units as well as for expansion, diversification and modernisation of existing units.
   ii) **Textile Modernisation Fund Scheme:** On the basis of the emphasis laid-down by the Government, IDBI set-up a Textile Modernisation Fund in 1986 to modernise the textile industry and to upgrade technology in the areas of spinning, weaving and processing. For this purpose, IDBI sanctions two types of loans:
      a) Modernisation loans,
      b) Special loans.

समन्वय करने एवं एक भंडार के रूप में कार्य करने के लिए एक शीर्ष संस्थान की स्थापना करना था, जिससे अन्य वित्तीय संस्थान आकर्षित हो सकें।

IDBI मध्यम एवं दीर्घकालिक वित्त की आपूर्ति और माँग के बीच अंतर को भरने के लिए औद्योगिक इकाईयों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

4.7.2. IDBI के उद्देश्य एवं कार्य

IDBI के उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित है–

1) उद्योग को सावधि वित्त प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं की गतिविधियों को समन्वय करना तथा एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।
2) उद्योग को मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करना।
3) अनुसूचित बैंकों या सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करना।
4) बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए निर्यात ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करना।
5) उद्योग के प्रचार, प्रबंधन या विकास के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।
6) उद्योग के विकास के लिए बाजार सर्वेक्षण और तकनीकी – आर्थिक अध्ययन करना।
7) औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष ऋण एवं अग्रिम देने के लिए IDBI को वस्तु, खनन के निर्माण, प्रसंस्करण होटल उद्योग, मछली पकड़ने, नौ–परिवहन, परिवहन, बिजली के उत्पादन या वितरण आदि में लगी या प्रस्तावित सभी प्रकार की औद्योगिक संस्थाओं को वित्तपोषित करने का अधिकार है।
8) औद्योगिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, IDBI सहायता की विभिन्न योजनाएँ संचालित करता है, जैसे, प्रत्यक्ष सहायता योजना, आसान ऋण योजना तकनीकी विकास निधि योजना, पुनर्वित्त औद्योगिक ऋण योजना, बिल पुनः छूट योजना, मूल पूँजी सहायता योजना, विदेशी निवेश वित्त योजना, विकास सहायता निधि, आदि।

4.7.3. IDBI द्वारा प्रस्तावित वित्तीय योजनाएँ

IDBI की सहायता की विभिन्न योजनाओं को मुख्य रूप से दो प्रमुखों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है–

1) **प्रत्यक्ष सहायता**– इसमें निम्नलिखित शामिल है–
   i) **परियोजना वित्त योजना**–इस योजना के अंतर्गत नई इकाईयों की स्थापना के साथ–साथ मौजूदा इकाईयों के विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए ऋण, अभिगोपन, प्रत्यक्ष अभिदान तथा गारंटी प्रदान की जाती है।
   ii) **वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना**– सरकार द्वारा दिए गए जोर के आधार पर, IDBI ने वस्त्र उद्योग को आधुनिक बनाने एवं कताई, बुनाई और प्रसंस्करण के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए 1986 में एक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की। इस उद्देश्य के लिए, IDBI दो प्रकार के ऋण स्वीकृत करता है–
      a) आधुनिकीकरण ऋण
      b) विशेष ऋण

iii) **Technology Up gradation Scheme:** This scheme was introduced in 1987 for the purpose of upgrading technology in selected capital goods industries.

iv) **Venture Capital Fund Scheme:** It was created by the Government of India in 1987 to be managed by IDBI. Its purpose was to develop new ventures and promote risky enterprises by new technicians and new entrepreneurs.

v) **Technical Development Fund Scheme:** This scheme was created by the Government of India in 1976 to provide foreign exchange for import of machinery to speed-up the technical upgradation and modernisation programmes of a selected group of industries.

2) **Indirect Assistance:** IDBI provides the following indirect assistances:

i) **Re-Finance Scheme:** Re-finance facility is made available to state-level institutions and commercial banks to augment their resources for granting term loans for small scale and other medium scale industrial units.

ii) **Bill Re-Discount Scheme:** This scheme was introduced in 1965, with a view to help the indigenous manufacturers to push-up sales of their products by offering deferred payment facilities.

iii) **Seed Capital Scheme:** It is created for the purpose of providing initial seed capital in the form of promoters' contribution to new ventures.

iv) **Operating Support Scheme:** Under this scheme, operating support is given by the IDBI to financial intermediaries such as SIDBI, IFCI, SFCs and other leasing companies.

4.8. FINANCIAL SERVICES

4.8.1. Concept of Financial Services

Financial services are the services which are offered by the financial companies. The financial companies comprise of both Asset Management Companies and Liability Management Companies. In **Asset Management Companies,** there are leasing companies, mutual funds, merchant bankers and issue/portfolio managers while **Liability Management Companies** has the bill discounting and acceptance houses.

In other words, the financial service is referred to as the products and services which are offered by the banks as they provide various kinds of facilities of financial transactions and other financial activities like loans, insurance, credit cards, investment opportunities and money management and also give information on the stock market and other issues like **market ups and downs.**

iii) **प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना**– यह योजना 1987 में चयनित पूँजीगत वस्तु उद्योगों में प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

iv) **उद्यम पूँजी निधि योजना**– इसे भारत सरकार द्वारा 1987 में IDBI द्वारा प्रबंधित करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य नए उद्यमों को विकसित करना एवं नए तकनीशियनों तथा नए उद्यमियों द्वारा जोखिम भरे उद्यमों को बढ़ावा देना था।

v) **तकनीकी विकास निधि योजना**– यह योजना भारत सरकार द्वारा 1976 में उद्योगों के एक चयनित समूह के तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को गति देने के लिए मशीनरी के आयात के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी।

2) **अप्रत्यक्ष सहायता**– IDBI निम्नलिखित अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है।

i) **पुनर्वित्त योजना**–लघु तथा अन्य मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाईयों के लिए सावधि ऋण देने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य– स्तरीय संस्थानों तथा वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

ii) **बिल पुनः छूट योजना**–यह योजना 1965 में स्वदेशी निर्माताओं को विलंबित भुगतान सुविधाओं की पेशकश करके अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में सहायता करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

iii) **मूल पूँजी योजना**–इसे नए उद्यमों में प्रवर्तकों के योगदान के रूप में प्रारंभिक मूल पूँजी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

iv) **परिचालन सहायता योजना**–इस योजना के अंतर्गत, IDBI द्वारा वित्तीय मध्यस्थों जैसे SIDBI, IFCI, SFCs तथा अन्य पट्टादायी कंपनियों को परिचालन सहायता दी जाती है।

4.8. वित्तीय सेवाएँ

4.8.1. वित्तीय सेवाओं की अवधारणा

वित्तीय सेवाएँ वे सेवाएँ होती हैं जो वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। वित्तीय कंपनियों में संपत्ति प्रबंधन कंपनियाँ एवं दायित्व प्रबंधन कंपनियाँ दोनों शामिल होती हैं। **संपत्ति प्रबंधन कंपनियों** में, पट्टा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड, व्यापारिक बैंकर तथा निर्गमित/पोर्टफोलियो प्रबंधक होते हैं, जबकि **दायित्व प्रबंधन कंपनियों** में बिल छूट एवं स्वीकृति गृह होते हैं।

दूसरे शब्दों में, वित्तीय सेवा को उन उत्पादों एवं सेवाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है जो बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैं क्योंकि वे वित्तीय लेनदेन तथा अन्य वित्तीय गतिविधियों जैसे ऋण, बीमा, क्रेडिट कार्ड, निवेश के अवसर एवं मुद्रा प्रबंधन जैसी विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करते हैं। अंश बाजार तथा बाजार के उतार–चढ़ाव जैसे अन्य निर्गमों पर **सूचना** प्रदान की जाती हैं।

The basic aim of this sector is to act as intermediary between individual and institutional investors which will help in financial transactions.

The financial service industry is defined as, "The collection of organisations which intermediate and facilitate financial transactions of individual and institutional investors resulting from their resource allocation activities through time". Thus, the financial services comprise of various works related to change of savings into investment.

4.8.2. Objectives of Financial Services

The various objectives of financial services are as follows:

1) **Fund Raising:** The required funds can be raised by the help of financial services from the host of investors, individuals, institutions and corporate. There are various instruments of finance being used for raising funds. These kinds of funds are required by the corporate houses, individuals, etc.

2) **Funds Deployment:** There are various kinds of financial services present in the financial markets which help the company in proper deployment of funds. It also helps in decision-making of financial mix. The financial service provides various types of services like bill discounting, factoring of debtors, shifting of short-term funds in the money market, credit rating, e-commerce and securitisation of debts for effective funds management.

3) **Specialized Services:** The various specialised services are being provided by financial service except banking and insurance like credit rating, venture capital financing, lease financing, factoring, mutual funds, merchant banking, stock lending, depositary, credit cards, housing finance, book-building, etc. These services are provided by various kinds of institutions and agencies like stock exchanges, specialized and general financial institutions and non-banking finance companies, subsidiaries of financial institutions, banks and insurance companies, etc.

4) **Regulation:** There are various kinds of regulatory bodies present in India like Securities and Exchange Board of India (SEBI), Reserve Bank of India (RBI) and the Department of Banking and Insurance of the Government of India which have different types of legislations and also help in providing various kinds of functions of financial services institutions.

5) **Economic Growth:** The financial services help in increasing the economic growth and development of the country. It is done by the help of mobilising the saving of the public by investing in productive investments. Due to this reason, the various developed and developing countries which are engaged in the effective financial market has increased the savings and investments.

इस क्षेत्र का मूल उददेश्य व्यक्तिगत एवं संस्थागत निवेशकों के मध्य मध्यस्थता के रूप में कार्य करना है जिससे वित्तीय लेनदेन में सहायता प्राप्त हो सके।

वित्तीय सेवा उद्योग को इस रूप में परिभाषित किया गया है, "संगठनों का संग्रह जो समय के माध्यम से अपने संसाधन आवंटन गतिविधियों के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत एवं संस्थागत निवेशकों के वित्तीय लेनदेन को मध्यवर्ती तथा सुविधाजनक बनाता है"। इस प्रकार, वित्तीय सेवाओं में बचत को निवेश में परिवर्तित करने से संबंधित विभिन्न कार्य शामिल होते हैं।

4.8.2. वित्तीय सेवाओं के उद्देश्य

वित्तीय सेवाओं के विभिन्न उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1) **धन एकत्रित करना**–आवश्यक धन वित्तीय सेवाओं की सहायता से निवेशकों, व्यक्तियों, संस्थानों एवं निगमों से एकत्रित किया जा सकता है। धन एकत्रित करने के लिए वित्त के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के धन की आवश्यकता निगमित निकायो, व्यक्तियों आदि को होती है।

2) **धन का परिनियोजन**–वित्तीय बाजारों में विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएँ उपस्थित हैं जो कंपनी के धन के परिनियोजन में सहायता करती हैं। यह वित्तीय मिश्रण के निर्णय लेने में भी सहायता करता है। वित्तीय सेवा विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती है जैसे बिल में छूट देना, देनदारों की आढ़तिया, मुद्रा बाजार में अल्पकालिक निधियों का स्थानांतरण, साख दर, ई–कॉमर्स तथा प्रभावी धन प्रबंधन के लिए ऋणों का प्रतिभूतिकरण करना।

3) **विशिष्ट सेवाएँ**–बैंकिंग तथा बीमा को छोड़कर वित्तीय सेवा द्वारा विभिन्न विशिष्ट सेवाएँ प्रदान की जाती हैं जैसे साख दर, उद्यम पूँजी वित्तपोषण, पट्टा वित्तपोषण, छूट, म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक बैंकिंग, स्कंध ऋण, निक्षेपागार, क्रेडिट कार्ड, आवास वित्त, बुक बिल्डिंग आदि। ये सेवाएँ विभिन्न प्रकार की संस्थानों एवं एजेंसियों जैसे स्कंध विनिमय, विशिष्ट एवं सामान्य वित्तीय संस्थान तथा गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियाँ, वित्तीय संस्थानों की सहायक कंपनियाँ, बैंक एवं बीमा कंपनियाँ आदि द्वारा प्रदान की जाती हैं।

4) **विनियमन**–भारत में विभिन्न प्रकार के नियामक निकाय उपस्थित हैं जैसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीबाई) तथा भारत सरकार की बैंकिंग एवं बीमा विभाग, जिनके विभिन्न प्रकार के कानून हैं। तथा वित्तीय सेवा संस्थानों के विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रदान करने में भी सहायता करते है।

5) **आर्थिक वृद्धि**–वित्तीय सेवाएँ देश की आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ाने में सहायता करती हैं। यह उत्पादक निवेशों में निवेश द्वारा जनता की बचत को एकत्रित करने में सहायता से किया जाता है। इस कारण से विभिन्न विकसित एवं विकासशील देशों ने जो प्रभावी वित्तीय बाजार में संलग्न हैं, बचत तथा निवेश में वृद्धि की है।

4.8.3. Types of Financial Services

The financial services are divided into wholesale financial service and retail financial services according to the profile of users. The **wholesale financial services** are the services which are used for converting into final retail products. It is used by industry and business people.

The **retail financial services** are given to the individuals for direct consumptions.

4.8.3. वित्तीय सेवाओं के प्रकार

उपयोगकर्ताओं के प्रोफाइल के अनुसार वित्तीय सेवाओं को थोक वित्तीय सेवा एवं खुदरा वित्तीय सेवाओं में विभाजित किया गया है। **थोक वित्तीय सेवाएँ** वे सेवाएँ हैं जिनका उपयोग अंतिम खुदरा उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उद्योग एवं व्यवसाय के लोग करते हैं।

खुदरा वित्तीय सेवाएँ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष उपभोग के लिए प्रदान की जाती हैं।

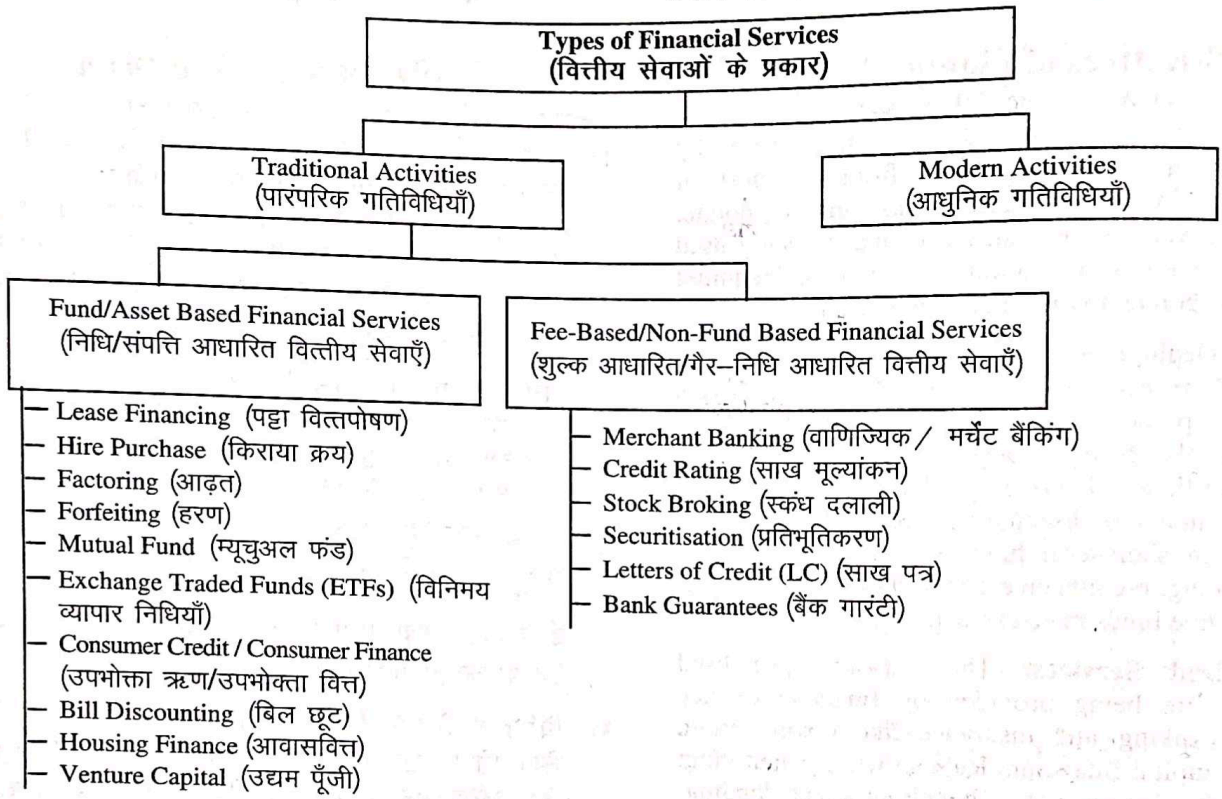

4.8.4. Traditional Activities

The financial intermediaries from the past are providing various services including the capital and money market activity. The traditional activities are classified into fund based activities and non-fund based activities. These are also known as assets based financial services and fee based financial services respectively.

4.8.4.1. Fund/Asset Based Financial Services

In this, the financial services are used for making assets or are backed by assets in which the funds are changed to assets which are known as asset based financial services. It consists of the following:

1) **Mutual Fund:** Mutual fund is the type of investment in which the pool of funds is sourced from various investors for investing in various securities like stocks, bonds, money market instruments and similar assets. It is managed by the money managers who invest the fund capital and tries to get capital gains and income for the investors of the fund. The portfolio of mutual fund is organised and is according to the investment objective given in the prospectus.

4.8.4. पारंपरिक गतिविधियाँ

पूर्व से ही वित्तीय मध्यस्थ पूँजी एवं मुद्रा बाजार गतिविधियों सहित विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं। पारंपरिक गतिविधियों को निधि आधारित गतिविधियों एवं गैर–निधि आधारित गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें क्रमशः संपत्ति आधारित वित्तीय सेवाओं तथा शुल्क आधारित वित्तीय सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है।

4.8.4.1. निधि/संपत्ति आधारित वित्तीय सेवाएँ

इसमें, वित्तीय सेवाओं का उपयोग संपत्ति निर्माण के लिए किया जाता है या संपत्ति द्वारा समर्थित होता है जिसमें निधियों को संपत्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसे संपत्ति आधारित वित्तीय सेवाओं के रूप में जाना जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

1) **म्युचुअल फंड**– म्युचुअल फंड एक प्रकार का निवेश है जिसमें स्कंध, बॉन्ड, मुद्रा बाजार साधन तथा इसी प्रकार की संपत्ति जैसे विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए विभिन्न निवेशकों से धन का समूहीकरण प्राप्त किया जाता है। यह धन प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो धन पूँजी का निवेश करते हैं तथा धन के निवेशकों के लिए पूँजीगत लाभ एवं आय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। म्यूचुअल फंड का **पोर्टफोलियो संगठित किया जाता है** तथा प्रविवरण–पत्र में **दिए गए निवेश उद्देश्य के अनुसार होते है।**

2) **Lease Financing:** A lease is known as the agreement between two parties known as lessor and lessee. The lessor is the owner of the asset and lessee is the user of the asset.

   In this agreement, there is transfer of asset from lessor to lessee for certain time period; in return the lessor receives the regular rent. As the lease period gets over, the asset is returned back to lessor until there is renewal of the contract.

3) **Hire Purchase:** The hire purchase refers to the hiring of an asset for certain time period and when the time period gets over, there is purchase of same asset. At the time of sharing of asset, the person hiring the asset gets the ownership and is allowed to use it. It is being used for financing of capital goods like industrial finance, financing of consumer goods and for selling consumer good on hire purchase as it is a legal advice.

4) **Venture Capital:** Venture capital includes two words i.e. venture and capital. Venture refers to the way of doing something whose result is not known as it is present with various kinds of loss while capital refers to human and non-human resources required for starting the business.

5) **Factoring:** Factoring is done when the company requires immediate money. It is done by selling the account receivable like invoices to a third party known as factor at certain discount for immediate cash. This cash is required for continuous working of the business.

6) **Forfeiting:** Forfeiting is the way of financing of receivable related to international trade. It represents to the purchase done by bank and financial institutions of trade bills/promissory notes instead of recourse to the seller. The purchase is done by discounting the documents including the overall risk of non-payment in collection. The various problems related to collection are accountability of the purchaser who pays cash to seller after discounting the bills and notes.

7) **Exchange Traded Funds (ETFs):** It is traded same like stocks in the stock exchange. It has the following assets like stocks, commodities or bonds. They trade near to the net asset value according to the working of the trading day. The ETFs also has a role to monitor various index like stock index or bond index. ETF is useful for investments as there are low costs, tax efficiency and stock-like features. They are very famous among exchange-traded product.

8) **Consumer Credit/Consumer Finance:** The term consumer credit means the activities related to giving credit to the consumers for empowering them to acquire their own goods required for daily use. It is also known as credit merchandising, deferred payments, installment buying, hire purchase, pay-out-of income scheme, pay-as-you earn **scheme, easy payment, credit buying, installment credit plan, etc.**

2) **पट्टा वित्तपोषण**– एक पट्टे को दो पक्षों के मध्य समझौते के रूप में जाना जाता है जिसमें पट्टादाता एवं पट्टेदार होते है। पट्टादाता संपत्ति का स्वामी होता है तथा पट्टेदार संपत्ति का उपयोगकर्ता होता है। इस समझौते में, निश्चित समय अवधि के लिए पट्टादाता से पट्टेदार को संपत्ति का हस्तांतरण होता है; प्रतिफल के रूप में पट्टादाता द्वारा नियमित किराया प्राप्त किया जाता है। जैसे ही पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है, अनुबंध का नवीनीकरण होने तक संपत्ति पुनः पट्टादाता को वापस कर दी जाती है।

3) **किराया क्रय**–किराया क्रय एक निश्चित समय अवधि के लिए किसी संपत्ति को किराए पर प्राप्त करने से संबंधित है तथा जब समय अवधि समाप्त हो जाती है, तब उसी संपत्ति को क्रय कर लिया जाता है। संपत्ति के सहविभाजन के समय, संपत्ति को किराए पर लेने वाले व्यक्ति को स्वामित्व प्राप्त होता है तथा उसे इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। इसका उपयोग पूँजीगत वस्तुओं जैसे औद्योगिक वित्त, उपभोक्ता वस्तुओं के वित्तपोषण एवं किराया क्रय पर उपभोक्ता वस्तु बिक्री करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक कानूनी सलाह है।

4) **उद्यम पूँजी**–उद्यम पूँजी में दो शब्द शामिल हैं, उद्यम एवं पूँजी। उद्यम कुछ ऐसा करने के प्रकार को संदर्भित करता है जिसका परिणाम ज्ञात नहीं होता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की हानियाँ होती है, जबकि पूँजी व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक मानव एवं गैर–मानव संसाधनों को संदर्भित करती है।

5) **आढ़त**–फैक्टरिंग/आढ़त तब की जाती है जब कंपनी को तत्काल धन की आवश्यकता होती है। यह तत्काल नकदी लिए कुछ छूट पर कारक (फैक्टर) के रूप में जाने वाले तीसरे पक्ष को प्राप्य खाते जैसे चालान की बिक्री करके प्राप्त की जाती है। इस नकद की आवश्यकता व्यवसाय के निरन्तर कार्य के लिए होती है।

6) **हरण करना**–हरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्राप्य राशि के वित्तपोषण का प्रकार है। यह बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा विक्रेता को वसूली अधिकार प्रदान करने की अपेक्षा व्यापार बिलों/वचन पत्रों की क्रय का प्रतिनिधित्व करता है। संग्रह में भुगतान न करने के समग्र जोखिम सहित दस्तावेजों को छूट प्रदान करके क्रय किया जाता है। संग्रह से संबंधित विभिन्न समस्याएँ क्रेता की जवाबदेही है जो बिलों एवं पत्रों को भुनाने के पश्चात् विक्रेता को नकद भुगतान करता है।

7) **विनिमय व्यापार निधि (ETFs)**–इसका व्यापार स्कंध विनिमय में अंशों के समान होता है। इसमें स्कंध, वस्तु या बॉन्ड जैसी संपत्तियाँ होती हैं। ये व्यापारिक दिन के कार्य के अनुसार शुद्ध संपत्ति मूल्य के निकट व्यापार करते हैं। स्कंध सूचकांक या बॉन्ड सूचकांक जैसे विभिन्न सूचकांकों पर निगरानी करने के लिए ETF की भी भूमिका होती है। ETF निवेश के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें न्यूनतम लागत, कर दक्षता एवं स्टॉक जैसी विशेषताएँ होती हैं। ये विनिमय–व्यापार उत्पाद के मध्य काफी प्रसिद्ध हैं।

8) **उपभोक्ता ऋण/उपभोक्ता वित्त**–उपभोक्ता ऋण शब्द का अर्थ उपभोक्ताओं को स्वयं के दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए ऋण प्रदान करने से संबंधित गतिविधियाँ से हैं। इसे साख व्यापार, आस्थगित भुगतान, किस्त पर क्रय करना, किराया क्रय, आय योजना से भुगतान, जैसे कमाओ **वैसे चुकाओं योजना, सरल भुगतान, साख क्रय, किस्त साख योजना आदि के रूप में भी जाना जाता है।**

9) **Bill Discounting:** The bill discounting or a bill of exchange is known as the short-term, negotiable and can easily liquidates money market instrument. It is used for financing a transaction in goods which is trade related instrument.

10) **Housing Finance:** The housing finance refers to the collection of all the financial arrangements which are offered by the Housing Finance Companies (HFCs) for fulfilling the need of housing.

4.8.4.2. Fee/Non-Fund Based Financial Services

The fee based financial does not provide instant fund but instead it allows for the creation of funds by the fee charged service. It consists of the following:

1) **Merchant Banking:** The merchant banker can be individual or institutions like an underwriter or agent for the companies and municipalities allocating securities. They are also involved in broker or dealer functions, maintain the market for previously issued securities and also gives suggestion to the investors on the advisory services. It plays important part in mergers and acquisitions, private equity placements and corporate restructuring.

2) **Credit Rating:** The credit rating is the process in which the symbol is assigned to the instrument for some special work which is referred to as benchmark of present knowledge on related capacity on the issuer to service its debt obligation on particular time. The symbols used in credit rating are basically alphabetical or alphanumeric. The comparison of different instruments is easy by the help of credit rating. The basic objective of credit rating is to inform the investors about the relative ranking of the default-loss probability for required fixed income investment in comparison to other rated instruments.

3) **Stock Broking:** The stock broking refers to the method of bringing together the buyers and sellers of stock at the stock exchange. It is the function of financial service intermediary. It is done by brokers, both main brokers and sub-brokers who are allowed by the SEBI. The stock broker can be individual broker, a firm of brokers or a corporatised broker.

4) **Securitisation:** The change of present or future cash inflow of an individual into tradable security which can be sold in the market is known as securitisation. These cash inflows can be from financial assets like mortgage loans, automobile loans, trade receivables, credit card receivables, fare collections will be security according to which borrowing can be raised. Though an individual can take the assistance of securitisation instruments for efficient economic growth.

5) **Letters of Credit (LC):** A letter of credit is issued by the bank of the buyer to the seller which has a written undertaking for repaying the cost of goods and services given by the seller to the buyer in place of producing documents required within the precise time, place and to prescribed bank as stated in the documents which is submitted according to the terms and conditions of the LC.

9) **बिल छूट**–बिल छूट या विनिमय बिल को अल्पकालिक परक्राम्य के रूप में जाना जाता है तथा यह मुद्रा बाजार के उपकरण को सरलता से तरलरूप में परिवर्तित कर सकता है। इसका उपयोग उस वस्तु के लेन–देन के वित्तपोषण के लिए किया जाता है जो व्यापार से संबंधित उपकरण होता है।

10) **आवास वित्त**–आवास वित्त उन सभी वित्तीय व्यवस्थाओं के संग्रह को संदर्भित करता है जो आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता हैं।

4.8.4.2. शुल्क/गैर–निधि आधारित वित्तीय सेवाएँ

शुल्क आधारित वित्तीय सेवाएँ तत्काल निधि प्रदान नहीं करता है बल्कि यह शुल्क प्रभारित सेवा द्वारा निधियों का निर्माण करने की अनुमति देता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

1) **व्यापारिक/मर्चेंट बैंकिंग**–मर्चेंट बैंकर उन कम्पनियों एवं नगर पालिकाओं के लिए जो प्रतिभूतियों को आवंटित करते है अभिगोपन या एजेंट के रूप में एक व्यक्ति या संस्थान हो सकते है। ये दलाल या डीलर कार्यों में भी शामिल होते हैं, जो पूर्व जारी की गई प्रतिभूतियों के लिए बाजार को बनाए रखते हैं तथा निवेशकों को सलाहकार सेवाओं पर सुझाव भी देते हैं। यह विलय एवं अधिग्रहण, निजी समता स्थानन तथा निगम के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

2) **साख मूल्यांकन**–साख मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए साधन का मूल्यांकन किया जाता है जिसे निर्गमनकर्ता पर संबंधित क्षमता पर वर्तमान ज्ञान को बेंचमार्क के रूप में संदर्भित किया जाता है ताकि वह विशेष समय पर स्वयं के ऋण दायित्व को पूरा कर सके। साख दर में प्रयुक्त प्रतीक मूल रूप से वर्णानुक्रमिक या अक्षरांकीय होते हैं। साख मूल्यांकन की सहायता से विभिन्न साधनों की तुलना करना सरल होता है। साख मूल्यांकन का मूल उददेश्य निवेशकों को अन्य मूल्यांकित साधनों की तुलना में आवश्यक निश्चित आय निवेश के लिए त्रुटि–हानि की संभावना की सापेक्ष श्रेणीयों के बारे में सूचित करना है।

3) **स्कंध दलाली**–स्कंध दलाली स्कंध विनिमय में स्कंध के क्रेताओं एवं विक्रेताओं को एक साथ लाने की विधि को संदर्भित करते है। ये वित्तीय सेवा मध्यस्थ का कार्य है। यह दलालों द्वारा किया जाता है, मुख्य दलालों एवं उप–दलालों दोनों को सेबी द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। स्कंध दलाल व्यक्तिगत दलाल, दलालों की एक फर्म या एक निगमित दलाल हो सकते है।

4) **प्रतिभूतिकरण**–किसी व्यक्ति के वर्तमान या भविष्य के नकदी अंतर्वाह को व्यापार योग्य प्रतिभूति में परिवर्तित किया जाता हैं जिसे बाजार में विक्रय किया जा सकता है, उसे प्रतिभूतिकरण के रूप में जाना जाता है। ये नकदी अंतर्वाह वित्तीय संपत्तियों जैसे बंधक ऋण, ऑटोमोबाइल ऋण, व्यापार प्राप्तियों, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों से हो सकती है, किराया संग्रह प्रतिभूति होगी जिसके अनुसार ऋण लिया जा सकता है। हालाँकि एक व्यक्ति कुशल आर्थिक विकास के लिए प्रतिभूतिकरण उपकरणों की सहायता से प्राप्त कर सकता है।

5) **साख पत्र (LC)**–क्रेता के बैंक द्वारा विक्रेता को साख पत्र निर्गमित किया जाता है, जिसमें विक्रेता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के सृजन के स्थान पर क्रेता को प्रदान की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत चुकाने का लिखित वचन होता है। निर्धारित समय एवं बैंकों के अनुसार साख पत्र के नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

6) **Bank Guarantees:** The guarantee is the contract between the issuing bank and the client in which the bank attempt to take the claims presented by the client on the customer on behalf of which the bank had guarantee. The payment of default can be taken from the bank by the client in case the customers do not fill the obligation. The bank is only liable for the amount declared in the contract if the amount of default is more than the bank will have to give the whole amount.

4.9. MERCHANT BANKING

4.9.1. Meaning and Definition of Merchant Banking

A merchant bank may be defined as a financial institution, which extends financial support to business organisations in the form of share ownership, in lieu of loans. It also offers advisory services to such organisations on corporate matters, in which it has an expertise. There is another class of banks known as **investment banks,** which specialise in the creation of capital for others, such as companies, Governments and other entities. The activities of investment banks include underwriting in respect of new debts/equities for their clients, providing support in sale of securities, facilitating mergers and acquisitions, reorganisations, and broker trades for investors (institutions as well as individuals). They also provide guidance to issuers regarding the issue of stocks.

Rule 2(e) of SEBI (merchant bankers) Rules 1992, defines who a merchant banker is, "Merchant banker means any person who is engaged in the business of issue management either by making arrangements regarding selling, buying or subscribing to securities as manager-consultant, advisor or rendering corporate advisory services in relation to such issue management".

According to M.J. Rosenberg, merchant bank as, "An organisation that underwrites securities for corporations, advices such clients on mergers, and is involved in the ownership of commercial ventures".

According to D.Cox, "Merchant banks are the financial institutions providing specialist services which generally include the acceptance of bills of exchange, corporate finance, portfolio management and other banking services".

4.9.2. Features of Merchant Banking

The various features of merchant banks are as follows:

1) The merchant banks are related to the **financing of long-term requirement** of business enterprises and marketing of the securities i.e. stocks and bonds.
2) There are various merchandisers who act as middlemen and **deal in stocks and bonds.** They purchase the securities from the issuing companies and sell it to the security dealers at wholesale price and to the individual and institutional investors at retail prices.

6) **बैंक गारंटी**–गारंटी जारी करने वाले बैंक तथा ग्राहक के मध्य का अनुबंध है जिसमें बैंक ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दावों को ग्राहक की ओर से प्राप्त करने का प्रयास करता है जिसकी बैंक ने गारंटी दी थी। ग्राहक द्वारा दायित्व पूरा न करने की स्थिति में ग्राहक द्वारा त्रुटि का भुगतान बैंक से लिया जा सकता है। बैंक केवल अनुबंध में घोषित राशि के लिए ही उत्तरदायी होता है यदि त्रुटि की राशि बैंक को पूरी राशि से अधिक है।

4.9. मर्चेंट/व्यापारिक बैंक

4.9.1. मर्चेंट/व्यापारिक बैंकिंग का अर्थ एवं परिभाषा

एक व्यापारिक बैंक को एक वित्तीय संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो ऋणों के बदले अंश स्वामित्व के रूप में व्यापार संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह निगमीय मामलों से सम्बन्धित ऐसे संगठनों को परामर्शी सेवाएँ भी प्रदान करता है जिनमें इसे विशेषज्ञता प्राप्त होती है। बैंकों का एक ऐसा वर्ग है, जिसे **निवेश बैंक** के नाम से जाना जाता है जो कम्पनियों, सरकारों और अन्य संस्थाओं के लिए पूँजी के सृजन में विशेषज्ञ होते हैं। निवेश बैंकों की गतिविधियों में अपने ग्राहकों के लिए नए ऋणों/समता के लिए अभिगोपन करना, प्रतिभूतियों के विक्रय में सहायता प्रदान करना, विलय एवं अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करना, पुनर्गठन एवं निवेशकों के लिए दलाली व्यापारिक (संस्थान और व्यक्ति) सेवाएँ प्रदान करना शामिल हैं। ये स्कन्ध के निर्गम के बारे में निर्गमनकर्ताओं को मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं।

सेबी के नियम 2(e) (व्यापार बैंक) नियम 1992 परिभाषित करता है कि एक व्यापारिक बैंक कौन है, "मर्चेंट बैंकर का अर्थ किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो प्रबंधक, परामशर्दाता, सलाहकार के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री, खरीद या अभिदान के संबंध में व्यवस्था करके निर्गम प्रबंधन के व्यवसाय में लगा हुआ है।

एम.जे. रोजेनबर्ग के अनुसार, व्यापारिक बैंक "एक ऐसा संगठन है, जो निगमों के लिए प्रतिभूतियों को अभिगोपित करता है, ऐसे ग्राहकों को विलयों के बारे में सलाह प्रदान करता है तथा वाणिज्यिक उपक्रमो के स्वामित्व में शामिल होता है।"

डी. कॉक्स के अनुसार, "व्यापारिक बैंक विशेषज्ञ सेवाएँ प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थान हैं, जिनमें सामान्यतः विनिमय–विपत्र स्वीकार करना, निगमीय वित्त, पोर्टफोलियो प्रबंधन और अन्य बैंकिंग सेवाएँ शामिल होती हैं।"

4.9.2. मर्चेंट/व्यापारिक बैंकिंग की विशेषताएँ

व्यापारिक बैंकों की विभिन्न विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

1) व्यापारिक बैंक **व्यापारिक उद्यमों की दीर्घकालीन वितपोषण आवश्यकताओं** तथा प्रतिभूतियों, अर्थात्, स्कन्ध एवं बॉण्ड के विपणन से सम्बन्धित होते हैं।
2) ऐसे कई व्यापारिक बैंक होते हैं जो **स्कन्ध और बॉण्ड के सव्यवहार के लिए मध्यस्थ** के रूप में कार्य करते हैं। वे निर्गमनकर्त्ता कम्पनियों से प्रतिभूतियां क्रय करते हैं तथा इसे **थोक मूल्य पर प्रतिभूति व्यापारियों को और खुदरा मूल्यों पर व्यक्तिगत एवं संस्थागत निवेशकों को बेचतें हैं।**

3) Merchant bankers **provide specialised information** on the kind of securities which will attract the investors.

4) A merchant bank does not perform all the functions of the merchant banking rather **acts like insurer of successful sale** by making an outright purchase of security if a company is providing new issues to the present stockholders through rights. There can be contract with the issuing company for distributing an issue in a better manner.

5) The merchant banker **work as an agent in the direct placement** of the issue of securities within one or limited number of investing institutions.

4.9.3. Objectives of Merchant Banking

Merchant bankers play an important role in Indian financial sector as they facilitate in achieving following objectives:

1) They help in creation of capital;

2) Merchant banking activities are the forces behind the formation of a secondary market, which encourages the industrial activities in our country;

3) Merchant banks facilitate and boost economic entrepreneurship;

4) They undertake various jobs pertaining to the preparation of project reports, conduct of market research and pre-investment surveys;

5) Appropriate financial support is extended by the merchant bankers to venture capitalists;

6) A data bank is constructed as human resources;

7) They are also the providers of housing finance;

8) Merchant bankers are an important source of seed capital for start-up organisations;

9) The area of issue management is one of the core activities of the merchant bankers;

10) Underwriting is another area in which the merchant bankers have an expertise;

4.9.4. Functions of Merchant Banking

The important activities undertaken by merchant banks and various services provided by them are as follows:

3) व्यापारिक बैंक द्वारा उन प्रतिभूतियों के बारे में **विशेष सूचना प्रदान** की जाती है, जो निवेशकों को आकर्षित करती हैं।

4) एक व्यापारिक बैंक व्यापारिक बैंकिंग के सभी कार्यों का निष्पादन नहीं करता है, बल्कि यदि कोई कम्पनी वर्तमान स्कन्ध धारकों को अधिकार के माध्यम से नए निर्गम प्रदान करती है तो प्रतिभूति की **एकमुश्त क्रय करके सफल बिक्री के बीमाकर्त्ता** की तरह कार्य करता है। किसी निर्गम को बेहतर प्रकार से वितरित करने के लिए निर्गमित करने वाली कंपनी के साथ अनुबंध किया जा सकता है।

5) किसी एक या सीमित संख्या में निवेश करने वाली संस्थाओं के मध्य प्रतिभूतियों के निर्गम को प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करने के लिए व्यापारिक बैंक एजेंट के रूप में कार्य करता है।

4.9.3. मर्चेंट/व्यापारिक बैंकिंग के उद्देश्य

व्यापारिक बैंक भारतीय वित्तीय क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं–

1) ये पूँजी सृजन में सहायता करते हैं।

2) एक द्वितीयक बाजार के निर्माण के पीछे व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं, जो हमारे देश में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं।

3) व्यापारिक बैंक आर्थिक उद्यमशीलता को सुगम बनाते है एवं प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

4) ये परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, बाजार अनुसंधान करने और पूर्व निवेश के सर्वेक्षण से सम्बन्धित विभिन्न कार्य करते हैं।

5) व्यापारिक बैंकों द्वारा उद्यम पूँजीपतियों को उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6) आँकड़ों के बैंक का निर्माण मानव संसाधन के रूप में किया जाता है।

7) ये आवास वित्त भी प्रदान करते हैं।

8) व्यापारिक बैंक प्रारम्भिक संगठनों के लिए मूल पूँजी का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।

9) निर्गम प्रबंधन का क्षेत्र व्यापारिक बैंकों की प्रमुख गतिविधियों में से एक है।

10) अभिगोपन एक और क्षेत्र है, जिसमें व्यापारिक बैंकों को विशेषज्ञता प्राप्त होती है।

4.9.4. मर्चेंट/व्यापारिक बैंकों के कार्य

व्यापारिक बैंकों के महत्त्वपूर्ण कार्य और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएँ निम्नानुसार हैं–

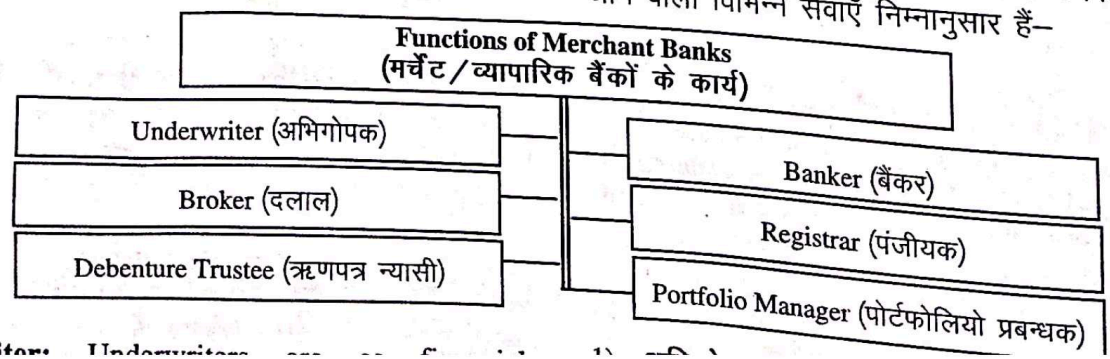

1) **Underwriter:** Underwriters

4.9.6.Disadvantages of Merchant Banking

The advantages notwithstanding, there are following shortcomings of merchant banking:

1) **Services Offered to Rich Financial Background:** The services offered by Merchant banks can be meant for the large corporate clients or smaller business entities with exceptionally rich financial background, held by individuals;
2) **Partial Success:** The cases undertaken by the merchant bankers are likely to meet with partial success or in some cases total disaster; and
3) **Risk Involved:** The nature of services offered by merchant bankers is fraught with risks.

4.10. MUTUAL FUNDS

4.10.1. Meaning and Definition of Mutual Funds

A mutual fund is a pool of money representing the savings made by a number of investors. The funds so collected are managed by professionals by investing in equity as well as debt instruments like stocks, debentures, bonds, money market and other financial instruments. The job of the fund manager of a mutual fund, also known as the **portfolio manager**, includes making investments out of the funds entrusted by various investors to the mutual fund, booking capital gains/losses, periodically collecting interest/dividend income and payment of interest/dividend to investors, etc.

The profits earned by a mutual fund (net of all its expenses) are distributed amongst the individual investors, in the ratio of their level of investment (i.e. the shares/units held by each

4.9.6. मर्चेंट/व्यापारिक बैंकिंग की हानियाँ

विभिन्न लाभ होने के बावजूद, व्यापारिक बैंकिंग की निम्नलिखित दोष/कमियाँ/हानियाँ हैं–

1) **समृद्ध वित्तीय पृष्ठभूमि के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ**–व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ का अभिप्राय उन बड़े निगमीय ग्राहकों या छोटी व्यवसायी संस्थाओं के लिए किया जा सकता है, जो असाधारण रूप से समृद्ध वित्तीय पृष्ठभूमि वाले होते हैं।
2) **आंशिक सफलता**–व्यापारिक बैंकों द्वारा उठाए गए चरण में आंशिक सफलता या कुछ स्थितियों में पूर्ण विफलता की संभावना हो सकती है; तथा,
3) **शामिल जोखिम**–व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति जोखिम से भरी होती है।

4.10. म्यूचुअल फंड्स

4.10.1. म्यूचुअल फंड्स का अर्थ एवं परिभाषा

एक म्यूचुअल फंड विभिन्न निवेशकों द्वारा की गई बचत का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का समूह है। एकत्र किए गए राशि का प्रबंधन पेशेवरों द्वारा समता के साथ–साथ स्कन्ध, ऋण पत्र, बॉन्ड, मुद्रा बाजार और अन्य वित्तीय साधनों जैसे ऋण उपकरणों में निवेश करके किया जाता है। म्यूचुअल फंड के निधि प्रबंधक, जिसे **पोर्टफोलियो प्रबंधक** के रूप में भी जाना जाता है, के कार्यों में विभिन्न निवेशकों द्वारा म्यूचुअल फंड को सौंपे गए निधि में से निवेश करना, पूँजीगत लाभः/हानि को आरक्षित करना, समय–समय पर ब्याज/लाभांश आय एकत्र करना और ब्याज एवं लाभांश का निवेशकों को भुगतान आदि करना आदि शामिल है।

ये म्यूचुअल फंड द्वारा अर्जित लाभ (इसके सभी व्ययों को छोड़कर) को वैयक्तिक निवेशकों के मध्य उनके निवेश के स्तर के अनुपात में वितरित किया जाता है, अर्थात्, उनमें से प्रत्येक के

one of them). The valuation of one unit/share of a mutual fund, also referred to as the **'Net Asset Value (NAV)'**, is carried out on a day-to-day basis. The NAV is calculated by dividing the total value of the fund by the total number of outstanding units as on that day.

According to Weston J. Fred and Brigham, Eugene F., mutual funds are "Corporations which accept dollars from savers and then use these dollars to buy stocks, long-term bonds, short-term debt instruments issued by business or government units, these corporations pool funds and thus reduce risk by diversification".

The **Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations,** 1993 defines Mutual Fund as "a fund established in the form of a Trust by a sponsor to raise monies by the trustees through the sale of units to the public under one or more schemes-for investing in securities in accordance with these regulations".

4.10.2. Features of Mutual Funds

The various features of mutual funds are as follows:

1) The owner of the mutual funds is with the investors who have shared their funds.
2) The team of investment professionals and other service providers manages the mutual funds.
3) The mutual funds do the investment in the portfolio of marketable investments.
4) The units show the share of investors. The value of investors is known as Net Asset Value (NAV) which keep on changing on the regular basis.
5) The investment objective of the fund creates the investment portfolio.

4.10.3. Objectives of Mutual Funds

Mutual funds serve the following objectives:

1) **Diversification:** The significance of diversified investment lies in the old adage "do not put all the eggs in one basket". Diversification is an age old hedging instrument. High concentration of investment in one or two equities is likely to lead towards exposure of the portfolio to avoidable risks. If due to some reason, the market value of any one of such stocks decline sharply, the entire portfolio would be impacted negatively. Financial advisors, therefore, suggest the investors to keep minimum 15 stocks in their portfolio. Management of a portfolio of this size by an individual investor requires a lot of time and efforts. However, the mutual funds have the benefit of holding a huge number of stocks, which ensures diversification for individual investors, and also safeguards them from a negative market movement in respect of any of the stocks held by the funds.
2) **Growth:** One of the investor's categories is keen in a fast progression in their fund-value. The best option for them is 'stock route' of investment which have, if taken on a long-term basis, traditionally yielded a high

द्वारा धारित अंश/इकाई के अनुपात में। म्यूचुअल फंड की एक इकाई/अंश का मूल्यांकन, जिसे **'शुद्ध सम्पत्ति मूल्य'** भी कहा जाता है, एक शुद्ध सम्पत्ति मूल्य की गणना उस दिन की कुल बकाया इकाइयों की कुल संख्या से निधि के कुल मूल्य को विभाजित करके की जाती है।

वेस्टन जे. फ्रेड एवं ब्रिघम, यूजीन एफ. के अनुसार, म्यूचुअल फंड "निगम हैं जो बचतकर्त्ताओं से डॉलर को एकत्रित करते हैं और पुनः इन डॉलरों का उपयोग व्यावसायिक या सरकारी इकाइयों द्वारा जारी किए गए स्कन्ध, दीर्घकालीन ब्रॉण्ड, अल्पकालिक ऋण उपकरणों, को क्रय करने के लिए करते है तथा इस प्रकार विविधीकरण द्वारा जोखिम को कम करने में सहायता करते हैं।"

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियमन, 1993 पारस्परिक निधि को इस प्रकार से परिभाषित करता है, "पारस्परिक निधि को एक न्यास के रूप में स्थापित निधि जो न्यासी द्वारा एक या एक से अधिक योजनाओं के अन्तर्गत जनता के लिए इकाइयों के विक्रय के माध्यम से धन एकत्रित करने के लिए एक न्यास के रूप में स्थापित निधि के रूप में इन विनियमों के अनुसार प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए स्थापित किया जाता है।"

4.10.2. म्यूचुअल फंड की विशेषताएँ

पारस्परिक निधियों की विभिन्न विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं–

1) म्यूचुअल फंड का स्वामित्व उन निवेशकों के पास होता हैं जिन्होंने अपना निधि साझा किया है।
2) निवेश पेशेवरों और अन्य सेवा प्रदाताओं के समूह म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करते है।
3) म्यूचुअल फंड बाजार योग्य निवेशों के पोर्टफोलियों में निवेश करते हैं।
4) इकाइयाँ निवेशकों के अंश को प्रदर्शित करती हैं। निवेशकों के मूल्य को **शुद्ध सम्पत्ति मूल्य** के नाम से जाना जाता है जो नियमित आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं।
5) निधियों का निवेश उद्देश्य निवेश पोर्टफोलियो का निर्माण करना है।

4.10.3. म्यूचुअल फंड का उद्देश्य

म्यूचुअल फंड निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं–

1) **विविधता**–विविधता निवेश के सम्बन्ध में पुरानी कहावत है, कि "सारे अण्डे एक ही टोकरी में न रखें"। विविधता एक प्राचीन प्रतिरक्षा साधन/उपकरण है। एक या दो समताओं में निवेश के अधिक केंद्रित होने से पोर्टफोलियो के परिहार्य जोखिम में आने की संभावना है। यदि किसी कारण वश ऐसे किसी स्कन्ध के बाजार मूल्य में तीव्र गति से गिरावट आई तो सम्पूर्ण पोर्टफोलियो पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, वित्तीय सलाहकार निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में न्यूनतम 15 स्कन्ध रखने का सुझाव देते हैं। किसी एक निवेशक द्वारा इस आकार के पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने के लिए काफी समय एवं प्रयासों की आवश्यकता होती है। हालाँकि, पारस्परिक निधियों से अधिक संख्या में स्कन्ध रखने के लाभ प्राप्त होते हैं जो व्यक्तिगत निवेशकों के लिए विविधता सुनिश्चित करते हैं तथा निधियों द्वारा रखे गए किसी भी स्कन्ध के सम्बन्ध में उन्हें बाजार में नकारात्मक परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
2) **वृद्धि**–निवेशक की श्रेणियों में से कुछ अपने निधि के मूल्य में तेजी से प्रगति करना चाहते है। उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प निवेश का 'स्कन्ध मार्ग' है, जिसे यदि दीर्घकालिक आधार पर लिया जाता है तो पारंपरिक रूप से प्रतिफल की

rate of returns; although this route is fraught with the highest level of risk. Funds, which invest their client's money exclusively in highly rated and generally expensive stocks, are referred to as 'growth funds', whereas those funds, which invest their client's money in comparatively less-expensive stocks, are termed as **'value funds'**.

3) **Income:** Some other funds, commonly referred to as 'income mutual funds', cater to the needs of investors, who are more interested in getting a regular stream of income from their investments. Such funds invest in the bonds, common/preferred stocks, or even real estate investment trusts (REITs) of the blue-chip companies with a record of giving high dividend pay-outs. Such form of income received by the mutual fund is passed on to the investors at a regular periodicity (monthly or quarterly). Commonly a yield between 3% and 7% is paid by such income-oriented mutual funds.

4) **International Exposure:** International markets (e.g. US, UK, Japanese, or Chinese) are not easily accessible for individual investors. However, these markets can be accessed without any hurdle through international-focused mutual funds. Thus, individual investors, interested in investing in stocks of companies traded only in international markets, can do so through the international-focused mutual funds.

5) **Low Fees:** Investment in equities at individual level is an expensive affair, due to the element of brokerage involved therein. Investment in equities through a mutual fund is, therefore, a good option for individual investors, because their fees are reasonable; some of them in fact do not charge anything for the services provided by them (e.g. no load mutual funds), while the charges (operational fees) of many other MFs are below 1% per annum. Another category of low-cost funds is 'Index Funds', fees of which are just 0.1% per annum. Portfolio of such funds are highly diversified, benefit of which is available to investors at a cheap price.

4.10.4. Functions of Mutual Funds

The mutual funds of all the categories perform following essential functions:

1) Trading, i.e. buying and selling of various financial instruments on behalf of their clients, viz. Unitholders;

2) Offering an opportunity to small investors to become a shareholder of a large and diversified portfolio of assets with minimum exposure to associated risks;

3) The savings, mobilized through various schemes launched by mutual funds, are channelized to create a portfolio of assorted securities, viz. equities, debentures, bonds, Government securities, etc. such portfolios are generally large in size, diversified and financially robust;

उच्च दर प्राप्त होती है हालाँकि, यह मार्ग अधिक जोखिम वाला हो सकता है। ऐसी निधियाँ, जो विशेष रूप से उच्च दर वाले और सामान्य रूप से महंगे स्कन्ध में अपने ग्राहक के राशि का निवेश करती हैं, को 'वृद्धि निधियाँ' कहा जाता है, जबकि वे निधियाँ, जो अपने ग्राहक के धन को अपेक्षाकृत कम–महंगे स्कन्ध में निवेश करती हैं, को **'मूल्य निधि'** कहा जाता है।

3) **आय**–कुछ अन्य निधियाँ, जिसे सामान्यतया 'आय पारस्परिक निधि' कहा जाता है, यह उन निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जो अपने निवेशों से नियमित आय प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसे फंड उच्च लाभांश भुगतान देने के रिकार्ड वाली ब्लू–चिप कंपनियों के बॉन्ड, पंसदीदा स्टॉक या यहाँ तक कि रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) में निवेश करते है। पारस्परिक निधि द्वारा प्राप्त इस प्रकार की आय को निवेशकों को नियमित आवधिकता (मासिक या तिमाही) में प्रदान किया जाता है। समान्यतः ऐसे आय–उन्मूख पारस्परिक निधि द्वारा 3% एवं 7% के मध्य प्रत्याय का भुगतान किया जाता है।

4) **अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन**–अन्तर्राष्ट्रीय बाजार (उदाहरण के लिए, ब्रिटेन, जापान, या चीन) व्यक्तिगत निवेशकों के लिए आसानी से सुलभ नहीं होते है। हालाँकि, इन बाजारों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित पारस्परिक निधियों के माध्यम से किसी भी बाधा के बिना पहुँचा जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत निवेशक, जो केवल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्यवसाय की कम्पनियों के अंशों में निवेश करने के इच्छुक हैं, वे अन्तर्राष्ट्रीय केंद्रित पारस्परिक निधियों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।

5) **कम शुल्क**–इसमें शामिल दलाली के कारण व्यक्तिगत स्तर पर समता में निवेश करना महँगा होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड द्वारा समता में निवेश करना व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि उनका शुल्क उचित होता है, उनमें से कुछ वास्तव में उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं **(उदाहरण के लिए**– कोई भी भारित पास्परिक निधि नहीं), जबकि कई अन्य म्यूचुअल फंड का शुल्क (परिचालनात्मक शुल्क) 1% प्रतिवर्ष से कम होता हैं। कम लागत वाली निधियों की एक अन्य श्रेणी 'सूचकांक निधि' है, जिसका शुल्क केवल 0.1% प्रतिवर्ष है। ऐसी निधियों का पोर्टफोलियो अधिक विविध प्रकार के होते हैं जिसका लाभ निवेशकों को कम कीमत पर उपलब्ध होता है।

4.10.4. म्यूचुअल फंड के कार्य

सभी श्रेणियों के म्यूचुअल फंड निम्नलिखित आवश्यक कार्य करते है।

1) व्यापार अर्थात् अपने ग्राहकों अर्थात् इकाईधारकों की ओर से विभिन्न वित्तीय उपकरणों का क्रय एवं विक्रय।

2) छोटे निवेशकों को संबंधित जोखिमों के न्यूनतम जोखिम के साथ संपत्तियों के एक बड़े एवं विविध पोर्टफोलियों का अंशधारक बनने का अवसर प्रदान करना।

3) म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एकत्रित की गई बचत को मिश्रित प्रतिभूतियों का एक पोर्टफोलियों बनाने के लिए चैनलाइज किया जाता है। समता, ऋणपत्र, बांड, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि ऐसे पोर्टफोलियों सामान्यतौर पर आकार में बड़े, विविध तथा वित्तीय रूप से मजबूत होते है।

4) Investors of mutual funds are given a certificate with regard to their share of participation in the fund in the form of units;
5) Mutual funds are managed by highly professional and experienced personnel, which generally ensures higher returns on the amount invested; and
6) They are helpful to small investors, who do not have the time, expertise, experience or resources to access capital market directly, in taking the benefits of such profitable avenue.

4.10.5. Structure of Mutual Funds

In India, there is four-tier system made by SEBI for controlling mutual funds which also provides the arm-length distance between the sponsor and funds. The structure of mutual funds is as follows:

4) म्यूचुअल फंड के निवेशकों को इकाई के रूप में फंड में उनकी भागीदारी के संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।
5) म्यूचुअल फंड का प्रबंधन अत्यधिक पेशेवर एवं अनुभवी कर्मियों द्वारा किया जाता है, जो सामान्यतौर पर निवेश की गई राशि पर उच्च रिटर्न सुनिश्चित करता है, तथा
6) वे छोटे निवेशकों के लिए मद्दगार है, जिनके पास ऐसे लाभदायक रास्ते का लाभ लेने के लिए सीधे पूँजी बाजार तक पहुँचने के लिए समय, विशेषज्ञता, अनुभव या संसाधन नहीं है।

4.10.5. म्यूचुअल फंड की संरचना

भारत में, सेबी ने म्यूचुअल फंड पर नियंत्रण के लिए चार स्तरीय प्रणाली का गठन किया है, जो प्रायोजक एवं निधियों के मध्य लम्बी–दूरी भी प्रदान करती है। म्यूचुअल फंड की संरचना इस प्रकार है–

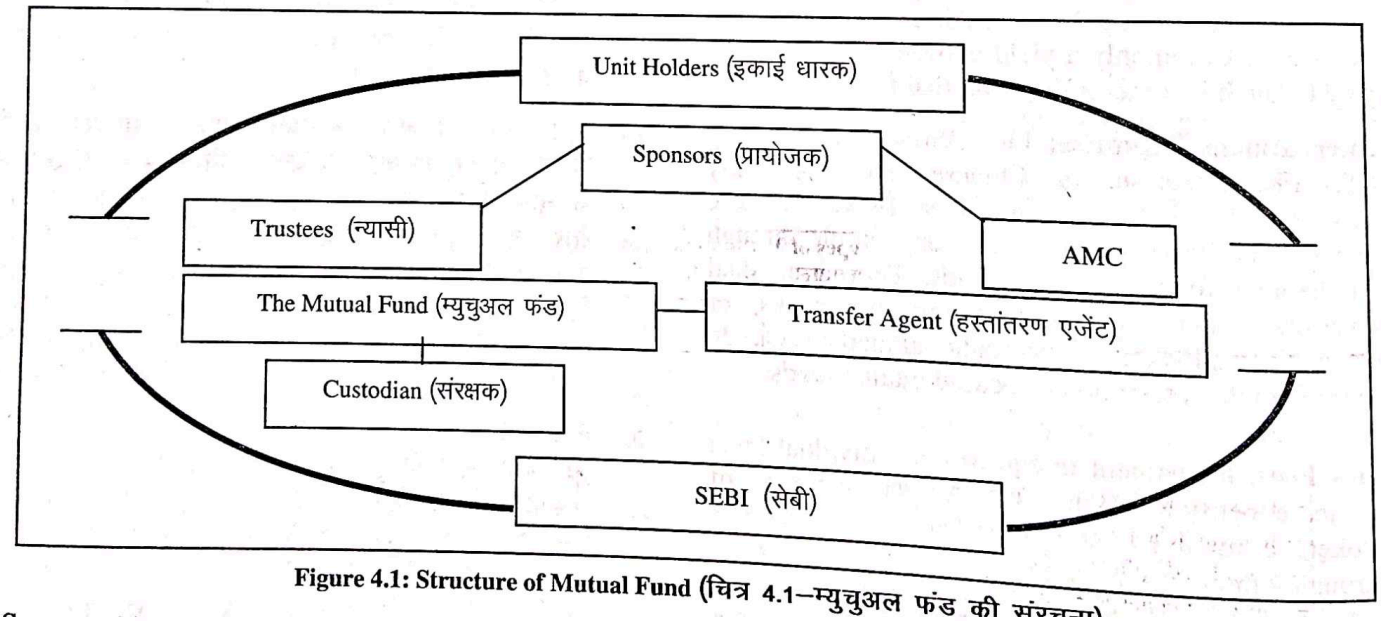

Figure 4.1: Structure of Mutual Fund (चित्र 4.1–म्युचुअल फंड की संरचना)

...redemptions of units.

4.10.6. Types of Mutual Funds

On the basis of their investment pattern and other characteristics, mutual funds can be classified into two broad categories, which are further sub-categorised as depicted below:

4.10.6. म्यूचुअल फंड के प्रकार

उनके निवेश के स्वरूप और अन्य विशेषताओं के आधार पर, म्यूचुअल फंड को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें आगे उप–श्रेणियों के रूप में उप–वर्गीकृत किया गया है–

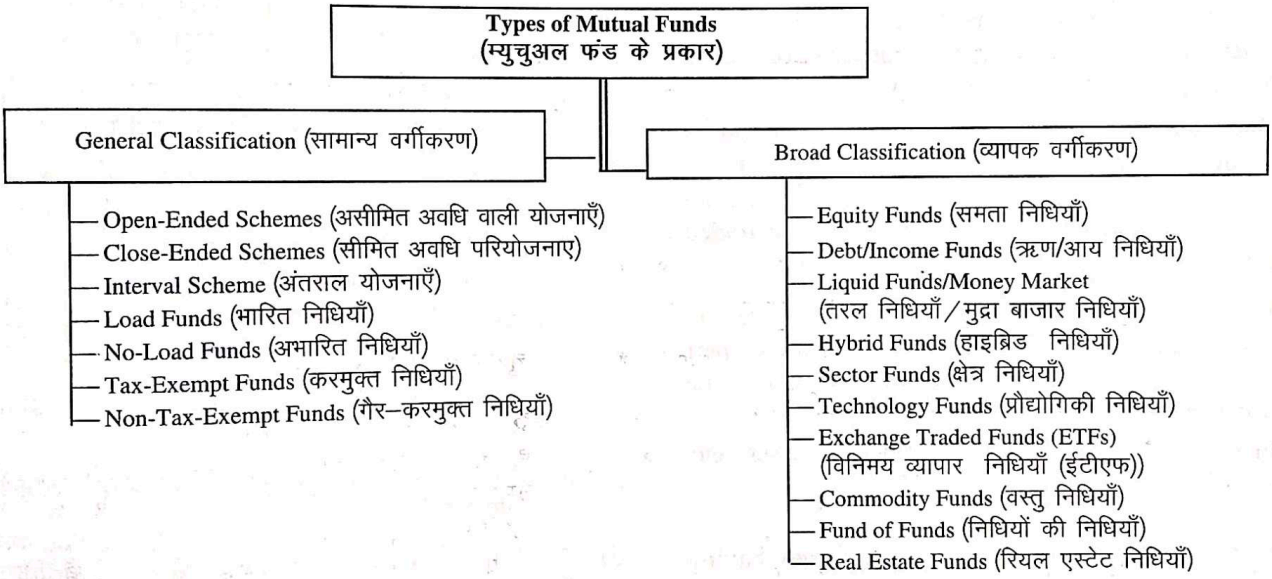

4.11. LEASING

4.11.1. Meaning and Definition of Leasing

In simple terms, a lease financing may be defined as:
"A contractual arrangement (**lease agreement**) in which a party owning an asset/equipment (**lessor**) allows its use to another (transfer the right to use the equipment) party (**lessee**) for an agreed period of time for the consideration of periodic payment (**lease rentals**) with or without a further payment (**premium**)". At the end of the period of contract (**lease period**), the leased asset/equipment reverts back to the lessor, provided there is no provision for the renewal of the lease agreement.

According to Miller, M.H and C.W. Uptron, "Leasing separates ownership and use as two economic activities, and facilitates asset use without ownership".

Leasing of equipment is an alternative choice against the outright purchase under certain circumstances. If equipment is urgently required for carrying out the business and the cost of that equipment is excessively prohibitive or likely to put a strain on the cash-flow of the company, taking that equipment on lease is the best choice which the company may have.

Leasing process enables a customer (lessee) to meet his immediate business needs without incurring a capital expenditure and at the end of lease period he has the option to:

1) Continue using the equipment by renewing the lease agreement,
2) Return the equipment to the lessor, or
3) Purchase the equipment outright.

4.11.2. Features of Lease Financing

Some of the features of lease finance in India are as follows:

1) Both the parties involved in the lease finance must be competent (as defined under Section 11 of Indian Contract Act, 1872) to contract. However, a minor can be a lessor, in case of the lease being beneficial to him.
2) From the taxation point of view, there is no provision for transfer of ownership to the lessee in the lease agreement because such contracts are called as 'Hire-Purchase'.
3) The equipments are physically delivered to the lessee by the lessor for a purpose and period mentioned in the 'Lease Agreement'. Once the lease period is over, the equipments need to be returned to the lessor immediately.
4) The lease rentals are scheduled keeping in view the lessee's requirements and projected cash flow streams. As a general rule, the lease rentals are payable in **'Equated Monthly Instalments' (EMI) at the beginning of every month.**

4.11. लीजिंग / पट्टा

4.11.1. पट्टे (लीजिंग) का अर्थ एवं परिभाषा

सरल शब्दों में, एक पट्टा वित्तीयन को परिभाषित किया जा सकता है–
"एक संविदात्मक अनुबंध **(पट्टा अनुबंध)** जिसमें एक पक्ष एक परिसंपत्ति या उपकरण का स्वामी **(पट्टादाता)** होता है, वह किसी अन्य पक्षकार **(पट्टेदार)** को सहमत अवधि के लिए नियमित भुगतान के साथ (**पट्टा किराया)** या प्रतिफल के लिए इसके उपयोग की अनुमति देता है। अनुबंध की अवधि **(पट्टे की अवधि)** के अंत में, पट्टे पर दी गई संपत्ति या उपकरण पट्टेदाता को वापस लौटा देते हैं, बशर्ते कि पट्टा समझौते में नवीकरण के लिए कोई प्रावधान न हो।

मिलर, एम एच एवं सी डब्ल्यू अपट्रॉन के अनुसार, "पट्टा स्वामित्व को पृथक करती है तथा दो आर्थिक गतिविधियों के रूप में उपयोग की जाती है, तथा स्वामित्व के बिना संपत्ति के उपयोग की सुविधा प्रदान करती है"।

कुछ विशेष परिस्थितियों में एकमुश्त क्रय के मुकाबले उपकरणों को पट्टे पर देना एक वैकल्पिक विकल्प है। यदि व्यवसाय को करने के लिए उपकरणों की तत्काल आवश्यकता है और उस उपकरण की लागत अत्यधिक निषेधात्मक है या कंपनी के नकदी–प्रवाह पर दबाव डालने की संभावना है, तो उस उपकरण को पट्टे पर लेना सबसे अच्छा विकल्प है जो कंपनी के पास हो सकता है।

पट्टे की प्रक्रिया एक ग्राहक (पट्टेदार) को एक पूँजीगत व्यय किए बिना अपनी तत्काल व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है तथा पट्टे की अवधि के अंत में उसके पास निम्न विकल्प होता है–

1) पट्टे के समझौते को नवीनीकृत करके उपकरण का उपयोग जारी रखें,
2) उपकरण को पट्टेदार को वापस करना, या
3) एकमुश्त क्रय करना।

4.11.2. पट्टा (लीजिंग) वित्तीयन की विशेषताएँ

भारत में पट्टा वित्त की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1) पट्टा वित्त में शामिल दोनों पक्षों को अनुबंध के लिए सक्षम (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अन्तर्गत परिभाषित) होना चाहिए। हालाँकि, एक अवयस्क लाभकारी स्थिति में पट्टेदार हो सकता है।
2) कराधान की दृष्टि से, पट्टा समझौते में पट्टेदार को स्वामित्व हस्तांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि ऐसे अनुबंधों को 'किराया–क्रय' कहा जाता है।
3) पट्टादाता द्वारा 'पट्टा समझौता' में उल्लिखित उद्देश्य तथा अवधि के लिए उपकरण भौतिक रूप से पट्टादार को दिए जाते हैं। पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, उपकरणों को तुरंत पट्टादाता को वापस करने की आवश्यकता होती है।
4) पट्टा किराया पट्टेदार की आवश्यकताओं एवं अनुमानित नकदी प्रवाह धाराओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। एक सामान्य नियम के रूप में, पट्टा किराया प्रत्येक माह के प्रारम्भ में 'समान मासिक किश्तों' (EMI) में देय होता है।

5) Lessees consider leasing as a standby finance for meeting huge capital expenditures, which are not part of their planning. Assets such as air-conditioners and other office equipments, which are non-productive as far as the core activity of the business is concerned, are also taken on lease, as no finance is extended by Financial Institutions for their acquisition. Generally, equipments costing not more than ₹100 lac are taken on lease.

6) Equipment leasing is common in respect of a wide range of equipments, like Industrial Plant and Machinery, Computers, Office Equipments, Vehicles, etc. As regards leasing for infrastructure and other large projects, only one financial institution extend the facility, *viz.* ILFS (Infrastructure Leasing and Financial Services Ltd.) that too in a narrow extent. Cross-border lease is not popular in India.

4.11.3. Objectives of Leasing Agreement

The important objectives of the leasing agreement are as follows:

1) To describe the purpose of lease and activities proposed to be undertaken by the tenant on the leased asset;
2) To ensure transparency with respect to terms and conditions agreed between the landlord and the tenant for using the leased asset;
3) To protect the landlord from any damage to his property, unlawful control of the tenant on the property, etc.;
4) To protect tenant from useless disturbances created by the landlord;
5) To serve as a legal document for protecting the rights of the landlord as well as the tenant; and
6) To serve as evidence in case of violation of the contract from the other involved party.

4.11.4. Functions of Leasing

The main functions of leasing activities are as follows:

1) Evaluation of the capability and strength of innovative resources;
2) Formation of innovative programs and projects;
3) Planning, financing, and implementation of innovative programs and projects; and
4) Evaluation of the effectiveness of the innovative programs and projects implemented.

5) पट्टेदार बड़े पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पट्टे को एक अतिरिक्त वित्त के रूप में मानते हैं, जो उनकी योजना का भाग नहीं होता हैं। वातानुकूलन तथा अन्य कार्यालय उपकरण जैसी संपत्ति, जो गैर–उत्पादक हैं, जहाँ तक व्यवसाय की मुख्य गतिविधि का संबंध है, को भी पट्टे पर लिया जाता है, क्योंकि वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके अधिग्रहण के लिए कोई वित्त नहीं दिया जाता है। सामान्यतः ₹100 लाख से कम की लागत वाले उपकरण पट्टे पर लिए जाते हैं।

6) औद्योगिक संयंत्र एवं मशीनरी, कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण, वाहन इत्यादि जैसे उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के संबंध में उपकरण पट्टे पर देना सामान्य बात है। जहाँ तक आधारभूत संरचना तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं के लिए पट्टे पर देने का संबंध है, केवल एक वित्तीय संस्थान सुविधा का विस्तार करता है, अर्थात ILFS (इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) वह भी एक सीमित सीमा में है। भारत में विदेशी पट्टा लोकप्रिय नहीं है।

4.11.3. पट्टा (लीजिंग) समझौता के उद्देश्य

पट्टा समझौता के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है–

1) पट्टे के उद्देश्य तथा पट्टे पर दी गई संपत्ति पर किराएदार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों का वर्णन करना।
2) पट्टे पर दी गई संपत्ति का उपयोग करने के लिए भू–स्वामी और पट्टेदार के बीच सहमत नियमों तथा शर्तों के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
3) भू–स्वामी को उसकी संपत्ति को होने वाले किसी भी हानि, संपत्ति पर पट्टेदार के गैरकानूनी नियंत्रण आदि से बचाना।
4) पट्टेदार को भू–स्वामी द्वारा उत्पन्न की गई व्यर्थ की परेशानियों से बचाना।
5) भू–स्वामी के साथ–साथ पट्टेदार के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य करना; तथा
6) अन्य सम्मिलित पक्ष द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के मामले में साक्ष्य के रूप में कार्य करना।

4.11.4. पट्टा (लीजिंग) के कार्य

पट्टा की गतिविधियों के मुख्य कार्य निम्नलिखित है।

1) नवीन संसाधनों की क्षमता एवं ताकत का मूल्यांकन करना।
2) नवीन कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का निर्माण करना।
3) नवीन कार्यक्रमों और परियोजनाओं की योजना, वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन करना; तथा
4) कार्यान्वित नवीन कार्यक्रमों एवं परिरयोजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

capacity.

4.12. HIRE PURCHASE

4.12.1. Meaning and Definition of Hire Purchase

The concept of hire purchase involves hiring of an asset for a specified period of time. At the end of such period, the asset is purchased. Under this arrangement, the hirer acquires the possession and the right to use the asset. Hire Purchase system can be used for financing capital assets as well as consumer goods.

According to Pearce E.H., and Omrod R.F.G., as "a contract on hire with an option of purchase, in which the owner of goods lets them out on hire to the hirer for a fixed term at an agreed rental to be paid at intervals mutually agreed upon as installments, and the owner in addition to letting the goods out, further agrees that if the hirer keeps them for the agreed period and regularly pays the rent, they shall become the hirer's property".

Hire purchase agreements generally have the following terms:

1) Payment for the asset is made in installment form.
2) The buyer gets immediate possession of the goods.
3) The ownership of the goods retains with the vendor until the last installment is paid.
4) In case of default in payment, the seller retains the right to repossess the goods.
5) Each installment is considered towards hire charges until the payment of the last installment.

4.12.2. Meaning and Definition of Hire Purchase Agreement

The hire purchase agreement is a legal agreement between the owner of goods and the hirer in which the owner provides the goods on hire for certain period of time in return for regular payment and also provides option to the hirer to purchase the goods at the expiration of the agreement. It is in written and signed by all the parties. This does not require any kind of registration as there is transfer of movable assets.

As per Section 4 of the Hire-Purchase Act 1972, every hire-purchase agreement should consist the following contents:

1) The hire-purchase price of the goods.
2) The cash price of the goods.
3) The date of commencement of agreement.
4) The number of instalments by which the hire purchase is to be paid, the amount of each of those instalments, the date upon which it is payable, the person to whom and the place where it is payable.

4.12. किराया क्रय (हायर–परचेज)

4.12.1. किराया क्रय का अर्थ एवं परिभाषा

किराया क्रय अवधारणा में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए सम्पत्ति को किराए पर लेना शामिल है। ऐसी अवधि के अंत में, सम्पत्ति क्रय कर ली जाती है। इस समझौता के अंतर्गत किराएदार को सम्पत्ति को उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। किराया क्रय प्रणाली का उपयोग पूँजीगत सम्पत्तियों के वित्तपोषण के साथ–साथ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है।

पियर्स ईएच, एवं ओमरोड आरएफजी के अनुसार, "क्रय के विकल्प के साथ किराए पर एक अनुबंध, जिसमें माल का स्वामी उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए पारस्परिक रूप से सहमत अंतराल पर किश्तों के रूप में भुगतान के बदले किराए पर देता है, स्वामी माल को किराये पर देने के अतिरिक्त, आगे इस शर्त पर सहमत होता है कि यदि किराएदार उन्हें सहमत अवधि के लिए रखता है और नियमित रूप से किराए का भुगतान करता है, तो वस्तु किराएदार की संपत्ति बन जाएगी। अर्थात् वस्तु का स्वामित्व किरायेदार को हस्तांतरित हो जायेगा।"

किराया क्रय समझौतों में सामान्यतः निम्नलिखित शर्तें होती हैं–

1) संपत्ति के लिए भुगतान किश्त के रूप में किया जाता है।
2) क्रेता को वस्तु पर तुरंत अधिकार प्राप्त हो जाता है।
3) वस्तु का स्वामित्व विक्रेता के पास तब तक रहता है जब तक कि अंतिम किश्त का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।
4) भुगतान में त्रुटि की स्थिति में, विक्रेता के पास वस्तु को वापस लेने का अधिकार होता है।
5) प्रत्येक किश्त को अंतिम किश्त के भुगतान तक किराया शुल्क के रूप में माना जाता है।

4.12.2. किराया क्रय समझौते का अर्थ एवं परिभाषा

किराया–क्रय का समझौता वस्तु के स्वामी और क्रेता के मध्य एक कानूनी समझौता है जिसमें स्वामी नियमित भुगतान के बदले में निश्चित अवधि के लिए किराये पर वस्तु प्रदान करता है और इसके समाप्ति पर वस्तु क्रय करने के लिए व्यक्ति को विकल्प भी प्रदान करता है। समझौता सभी पक्षों द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होता है। इसके लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें चल संपत्ति का हस्तांतरण होता है।

किराया–क्रय अधिनियम 1972 की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक किराया–क्रय समझौते में निम्नलिखित विषयवस्तु शामिल होनी चाहिए–

1) वस्तु का किराया–क्रय मूल्य।
2) वस्तु का नकद मूल्य।
3) अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि।
4) किश्तों की संख्या जिसके द्वारा किराया क्रय का भुगतान किया जाना है, उन प्रत्येक किश्तों की राशि, जिस तिथि को यह देय है, वह व्यक्ति जिसे तथा वह स्थान जहाँ यह देय है।

According to Pearce E.H., and Omrod R.F.G., as "A contract on hire with an option of purchase, in which the owner of goods lets them out on hire to the hirer for a fixed term at an agreed rental to be paid at intervals mutually agreed upon as instalments, and the owner in addition to letting the goods out, further agrees that if the hirer keeps them for the agreed period and regularly pays the rent, they shall become the hirer's property".

Thus, hire purchase can be defined as a contract in which the buyer acquires the possession of the goods immediately and agrees to pay the total cost in installment where each installment is treated as hire charges. The ownership of goods is transferred to the buyer from seller only when the last Installment is paid.

4.12.3. Features of Hire Purchase Agreement

A hire purchase Agreement has the following features:

1) Hirer makes a proposal for the purpose of acquiring the goods. Upon the acceptance of the proposal by the owner, the agreement is made in writing elucidating all the terms and conditions.
2) The agreement presents an express intention for the creation of a legal relationship by providing goods on bailment to the hirer. The agreement comes with an option to purchase the asset after a specified period of time.
3) The owner and hirer should be legally capable of entering into a contract, as per the contract act.
4) The contract should not be against public policy.
5) The consideration is paid in the form of rental payable at regular intervals. The rental gives the hirer with the right to use the asset.
6) The agreement also illustrates the right to terminate the contract under certain special circumstances.

4.12.4. Objectives and Functions of Hire Purchase

Following are the objectives and functions of hire purchase:

1) **To Maintain Goods in Good Condition:** Under hire purchase agreement, the hirer is responsible to treat the goods in his care with the same level of consideration that he or she would have given to their own.
2) **To Cover the Loss to Goods:** The hire vendor shall bear any loss to the goods that occurs without any fault of the hire purchase.
3) **To Benefit from Interest:** Another goal of hire purchase systems is to earn interest.
4) **To Own Assets in the Future:** After the payment of last installment, it assists the buyer in becoming the owner of the asset.
5) **To Benefit from Depreciation:** After the payment of final instalment, ownership of the asset is transferred to the purchaser. Consequently, the hire vendor charges depreciation on assets, which reduces his income tax liability.

पियर्स ई.एच. एवं ओमरोड आर.एफ.जी. के अनुसार– "क्रय के विकल्प के साथ किराए पर एक अनुबंध, जिसमें माल का स्वामी उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए पारस्परिक रूप से सहमत अंतराल पर किश्तों के रूप में भुगतान करने के बदले किराए पर देता है स्वामी माल को किराये पर देने के अतिरिक्त, आगे इस शर्त पर सहमत होता है कि यदि किराएदार उन्हें सहमत अवधि के लिए रखता है और नियमित रूप से किराए का भुगतान करता है, तो वस्तु किराएदार की संपत्ति बन जाएगी। अर्थात् वस्तु का स्वामित्व किरायेदार को हस्तांतरित हो जायेगा।"

इस प्रकार, किराया क्रय को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें क्रेता तत्काल वस्तु का अधिकार प्राप्त कर लेता है तथा किश्त में कुल लागत का भुगतान करने के लिए सहमत होता है जहाँ प्रत्येक किश्त को किराया शुल्क के रूप में माना जाता है। अंतिम किश्त का भुगतान होने पर ही माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित किया जाता है।

4.12.3. किराया क्रय समझौते की विशेषताएँ

एक किराया क्रय समझौते में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं–

1) अवक्रेता वस्तु प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए प्रस्ताव बनाता है। स्वामी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने पर, सभी नियमों एवं शर्तों को समझाते हुए लिखित रूप से समझौता किया जाता है।
2) यह समझौता एक कानूनी सम्बन्ध के निर्माण के एक प्रयोजन प्रस्तुत करता है ताकि मालवाहक को जमानत पर वस्तु उपलब्ध कराया जा सके। एक निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् सम्पत्ति क्रय के लिए एक विकल्प से साथ समझौता होता है।
3) स्वामी और क्रेता को समझौते अधिनियम के अनुसार कानूनी रूप से एवं समझौते में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए।
4) समझौते सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
5) प्रतिफल का भुगतान नियमित अंतराल पर देय किराए के रूप में किया जाता है। किराए पर लेने से सम्पत्ति को उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है।
6) यह अनुबंध कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुबंध को समाप्त करने के अधिकार को भी दर्शता है।

4.12.4. किराया क्रय के उद्देश्य एवं कार्य

किराया क्रय के उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित हैं

1) **वस्तुओं को अच्छी स्थिति में बनाए रखना**– किराया क्रय समझौते के अंतर्गत, क्रेता अपनी देखभाल में रखी गई वस्तु के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करने के लिए उत्तरदायी है जिस प्रकार से वह अपनी वस्तु के साथ करता है।
2) **वस्तुओं की हानि को कवर करना**–किराया विक्रेता को वस्तु की किसी भी हानि का वहन करना होगा जो किराया क्रय में किसी त्रुटि के बिना होती है।
3) **ब्याज से लाभ प्राप्त करना**–किराया क्रय प्रणाली का एक अन्य लक्ष्य ब्याज अर्जित करना है।
4) **भविष्य में संपत्ति का स्वामी बनना**–अंतिम किस्त के भुगतान के बाद यह क्रेता को संपत्ति का स्वामी बनने में सहायता करता है।
5) **मूल्यह्रास से लाभ प्राप्त करना**–अंतिम किश्त के भुगतान के बाद, संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। फलस्वरूप, किराया विक्रेता संपत्ति पर मूल्यह्रास वसूलता है, जिससे उसकी आयकर दायित्व कम हो जाती है।

6) **To help Borrowers Facing Problems in Furnishing Security for Lending Institutions in Purchasing Goods:** Under hire purchase, the goods themselves serve as security because the ownership of the property remains with the lender until all payments are made by the purchaser.

7) **To Impose Restriction for Particular Purposes and Application Procedure for Customers:** Such restrictions help in reducing the risk of customer default.

4.12.5.Parties Involved in Hire Purchase

Following are the two main parties which form the hire purchase:

1) **Hire Purchaser:** The person who takes the possession of the goods and receives the right to utilize. The person is required to pay the applicable charges through installments spread over a course of the period.

2) **Hire Vendor:** Hire vendor is the person holding the ownership of the goods until the hire purchase amount is paid in installments.

4.12.6.Types of Hire Purchase

Following are the major types of hire purchase:

1) **Consumer Instalment Credit:** Consumer instalment credit involves extending financing facility to consumers for the purpose of acquiring consumer durables. Instalment credit may be extending in different forms including conditional sale such as hire purchase and personal loan credit sale.

   The consumer uses the fund advanced under the hire purchase agreement for the purpose of acquiring goods. Different hire purchase agreements have different ways of collection including block discounting, agency collection or direct collection.

2) **Industrial and Commercial Credit:** Under this classification, finance is extended in the form of credit sales, hire purchase, factoring, leasing and loans. The financing house acquires the equipment through the agreement of hire purchase and then lets it out to the commercial concern interested in the said asset.

6) **वस्तु क्रय करने में ऋण देने वाली संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करने में समस्याओं का सामना करने वाले उधारकर्ताओं की सहायता करना**– किराया क्रय के अंतर्गत, वस्तु स्वयं प्रतिभूति के रूप में कार्य करता है क्योंकि संपत्ति का स्वामित्व ऋणदाता के पास तब तक रहता है जब तक कि क्रेता द्वारा सभी भुगतान नहीं कर दिए जाते।

7) **ग्राहकों के लिए विशेष उद्देश्यों एवं उपयोग प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाना**– इस तरह के प्रतिबंध ग्राहक के दोष के जोखिम को कम करने में सहायता करते हैं।

4.12.5. किराया क्रय में शामिल पक्ष

किराया क्रय में शामिल होने वाले दो मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं–

1) **किराया क्रेता**–किराया क्रेता वह व्यक्ति होता है जो माल को अपने अधिकार में लेता है तथा उसका उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करता है। किराया क्रेता को निर्धारित किए गये किश्तों का भुगतान निश्चित अवधि के दौरान करना होता है।

2) **किराया विक्रेता**– किराया विक्रेता वह व्यक्ति होता है जिसके पास माल का स्वामित्व तब तक रहता है जब तक कि किश्तों में किराया क्रय राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

4.12.6. किराया क्रय के प्रकार

किराया क्रय के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं–

1) **उपभोक्ता किश्त ऋण**–उपभोक्ता किश्त ऋण में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को वित्तीयन सुविधा प्रदान करना शामिल है। किश्त ऋण विभिन्न रूपों में विस्तारित हो सकता है जिसमें सशर्त बिक्री जैसे किराया क्रय तथा व्यक्तिगत ऋण साख बिक्री शामिल है।

   उपभोक्ता वस्तु प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए किराया क्रय समझौते के अन्तर्गत दिए गए कोष का उपयोग करता है। अलग–अलग किराया क्रय समझौतों में संग्रहण के विभिन्न प्रकार होते हैं जिनमें ब्लॉक छूट, एजेंसी संग्रह या प्रत्यक्ष संग्रह शामिल है।

2) **औद्योगिक एवं वाणिज्यिक ऋण**–इस वर्गीकरण के अन्तर्गत, उधार बिक्री, किराया क्रय, फैक्टरिंग, पट्टे एवं ऋण के रूप में वित्त का विस्तार किया जाता है। वित्तीयन गृह उपकरण को किराया क्रय के समझौते के माध्यम से प्राप्त करता है तथा फिर इसे उक्त संपत्ति में रुचि रखने वाले वाणिज्यिक संस्था को किराये पर दे देता है।

4.13. VENTURE CAPITAL

4.13.1. Meaning and Definition of Venture Capital

The term venture capital consists of two words 'venture' and 'capital'. Venture implies a course of action with uncertain outcomes including the risk of loss. Capital denotes resources to move and run the projects. Thus, the term can be defined in two different ways i.e., in the narrower sense and broader sense.

In the **narrower sense**, the capital used for financing a **new business project** may be termed as venture capital. **It deals with offering funds to growing companies. In**

4.13. उद्यम पूँजी

4.13.1. उद्यम पूँजी का अर्थ एवं परिभाषा

उद्यम पूँजी शब्द दो शब्दों 'उद्यम' एवं 'पूँजी' से मिलकर बना है। उद्यम का तात्पर्य हानि के जोखिम सहित अनिश्चित परिणामों के साथ कार्य करने की एक विधि है। पूँजी परियोजनाओं को स्थानांतरित करने तथा चलाने के लिए संसाधनों को दर्शाती है। इस प्रकार, इस शब्द को दो विभिन्न प्रकारों से अर्थात् संकीर्ण तथा व्यापक अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है।

संक्षेप शब्दो में, एक नई व्यावसायिक परियोजना के वित्तपोषण के लिए उपयोग की जाने वाली पूँजी को उद्यम पूँजी कहा जा सकता है। यह बढ़ती कंपनियों को निधि देने से

the **broader sense,** venture capital involves investing in the long term equity finance on which the return is obtained by the way of capital gain. It is assumed that the entrepreneur and the venture capitalist work as partners.

Venture capital may be equity or equity related investment and is generally deployed in growth oriented small or medium scale business.

This is done to enable developers to accomplish their vision. Venture capital is a complex type of private equity investment.

According to 1995 Finance Bill, "Venture capital is defined as long-term equity investment in novel technology based projects with display potential for significant growth and financial return".

4.13.2. Features of Venture Capital

Following are the main features of venture capital financing:

1) **New Ventures:** Venture capital is generally invested in new business which uses cutting edge technology for offering better services or producing new goods. Their motive is to attain high growth and generate substantial returns.

2) **Continuous Involvement:** Venture capitalists not only provide funding but they also offer managerial guidance and technical skills to mentor the business clients.

3) **Mode of Investment:** It is a type of equity financing. However, it concentrates on business which is too new for the stock markets to raise funds. This type of financing can be in the form of convertible debt or loan financing to ensure that the investment portfolio of the venture capitalist shows a regular yield.

4) **Objective:** The main aim of a venture capitalist is to earn capital gain at the time of exit. In case of debt financing, the main aim is to get regular returns. It is a long term capital investment and introduce specially into new small and medium business with high growth potential.

5) **Liquidity:** Liquidity of venture capital investments is totally based on the success of the new projects. It is highly liquid if the business turns out to be profitable.

4.13.3. Objectives of Venture Capital

Following are the main objectives of venture capital:

1) To promote the use of indigenous technology and its commercial use.
2) Use foreign developed technology and make them amenable to Indian environment.
3) To put in motion the pilot projects.

संबंधित है। **व्यापक अर्थों में**, उद्यम पूँजी में दीर्घकालिक समता वित्त में निवेश करना शामिल होता है, जिस पर पूँजीगत लाभ के माध्यम से प्रत्याय प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि उद्यमी तथा उद्यम पूँजीपति साझेदार के रूप में कार्य करते हैं।

उद्यम पूँजी समता या समता से संबंधित निवेश हो सकती है तथा यह सामान्य रूप से विकास उन्मुख लघु या मध्यम स्तर के व्यवसाय में नियोजित की जाती है। यह विकासकर्ता को उनके उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। उद्यम पूँजी एक जटिल प्रकार का निजी समता निवेश है।

1995 के वित्त विधेयक के अनुसार, "उद्यम पूँजी को नई प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं में दीर्घकालीन समता निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि तथा वित्तीय प्रत्याय की क्षमता प्रदर्शित होती है"।

4.13.2. उद्यम पूँजी की विशेषताएँ

उद्यम पूँजी वित्तपोषण की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1) **नए उद्यम**– उद्यम पूँजी को सामान्य रूप से नए व्यवसाय में निवेश किया जाता है जो बेहतर सेवाओं की प्रस्तुति या नए माल के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। उनका उद्देश्य उच्च विकास प्राप्त करना तथा पर्याप्त प्रतफिल अर्जित करना है।

2) **निरंतर भागीदारी**– उद्यम पूँजीपति न केवल वित्त पोषण प्रदान करते हैं बल्कि ये व्यावसायिक ग्राहकों को सलाह देने के लिए प्रबंधकीय मार्गदर्शन एवं तकनीकी कौशल भी प्रदान करते हैं।

3) **निवेश का माध्यम**– यह एक प्रकार का समता वित्तपोषण है। हालाँकि, यह उन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करता है जो अंश बाजारों के लिए धन एकत्रित करने के लिए काफी नए होते हैं। इस प्रकार का वित्तपोषण परिवर्तनीय ऋण या ऋण वित्तपोषण के रूप में हो सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्यम पूँजीपति की निवेश संरचना एक नियमित प्रत्याय प्रदान करे।

4) **उद्देश्य**– एक उद्यम पूँजीपति का मुख्य उद्देश्य निकास के समय पूँजीगत लाभ अर्जित करना है। ऋण वित्तपोषण के संबंध में, इसका मुख्य उद्देश्य नियमित प्रतिफल प्राप्त करना है। यह एक दीर्घकालिक पूँजी निवेश है और यह विशेष रूप से उच्च विकास क्षमता वाले नए लघु एवं मध्यम व्यवसाय में प्रस्तुत किया जाता है।

5) **तरलता**– उद्यम पूँजी निवेश की तरलता पूर्ण रूप से नई परियोजनाओं की सफलता पर आधारित होती है। यदि व्यवसाय लाभदायक होता है तो यह अत्यधिक तरल होता है।

4.13.3. उद्यम पूँजी के उद्देश्य

उद्यम पूँजी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1) स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा इसके व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देना।
2) विदेशी विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा उन्हें भारतीय पर्यावरण के अनुकूल बनाना।
3) प्रारम्भिक परियोजनाओं को गति प्रदान करना।

4) To innovate and modernize various technologies and business processes.
5) To aid the development of relevant technologies.
6) To arrange funds for market surveys and promotions.

4.13.4. Functions of Venture Capital

Following are the functions of venture capital:

1) It provides financial assistance to new enterprises and new ventures involved in high-technology innovations.
2) It provides skills to the enterprise of the investee.
3) It provides seed capital funds for financing innovation even before the actual commencement of innovative project.
4) It provides various specialised services like technical, commercial, managerial, financial, and entrepreneurial services to customers.
5) It contributes to commence a new business or introducing new products or services in the market as well as helps the existing business to achieve optimum performance.
6) It offers comprehensive techno-managerial support and guidance services to its clients.
7) Venture capitalists ensure the availability of adequate commercial banking and receivable financing to the enterprises.
8) Venture Capitalists help businessmen to professionalize their firms by helping them to find, interview and appoint good corporate achievers.
9) Venture capitalists perform every function that is important to achieve higher returns on the investment.

4.13.5. Methods of Venture Capital Financing

The methods of venture capital financing are as follows:

1) **Equity Financing:** Venture capital undertakes basically deployed funds in the form of equity share capital for a longer period. This method of financing does not provide returns to the investors in the initial stages. There should be maximum of 49% shares in equity contribution in the venture capital company for maintaining the proper control and ownership with the entrepreneur.
2) **Conditional Loan:** The conditional loan is repaid as royalty if the venture produces sales and there is no interest paid. The venture capital financiers take royalty between 2% to 15%. The various other factors like cash flow patterns, gestation period, riskiness, etc. is considered for fixing the actual rate.

   The venture capital financier gives choices to the company for paying a high rate of interest that may be 20% in place of royalty on sales after it starts earning profit.

4) विभिन्न प्रौद्योगिकियों तथा व्यावसायिक प्रक्रियाओं को नया एवं आधुनिक बनाना।
5) प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायता करना।
6) बाजार सर्वेक्षण तथा प्रचार के लिए निधियों की व्यवस्था करना।

4.13.4. उद्यम पूँजी के कार्य

उद्यम पूँजी के कार्य निम्नलिखित है–

1) यह उच्च प्रौद्योगिकी नवाचारों में शामिल नए उपक्रम एवं नए उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
2) यह निवेश प्राप्तकर्ता के उद्यम को कौशल प्रदान करता है।
3) यह नवीन परियोजना के वास्तविक प्रारंभ से पहले ही नवाचार के वित्तपोषण के लिए प्रारंभिक पूँजी निधि प्रदान करता है।
4) यह ग्राहकों को तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रबंधकीय, वित्तीय एवं उद्यमशीलता सेवाएँ जैसी विभिन्न विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करता है।
5) यह एक नया व्यवसाय शुरू करने या बाजार में नए उत्पादों या सेवाओं को पेश करने में योगदान देता है और साथ ही मौजूदा व्यवसाय को इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करने में सहायता करता है।
6) यह अपने ग्राहकों को व्यापक तकनीकी–प्रबंधकीय सहायता एवं मार्गदर्शन सेवाएँ प्रदान करता है।
7) उद्यम पूँजीपति उपक्रमों को पर्याप्त वाणिज्यिक बैंकिंग एवं प्राप्य वित्तपोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करते है।
8) उद्यम पूँजीपति व्यवसायियों को उन्हें कॉर्पोरेट उपलब्धि हासिल करने वालों को खोजने, साक्षात्कार एवं नियुक्त करने में मदद करके उनकी फर्मों को पेशेवर बनाने में सहायता करते है।
9) उद्यम पूँजीपति हर वह कार्य करते हैं जो निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

4.13.5. उद्यम पूँजी की वितपोषण विधियाँ

उद्यम पूँजी की वितपोषण विधियाँ निम्नलिखित हैं–

1) **समता वित्तीयन**– उद्यम पूँजी मूल रूप से दीर्घ अवधि के लिए समता अंश पूँजी के रूप में कोषों का उपयोग करता है। वित्तीयन की यह विधि प्रारंभिक अवस्था में निवेशकों को प्रतिफल प्रदान नहीं करती है। उद्यमी के पास उचित नियंत्रण एवं स्वामित्व बनाए रखने के लिए उद्यम पूँजी कंपनी में समता योगदान में अधिकतम 49% अंश होने चाहिए।
2) **सशर्त ऋण**– सशर्त ऋण का अधिकारशुल्क के रूप में भुगतान किया जाता है यदि उद्यम बिक्री करता है तथा कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है। उद्यम पूँजी वित्तदाता 2% से 15% के मध्य अधिकारशुल्क लेते हैं। वास्तविक दर निर्धारित करने के लिए नकदी प्रवाह प्रतिरूप, परियोजना पूरी होने की अवधि, जोखिम आदि जैसे विभिन्न अन्य कारकों पर विचार किया जाता है।

   उद्यम पूँजी वित्तीयन कंपनी को लाभ अर्जित करने के प्रारम्भ के पश्चात् अधिकार शुल्क के स्थान पर उच्च दर पर ब्याज भुगतान करने का विकल्प प्रदान करता है जो 20% तक हो सकता है।

4.13.6. Financing Pattern under Venture Capital

The stage financing is the specific plan used by the venture capitalist. The venture capitalists require sufficient amount of financing in the four successive stages for the establishment of the business like idea generation, start up, emerging and establishment to attain economies of scale and stability. The risk is reduced by the help of stage financing. The four basic stages for making the project are as follows:

4.13.6. उद्यम पूँजी के अन्तर्गत वित्तीयन प्रारूप

वित्तीयन चरण उद्यम पूँजीपति द्वारा उपयोग की जाने वाली विशिष्ट योजना है। उद्यम पूँजीपतियों को व्यवसाय की स्थापना के लिए चार क्रमिक चरणों में पर्याप्त मात्रा में वित्तीयन की आवश्यकता होती है अर्थात् ये चरण विचार निर्माण, स्टार्ट अप, उभरना एवं स्थापना तथा पैमाने एवं स्थिरता की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करना है। चरण वित्तीयन की सहायता से जोखिम कम हो जाता है। परियोजना निर्माण के लिए चार बुनियादी चरण निम्न प्रकार हैं–

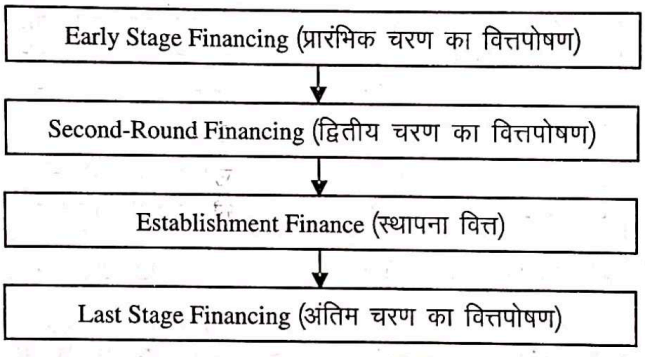

1) **Early Stage Financing**
   i) **Seed Capital:** The capital required to start a business is called seed capital. It is the first stage of project development which requires the small amount of capital to be given to the entrepreneurs for the concept testing and converting an idea into business. The seed capital is collected from the personal assets of the founder, friends and family. The requirement of money is small because the business is at the stage of idea generation. This kind of venture is usually at the pre-revenue stage and seed capital is required for research and development, for protecting the initial operating expenses till a product or service will start making revenue and for attaining the **interest of the venture capitalists.**

1) **प्रारंभिक चरण का वित्तपोषण**
   i) **मूल पूँजी**–व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक पूँजी को मूल पूँजी कहा जाता है। यह परियोजना विकास का पहला चरण है जिसके लिए उद्यमियों को अवधारणा परीक्षण तथा एक विचार को व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए कम मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है। मूल पूँजी संस्थापक, मित्रों तथा परिवार की व्यक्तिगत संपत्ति से एकत्र की जाती है। इसमें धन की आवश्यकता कम होती है क्योंकि व्यवसाय विचार निर्माण की अवस्था में होता है। इस प्रकार का उद्यम सामान्य रूप से पूर्व–राजस्व चरण में होता है तथा जब तक कोई उत्पाद या सेवा राजस्व अर्जित करना शुरू नहीं कर देता है तथा उद्यम पूँजीपतियों के हित को प्राप्त करने के लिए **प्रारंभिक परिचालन व्ययों के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए मूल पूँजी की आवश्यकता होती है।**

ii) **Start-Up Finance:** In the second stage, there is the provision of providing the finance to the unit by the venture capitalist for producing the product.

iii) **Additional Finance:** In the third stage, the additional finance is required for meeting starting expenses if the firm is not able to produce funds for bearing the working capital needs.

2) **Second-Round Financing:** This kind of financing is needed at the stage when the product is being launched in the market because at this stage, the business is unable to present the shares to the public as there is no profit earned by the company.

At this stage, the promoter will invest his own funds and the proper help will be given by the venture capitalist as required for the expansion and diversification will lead to attainment of economies of scale and stability. The venture capitalists will require large capital as compared to the early stage of financing.

3) **Establishment Finance:** Establishment finance is required for varied purpose such as for growth, capacity expansion, marketing and working capital.

4) **Last Stage Financing:** Financing in the last stage is required for the establishment of the business and also for extra financial support because the firm is not ready to go for public offer as it has not reached the profit earning stage. It consists of the following types of capital:
   i) Development capital,
   ii) Bridge/expansion capital,
   iii) Management buyouts,
   iv) Management buying, and
   v) Turnarounds.

4.13.7. Advantages of Venture Capital

Following are the main advantages of venture capital financing:

1) Venture capital funding can offer large amount of equity financing to the company. It also offers expertise and mentoring to their clients.
2) Venture funding makes it easier for the business to seek funding from additional sources.
3) Venture capitalists also participate in economic growth.
4) Venture capitalists help in promoting new and innovative business ideas which may not have been implemented due to lack of funding.
5) It encourages the entrepreneurs to take risks and innovate.
6) Venture capitalists benefit from economies with high growth rate.

ii) **स्टार्ट–अप वित्त**–दूसरे चरण में, उत्पाद के उत्पादन के लिए उद्यम पूँजीपति द्वारा इकाई को वित्त उपलब्ध कराने का प्रावधान होता है।

iii) **अतिरिक्त वित्त**– तीसरे चरण में, यदि फर्म कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधि का निर्माण करने में सक्षम नहीं होती है, तो प्रारंभिक व्ययों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता होती है।

2) **द्वितीय चरण का वित्तपोषण**–इस प्रकार के वित्तपोषण की आवश्यकता उस अवस्था में होती है जब उत्पाद को उत्पाद बाजार में लॉन्च किया जाता है क्योंकि इस स्तर पर, व्यवसाय जनता के सामने अंश प्रस्तुत करने में असमर्थ होती है क्योंकि कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं किया जाता है। इस स्तर पर, प्रवर्तक अपने स्वयं के धन का निवेश करता है तथा विस्तार एवं विविधीकरण के लिए आवश्यक उद्यम पूँजीपति द्वारा उचित सहायता प्रदान की जाती है तथा पैमाने एवं स्थिरता की अर्थव्यवस्थाओं की प्राप्ति होती है। उद्यम पूँजीपतियों को वित्तपोषण के प्रारंभिक चरण की तुलना में अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है।

3) **स्थापना वित्त**– विभिन्न उद्देश्यों जैसे विकास, क्षमता विस्तार, विपणन तथा कार्यशील पूँजी के लिए स्थापना वित्त की आवश्यकता होती है।

4) **अंतिम चरण का वित्तपोषण**– व्यवसाय की स्थापना तथा अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए भी अंतिम चरण में वित्त पोषण की आवश्यकता होती है क्योंकि फर्म सार्वजनिक प्रस्तुति के लिए जाने हेतु तैयार नहीं होता है क्योंकि यह लाभ अर्जित करने के चरण तक नहीं पहुँची है। इसमें निम्नलिखित प्रकार की पूँजी शामिल होती है–
   i) विकास पूँजी,
   ii) ब्रिज/विस्तार पूँजी,
   iii) प्रबंधन पूर्णक्रय,
   iv) प्रबंधन क्रय, तथा
   v) परिवर्तन।

4.13.7. उद्यम पूँजी के लाभ

उद्यम पूँजी वित्तपोषण के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं–

1) उद्यम पूँजी वित्तपोषण कंपनी को अधिक मात्रा में समता वित्तपोषण की पेशकश कर सकती है। यह अपने ग्राहकों को विशेषज्ञता एवं सलाह भी प्रदान करता है।
2) उद्यम वित्तपोषण व्यवसाय के लिए अतिरिक्त स्रोतों से धन प्राप्त करना सरल बनाती है।
3) उद्यम पूँजीपति भी आर्थिक विकास में भाग लेते हैं।
4) उद्यम पूँजी नए तथा नवाचार व्यवसाय योजना को प्रोत्साहित करने में सहायता करते हैं जो कि वित्तपोषण की कमी के कारण लागू नहीं हो पाए हैं।
5) यह उद्यमियों को जोखिम उठाने तथा नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
6) उद्यम पूँजीपतियों को उच्च विकास दर वाली अर्थव्यवस्थाओं से लाभ प्राप्त होता है।

4.13.8. Disadvantages of Venture Capital

Following are the main disadvantages of venture capital financing:

1) Venture capital financing involves complex and tedious process.
2) A detailed business plan needs to be prepared which may be expensive due to engagement of professionals and experts of that particular field.
3) It also entails high accounting and legal fees during the negotiation stage for securing capital funds.
4) Venture capital may take away the management control from the entrepreneur.
5) Venture capitalists may also demand share in profits for investing the funds.

4.14. BITCOIN

4.14.1. Introduction to BITCOIN

The bitcoin emerged in August, 2008. Two main events occurred in that year. On August 15, three academics/scientists involved in the area of encryption lodged a patent application. These academics were **Charles Bry, Vladimir Oksman and Neal King** and that patent application was related to update and distribution of encryption keys. The second event was related to the registration of bitcoin.org domain name on August 18.

On October 31, 2008, **Satoshi Nakamoto** published a paper to the internet. The paper was entitled "Bitcoin-A Peer-to-Peer Electronic Cash System". It elaborated the process of employing Peer-to-Peer networking for the purpose of facilitating electronic transactions. The paper formed the ideas encompassing the concept of Bitcoin. **Bitcoin** is a new type of currency which is found only in cyberspace. The term 'bit' is taken from the computer terminology. Bit is a unit of information in computer jargon and is represented by zero or one. This type of money is also referred to as "cryptocurrency" or "virtual money".

Bitcoin is the amalgamation of technologies and ideas supporting a digital currency ecosystem. The currency is used for storing and transmitting value among various participants of the system. Bitcoin protocol is employed by the users to communicate amongst them. This is carried out through the use of internet. Other transport network communication systems may also be used. The Bitcoin protocol stack is an opensource software. It can be operated on a large number of computing machines, right from desktops and laptops to smartphones.

Bitcoins may be transferred by the users over the network for any purpose which requires the use of conventional currencies. Such purposes include trading of goods, extending credit and transferring money to individuals or organizations. Bitcoin may also be converted into other

4.13.8. उद्यम पूँजी की हानियाँ

उद्यम पूँजी वित्तपोषण की मुख्य हानियाँ निम्नलिखित हैं–

1) उद्यम पूँजी वित्तपोषण की प्रक्रिया जटिल एवं थकाऊ है।
2) इसमें एक विस्तृत व्यावसायिक योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है जो उस विशेष क्षेत्र के पेशेवरों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण महंगी हो सकती है।
3) इसमें पूँजीगत निधियों को प्राप्त करने के लिए पारस्परिक क्रिया के चरण के दौरान उच्च लेखांकन तथा कानूनी शुल्क भी शामिल होता है।
4) उद्यम पूँजी उद्यमी से प्रबंधन का नियंत्रण ले सकती है।
5) उद्यम पूँजीपति निधियों के निवेश के लिए लाभ में भागीदारी की मांग भी कर सकती हैं।

4.14. बिटकॉइन

4.14.1. बिटकॉइन का परिचय

बिटकॉइन की उत्पत्ति अगस्त 2008 में हुई। उस वर्ष दो मुख्य घटनाएँ घटीं। 15 अगस्त को कूट लेखन के क्षेत्र से जुड़े तीन शिक्षाविदों वैज्ञानिकों ने एक पेटेंट आवेदन दायर किया। ये शिक्षाविद् **चार्ल्स ब्राय, व्लादिमीर ओक्समैन** एवं **नील किंग** थे और वह पेटेंट आवेदन कूट लेखन के अघतन एवं वितरण से संबंधित था। दूसरी घटना 18 अगस्त को bitcoin.org. डोमेन नाम के पंजीकरण से संबंधित थी।

31 अक्टूबर 2008 को **सातोशी नाकामोटो** ने इंटरनेट पर एक पेपर प्रकाशित किया। पेपर का शीर्षक था "बिटकॉइन –ए पीयर–टू–पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम"। इसने इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से P2P नेटवर्किंग को नियोजित करने की प्रक्रिया को विस्तृत किया। पेपर ने बिटकॉइन की अवधारणा को शामिल करते हुए विचारों का निर्माण किया। बिटकॉइन एक नई प्रकार की मुद्रा है जो केवल साइबरस्पेस में पाई जाती है। 'बिट' शब्द कंप्यूटर शब्दावली से लिया गया है। बिट कंप्यूटर शब्दजाल में सूचना की एक इकाई है और इसे शून्य या एक द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार की मुद्रा को "किप्टोंकरेंसी या आभासी मुद्रा" भी कहा जाता है।

बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने वाली प्रौद्योगिकियों एवं विचारों का संयोजन है। मुद्रा का उपयोग प्रणालियों के विभिन्न प्रतिभागियों के बीच मूल्य के भंडारण एवं संचारण के लिए किया जाता है। बिटकॉइन प्रोटोकॉल का प्रयोग उपयोगकर्ताओं द्वारा उनके बीच संचार करने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। अन्य परिवहन नेटवर्क संचार प्रणालियों का भी उपयोग किया जाता है। बिटकॉइन प्रोटोकॉल स्टैक एक ओपनसोर्स सॉफ्टवेयर है। इसे डेस्कटॉप एवं लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन तक बड़ी संख्या में कंप्यूटिंग मशीनों पर संचालित किया जाता है।

बिटकॉइन को उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए नेटवर्क पर स्थानांतरित किया जा सकता है जिसके लिए पारंपरिक मुद्राओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे **उद्देश्यों में वस्तुओं का व्यापार करना, ऋण देना तथा व्यक्तियों या संगठनों को धन हस्तांतरित करना शामिल है। बिटकॉइन**

currencies using specialized specialised money exchanges. Bitcoinmay be deemed as a perfect variant of money for the purpose of internet transactions.It is not only fast and secure but also borderless.

Bitcoins are completely virtual entities. There are no physical versions of this money. It does not even exist in the form of digital coins, though the coins are implicit in transactions. The ownership over transaction is proved through specialized specialised keys. These keys are used for the purpose of unlocking the implied value of the coins for the purpose of spending or transferring. These keys are stored in their respective user's' digital wallet. These keys are the only pre-requisite of unlocking transactions.

Following are the main methods of obtaining Bitcoins:

1) Mining
2) Currency exchange through Bitcoin providing services such as Mt. Gox
3) Offering services to others for obtaining Bitcoins in return.

4.14.2. Terms Used in Working of BITCOIN

The main terms used in the context of Bitcoin are as follows:

1) **Balance Block Chain:** The term 'Block Chain' refers to a Shared Public Ledger which is used by the entire Bitcoin universe. This block chain includes all the confirmed transactions. The value of spendable balance in a wallet is calculated using this chain. The chronological order and the veracity of the chain are maintained through the use of cryptography.

2) **Transactions Private Keys:** A transaction implies the transmission of worth between participating Bitcoin Wallets. These wallets are included in the block chain. These wallets come with a secret part of data. Such piece is known as seed or private key, and is used for signing transactions. Such signature operates as a mathematical proof signifying their origin from title holder of the wallet. It also prevents the possibility of the transaction being altered by anyone after its issuance. The dealings are broadcasted between the users. The confirmation process starts within 10 minutes. The process is known as mining.

3) **Processing Mining:** It is the procedure of extracting Bitcoins money. It is operated as a business as mostly the peers involved extract Bitcoin with the motive of generating profit. Specialized Specialised software called Bitcoin Miner is used for the purpose of minting Bitcoin. The software seeks new blocks in Bitcoin network chain. The process of mining refers to a **Distributed Consensus System** which confirms waiting transactions by counting them in a block chain. It creates a chronological sequence in the block chain and retains the neutral form of the

को विशिष्ट मुद्रा विनमय का उपयोग करने अन्य मुद्राओं में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इंटरनेट लेनदेन के उद्देश्य से बिटकॉइन को मुद्रा का एक आदर्श संस्करण माना जाता है। यह न केवल तेज़ तथा सुरक्षित है बल्कि सीमाहीन भी है।

बिटकॉइन पूरी तरह से आभासी संस्थाएँ हैं। इस मुद्रा का कोई भौतिक संस्करण नहीं है। यह डिजिटल सिक्कों के रूप में भी मौजूद नहीं है, हालाँकि सिक्के लेन–देन में निहित है। विशिष्ट कुंजियों के माध्यम से लेन–देन पर स्वामित्व सिद्ध किया जाता है। इन कुंजियों का प्रयोग खर्च करने या स्थानांतरित करने के उद्देश्य से सिक्कों के निहित मूल्य को अनलॉक करने के उद्देश्य से किया जाता है। ये कुंजियाँ उनके संबंधित उपयोगकर्ता के डिजिटल वॉलेट में संग्रहीत होती है। ये कुंजियाँ लेनदेन को अनलॉक करने की एकमात्र पूर्व आवश्यकता है।

बिटकॉइन प्राप्त करने की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित है–

1) खनन
2) Mt. Gox जैसी सेवाएँ प्रदान करते हुए बिटकॉइन के माध्यम से मुद्रा विनिमय।
3) बदले में बिटकॉइन प्राप्त करने के लिए दूसरों को सेवाएँ प्रदान करना।

4.14.2. बिटकॉइन की कार्यप्रणाली में प्रयुक्त शब्द

बिटकॉइन के संदर्भ में प्रयुक्त मुख्य शब्द निम्नलिखित है।

1) **बैंलेस ब्लॉक चेन**–'ब्लॉक चेन' शब्द एक साझा सार्वजनिक खाताबही को संदर्भित करता हैं जिसका उपयोग संपूर्ण बिटकॉइन उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है। इस ब्लॉक श्रृंखला में सभी पुष्टि किए गए लेनदेन शामिल हैं। वॉलेट में व्यय योग्य शेष राशि के मूल्य की गणना इस चेन का उपयोग करके की जाती है। कूट लेखन के उपयोग के माध्यम से कालानुक्रमिक क्रम एवं चेन की सत्यता को बनाए रखा जाता है।

2) **लेनदेन निजी कुँजी**–एक लेनदेन का तात्पर्य भाग लेने वाले बिटकॉइन वॉलेट के बीच मूल्य के हस्तांतरण से है। ये वॉलेट ब्लॉक चेन में शामिल किये जाते है। ये वॉलेट डेटा के एक गुप्त भाग के साथ आते हैं। इस तरह के टुकड़े को मूल या निजी कुंजी के रूप में जाना जाता है, और इसका प्रयोग लेनदेन पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। इस तरह के हस्ताक्षर वॉलेट के शीर्षक धारक से उनकी उत्पत्ति को दर्शाने वाले गणितीय प्रमाण के रूप में कार्य करते है। यह जारी होने के बाद किसी के द्वारा लेनदेन में परिवर्तन की संभावना को भी रोकता है। लेन–देन उपयोगकर्ताओं के बीच प्रसारित किया जाता है। पुष्टिकरण प्रक्रिया 10 मिनट के भीतर शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को खनन के रूप में जाना जाता है।

3) **खनन प्रक्रिया**–यह बिटकॉइन से पैसे निकालने की प्रक्रिया है। इसे एक व्यवसाय के रूप में संचालित किया जाता है क्योंकि इसमें शामिल अधिकांश सहकर्मी लाभ कमाने के उद्देश्य से बिटकॉइन निकालते हैं। बिटकॉइन को ढालने के लिए बिटकॉइन माइनर नामक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर बिटकॉइन नेटवर्क चेन में नए ब्लॉक की तलाश करता है। खनन की प्रक्रिया एक वितरित सामान्य सहमति प्रणाली को संदर्भित करती है जो प्रतीक्षा लेनदेन को ब्लॉक श्रृंखला में गिनकर पुष्टि करती है। यह ब्लॉक श्रृंखला

network. It also lets various computers to form an agreement regarding the nature of the concerned system. The confirmation procedure involves packing a transaction into blocks which are formed using extremely stringent cryptographic rules which are confirmed using the network. This eliminates the chances of previous blocks to be modified as any such modification will lead to invalidation of all the blocks which follow. Mining closely mimics competitive lottery which stops any individual from adding new blocks successively to the block chain. In this mode, no individual is able to exert control over what encompasses the block chain or substitutes portions of the concerned block chain for rolling back their spending.

4) **Hash Rate:** It is used to measure the processing power of the Bitcoin network. For ensuring the security of the network, rigorous mathematical calculations are used.

Following are the definitions of hash rate denominations:

i) 1 kH/s refers to 1,000 hashes per second, and

ii) 1 MH/s refers to 1,000,000 hashes per second, and

iii) 1 GH/s refers to 1,000,000,000 hashes per second, and

iv) 1 TH/s refers to 1,000,000,000,000 hashes per second, and

v) 1 PH/s refers to 1,000,000,000,000,000 hashes per second.

4.14.3. Purchasing of BITCOIN

Following are the main steps involved in the process of purchasing Bitcoin:

1) **Creation of Bitcoin Wallet:** This term refers to any program or website used by the operator for holding Bitcoin and for transacting. The first step is to create an account and install the wallet on a computing device or mobile phone. The user can create any number of security levels to suit their requirements. There are different types of wallets available, with varying security levels. Some wallets are suitable for daily spending while others are much more secure.

2) **Finding Bitcoin Address:** After creating login for Bitcoin wallet, receive money tab needs to be clicked. This leads to the creation of the initial Bitcoin address, which is required for receiving or sending payments.

3) **Buying Bitcoin:** The block chain info may be used for the purpose of locating various options for buying Bitcoin. Respective country needs to be chosen for this purpose. Bitcoin.com is an important site which provides information about bitcoin buying locations and current values.

में एक कालानुक्रमिक क्रम बनाता है एवं नेटवर्क के तटस्थ स्वरूप को बरकरार रखता है। यह विभिन्न कंप्यूटरों को संबंधित प्रणाली की प्रकृति के संबंध में एक समझौता बनाने की सुविधा भी देता है। पुष्टिकरण प्रक्रिया में लेनदेन को ब्लॉकों में पैक करना शामिल है जो बेहद कठिन क्रिप्टोग्राफ़िक नियमों का उपयोग करके बनाए जाते हैं जिनकी पुष्टि नेटवर्क का उपयोग करके ही जाती है। इससे पिछले ब्लॉकों को संशोधित करने की संभावना समाप्त हो जाती है क्योंकि ऐसे किसी भी संशोधन से आने वाले सभी ब्लॉक अमान्य हो जाएँगे। खनन प्रतिस्पर्धात्मक लॉटरी की नकल करता है जो किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक चेन में क्रमिक रूप से नए ब्लॉक जोड़ने से रोकता है। इस प्रकार से, कोई भी व्यक्ति ब्लॉक चेन में शामिल चीजों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है या अपने खर्च को वापस लाने के लिए संबंधित ब्लॉक चेन के कुछ भागों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है।

4) **हैश दर**–इसका उपयोग बिटकॉइन नेटवर्क की प्रसंस्करण शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर गणितीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है।

हैश दर मूल्यवर्ग की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं।

i) 1KH/s प्रति सेंकड 1,000 हैश को संदर्भित करता है, और

ii) 1MH/s प्रति सेंकड 1,000,000 हैश को संदर्भित करता है, और

iii) 1GH/s प्रति सेंकड 1,000,000,000 हैश को संदर्भित करता है, और

iv) 1TH/s प्रति सेंकड 1,000,000,000,000 हैश को संदर्भित करता है, और

v) 1PH/s प्रति सेंकड 1,000,000,000,000,000 हैश को संदर्भित करता है।

4.14.3. बिटकॉइन का क्रय

बिटकॉइन क्रय की प्रक्रिया में शामिल मुख्य चरण निम्नलिखित है–

1) **बिटकॉइन वॉलेट का निर्माण**–यह शब्द ऑपरेटर द्वारा बिटकॉइन रखने एवं लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी प्रोग्राम या वेबसाइट को संदर्भित करता है। पहला चरण एक खाता बनाना एवं कंप्यूटिंग डिवाइस या मोबाइल फोन पर एक वॉलेट इंस्टॉल करना है। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किसी भी संख्या में सुरक्षा स्तर बना सकता है। अलग–अलग सुरक्षा स्तरों के साथ विभिन्न प्रकार के वॉलेट उपलब्ध होते है। कुछ वॉलेट दैनिक खर्च के लिए उपयुक्त होते हैं जबकि अन्य अधिक सुरक्षित होते है।

2) **बिटकॉइन का पता ढूँढना**–बिटकॉइन वॉलेट के लिए लॉगिन करने के बाद रिसीव मनी टैब पर क्लिक करना होगा। इससे प्रारंभिक बिटकॉइन पते का निर्माण होता है जो भुगतान प्राप्त करने या भेजने के लिए आवश्यक होता है।

3) **बिटकॉइन क्रय करना**–बिटकॉइन क्रय करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के उद्देश्य से ब्लॉक चेन सूचना का उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए संबंधित देश को चुनना होगा। Bitcoin.com एक महत्वपूर्ण साइट है जो बिटकॉइन क्रय करने के स्थानों एवं वर्तमान मूल्यों के बारे में सूचना प्रदान करती है।

4.15. BLOCKCHAIN

4.15.1.Introduction to Blockchain

Blockchain technology refers to an open and distributed ledger by which transactions between two parties are recorded efficiently and permanently. A blockchain comprises of individual blocks of data involving a series of concerned transactions integrated together in a specific order. It facilitates the involved parties to share a digital ledger across a computer network without any centralised authority or intermediary.

This is the reason why the transactions through blockchain are processed faster. This technology is now significantly used in various sectors and banking is one of those sectors. Banking sector uses this technology to avail the benefits of enhanced speed, efficiency, transparency and security.

4.15.2.Features of Blockchain

The features of blockchain are as follows:

1) **Immutable:** Blockchain is immutable, i.e., permanent and unalterable network. It is not possible to modify or delete any transaction once recorded on the blockchain. This is what makes blockchain an immutable and tamper-proof ledger thereby ensuring high degree of security and trust.

2) **Distributed:** A copy of the ledger is distributed to all network participants in order to ensure complete transparency. It includes a public ledger comprising of complete information about all the participants on the network and transactions. This distributed computational power across the computers provides better results in terms of transparency.

3) **Decentralised:** Blockchain technology happens to be decentralised system implying that no central authority controls the network. A large number of nodes are responsible for making the network which works together for verifying and validating transactions. The same copy of the ledger is provided to the each and every node in the blockchain network.

4) **Secure:** There is an individual encryption of all the records in the blockchain. This feature adds another layer of security to the whole process on the blockchain network. As there is no central authority, there is nothing to fear that someone can simply add, update or delete data on the network. There is cryptographic hashing of all information on blockchain.

   This infers that every piece of data owns a unique identity on the network. Each block contains two hashes – own unique hash and the hash of the previous block. This enables crypto-graphical linking of blocks with each other. Any individual wishing to modify the data will have to modify all hash IDs and it is quite impossible.

4.15. ब्लॉकचेन

4.15.1. ब्लॉकचेन का परिचय

ब्लॉकचेन तकनीक एक खुले एवं वितरित खाताबही को संदर्भित करती है जिसके द्वारा दो पक्षों के बीच लेनदेन को कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। एक ब्लॉकचेन में डेटा के अलग–अलग ब्लॉक शामिल होते हैं जिसमें एक विशिष्ट क्रम में एक साथ एकीकृत संबंधित लेनदेन की शृंखला शामिल होती है। यह शामिल पक्षों को बिना किसी केंद्रीकृत प्राधिकरण या मध्यस्थ के कंप्यूटर नेटवर्क पर डिजिटल खाता साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

यही कारण है कि ब्लॉकचेन के माध्यम से लेनदेन तेजी से संसाधित होता है। यह तकनीक अब विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग की जाती है और बैंकिंग उन क्षेत्रों में से एक है। बैंकिंग क्षेत्र बढ़ी हुई गति, दक्षता, पारदर्शिता एवं सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग करता है।

4.15.2. ब्लॉकचेन की विशेषताएँ

ब्लॉकचेन की विशेषताएँ निम्नलिखित प्रकार से हैं–

1) **अपरिवर्तनीय**–ब्लॉकचेन अपरिवर्तनीय अर्थात् स्थायी एवं अपरिवर्तनीय नेटवर्क है। ब्लॉकचेन पर एक बार रिकॉर्ड होने के बाद किसी भी लेनदेन को संशोधित करना या हटाना संभव नहीं हैं। यही वह चीज है जो ब्लॉकचेन को एक अपरिवर्तनीय एवं हेरफेर रहित खाताबही बनाती है, जिससे उच्च स्तर की सुरक्षा तथा विश्वास सुनिश्चित होता है।

2) **वितरित**–पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खाता–बही की एक प्रति सभी नेटवर्क प्रतिभागियों को वितरित की जाती है। इसमें एक सार्वजनिक खाता बही शामिल होता है जिसमें नेटवर्क एवं लेनदेन के सभी प्रतिभागियों के बारे में पूरी सूचना शामिल होती है। कंप्यूटरों में वितरित यह कंप्यूटेशनल शक्ति पारदर्शिता के मामले में बेहतर परिणाम प्रदान करती है।

3) **विकेंद्रीकृत**–ब्लॉकचेन तकनीक विकेंद्रीकृत प्रणाली है जिसका अर्थ है कि कोई केंद्रीय प्राधिकरण नेटवर्क को नियंत्रित नहीं करता है। नेटवर्क बनाने के लिए बड़ी संख्या में नोड उत्तरदायी होते हैं जो लेनदेन को सत्यापित एवं मान्य करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रत्येक नोड को खाताबही की एक ही प्रति प्रदान की जाती है।

4) **सुरक्षित**–ब्लॉकचेन में सभी रिकॉर्ड का एक व्यक्तिगत एन्क्रिप्शन होता है। यह सुविधा ब्लॉकचेन नेटवर्क पर पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा की एक और परत जोड़ती है। चूँकि कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, इसलिए इस बात पर डरने की कोई बात नहीं है कि कोई व्यक्ति नेटवर्क पर डेटा जोड़, अपडेट या हटा सकता है। ब्लॉकचेन पर सभी सूचनाओं की क्रिप्टोग्राफिक मिश्रण होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि डेटा का प्रत्येक भाग नेटवर्क पर एक विशिष्ट पहचान रखता है। प्रत्येक ब्लॉक में दो हैश होते हैं। अपना अद्वितीय हैश एवं पिछले ब्लॉक का हैश। यह ब्लॉकों को एक–दूसरे के साथ क्रिप्टोग्राफिकल लिंक करने में सक्षम बनाता है। डेटा को संशोधित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सभी हैश IDs को संशोधित करना होगा तथा यह काफी असंभव है।

5) **Consensus:** Each blockchain works in consensus to facilitate the network in taking quick and unbiased decisions. This means all the nodes active on the network follow a decision-making algorithm to reach an agreement quickly and faster and ensure smooth functioning of the system.

It is necessary for every blockchain to have consensus algorithm to avoid losing its value. Nodes might have trust issues with the other nodes but they can trust the algorithm operating at the core of the network. Many consensus algorithms are available and each has its own pros and cons.

6) **Unanimous:** It is necessary for all network participants to agree to the validity of the records for getting added to the network. Any node wishing to add a block to the network is required to get majority voting. If it is unable to get majority voting, it cannot add the block to network.

It is also impossible for a node to add, update, or delete information from the network. There is quick and simultaneous updating of every record in the network. Therefore, it is impossible to make any change without getting consent from the majority of the nodes in the network.

7) **Faster Settlement:** Multiple problems are associated with traditional banking systems. They take multiple days for processing a transaction after finalising all settlements and it is quite easy to corrupt them.

However, this is not the case with blockchain. It offers a quicker settlement than traditional banking systems. The life is made easier with this blockchain feature.

8) **Smart Contracts:** The creation and execution of smart contracts is enabled by Blockchain technology. These are self-executing contracts which are automatically executed after meeting certain terms and conditions. These contracts have the potential to revolutionise various industries while providing a secure and transparent way for executing contracts.

9) **Transparency:** It is quite easy for anyone to access and view the transactions on the network as the blockchain ledger is public and transparent. This enables the system to be highly transparent which is resistant to fraud and corruption.

4.15.3.Advantages of Blockchain in Banking Sector

Blockchain Technology offers following advantages to the banking sector:

1) **Security:** Banks using blockchain technology can deal with various security issues ranging from protecting sensitive records to enhanced user authentication. This technology contributes to security in following ways:

5) **सर्वसम्मति**–प्रत्येक ब्लॉकचेन नेटवर्क को त्वरित एवं निष्पक्ष निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए सर्वसम्मति से कार्य करता है। इसका अर्थ है कि नेटवर्क पर सक्रिय सभी नोड जल्दी तथा तेजी से एक समझौते पर पहुँचने और प्रणाली के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने वाले एल्गोरिथ्म का पालन करते है। प्रत्येक ब्लॉकचेन के मूल्य को खोने से बचने के लिए सर्वसम्मति एल्गोरिथ्म का होना आवश्यक है। नोड्स में अन्य नोड्स के साथ विश्वास संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं परंतु वे नेटवर्क के मूल में कार्य करने वाले एल्गोरिथ्म पर भरोसा कर सकते हैं। कई सर्वसम्मत एल्गोरिथ्म उपलब्ध हैं तथा प्रत्येक के अपने लाभ एवं हानि हैं।

6) **एकमत**–नेटवर्क में शामिल होने के लिए सभी नेटवर्क प्रतिभागियों को रिकॉर्ड की वैधता से सहमत होना आवश्यक है। नेटवर्क में ब्लॉक जोड़ने के इच्छुक किसी भी नोड को बहुमत से मतदान प्राप्त करना आवश्वक है। यदि यह बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ है, तो यह ब्लॉक को नेटवर्क में नही जोड़ सकता है।

किसी नोड क लिए नेटवर्क से सूचना जोड़ना, अपडेट करना या हटाना भी असंभव है। नेटवर्क में हर रिकॉर्ड का त्वरित और एक साथ अद्यतनीकरण होता है। अतः नेटवर्क में अधिकांश नोड्स से सहमति प्राप्त किए बिना कोई भी परिवर्तन करना असंभव है।

7) **त्वरित समाधान**–पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों से अनेक समस्याएँ जुड़ी हुई हैं। सभी निपटानों को अंतिम रूप देने के बाद लेनदेन को संसाधित करने में उन्हें कई दिन लग जाते हैं और उन्हें भ्रष्ट करना काफी आसान होता है। हालाँकि, ब्लॉकचेन के मामले में ऐसा नहीं है। यह पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों की तुलना में त्वरित समाधान प्रदान करता है। इस ब्लॉकचेन सुविधा से जीवन आसान हो गया है।

8) **स्मार्ट अनुबंध**–स्मार्ट अनुबंध का निर्माण एवं निष्पादन ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा सक्षम है। ये स्व–निष्पादित अनुबंध हैं जो कुछ नियमों एवं शर्तों को पूरा करने के बाद स्वचालित रूप से निष्पादित होते हैं। इन अनुबंधों में अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए एक सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीका प्रदान करते हुए विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता है।

9) **पारदर्शिता**–एक व्यक्ति के लिए भी नेटवर्क पर लेनदेन तक पहुँचना एवं देखना काफ़ी आसान है क्योंकि ब्लॉकचेन खाता बही सार्वजनिक और पारदर्शी है। यह प्रणाली को अत्यधिक पारदर्शी बनाता है जो धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के प्रतिरोधी है।

4.15.3. बैंकिंग क्षेत्र में ब्लॉकचेन के लाभ

ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैंकिंग क्षेत्र को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है–

1) **सुरक्षा**–ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाले बैंक संवेदनशील रिकॉर्ड की सुरक्षा से लेकर उन्नत उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण तक विभिन्न सुरक्षा मुद्दों से निपट सकते हैं। यह तकनीक निम्नलिखित तरीकों से सुरक्षा में योगदान करती है–

i) **User Authentication:** The need to protect user and bank accounts and devices with passwords has been eliminated with the introduction of blockchain technology in banking sector. This technology combines blockchain security with biometrics by encrypting the unique identifiers of users like iris, fingerprints, voice etc. into a block in blockchain. This encrypted block can be used by the technology to access the apps and gadgets or to sign the data sent by the user to others.

ii) **Data Protection:** Since blockchain is decentralised system, the cyber criminals are required to work with an entire blockchain system rather than a central node for hacking it. As the data is spread across multiple nodes, no particular server is there to be attacked. For the same reason, blockchain is used by a few banking institutions for storing data and securing transactions.

iii) **Secure Communication:** Blockchain helps in securing internal communication by preventing data leakage or cyber espionage. The data utilised for communication is distributed by blockchain around the distributed ledger in the form of metadata which is impossible for hackers to gather.

2) **Transparency:** The transparency of transactions can be increased by using blockchain technology in banking sector. Consequently, it becomes easier to detect and prevent fraud. Since a shared digital ledger is used by the banks for recording each transaction, their visibility for the blockchain participants is increased. Thus, it becomes easier for banks to track and verify the history of each transaction. In this way, there is no opportunity for money laundering, scam and other fake operation under blockchain banking.

3) **Enhanced Data Quality:** Any type of data can be stored securely in improved and upgraded versions of blockchain. The individuals trying to access the information need to perform predefined rules and regulations. Through its technology of smart contracts, it outperforms automatically to verify and enforce contracts. The data is inherited with **various** benefits of the blockchain when it is moved into the digitally shared ledgers of blockchain.

4) **Accounting and Audit:** The ability of blockchain to store immutable records significantly impacts the way accounting, book-keeping and audit is performed across the banking sector. It is fruitful in this domain in the way that it reduces paperwork, streamlines traditional bookkeeping ways, and ensures that records are immediately available for audit. Consequently, the regulatory compliance is likely to be improved significantly across the sector.

i) **उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण**–बैंकिंग क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक की शुरूआत के साथ उपयोगकर्ता एवं बैंक खातों तथा उपकरणों को पासवर्ड से सुरक्षित रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। यह तकनीक ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में उपयोगकताओं के विशिष्ट पहचानकर्ताओं जैसे आईरिस, फिंगरप्रिंट आवाज इत्यादि का एन्क्रिप्ट करके ब्लॉकचेन सुरक्षा को बायोमैट्रिक्स के साथ जोड़ती हैं। एन्क्रिप्टेड ब्लॉक का उपयोग तकनीक द्वारा ऐप्स एवं गेजेट्स तक पहुँचने या उपयोगकर्ता द्वारा दूसरों को भेजे गए डेटा पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है।

ii) **डेटा संरक्षण**–चूँकि ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत प्रणाली है, इसलिए साइबर अपराधियों को इसे हैक करने के लिए एक केंद्रीय नोड के बजाय पूरे ब्लॉकचेन प्रणाली के साथ कार्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि डेटा कई नोड्स में फैला हुआ है, इसलिए किसी विशेष सर्वर पर आक्रमण नहीं किया जाता है। इसी कारण से, ब्लॉकचेन का उपयोग कुछ बैंकिंग संस्थानों द्वारा डेटा संग्रहीत करने एवं लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है।

iii) **सुरक्षित संचार**–ब्लॉकचेन डेटा चोरी या साइबर जासूसी को रोककर आंतरिक संचार को सुरक्षित करने में सहायता करता है। संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा ब्लॉकचेन द्वारा मेटाडेटा के रूप में वितरित खाताबही के आसपास वितरित किया जाता है जिसे एकत्रित करना हैकर्स के लिए असंभव है।

2) **पारदर्शिता**–बैंकिंग क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके लेनदेन की पारदर्शिता को बढ़ाया जाता है। परिणामस्वरूप, धोखाधड़ी का पता लगाना एवं उसे रोकना आसान हो जाता है। चूँकि प्रत्येक लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए बैंकों द्वारा एक साझा डिजिटल खाताबही का उपयोग किया जाता है, इसलिए ब्लॉकचेन प्रतिभागियों के लिए उनकी दृश्यता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार, बैंकों के लिए प्रत्येक लेनदेन के इतिहास को ट्रैक करना एवं सत्यापित करना आसान हो जाता है। इस प्रकार, ब्लॉकचेन बैंकिंग के तहत मनी लॉन्ड्रिंग, घोटाले एवं अन्य फर्जी कार्यों का कोई अवसर नहीं है।

3) **बढ़ती आकड़ों की गुणवत्ता**– ब्लॉकचेन के सुधार एवं उन्नत संस्करणों में किसी भी प्रकार के डेटा को सुरक्षित रूप से संगहित किया जा सकता है। सूचना तक पहुँचने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को पूर्वनिर्धारित नियमों एवं विनियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। स्मार्ट अनुबंधों की अपनी तकनीक के माध्यम से, यह अनुबंधों को सत्यापित करने एवं लागू करने में स्वाचालित रूप से बेहतर प्रदर्शन करता है। डेटा को ब्लॉकचेन के विभिन्न लाभों के साथ विरासत में प्राप्त किया जाता है जब इसे ब्लॉकचेन के डिजिटल रूप से साझा किए गए खाता–बही में ले जाया जाता है।

4) **लेखांकन एवं अंकेक्षण**–ब्लॉकचेन की अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड संग्रहित करने की क्षमता बैंकिंग क्षेत्र में लेखांकन, पुस्तपालन और अंकेक्षण के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यह इस क्षेत्र में इस प्रकार से उपयोगी है कि यह कागजी कार्यवाही को कम करता है, पारंपरिक पुस्तपालन पद्धति को सुव्यवस्थित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड अंकेक्षण के लिए तुरंत उपलब्ध हों। परिणामस्वरूप, पूरे क्षेत्र में नियामक अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है।

4.16. CRYPTO CURRENCY

4.16.1. Introduction to Crypto Currency

Crypto currency is a virtual/digital currency which may be used, just like a physical currency, as a medium of exchange. With a view to securing and verification of transactions, as also to manage/monitor/control the generation of new units of a specific crypto currency, the technology of cryptography is used.

Crypto currencies are essentially outside the purview of existing banking and governmental institutions and are exchanged over the internet. Crypto currency exchanges allow customers to trade crypto currencies for other assets or to trade between different digital currencies.

The legal status of crypto currencies varies substantially from country to country and remains undefined till now. While some countries have explicitly allowed their use and trade, others have banned or restricted it. The database pertaining to crypto currency is limited and their accessibility is restricted and conditional.

Crypto currencies, being a kind of digital currencies, have no physical presence. Mostly they are used during online transactions, although they may be used during in-person transactions also with a counterparty, who is prepared to accept them. Such in-person crypto currency transactions are essentially carried out through a digital wallet using a mobile phone.

4.16. क्रिप्टो मुद्रा

4.16.1. क्रिप्टो मुद्रा का परिचय

क्रिप्टो मुद्रा एक आभासी/डिजिटल मुद्रा है जिसका उपयोग भौतिक मुद्रा की तरह ही विनिमय के माध्यम के रूप में किया जा सकता है। लेन–देन की सुरक्षा और सत्यापन की दृष्टि से, साथ ही एक विशिष्ट क्रिप्टो मुद्रा की नई इकाईयों की पीढ़ी का प्रबंधन/निगरानी/नियंत्रण करने के लिए, क्रिप्टोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

क्रिप्टो मुद्राएँ निश्चित रूप से मौजूदा बैंकिंग एवं सरकारी संस्थानों के दायरे से बाहर हैं तथा इंटरनेट पर आदान–प्रदान की जाती है। क्रिप्टो मुद्रा विनिमय ग्राहकों को अन्य परिसंपत्तियों के लिए क्रिप्टो मुद्राओं का व्यापार करने या विभिन्न डिजिटल मुद्राओं के के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है।

क्रिप्टो मुद्राओं की कानूनी स्थिति अलग–अलग देशों में काफी भिन्न होती है और अब तक अपरिभाषित है। हालाँकि कुछ देशों ने स्पष्ट रूप से उनके उपयोग एवं व्यापार की अनुमति दी है, परन्तु अन्य ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंधित कर दिया है। क्रिप्टो मुद्राओं से संबंधित डेटाबेस सीमित है और उनकी पहुँच प्रतिबंधित एवं सशर्त है।

क्रिप्टो मुद्राएँ, एक प्रकार की डिजिटल मुद्राएँ होने के कारण उनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है। अधिकतर इनका उपयोग ऑनलाइन लेनदेन के दौरान किया जाता है, हालाँकि इनका उपयोग किसी प्रतिपक्ष के साथ व्यक्तिगत लेनदेन के दौरान भी किया जाता है, जो उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस तरह के व्यक्तिगत क्रिप्टो मुद्रा लेनदेन निश्चित रूप से मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके डिजिटल वॉलेट के माध्यम से किए जाते है।

A large number of crypto currencies are used throughout the globe; the most common amongst them being "Bitcoin". At times, the term "Altcoin" (short for an alternative to bitcoin) is used for other crypto currencies. Under the bitcoin protocol, peer-to-peer (P2P) transactions can be carried out in a decentralised system, which is independent of any financial institution or Government.

4.16.2. Features of Crypto Currency Market

The following are the features of crypto currency market:

1) The cryptography currency is secured and can trade in market without any fear of loss. The financial transactions in market are secured from cryptography codes and locked by using public cryptographic system.
2) The users of crypto currency cannot make the transactions reversible which is a basic shortcoming of crypto market. Once the transactions are confirmed by users then only they are responsible for their work in market.
3) The restriction in market are relatively less, so the individual can access to crypto currencies through installed free software and use them as when required. There is no gatekeeper who restricts the transactions of crypto currency.
4) The transactions of crypto currency in market take place very quick, when user initiates a transaction it instantly reaches to network and get completed within two to three minutes.
5) Crypto currency market is the global market where geographical boundaries do not limit the functioning of market. An individual can send crypto currency to any person living in another part of the world.
6) Individual need not to disclose his real identity as they can avail the advantages of market just by providing their address.

4.16.3. Types of Crypto Currency in Market

In market, following are the broader categories of crypto currency:

1) **Bitcoin:** This crypto currency was the first blockchain.
2) **Altcoins:** NEO, Litecoin and Cardano are solid examples of altcoins.
3) **Tokens/Apps:** Civic (CVC), BitDegree (BDG), and WePower (WPR) are the examples of tokens/app.

4.16.4. Most Common Crypto Currencies in Market

In market, following are the most common of crypto currency:

1) **Bitcoin:** This is considered as the first crypto currency introduced in market.
2) **Ethereum:** This currency does not work with bitcoins and it is a Turing-complete programmable currency which enables developers to create distinct distributed apps and technologies.

दुनिया भर में बड़ी संख्या में क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, उनमें से सबसे आम "बिटकॉइन" है। कभी – कभी "Altcoin" (बिटकॉइन के विकल्प के लिए संक्षिप्त) शब्द का उपयोग अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के लिए किया जाता है। बिटकॉइन प्रोटोकॉल के अंतर्गत, पीयर – टू – पीयर (P2P) लेनदेन एक विकेंद्रीकृत प्रणाली में किया जाता है, जो किसी भी वित्तीय संस्थान या सरकार से स्वतंत्र है।

4.16.2. क्रिप्टो मुद्रा बाजार की विशेषताएँ

क्रिप्टो मुद्रा बाजार की विशषताएँ निम्नलिखित हैं–

1) क्रिप्टोग्राफी मुद्रा सुरक्षित है और बिना किसी हानि के डर के बाजार में व्यापार कर सकती है। बाजार में वित्तीय लेनदेन को क्रिप्टोग्राफी कोड से सुरक्षित किया जाता है और सार्वजनिक क्रिप्टोग्राफिक प्रणाली का उपयोग करके लॉक किया जाता है।
2) क्रिप्टो मुद्रा के उपयोगकर्ता लेन–देन को प्रतिवर्ती नहीं बना सकते जो कि क्रिप्टो बाजार की एक बुनियादी कमी है। एक बार उपयोगकर्ताओं द्वारा लेनदेन की पुष्टि हो जाने के बाद ही वे बाजार में अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं।
3) बाजार में प्रतिबंध अपेक्षाकृत कम है, इसलिए व्यक्ति स्थापित निःशुल्क सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्रिप्टो मुद्राओं तक पहुँच सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग कर सकता है। क्रिप्टो मुद्रा के लेन–देन पर रोक लगाने वाला कोई द्वारपाल नहीं है।
4) बाजार में क्रिप्टो मुद्रा का लेनदेन बहुत तेजी से होता है, जब उपयोगकर्ता लेनदेन शुरू करता है तो यह तुरंत नेटवर्क तक पहुँच जाता है तथा दो से तीन मिनट के भीतर पूरा हो जाता है।
5) क्रिप्टो मुद्रा बाजार वैश्विक बाजार है जहाँ भौगोलिक सीमाएँ बाजार के कामकाज को सीमित नहीं करती है। कोई व्यक्ति दुनिया के दूसरे भाग में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को क्रिप्टो मुद्रा भेज सकता है।
6) व्यक्ति को अपनी वास्तविक पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे केवल अपना पता प्रदान करके बाजार का लाभ उठा सकते हैं।

4.16.3. बाजार में क्रिप्टो मुद्रा के प्रकार

बाजार में, क्रिप्टो मुद्रा की व्यापक श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं–

1) **बिटकॉइन**–यह क्रिप्टो मुद्रा पहली ब्लॉकचेन थी।
2) **अल्टकॉइन**–NEO, लाइटकॉइन एवं कार्डाना अल्टकॉइन के ठोस उदाहरण हैं।
3) **टोकन/ऐप**–सिविक (CVC), बिटडिग्री (BDG), एवं वीपॉवर (WPR) टोकन/ऐप के उदाहरण है।

4.16.4. बाजार में सबसे सामान्य क्रिप्टो मुद्राएँ

बाजार में सबसे सामान्य क्रिप्टो मुद्राएँ निम्नलिखित है–

1) **बिटकॉइन**–इसे बाजार में पेश की गई पहली क्रिप्टो मुद्रा माना जाता है।
2) **एथेरियम**–यह मुद्रा बिटकॉइन के साथ कार्य नहीं करती है एवं यह एक टयूरिंग पूर्ण प्रोग्राम योग्य मुद्रा है जो डेवलपर्स को अलग–अलग वितरित ऐप्स तथा तकनीक बनाने में सक्षम बनाती है।

3) **Ripple:** This currency is not using Blockchain to access a network-wide consensus for transactions. It is based upon continuous consensus process which makes it faster than the Bitcoins but it is not strong enough to avoid the hackers' attacks.

4) **Bitcoin Cash:** It is a device of Bitcoin which is widely used by the Bitcoin mining company and a manufacturer of ASICs Bitcoin mining chips. It holds a significant position amongst the top five crypto currencies in terms of market cap.

5) **NEM:** This currency is based on proof of work algorithm where user needs to maintain certain amounts of coins which further used for acquiring new coins. The users can use their fund and track their transaction through NEM network.

6) **Litecoin:** This currency is developed as 'digital silver' which is a device created against Bitcoin's 'digital gold'. The blocks of this currency are faster than other currency.

7) **IOTA:** This currency is invented through ledger technology known as **Tangle** where sender of transaction does proof of work algorithm to approve transactions.

8) **NEO:** It is a smart contract network developed in china for all types of financial contracts and third party distributed apps are also based on it. The goals of NEO are similar to Ethereum.

9) **Dash:** It is a dual network of **miner and 'masternodes'.** Miner is used for protecting the network and recorded transactions and it is comparatively faster than bitcoins. Masternodes support the Instant Send and Private Send kinds of transaction and it is completely similar to Bitcoins.

10) **Qtum:** This network is a combination of both **Bitcoin's and Ethereum's,** it helps in increasing the reliability of bitcoins and accessing the smart contracts and distributed applications present in Ethereum network.

11) **Monero:** This crypto currency is widely used by the users because it is based on opened and privacy focused principles and it enable user to makes private transactions.

12) **Ethereum Classic:** This currency is an original version of Ethereum.

4.16.5. Crypto Currency Market in India

Since last five years use of crypto currency is prevalent in India and many large or small traders are making more use of Bitcoins. Bitcoins is the only crypto currency which is widely used by the traders in India. This currency is convenient to use due to its high volatility and can be exchanged for other type of currencies present in international market. Remarkable changes are observed in financial market therefore,

3) **रियल**–यह मुद्रा लेनदेन के लिए नेटवर्क व्यापी सर्वसम्मति तक पहुँचने के लिए ब्लॉकचेन का प्रयोग नहीं कर रही है। यह निरंतर सामान्य सर्वसम्मति प्रक्रिया पर आधारित है जो इसे बिटकॉइन से तेज बनाता है परंतु यह हैकर्स के हमलों से बचने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है।

4) **बिटकॉइन रोकड़**–यह बिटकॉइन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग बिटकॉइन खनन कंपनी एवं ASICs बिटकॉइन खनन चिप्स के निर्माता द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। यह बाजार कैप के मामले में शीर्ष पाँच क्रिप्टो मुद्राओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

5) **NEM**–यह मुद्रा कार्य एल्गोरिथ्म के प्रमाण पर आधारित है जहाँ उपयोगकर्ता को कुछ निश्चित मात्रा में सिक्के रखने की आवश्यकता होती है जो आगे नए सिक्के प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उपयोगकर्ता अपने फंड का उपयोग कर सकते हैं एवं NEM नेटवर्क के माध्यम से अपने लेनदेन को ट्रैक करते है।

6) **लाइटकॉइन**–इस मुद्रा को 'डिजिटल सिल्वर' के रूप में विकसित किया गया है जो बिटकॉइन के 'डिजिटल गोल्ड' के विरूद्ध बनाया गया एक उपकरण है। इस मुद्रा के ब्लॉक अन्य मुद्रा की तुलना में तेज हैं।

7) **IOTA**–इस मुद्रा का आविष्कार खाता–बही तकनीक के माध्यम से किया गया है जिसे **टैंगल** के नाम से जाना जाता है जहाँ लेनदेन करने वाला लेनदेन को मंजूरी देने के लिए कार्य एल्गोरिथ्म का प्रमाण देता है।

8) **NEO**–यह सभी प्रकार के वित्तीय अनुबंधों के लिए चीन में विकसित एक स्मार्ट अनुबंध नेटवर्क है और तीसरे पक्ष के वितरित ऐप्स भी इस पर आधारित है। NEO के लक्ष्य एथेरियम के समान है।

9) **डैश**–यह **माइनर एवं 'मास्टरनोड्स'** का दोहरा नेटवर्क है। माइनर का उपयोग नेटवर्क एवं रिकॉर्ड किए गए लेनदेन की सुरक्षा के लिए किया जाता है और यह बिटकॉइन की तुलना में तुलनात्मक रूप से तेज है। मास्टरनोड्स तत्काल एवं निजी प्रकार के लेनदेन का समर्थन करते है तथा यह पूरी तरह से बिटकॉइन के समान है।

10) **Qtum**–यह नेटवर्क बिटकॉइन एवं एथेरियम दोनों का संयोजन है, यह बिटकॉइन की विश्वसनीयता बढ़ाने और एथेरियम नेटवर्क में मौजूद स्मार्ट अनुबंध तथा वितरित अनुप्रयोग तक पहुँचने में सहायता करता है।

11) **मोनेरा**– यह क्रिप्टो मुद्रा उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि यह खुले एवं गोपनीयता केंद्रित सिद्धांतों पर आधारित है और यह उपयोगकर्ता को निजी लेनदेन करने में सक्षम बनाती है।

12) **एथेरियम क्लासिक**–यह मुद्रा एथेरियम का मूल संस्करण है।

4.16.5. भारत में क्रिप्टो मुद्रा बाज़ार

पिछले पाँच वर्षों से भारत में क्रिप्टो मुद्रा का प्रयोग प्रचलित है एवं कई छोटे–बड़े व्यापारी बिटकॉइन का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। बिटकॉइन एकमात्र क्रिप्टो मुद्रा है जिसका उपयोग भारत में व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। अपनी उच्च अस्थिरता के कारण इस मुद्रा का उपयोग करना सुविधाजनक है एवं इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद अन्य प्रकार की मुद्राओं से बदला जाता है। वित्तीय

Indian exchanges are deciding to introduce some other digital currencies like Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash and many others. Global market is consisting of more than 1000 crypto currencies. In India, crypto currencies are purchased through blockchain that gather applications from buyers.

Apart from bitcoins, applications are also made for other types crypto currencies which are as follows:

1) Bitcoin,
2) Ethereum,
3) Litecoin,
4) Ripple,
5) NEM (XEM),
6) DASH,
7) IOTA,
8) Monero,
9) EOS,
10) Stratis,
11) Bitshares,
12) Zcash,
13) Antshares,
14) Bytecoin,
15) Steem, and
16) CryptalDash ICO.

4.16.6. Advantages of Cryptocurrency

Following are the advantages of crypto currency market:

1) **Easy Access:** Crypto currency market is easily accessible by the general public. Any person can be a part of this market. The operations of market are completely decentralised as a person from a particular place of the world can transact their business activities through crypto currencies. It becomes a better source of fund for on-going business.

2) **Quick and Easy Payments:** Crypto currency market enables investors to execute their payments in few seconds. The processing of payments is reckless which get completed after entering few details. Only the address of wallet is required to be entered to make payment. The cost and convenience of payments transactions are favourable for investors.

3) **Access by Everyone in Every Market:** Increasing use of mobile applications has change the functioning of financial market, almost every individual is connected to internet for conducting their financial transactions. Crypto currency market is a digital market where financial transactions are of low cost or free of cost. Individual accessibility to currency market is easy due to mobile application and he can utilise currencies for all digital payments in other market.

4) **Eliminate the Role of Third Party:** An investor can use his wallet money as per his requirement as third party is not present for processing the crypto currency.

बाजार में उल्लेखीनय परिवर्तन देखे जा रहे हैं, इसलिए भारतीय विनिमय एथेरियम, रिपल, बिटकॉइन रोकड़ एवं कई अन्य जैसी कुछ अन्य डिजिटल मुद्राएँ पेश करने का निर्णय ले रहे हैं। वैश्विक बाजार में 1000 से अधिक क्रिप्टो मुद्राएँ शामिल हैं। भारत में, क्रिप्टो मुद्राएँ ब्लॉकचेन के माध्यम से क्रय की जाती हैं जो क्रेता से आवेदन एकत्र करते हैं।

बिटकॉइन के अतिरिक्त अन्य प्रकार की क्रिप्टो मुद्रा के लिए भी आवेदन बनाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं–

1) बिटकॉइन,
2) एथेरियम,
3) लाइटकॉइन,
4) रिपल,
5) NEM (XEM),
6) डैश,
7) 10TA,
8) मोनेरो,
9) EOS,
10) स्ट्रैटिस,
11) बिटशेयर
12) Z Cash,
13) अंतशेयर,
14) बाइटकॉइन,
15) स्टीम, तथा
16) क्रिप्टलडैश ICO

4.16.6. क्रिप्टो मुद्रा के लाभ

क्रिप्टो मुद्रा बाजार के निम्नलिखित लाभ है–

1) **सरल प्रवेश**–क्रिप्टो मुद्रा बाजार सामान्य जनता के लिए सरलता से उलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इस बाज़ार का भाग बन सकता है। बाजार का संचालन पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है क्योंकि दुनिया के किसी विशेष स्थान से कोई व्यक्ति क्रिप्टो मुद्राओं के माध्यम से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करता है। यह चालू व्यवसाय के लिए धन का एक बेहतर स्त्रोत बन जाता है।

2) **त्वरित एवं सरल भुगतान**–क्रिप्टो मुद्रा बाजार निवेशकों को कुछ ही सेंकड में अपना भुगतान निष्पादित करने में सक्षम बनाता है। भुगतान की प्रक्रिया आसान है जो कुछ विवरण दर्ज करने के बाद पूरी हो जाती है। भुगतान करने के लिए केवल वॉलेट का पता दर्ज करना आवश्यक है। भुगतान लेनदेन की लागत एवं सुविधा निवेशकों के लिए अनुकूल है।

3) **प्रत्येक बाज़ार में प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच**–मोबाइल एप्लिकेशन के बढ़ते प्रयोग ने वित्तीय बाज़ार की कार्यप्रणाली को बदल दिया है, लगभग हर व्यक्ति अपने वित्तीय लेनदेन के संचालन के लिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। क्रिप्टो मुद्रा बाजार एक डिजिटल बाज़ार है जहाँ वित्तीय लेनदेन कम लागत पर या मुफ्त में होता है। मोबाइल एप्लिकेशन के कारण मुद्रा बाज़ार तक व्यक्तिगत पहुँच आसान है और वह अन्य बाजारों में सभी डिजिटल भुगतानों के लिए मुद्राओं का प्रयोग कर सकता है।

4) **तीसरे पक्ष की भूमिका समाप्त करना**–एक निवेशक अपने वॉलेट की मुद्रा का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है क्योंकि क्रिप्टो मुद्रा के प्रसंस्करण के लिए कोई तीसरा पक्ष मौजूद नहीं है।

5) **Eliminate Frauds:** The investors are secured from uncertain threats because financial transactions are secured from cryptography codes.

6) **Universal Recognition:** The crypto currency market is not affected by the basic factors like the exchange rates, interest rates, transactions charges or other charges of any country. Therefore, crypto currencies can be used throughout the world without any hindrance.

4.16.7. Disadvantages of Crypto Currency Market

Following are the disadvantages of crypto currencies:

1) **Complex Market:** This market is comparatively a new and complex in nature. Investors involving in trade may not have complete knowledge of market due to which they may lose their money.

2) **Lack of Knowledge:** Though market is secured from cryptographic system but a person with inadequate knowledge may open himself to hacker. Therefore, investor needs to be cognizant about the functioning of crypto currency.

3) **Not Accepted Widely:** The acceptance of crypto currency is not universal as there are some countries where crypto currency markets are illegal hence it is not readily used for daily needs.

4) **Loss of Money:** An investor may lose his money due to many reasons like missing of password, missing of device (phone or computer), hackers attack, virus attack etc. If he lose his money because of any reasons, he will not able to regain it back by any means.

5) **Transactions are Irreversible:** An investor is not able to reverse their transactions once it has been executed. Recovery of transaction is difficult as it can be done by making personal request but if it is not considered then there is no way to recover money.

6) **Uncertainty and Volatility:** Crypto currency market is not widely accepted due to its uncertain and volatile value. Many investors are preferred to use relatively stable currency for reducing the impact of risk.

7) **Limited Scope:** Due to rapid changes in technology investors are making smart contracts which reduce the functioning of crypto currency. Hence, the application of crypto currency may be slowed down on introduction of new technology.

4.17. FINANCIAL SECTOR REFORMS IN INDIA

4.17.1. Introduction

The major boost and pillar for an economy is the financial sector. It is the major contributor in the distribution and mobilisation of the various financial resources. **The reforms ... importance while**

5) **धोखाधड़ी को समाप्त करता है**–निवेशक अनिश्चित खतरों से सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वित्तीय लेनदेन क्रिप्टोग्राफी कोड से सुरक्षित होते हैं।

6) **सार्वभौमिक मान्यता**–क्रिप्टों मुद्रा बाज़ार किसी भी देश की विनिमय दरों, ब्याज दरों, लेनदेन शुल्क या अन्य शुल्क जैसे बनियादी कारकों से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए क्रिप्टों मुद्रा का इस्तेमाल दुनिया भर में बिना किसी रूकावट के किया जा सकता है।

4.16.7. क्रिप्टो मुद्रा बाजार की हानियाँ

क्रिप्टो मुद्रा की हानियाँ निम्नलिखित है–

1) **जटिल बाज़ार**–यह बाज़ार तुलनात्मक रूप से नया एवं जटिल है। व्यापार से जुड़े निवेशकों को बाज़ार की पूरी सूचना नहीं दी जा सकती जिसके कारण उन्हें अपना पैसा गँवाना पड़ता है।

2) **ज्ञान की कमी**–हालाँकी बाज़ार क्रिप्टोग्राफ़िक प्रणाली से सुरक्षित है, परंतु अपर्याप्त ज्ञान वाला व्यक्ति स्वयं को हैकर के सामने रख सकता है। इसलिए, निवेशक के पास क्रिप्टो मुद्रा की कार्यप्रणाली के संबंध में सूचना होनी चाहिए।

3) **व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं**–क्रिप्टो मुद्रा की स्वीकार्यता सार्वभौमिक नहीं है क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ क्रिप्टो मुद्रा बाज़ार अवैध हैं इसलिए इसका प्रयोग दैनिक आवश्यकताओं के लिए आसानी से नहीं किया जाता है।

4) **धन की हानि**–एक निवेशक कई कारणों से अपना धन खो सकता है जैसे डिवाइस (फोन या कंप्यूटर) का पासवर्ड गुम हो जाना, हैकर्स का हमला, वायरस का हमला आदि। यदि किसी भी कारण से उसका धन खो जाता है, तो वह किसी भी तरह से इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते है।

5) **लेने–देन अपरिवर्तनीय है**–एक बार निष्पादित होने के बाद कोई निवेशक अपने लेनदेन को पहले जैसा करने में सक्षम नहीं होता है। लेन–देन की वसूली करना कठिन है क्योंकि इसे व्यक्तिगत अनुरोध करके किया जाता है परंतु यदि इस पर विचार नहीं किया जाता है तो धन की वसूली का कोई रास्ता नहीं है।

6) **अनिश्चितता एवं अस्थिरता**–क्रिप्टों मुद्रा बाज़ार में इसके अनिश्चित एवं अस्थिर मूल्य के कारण इसे व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। कई निवेशक जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए अपेक्षाकृत स्थिर मुद्रा का उपयोग करना पंसद करते हैं।

7) **सीमित क्षेत्र**–प्रौघोगिकी में तेजी से परिवर्तन के कारण निवेशक स्मार्ट अनुबंध बना रहे हैं जो क्रिप्टो मुद्रा की कार्यप्रणाली को कम कर देते हैं। इसलिए, नई तकनीक आने पर क्रिप्टो मुद्रा का प्रयोग धीमा हो सकता है।

4.17. भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार

4.17.1. परिचय

एक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख प्रोत्साहन एवं स्तंभ वित्तीय क्षेत्र है। यह विभिन्न वित्तीय संसाधनों के वितरण एवं एकत्रित करने में प्रमुख योगदानकर्ता है। राष्ट्रीय विकास के बारे में चर्चा करते **समय वित्तीय क्षेत्र में सुधार सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। प्रारम्भ में, यह**

discussing about national development. At the inception, it was expected that better resource mobilisation would result and impact growth in real economy. But in the recent times, they are also found to impact the stability in the macro-economic field. But because of the repression in East Asia, the weakness found in financial sector was regarded as the prime reason for the major collapse.

The banks and the financial institutions comprise the financial sector. It comes down to the market and the instruments which collect the resources from the sectors having the surplus and channelize to the ones facing the deficit. This phenomenon of mobilising the savings towards the investment criteria boosts the economic growth. At the very beginning, it was realised that for economic growth to take place, the financial sector has to be the lead runner. The process of economic reforms however faced two serious issues in the beginning, there were balance of payment that threatened the creditability of the country in the global market and was virtually on the mark of being termed as a defaulter and another being the threat of getting insolvent. Apart from this, there were some more issues in the initial part of the nineties that again had a major impact on the financial system like pre-empting of the resources from banking culture in order to finance the financial deficiency.

There was also an increased structural and micro regulation that restricted the innovation in the financial sector and increased the transaction cost. Reasonable regulations and control in financial sector was also missing. The money market was facing poor development and obsolete technology. The capital formation and investment was not noticed, thus making the entire financial system quite inefficient. The basic purpose behind carrying out the reforms in the financial sector was the efficient utilisation of the resources, increasing the output on the investments and promotion of growth in the contributing sectors of the economy. For this purpose, many schemes and reforms were initiated by the Government of India so that the economy could take a positive turn and move towards overall development.

4.17.2. Major Facts of Financial Sector Reform

Following are some major facts that were found in the financial sector reforms:

1) The present financial repression system was removed.
2) A profitable, high yielding and efficient financial sector was created.
3) The price was being determined by market forces and the resources were distributed in an optimum manner.
4) Functional and operational autonomy was provided to the financial institutions.
5) Financial system was strengthened to face international competition.
6) The external sector was opened and promoted in a systematic manner.
7) Focus was on the financial stability by providing **cushion from external and domestic collapse.**

उम्मीद की गई थी, यह बेहतर संसाधन एकत्र करने का परिणाम होगा तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था में विकास को प्रभावित करेगा। परंतु वर्तमान समय में, वे समष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्र में स्थिरता को प्रभावित करते हुए भी पाए जाते हैं। परंतु पूर्वी एशिया में दमन के कारण, वित्तीय क्षेत्र में प्राप्त निर्बलता को बड़े पतन का प्रमुख कारण माना गया हैं।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। यह बाजार तथा उपकरणों पर निर्भर करता है, जो अधिशेष वाले क्षेत्रों से संसाधन एकत्र करते हैं तथा घाटे का सामना करने वाले लोगों को दिशा प्रदान करते हैं। बचत को निवेश मानदंड के लिए एकत्रित करने की यह घटना आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। प्रारंभ में ही यह अनुभव किया गया था, कि आर्थिक विकास के लिए वित्तीय क्षेत्र को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। हालाँकि, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के प्रारंभ में दो गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ा, प्रथम भुगतान संतुलन था जिससे वैश्विक बाजार में देश की साख को खतरा था तथा दूसरा दिवालिया होने का जोखिम था। इसके अतिरिक्त, नब्बे के दशक के प्रारंभिक भाग में कुछ और मुद्दे थे, जिनका पुनः वित्तीय प्रणाली पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा जैसे कि वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए बैंकिंग संस्कृति से संसाधनों को पूर्व समाप्त कर देना।

संरचनात्मक और सूक्ष्म विनियमन में भी वृद्धि हुई जिसने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को प्रतिबंधित कर दिया तथा लेनदेन लागत में वृद्धि हुई। वित्तीय क्षेत्र में उचित नियम एवं नियंत्रण का भी अभाव था। मुद्रा बाजार ख़राब विकास एवं अप्रचलित प्रौद्योगिकी का सामना कर रहा था। पूंजी निर्माण एवं निवेश पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे पूरी वित्तीय प्रणाली काफी अक्षम हो गई। वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के पीछे मूल उद्देश्य संसाधनों का कुशल उपयोग, निवेश पर उत्पादन बढ़ाना तथा अर्थव्यवस्था के योगदान क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना था। इस उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं एवं सुधार शुरू किए गए ताकि अर्थव्यवस्था सकारात्मक मोड़ ले सके तथा समग्र विकास की ओर बढ़ सके।

4.17.2. वित्तीय क्षेत्र सुधार के प्रमुख तथ्य

वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में प्राप्त किए गए कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं–

1) वर्तमान वित्तीय दमन प्रणाली को हटा दिया गया हैं।
2) एक लाभदायक, उच्च लाभ प्रदान करने वाला एंव कुशल वित्तीय क्षेत्र बनाया गया।
3) कीमत बाजार की ताकतों/**बलों** द्वारा निर्धारित की जा रही थी, एवं संसाधनों को इष्टतम प्रकार से वितरित किया गया था।
4) वित्तीय संस्थानों को कार्यात्मक एंव परिचालन स्वायत्तता प्रदान की गई।
5) अंतरर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए वित्तीय प्रणाली को प्रबल किया गया।
6) बाह्या क्षेत्र को व्यवस्थित प्रकार से प्रारम्भ किया गया एवं बढ़ावा दिया गया।
7) बाहरी एंव घरेलू पतन से राहत प्रदान करके वित्तीय **स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया।**